खण्ड-226, अंक-6
बुधवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1883
(30 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३० अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५१

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुलस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर, प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीका राम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पदमाकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजियशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्तवाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार

सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री, तथा स्वशासन मन्त्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार ३० अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पिपराइच चीनी मिल से मजदूरों की बकाया रकम वसूल करने के लिए कार्यवाही

१—श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सन् १९५४–५५ से ही पिपराइच शुगर मिल इम्प्लाईज यूनियन द्वारा उक्त मिल के मजदूरों की ३६,००० रुपये की बकाया रकम कम करने के सम्बन्ध में बार-बार अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी हां।

पिपराइच शूगर मिल इम्प्लाईज यूनियन ने उक्त मिल के मजदूरों के लगभग २६,४०० रुपये मजदूरी की बकाया रकम की वसूली के लिये अनुरोध किया।

बकाया रकम की वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई और उक्त मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम वारन्ट कुर्की जारी कर दी गई है।

२—श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उक्त मिल के मजदूरों के ३६,००० रुपये तथा सरकार के लगभग १ लाख रुपये बकाया की वसूली के लिये सिविल कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी जिलाधीश गोरखपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा पिपराइच शुगर मिल पेपर प्लान्ट तथा अन्य मशीनरी का नीलाम अगामी २२ अगस्त को हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

जिलाधीश, गोरखपुर द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही इस प्रकार है—

१—मजदूरों के बकायों की वसूली करने की कार्यवाही उक्त मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर की व्यक्तिगत सम्पत्ति से की जा रही है; और

२—इन्कम टैक्स तथा अन्य सरकारी बकायों की वसूली के लिये उक्त मिल की शेष अचल (Immovable) सम्पत्ति का नीलाम, जिला अधिकारियों ने २२ अगस्त को निश्चित किया था, परन्तु उज्रदारी होने के फलस्वरूप उक्त नीलाम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

सहसवान-गुन्नौर सड़क में खराबी की शिकायत

**३—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में सहसवान-गुन्नौर के बीच की सड़क अधिक वर्षा के कारण कितनी जगह बह गई है और क्या इसके कारण सहसवान और गुन्नौर के बीच मोटर गाड़ियां नहीं चल रही हैं? यदि हां, तो वे कब तक चल सकेंगी?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—यह सड़क ३१ जुलाई, १९६१ ई० को कई जगह टूट गई थी तथा ८ अगस्त, १९६१ ई० को यातायात के लिये खोल दी गई थी। १६ व १७ अगस्त, १९६१ ई० को भारी वर्षा के कारण यह सड़क पुनः टूट गई थी किन्तु १८ अगस्त से फिर खोल दी गई।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मान्यवर, आज सवालों के जवाब नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष—आप इसको ले लीजिये, पढ़ लीजिये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—इसके लिये कुछ व्यवस्था कीजिये। बहुत से लोगों को उत्तर नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न मैंने करीब-करीब सब रख दिये हैं इसलिये सम्भव है कि कुछ लोगों को उत्तर न मिले हों क्योंकि नौ बजे सुबह तक हमारे पास उत्तर आये हैं।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बतायेगी कि ढांडरी की पुलिया के पास सड़क अब भी टूटी हुई है और मोटरें खेतों में होकर जा रही हैं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—इसकी इत्तला यहां नहीं है। लेकिन काम चलने लायक उस सड़क को कर दिया गया है। बरसात के बाद रेगुलर ट्रैफिक के लिये पक्की सड़क, मेटल करके बनाई जायगी। सिर्फ एक दो जगह कलवर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी।

श्री टीकाराम—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि धनीपुर जो सहसवान से १४ मील पर है, उसके पास जो सड़क टूट गई थी और जिसके लिये कहा गया था कि दुरुस्त करवा देंगे, आज भी वह सड़क दुरुस्त नहीं हुई है?

श्री गिरधारीलाल—सड़क तो टूटी जैसा कि कहा गया, लेकिन इस वक्त काम चलाने के लिये कुछ ऐसा इन्तजाम कर दिया है, मिट्टी डाल दी, या किनारे को निकाल दिया, इस तरह से वहां पर इन्तजाम किया हुआ है। बरसात के बाद रेगुलर ट्रैफिक पास करने के लिये पक्की सड़क बना दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—मैं आज यह कर रहा हूं क्योंकि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी करीब ६७ हैं, ऐसी हालत में जिनके प्रश्न हैं उनको मौका ज्यादा दूंगा। बाकी ऐसे लोग जिनको सिर्फ इसलिये दिलचस्पी पैदा हो जाय कि मन्त्री जी ने अमुक उत्तर दिया, इसलिये पूरक प्रश्न पूछ लें, वह पूरक प्रश्न कृपया न करें।

एक सदस्य—मन्त्रियों को भी हिदायत दे दीजिये कि वह भी कहानी न पढ़ें।

उत्तर प्रदेश हाइड्रो-इलेक्ट्रिक एम्प्लाईज यूनियन की मांगें

**४—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश हाइड्रो-इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन का प्रतिनिधि मण्डल, गत २ मार्च, १९६० को तत्कालीन विद्युत

मन्त्री, श्री गिरधारीलाल जी, से मिला था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रतिनिधि मण्डल से हुई वार्ता का सार क्या था ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां। इस प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी निम्नलिखित मांगें मन्त्री जी के सम्मुख रखी थीं—

(१) एस० ई० ऐण्ड एम० ई० एस० (Subordinatc Electrical & Mechanical Engineering Service) परीक्षा को अविलम्ब रोका जाय ।

(२) मुख्य अभियन्ता, राज्य विद्युत् परिषद् ने यूनियन की मीटिंग करने पर जो रोक लगा दी है, वह हटाई जाय।

**५—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाइडिल मैनुअल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पैरा ३४ के अनुसार कर्मचारियों को डिस्चार्ज करने के पहले मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि सहित तीन व्यक्तियों की कमेटी से राय लेने की व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये प्रदेश के हाईडिल संस्थानों में कमेटियों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कहां–कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैनुअल के पैरा ३४ के मुताबिक ऐसी कमेटी का बनाना अनिवार्य नहीं है। अतः वे नहीं बनाई गई हैं।

सैनिटरी इन्स्पेक्टरों के लिए विज्ञापन

**६—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन् १९६० के अन्तिम महीनों में सैनिटरी इंस्पेक्टरों के ५० पदों के लिये कोई परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण १०० अभ्यर्थियों की सूची बनाई गई थी तथा यह विचार किया गया कि आगे आवश्यकता पड़ने पर उसी सूची में से नियुक्ति कर ली जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

**७—आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि इस पद के लिये फिर से विज्ञापन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों, और क्या सरकार उक्त १०० व्यक्तियों की सूची में से ही नियुक्ति करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

आचार्य दीपंकर—क्या माननीय मन्त्री जी उस नियम से अवगत करवा सकेंगे कि जब किसी पद के लिये परीक्षा हो जाती है तो दोबारा उस पद के लिये विज्ञापन निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या ऐसा कोई नियम है ? यदि हां, तो इस प्रश्न में क्या इसकी भी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—नियम का इस वक्त तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, जांच करवा लेंगे।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—जब आवेदनपत्र मांगे गये थे तो किन पदों के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक हेल्थ ऐंड मेडिकल सर्विसेज डाइरेक्टरेट का सम्बन्ध है, वह तो कोई आवेदन पत्र मांगता नहीं। यह तो लोकल बाडीज और अन्य लोग हैं, वह आवेदन-पत्र इत्यादि मांगते हैं। तो डिपार्टमेंट ने कोई एप्वाइंटमेंट नहीं किये, इसलिये प्रार्थना-पत्र मांगने का कोई सवाल नहीं आता।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि यह सैनिटरी इंसपेक्टर्स, जिनका अप्वाइंटमेंट हुआ है यह उन्हीं अप्वाइन्टमेंट्स के बारे में यह सवाल है कि जो स्टेट लेविल पर और स्टेट हेडक्वाटर्स पर हैं, तो ऐसी हालत में क्या दिक्कत सरकार को सूचना मिलने में हुई ?

श्री धर्मसिंह--मान्यवर, सरकार ने इसकी पूरी कोशिश की जब यह प्रश्न इत्यादि आये कि सूचना प्राप्त हो सके, लेकिन वह सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, इसके लिये खेद है ।

सूचना विभाग की पत्रिका "ग्राम्या" में आपत्तिजनक लेख का प्रकाशन

****८--कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली "ग्राम्या" नामक साप्ताहिक पत्रिका के ३० जुलाई, १९६१ के अंक में पृष्ठ ८ पर प्रकाशित जो एक लेख "जीवन दर्शन" नाम में छपा है, उसके लेखक कौन हैं तथा क्या इस प्रकार के लेख अन्य राजनीतिक दलों के त्यागी और तपस्वी लोगों के बारे में भी छापे जायेंगे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--लेख सूचना विभाग के पत्रकार का लिखा हुआ है, इस तरह के लेख प्रकाशित होना सरकारी नीति के विरुद्ध है। अतएव अन्य लोगों के सम्बन्ध में ऐसे लेख प्रकाशित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी, जिनका लिखा हुआ वह लेख है, उनका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--अध्यक्ष महोदय, अगर नाम न पूछें माननीय सदस्य तो बेहतर है। इस सिलसिले में कार्यवाही हो रही है और कुछ जांच चल रही है। नाम लेना बहुत मुनासिब नहीं होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब नाम छपा हुआ है, उसमें प्रकाशित है, तो उसको बताने में क्या एतराज है ? वह तो सबको मालूम ही है ?

श्री रऊफ जाफरी--अगर छपा हुआ है और माननीय सदस्यों को मालूम है, वह समझते हैं कि वह सही है तो पूछने की आवश्यकता ही क्या है। मगर चूंकि पूछ रहे हैं इसी से मालूम होता है कि उनको कुछ सन्देह है उस नाम के बारे में जो कि छपा हुआ है, और यही चीज इंक्वायरी की भी है।

कुंवर श्रीपालसिंह--माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई बहल साहब नाम के समाचार अधिकारी हैं जिनका लिखा हुआ यह लेख है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, इस नाम के एक पत्रकार हैं और उनका लिखा हुआ भी हो सकता है, जांच हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इन साहबान ने बाहर के, इलाहाबाद के और लखनऊ के अखबारों को भी यह लेख भेजा है और उसमें उनके दस्तखत भी मौजूद हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--यह तो मालूम है कि यह लेख और पत्रों में भी छपा है। उस पर उनके दस्तखत हैं या नहीं, इसके मुताल्लिक मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि उनके दस्तखत हों।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो 'जीवन दर्शन' नाम का लेख लिखा गया उसमें जो राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले हैं उन सबकी चर्चा है अथवा केवल एक दल विशेष के जो हैं उनकी चर्चा है? इसका आधार क्या है?

श्री रऊफ जाफरी---मैंने अर्ज किया कि वह मजमून जो है उसके लिये सरकार को अफसोस है कि वह उसके परचे में छपा और यह उसकी नीति के विरुद्ध है। यह जो कहा गया अलग-अलग सेक्शन की बाबत बात है और काफी काबिले एतराज है। इसीलिये कहा गया कि उस पर हमें अफसोस है।

कुंवर श्रीपालसिंह---यह लेख छापने के पहले सूचना अधिकारी श्री जोशी ने क्या इसे माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी दिखाया था?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि जिस लेख की चर्चा आज है उस लेख में व्यक्तिगत रूप से माननीय चन्द्रभानु गुप्त की स्तुति है और कांग्रेस का ही एक दूसरा ग्रुप जो है उसकी उसमें निन्दा है, और साथ ही उस लेख को छपवाने के लिए कंटिंजेंसी फंड से इंस्पायर्ड पब्लिकेशन के तौर पर काफी रुपया भी खर्च किया गया है?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं। यह बात सही नहीं है। यह बात सही है कि उसमें माननीय गुप्त जी की तारीफ है और कुछ दूसरे लोगों के मुताल्लिक कुछ ऐसे अल्फाज लिखे गए हैं जो कि नहीं लिखे जाने चाहिए थे। लेकिन यह जहां तक सवाल है कि दूसरे अखबारों को भेजा गया और इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया, यह बात सही नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सम्पादक लेख छापता है या किसी का जीवन चरित्र छापता है, वह सरकार से पूछ कर छापता है?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं। और अखबार जो हैं वह पूछ कर नहीं छापते हैं और 'ग्राम्या' का भी जहां तक सम्बन्ध है उसमें भी हर लेख जो छपता है वह यहां सरकार से पूछा नहीं जाता। एडीटर जो है उसको इतनी डिस्क्रीशन होती है कि कौन मजमून उसमें छापे और कौन न छापे। चुनांचे जब यह मजमून छापा गया उसके अन्दर और जैसे ही गवर्नमेंट का उसकी तरफ अटेंशन ड्रा किया गया, उस पर फौरी कार्यवाही की गई और एडीटर को उसके पद से हटा दिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि बहाल नाम के एक पत्रकार हैं और उनके ऊपर भी शक किया जा रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बहाल नाम के जो पत्रकार बताये गये हैं वह पत्रकार नहीं हैं बल्कि सूचना विभाग के एक सरकारी गजटेड अफसर हैं?

श्री रऊफ जाफरी---यह सही है कि वह विभाग के अन्दर हैं। यह कहा गया है कि वह जर्नलिस्ट हैं।

श्री रामायण राय---मान्यवर, यह उक्त लेख जिस सज्जन के नाम से प्रकाशित किया गया है उसमें लिखा हुआ है या किसी और का लिखा हुआ यह लेख है, इस बात का पता लगाने के लिये सरकार चेष्टा कर रही है?

इं० मांगन

श्री रऊफ जाफरी---यह पहले कहा जा चुका है कि इसका पता लगाया जा रहा है ने यह कहा या कार्यालय ने खुद कहा है। इन सब बातों को देखा जा रहा है।

फौरी जो कार्यवाही हुई वह यह कि एडीटर, जिसको अपनी डिस्क्रीशन वहां पर देना चाहिये था कि वह चीज जाय या नहीं, उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। इसलिये उसको उस पद से हटा दिया गया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि ३० जुलाई को निकलने वाले अंक पर यह लेख था और आज ३० अगस्त है। एक मास का समय इसकी जांच-पड़ताल में लग गया तो जांच-पड़ताल कौन कर रहा है और अभी और कितना समय लगने का अन्देशा है ?

श्री रऊफ जाफरी---यह सही है कि आज ३० अगस्त हो गया, लेकिन पहली जो कार्यवाही हुई है वह ३ तारीख को हुई है। उस तारीख को उस एडीटर को हटाया गया। उसके बाद हमारे यहां यह जांच की कार्यवाही हो रही है कि जिसको डायरेक्टर आफ इन्फार्मेशन कर रहे हैं। डाइरेक्टर आफ इन्फार्मेशन इसी जमाने में नये आये हैं एक दो सप्ताह उनको पता लगाने में लग गया, इस वजह से देर हुई, लेकिन इस निर्णय पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह लेख और अखबारों में गया है तो सुरेश जोशी, असिस्टेंट डाइरेक्टर, सूचना विभाग के दस्तखत से गया है और उन्हीं के कहने से एडीटर ने छापा है, इसलिये एडीटर को मुअत्तल करने का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप किसी के केस को यहां पर प्लीड नहीं कर सकते।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह लेख ग्राम्या तथा और अखबारों में सुरेश जोशी, असिस्टेंट डाइरेक्टर, सूचना विभाग के हस्ताक्षर से गया है और उसके लिये उनका आर्डर हुआ था ?

श्री रऊफ जाफरी---यह तो मैं पहले कह चुका हूं। अगर उनके दस्तखत से गया है तो मैं जानता नहीं या अगर गया है तो विभाग की तरफ से नहीं गया है। दूसरा सवाल यह है कि उसके कहने से छपा तो इन दोनों में इख्तलाफ है। एडीटर कहते हैं कि उन्होंने कहा और वे कहते हैं कि हमने नहीं कहा। इन सब बातों के मुताल्लिक जांच हो रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस लेख में वह कौन-सा मुख्य अंश है जिसको आपत्तिजनक माना जाता है और जिसके आधार पर यह सारी कार्यवाही हो रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---अगर माननीय सदस्य उस लेख को पढ़ लें तो उनको अपने आप मालूम हो जायगा कौन-सी बात आपत्तिजनक है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि माननीय सूचना मन्त्री स्वतः जो इस समय प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, सूचना विभाग के कार्यालय में गये थे और सूचना विभाग के कार्यालय में उन्होंने स्वतः जांच-पड़ताल की। तो जांच-पड़ताल से मन्त्री जी को क्या मालूम हुआ ? सुरेश जोशी का उसमें हाथ था या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी---यह खबर सही नहीं है कि मैं इसकी जांच के लिये कार्यालय में गया था। मैं नहीं गया था।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९ का स्थगन

श्री अध्यक्ष---इसका (प्रश्न ९ का) तो उत्तर नहीं आया है।

श्री वरणसिंह---इसकी सूचना हासिल नहीं की जा सकी थी।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, सवाल क्या पूछें। बड़ा पुराना सवाल है। मैं यही जानना चाहता हूं कि अभी तक सूचना क्यों नहीं मिल सकी ?

श्री चरण सिंह—यह सवाल २१ तारीख को किया गया था और २३ तारीख उसके लिये मुकर्रर की गयी थी। गवर्नमेंट की तरफ से दरख्वास्त की गयी थी कि इतनी जल्दी जवाब नहीं दिया जा सकता, तो यह पोस्टपोन हो गया, मतलब यह कि यह दो हफ्ते बाद आयेगा। लेकिन हमने तभी डी० एम०, पौड़ी को वायरलेस कर दिया था। उसका जवाब नहीं आया। वह शायद इस खयाल में होंगे कि २ हफ्ते बाद जवाब देना है। कल हमने टेलीफोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कंटैक्ट न हो सका।

९—श्री गौरीशंकर राय—[स्थगित किया गया।]

अन्जुमन तरक्किये उर्दू के शिष्ट मण्डल का स्मृति-पत्र

१०—कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मुख्य-मंत्री कृपया बतायेंगे कि १८ अगस्त, १९६० को अन्जुमन तरक्किये उर्दू का एक शिष्ट मंडल, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कर्नल जैदी के नेतृत्व में उनसे मिला था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं तथा सरकार ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी हां।

शिष्ट मंडल ने मुख्य-मंत्री को अंग्रेजी में लिखित एक स्मृति-पत्र दिया था जिसमें सुझाव के रूप में (मांगों के रूप में नहीं) कुछ बातें लिखी थीं। उनका खुलासा एक अलग नोट में दे दिया गया है जिसकी प्रति † मेज पर रख दी गयी है।

सरकार की ओर से मुख्य मंत्री ने शिष्ट मंडल से आश्वासन के रूप में कोई बात नहीं कही। शिष्ट मंडल के सदस्यों ने स्मृति-पत्र में लिखी हुई बातों पर मुख्य मंत्री से कुछ चर्चा की। उसी दौरान में मुख्य मंत्री ने भी उस विषय पर मोटे तौर पर अपने विचार व्यक्त किये और यह भी कहा कि शिष्ट मंडल के सुझावों को, जहां तक वे भाषा समिति के विचारणीय विषयों के अन्तर्गत हों, समिति के पास भी विचारार्थ भेजा जाएगा।

शिष्ट मंडल से बात-चीत होने के बाद उसका सारांश एक स्मारपत्र (aide memoire) के रूप में बनाया गया। उसकी भी एक † नकल मेज पर रख दी गई है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्मृति-पत्र के पैरा ७ में अल्पसंख्यकों के लिये जो ना काफी रियायतों का जिक्र है वह रियायतें क्या क्या हैं, उनमें मुख्य-मुख्य क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमने इतना बड़ा ह्वाइट पेपर छपा दिया और उसमें सब बातें लिखी हुई हैं। अगर आप उसका अध्ययन कर लें तो मुझे सदन में तमाम बातें दोहराने की जरूरत न पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—कल यह मेरे पास भी आया है और काफी लिट्रेचर उन्होंने तकसीम कर दिया है। आज सबेरे वह आदरणीय सदन के सदस्यों को भी दे दिया गया है। वह कहते हैं कि उसे आप देख लें, उसमें बहुत-सी चीजें हैं। यह उनका उत्तर है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्मृति-पत्र में पैरा १२ के अन्त में नागरी लिपि के बारे में जो कहा गया है उसके सुझाव को मंडल ने माना या नहीं ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उनके मानने या न मानने का प्रश्न मेरे सामने नहीं था। जो बातें मैं दिल्ली से जानकर आया था वह मैंने उनको व्यक्त कर दी थीं और उनको अपने विचारों से कायल करने की चेष्टा की थी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिष्ट मंडल माननीय मंत्री जी से मिला है उसने वही मांगें माननीय मंत्री जी के सामने रखीं जिनको उन्होंने मुस्लिम कन्वेन्शन में प्रस्तावों द्वारा मांगा था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने तो उन मांगों का गौर से अध्ययन नहीं किया जो कि कंवेंशन में रखी गयी थीं और न उनका कोई मुकाबला किया था कि वे वही मांगें हैं या नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद वही दृष्टिकोण वहां भी पेश किया गया हो।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--अभी इसके ऊपर बहस होने वाली है, ज्यादा प्रश्न न पूछिये।

लैन्सडाउन तथा हल्द्वानी तहसीलों में हिंसक पशुओं का आतंक

११--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले दो-तीन माह के अन्दर जिला गढ़वाल की लैन्सडाउन तहसील में आदमखोर शेर ने कई व्यक्तियों को हताहत कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जी हां। इस नरभक्षी के मारने के लिये ४०० रुपये का पुरस्कार घोषित किया जा चुका है, किन्तु अभी तक वह मारा नहीं जा सका है। जिलाधीश के प्रयत्न जारी हैं--कई शिकारी मौके पर हैं।

१२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि हल्द्वानी मिल्क कोआपरेटिव यूनियन के लालकुंआ के आसपास स्थित क्षेत्रों में शेर तथा जंगली हाथी वहां के निसाक्षियों को त्रस्त कर कई जानवरों को हताहत कर चुके हैं? यदि हां, तो सरकार इस उत्पात को रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जांच करने पर मालूम हुआ है कि ऐसा कोई उत्पात जिसका जिक्र प्रश्न में किया गया है उस क्षेत्र में नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नरभक्षी शेर ने अब तक कितने व्यक्तियों को हताहत किया है और यह कार्यवाही कब से चल रही है तथा उसको मारने के अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इसकी सही सूचना अभी नहीं है। ३ मई को जिलाधीश, गढ़वाल ने बताया था कि उसने एक १२ वर्षीय लड़की को खा लिया। उसके बाद भी उसने एक को और खाया। यह शेर तो मालूम नहीं होता, किन्तु यह तेन्दुआ या पैन्थर जैसा कोई जानवर है, लेकिन उसका अभी ठीक तरह से पता नहीं चला है और शिकारी लोग उसके पीछे लगे हुये हैं और वे उसकी खोज कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमायूं डिवीजन में जो इस प्रकार के नरभक्षी शेर उत्पन्न हो जाते हैं उनको समाप्त करने के लिये कोई परमानेन्ट शिकारी नियुक्त किये गये हैं जिनको परमानेन्ट तरीके से हाई एलाउन्स भी दिया जाता है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इसकी सूचना नहीं है कि कोई परमानेन्ट लोग इसके लिये हैं और उनको एलाउन्स दिया जाता है, लेकिन इसको मारने के लिये ४०० रुपये का इनाम जरूर घोषित किया गया है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी किसी शिकारी को हमारे साथ भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---क्या आप शिकार में जाना चाहते हैं ? (हंसी) माननीय राजनारायण जी निशाना अच्छा लगा लेते हैं ।

श्री राजनारायण---जी हां, मैं जानता हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप नारायणदत्त तिवारी जी से मिल कर इसको तय कर लीजिये । यह ठीक रहेगा ।

बलिया जेल में हवालाती बन्दियों पर बैटन प्रहार

**१३---श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि गत २० अगस्त, को बलिया जेल में हवालाती बन्दियों पर लाठी वर्षा हुयी और अ5ारह आदमी घायल हुये ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---वार्डरों द्वारा बैटन प्रयोग से दंगा करने वाले २२ हवालियों को मामूली चोटें आईं ।

**१४---श्री राजनारायण---यदि हां, तो घायल व्यक्तियों की देख-रेख के लिये डाक्टर कब आये ?

डाक्टर सीताराम---घटना के बाद तुरन्त ही ।

**१५---श्री राजनारायण---क्या डाक्टर ने उनकी चोटों को दर्ज किया ?

डाक्टर सीताराम---जी हां ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कौन से कारण थे, जिसकी वजह से जेल में लाठी चार्ज हुआ और यह लाठी चार्ज जेल के अधीक्षक के हुक्म से हुआ या और किसी के ?

डाक्टर सीताराम---लाठी चार्ज तो नहीं हुआ, हां बैटन चार्ज हुआ था और वहां के सिविल सर्जन जो सुपरिन्टेन्डेंट भी हैं उनके आर्डर से हुआ ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि हवालाती बंदियों के ऊपर जिसको कि सरकार कहती है कि बैटन चार्ज हुआ, तो वह क्यों हुआ ?

डाक्टर सीताराम---३० या ४० अंडर-ट्रायल्स से जब अपनी बैरक के भीतर जाने के लिये वार्डर कहने को गये तो उन्हों ने उनको घेर लिया और साथ ही साथ हेड वार्डर की सीटी भी छीन ली । इसके बाद जेलर, ३ असिस्टेन्ट जेलर और १२ वार्डर वहां पर गये । उन्होंने प्रार्थना की कि वह अपनी बैरिकों में चले जायं, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं गये तो जेल मैनुअल के पैरा ८४० के मुताबिक यह कार्यवाही की गयी ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जो पहला वार्डर गया यह कहने के लिए कि आप बैरिक में जाइये, वह आदेश क्यों दिया गया और किस समय दिया गया ?

डाक्टर सीताराम---२० अगस्त को साढ़े सात बजे सुबह इन ७ अंडर-ट्रायल्स ने, जिनके साथ और भी मौजूद थे, एक अंडर ट्रायल को खूब अच्छी तरह से पीटा, यहां तक कि वह बेचारा जमीन पर गिर गय जिसको कि अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन जब हेड वार्डर के बुलाने पर ३ अंडर ट्रायल्स नहीं आये---७ में से ४ तो आ गये थे---और उन्होंने जेलर की भी परवाह नहीं की और उसके बुलाने पर भी नहीं आये तो यह सब कार्यवाही करनी पड़ी ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने बैटन चार्ज किया है तो वे बैटन सभ्य देशों की तरह सालिड रबर के थे या लकड़ी के थे ?

डाक्टर सीताराम---छोटे-छोटे डंडे थे लकड़ी के ।

श्री गौरीशंकर राय---मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि वार्डर ने भीतर जाने लिए कहा और वह नहीं गये और दूसरी बार कहा कि जेलर ने बुलाया तो नहीं आये, तो उनसे जो भीतर जाने के लिये कहा गया वह किन कारणों से कहा गया और क्या कह कर हवालाती एतराज करते थे कि हम भीतर नहीं जायंगे ? क्या उनकी कोई मांग थी ? अगर थी तो वह क्या थी ?

डाक्टर सीताराम---उन अंडर ट्रायल्स की कोई मांग नहीं थी बल्कि उन्होंने वार्डर, मि० मकसूद आलम को घेर लिया और पीटा । उसके बाद जेलर और दूसरे अफसरों ने कहा कि भीतर जायं । वे भीतर नहीं गये जब कि जेल मैनुअल के पैरा ८३६ के अनुसार उनको भीतर चले जाना चाहिये था । जब नहीं गये तो जेल मैनुअल की धारा ८३८-८४१ तक के मुताबिक कार्यवाही की गयी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो हवालाती बंदी घायल हुए उनमें से कितने ऐसे थे जिनको गहरी चोटें लगी हुई हैं ?

डाक्टर सीताराम---गहरी चोट किसी को नहीं लगी हुई है, बल्कि कंट्यूजेंस ऐबरेशंस और स्वेलिंग की मामूली चोटें आयी हैं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि "बैरिक" से मतलब क्या है उसका "एनक्लोजर" से मतलब होता है या वह बैरक जिसमें बंदी रात को सोते है और बन्द होते है ?

डाक्टर सीताराम---बैरिक वह जगह कहलाती है जिसमें वह रात को सोते हैं । एन क्लोजर वह है जो कि घेरा बैरिक के चारों तरफ रहता है । वे अंडर ट्रायल्स एनक्लोजर में मौजूद थे और जमा हो गये थे ।

श्री गौरीशंकर राय---मंत्री जी ने बैटन चार्ज के तीन कारण बताये । पहला तो यह कि भीतर जाने से इन्कार किया और हैड वार्डर की सीटी छीन ली । दूसरी बार कहा कि मि० मकसूद आलम को बुरी तरह पीटा और एक जवाब दिया था कि जेलर साहब ने बुलाया, जाने से इन्कार किया, तो मंत्री जी कृपया स्पष्ट करें और सीक्वेंस मिलाकर उत्तर दें कि कौन कहां सही है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि टुकड़ों, टुकड़ों में उन्होंने उत्तर दिया तो, एक स्टोरी की तरह कि कहां से शुरुआत हुई और कहां समाप्त हुई, सब प्वाइंटस बतायें तो क्या बुरा है ? अमुक बाकया हुआ, उसके बाद क्या किया ।

डाक्टर सीताराम---जैसा प्रश्न किया जाता है, वैसा ही जवाब दिया जाता है, इसलिये माननीय सदस्य का कहना कि फरदन फरदन बातें बतलायी जाती है, ठीक नहीं है । यदि आपकी आज्ञा है तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं ।

घटना यह है कि जिला जेल, बलिया में १९ अगस्त, १९६१ को हवालाती बंदियों के वार्ड में उनकी हजामत बनाने के लिये एक अभियुक्त बन्दी बेचन नाई गया । उसने कुछ लोगों के बाल बनाये भी । एक हवालाती ने जिसका नाम चन्द्रशेखर था नाई से उस्तरा मांगा जो उसने जेल मैनुअल के अनुसार नहीं दिया । चन्द्रशेखर ने और ब्रह्मदेव सिंह व सूरतसिंह ने जो हवालाती थे, बच्चन कैदी को धमकाया कि हम तुमको देख लेंगे । २० अगस्त को ७।। बजे सुबह बच्चन १० नम्बर वार्ड की ओर जा रहा था । चन्द्रशेखर, उनके दो साथी

और ४ और लोगों ने उन्हें मारा बुरी तरह से। जब इसकी सूचना एसिस्टेंट जेलर को मिली तो उन्होंने वार्डर को आज्ञा दी कि उन्हें बुला लावे। सात में से चार अन्डरट्रायल्स ले आये गये। बाकी तीन को जेलर ने बुलाने की आज्ञा दी। इन तीनों ने आने से इंकार किया। इनके करीब लगभग ३०–४० और कैदी थे, इन सबने मकसूद आलम को, जो कि इस बैरक के इन चार्ज थे और है, उनको बुरी तरह से पीटा। हेड वार्डर को भी इन लोगों ने घेर लिया और उनकी सीटी छीन ली। दूसरे वार्डर ने जो कि करीब थे, सीटी बजाई। उस पर जेलर, ३ एसिस्टेंट जेलर, १२ वार्डर, वहां पहुंचे और उन्होंने एलार्म लगाया। उसके बाद और भी अफसर आ गये और साथ ही उन्होंने जेल सुपरिंटेंडेंट को जो कि सिविल सर्जन भी हैं और पास ही रहते हैं, फोन किया और वह भी करीब ५ मिनट में पहुंच गये, यह घटना है।

धौलछीना-कनारीछीना मोटर मार्ग बनाने की प्रार्थना

**१६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या कंजरवेटर, कुमायूं बन वृत्त को धौलछीना-कनारी छीना-गनाई बन मोटर मार्ग बनाने के बाबत मेरे तथा अन्य लोगों के पत्र पिछले ४ सालों में बराबर प्राप्त हुये थे? अगर हां, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि धनाभाव के कारण P.W.D. विभाग भी इसे तृतीय योजना-काल में नहीं बनाने जा रहा है?

वन राज्य मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय वन मंत्री अपने पड़ोसी मंत्री डाक्टर सीताराम का उदाहरण लेते हुये जैसे उन्होंने अभी विस्तारपूर्वक उत्तर दिया, उत्तर देने की कृपा करेंगे कि इस सड़क को धनाभाव के कारण पी० डब्ल्यू० डी० भी तृतीय योजना-काल में नहीं बनाने जा रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री—तभी तो मैंने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद पी० डब्ल्यू० डी० से पूछा या उनकी तृतीय पंचवर्षीय योजना देखने की कृपा की जो कि इस सदन में भी उपस्थित हो चुकी है?

श्री अध्यक्ष—यहां उपस्थित हो चुकने पर तो आप को भी मालूम होना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं डाक्टर सीताराम को धन्यवाद देता हूं कि इतने विस्तार से उत्तर दिया और दूसरे मंत्रियों की ओर से टालू मिक्सचर आता है। मंत्री जी बतावेंगे कि तीसरे प्लान से इसे निकाला क्यों है?

श्री अलगूराय शास्त्री—यह सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन मंत्रियों की योग्यता और कार्य-क्षमता में भी अन्तर होता है। रवादारी से काम निकाला जा सकता है।

पन्तनगर, जिला नैनीताल में ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कालेज की इमारत का निर्माण

**१७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के पन्त नगर में एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी के अन्तर्गत सरकार पांच कालेज अगले वर्ष खोलने का विचार कर रही है, जिसमें एक कालेज ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का भी खोलने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—इनका उत्तर आगया है या नहीं?

श्री चरणसिंह—मैं इतना अर्ज कर सकता हूं कि केवल एक कालेज के खोलने का विचार है, एग्रीकल्चरल इंजीनीयरिंग कालेज। उसकी इमारत जेर तामीर है सम्भवतः अगले साल वह कालेज खुल जायगा। बाकी ४ कालेज खोलने का विचार नहीं है।

**१८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—[स्थगित किया गया।]

अथर्टन वेस्ट मिल, कानपुर में वेजबोर्ड की सिफारिशों का न लागू होना

**१९—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि एलगिन मिल नं० २ एवं अथर्टन वेस्ट मिल कानपुर में सेंट्रल टेक्सटाइल वेज बोर्ड की रिपोर्ट (interim recommendation) लागू नहीं की गई है? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ है?

श्री रऊफ जाफरी—अथर्टन वेस्ट मिल पर वेज बोर्ड की सिफारिशें इस समय लागू नहीं है। एलगिन मिल नं० २ पर सिफारिशें लागू की गई हैं, लेकिन उन्होंने इससे छूट के लिये प्रार्थना की है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—अथर्टन वैस्ट मिल में वेज बोर्ड की सिफारिशें न लागू करने के कारण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री रऊफ जाफरी—वेज बोर्ड की सिफारिशों पर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का रिजोल्यूशन २ मार्च को हुआ। उसमें यह प्रावीजन था कि जो मिलें बन्द हों या जिनके खिलाफ इनक्वायरी हो रही या हुई हो या जो अंथाराइज्ड कंट्रोलर के मैनेजमेंट में हों उनके मामले अलग से देखें जावेंगे। ८ और ६ रुपये की वृद्धि की बात उन पर लागू नहीं होगी। अथर्टन वैस्ट उसी में है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—पहले यह था कि जो घाटे में हों उन पर लागू नहीं होगा, तो क्या अथर्टन वेस्ट भी उन्हीं में है।

श्री रऊफ जाफरी—जैसे फायदा होगा सिफारिशें लागू हो जावेंगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एलगिन मिल नं० २ में इन सिफारिशों के न लागू करने के बारे में जो प्रार्थनापत्र आया है उस सिलसिले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और वहां इन सिफारिशों के आधार पर रुपया दिलाने की क्या कार्यवाही हुई है?

श्री रऊफ जाफरी—प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में सरकार ने लेबर कमिश्नर को लिखा है कि जांच करें कि वह दे सकते हैं या नहीं। अगर वह पे कर सकते होंगे तो उनसे दिलाया जायगा।

चम्पावत घाट-अल्मोड़ा सड़क पर बस दुर्घटना

**२०—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि ५ अगस्त, सन् १९६१ को पिथौरागढ-टनकपुर सड़क पर ६८ मील बारा कोट के पास बस दुर्घटना हो गई, जिसमें ३ मनुष्य मरे और ६ आदमी घायल हुये?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—५ अगस्त, १९६१ को कोई दुर्घटना पिथौरागढ़-टनकपुर सड़क पर नहीं हुई। ४ अगस्त को एक बस चम्पावत घाट-अल्मोड़ा सड़क पर टनकपुर से करीब ६७ मील की दूरी पर दुर्घटना-ग्रस्त हुई। इसमें ३ आदमी मरे और १० घायल हुए।

श्री नन्दराम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस दुर्घटना के कारण क्या थे?

श्री मुजफ्फर हसन—बस कुछ थोड़ी तेज जा रही थी। मोड़ पड़ने पर दाहिने रुख जितनी लम्बाई में उसे घरा लेना था वह नहीं लिया। जब वह मुड़ चुकी तो बाईं तरफ पहाड़

का कुछ हिस्सा निकला हुआ था, उसमें टक्कर लगने के बाद आदेश हुआ तो ड्राइवर ने कोशिश की कि फिर दाहिनी तरफ मोड़ें। उसमें पैरापट वाल को तोड़ कर गाड़ी नीचे चली गई।

श्री राजनारायण--यह जिस बस दुर्घटना का जिक्र सरकार कर रही है वह उक्त जांच समिति को जांच करने के लिये दी गयी है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह नहीं दी गयी। यह दुर्घटना बाद में हुई।

श्री राजनारायण--क्या अब दे दी जायगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस सड़क के एलाइनमेंट की बहुत शिकायतें हैं क्योंकि वह बहुत कमजोर है, इसलिये दुर्घटनायें बहुत ज्यादा होती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--मुझे इसकी सूचना नहीं है। इसको भी देख लूंगा।

स्थानीय निकायों के अध्यापकों को वेतनवृद्धि तथा अध्यापिकाओं को ग्राम-भत्ता देने के आदेश

२१--श्री बाबूराम (जिला बरेली) तथा श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों के वेतन में जो चार रुपया की वृद्धि की गयी थी वह अभी तक अध्यापकों को नहीं दी गयी ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ? और, उन्हें कब तक मिल जाने की आशा है ?

शिक्षा उप मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां।

स्थानीय निकायों के अध्यापकों के वेतन में चार रुपये प्रतिमास की वृद्धि १ जुलाई, १९६१ से की गई है। इस संबंध में स्थानीय निकायों के लिये अतिरिक्त अनुदान के आंकड़े शिक्षा निदेशक एकत्रित कर रहे हैं तथा उन्हें शासन को शीघ्र प्रस्तुत करने के आदेश हैं।

२२--श्री बाबूराम तथा श्री नत्थूसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने ग्राम की पाठशाला में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को २० रु० ग्राम भत्ता देने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो क्या इसके आदेश दे दिये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। शासन ने अपने घर से बाहर ग्रामीण अथवा पिछड़े हुए क्षेत्रों में बालिकाओं के अवर तथा उच्च आधारिक विद्यालयों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को केवल ग्राम भत्ता देने का निश्चय किया था। अब शासन ने यह ग्राम भत्ता १५ रुपये प्रतिमास प्रशिक्षित अध्यापिकाओं के लिये तथा १० रुपये प्रतिमास अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं के लिये स्वीकृत किया है। अतः इस संबंध में आदेश निर्गत हो रहे हैं।

श्री बाबूराम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अप्रैल मास में जो चार रुपया वेतन वृद्धि का एलान सरकार ने किया था उसको जुलाई से देने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--वह तो १ जुलाई, १९६१ से ही देना निश्चित हुआ था।

श्री नत्थूसिंह--क्या सरकार अब वेतन दिये जाने के बारे में आदेश देगी जिससे उनको वेतन जल्दी मिल जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--आदेश भेज दिये गये हैं। भत्ते के बारे में भी आदेश शीघ्र भेज दिये जायेंगे।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि अक्सर यह देखा गया है कि कम तनख्वाह पाने वालों को वेतन समय पर नहीं मिलता तो क्या सरकार निश्चित आदेश देने की कृपा करेगी कि कम तनख्वाह पाने वालों का कोई बकाया न रहे ?

श्री रामस्वरूप यादव---पता नहीं माननीय सदस्य किस वाकये की बात कह रहे हैं । यह वृद्धि तो १ जुलाई से ही दी गयी थी । १५ जुलाई को उसके आदेश भेज दिये गये । विभाग में कुछ कार्यवाही होती है उसमें कुछ देरी हो जाती है । नयी वृद्धि उनको समय से दी जा सकती है, रुपया तो उनको इसी वित्तीय वर्ष में मिल ही जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जब ४ रुपया की वृद्धि १ जुलाई से ही हो गयी थी तो फिर १५ जूलाई को ही आदेश क्यों भेजे गये ? क्या उससे पहले आदेश नहीं भेजे जा सकते थे और सूचना नहीं मंगायी जा सकती थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---बजट स्वीकार हो जाने के बाद बहुत सी ऐसी कार्यवाही विभाग में होती है जिसमें देर लग जाती है । उसके बाद ही आदेश जारी किये जा सकते हैं। यह कार्यवाही बजट पास हो जाने के बाद ही होती है, लेकिन वह तो उसी तिथि से लागू समझी जाती है जब कि घोषणा होती है । रुपया उनको १ जुलाई से ही मिलेगा ।

गोरखपुर सहकारी बैंक व समितियों में भ्रष्टाचार के आरोप

****२३---श्री मदन पांडेय**---क्या सहकारिता मंत्री को संलग्न छपा हुआ पत्रक जिसमें गोरखपुर सहकारी बैंक व समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी, कृपया उन आरोपों के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये हैं तथा क्या परिणाम निकला इस सदन के सम्मुख रखेंगे ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मलखानसिंह)---कथित पत्र में दिए गए आरोपों को जांच के लिये निबन्धक के पास भेज दिया गया है । निबन्धक ने बताया है कि उसकी जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि जांच का क्या परिणाम है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी उस पत्रक में लगाये गये मुख्य-मुख्य आरोपों को सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---वे आरोप तो बहुत लम्बे-चौड़े कई सफे में हैं, अगर उसे यहां पढ़ने की बात कही जाय तो उसे पढ़ दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---एक-दो आरोप आप बतला दें ।

श्री मदन पांडेय---आर्थिक गोलमाल सम्बन्धी जो आरोप हैं, उन्हीं को आप बतला दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री मलखानसिंह---प्रबन्ध संचालक श्री वर्मा ने ९-१-६० को ८६० रु० बैंक से ले लिया था और ऊपर के आफिसर के आदेश के बावजूद भी उसे वापस नहीं किया । इसी तरह से बैंक की इमारत का बैनामा कराना बतला कर १,४०, ५६६ रुपये ले लिया । इस तरह के करीब ३८ आरोप हैं ।

श्री मदन पांडेय---इस प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है कि इसकी जांच करने के लिये कोई भेजा गया था, तो क्या यह सही है कि उस आरोप पत्र में कुछ आरोप इस प्रकार के हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से उस रुपये को रियलाइज करने के लिये आदेश दिया जा चुका था, जैसे २०० रु० महीना बाई लाज की मंशा के खिलाफ श्री वर्मा लेते थे और ११ महीने तक लेते रहे, उसके वापस करने के आदेश दिये जा चुके, फिर भी वे अभी तक वापस नहीं किये गये ?

श्री मंगलाप्रसाद---कई रोज हुए मैंने बतलाया था कि यह सवाल बहुत दिनों से चल रहा है और इसकी जांच हो रही थी । चूंकि यह इतने लम्बे-चौड़े सवालों के सम्बन्ध में

है, पहले ३८ थे, अब कुछ और बढ़ ही गये हैं, तो इसकी एक आफिसर को भेज कर जांच करायी गयी, जांच कराने के बाद रिपोर्ट आने में काफी समय लगा। उसके बाद उनको चार्जशीट दी गयी। इतने ज्यादा चार्जेज थे इसलिये उनका जबाव देने में भी काफी समय लगा। वह जवाब निबन्धक के पास है जिसको वह कंसीडर कर रहे हैं, अभी उनकी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आयी है।

**२४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--[स्थगित किया गया।]

जेल विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

**२५--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई० जी०, डी० आई० जी० जेल तथा डायरेक्टर, जेल इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच के लिये सी० आई० डी० द्वारा जांच बैठा दी गई है? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है?

डाक्टर सीताराम--जेल विभाग के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध सी० आई० डी० से जांच कराई गई है, किन्तु उनके सम्बन्ध में अथवा जांच की स्थिति के सम्बन्ध में इस समय कोई सूचना देना जनहित में न होगा, क्योंकि जो छानबीन की जा रही है वह अभी निर्णयात्मक स्थिति पर नहीं पहुंची है।

बांदा जिले में अतिसार से मृत्युएं

**२६--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को सूचना है कि जिला बांदा में पिछले सप्ताह (दिनांक १७-८-६१ के पूर्व) में हैजे के प्रकोप से, १,००० से अधिक लोगों की मृत्युयें हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार को सूचना है कि अतिसार से वहां मार्च से १९ अगस्त, १९६१ तक ५४६ मृत्युएं हुई।

**२७--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग ने इस की रोक थाम व मृतकों की दाहक्रिया का कोई प्रबन्ध नहीं किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सही नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोई प्रबन्ध रोकथाम के लिए नहीं किया। मृतकों की दाह क्रिया से जन स्वास्थ्य विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है।

कम्पाउन्डरों की वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में आदेश

**२८--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६० ई० से जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्पाउन्डरों के वेतन में वृद्धि की गई है वह वेतन वृद्धि विकास खंडों के कम्पाउन्डरों को नहीं दी गयी है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री रऊफ जाफरी--इस सम्बन्ध में अब उचित आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो बढ़ा हुआ वेतन है वह विकास खंड के कम्पाउन्डरों को भी १ अप्रैल, सन् १९६० से ही दिया जायेगा?

श्री रऊफ जाफरी--जो आदेश गया है उसमें यह है कि २८ अगस्त, १९६१ से लागू होगा या जो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जिस तारीख से इन्टाइटिल हो जाते हैं उस वृद्धि के, उस तारीख से उनको मिल जायगा।

श्री रामायणराय---कम्पाउन्डरों की वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में जो आदेश दिया गया है, उसमें क्या आयुर्वेदिक व यूनानी के जो कम्पाउन्डर्स हैं, उनकी वेतन वृद्धि के लिये भी आदेश हैं या केवल एलोपैथिक अस्पताल में काम करने वाले कम्पाउन्डरों के लिये ही हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २९ का स्थगन

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब से एक डेढ़ सप्ताह पहले इसी प्रश्न के लिये माननीय मंत्री जी ने नोटिस मांगा था और उस नोटिस के आधार पर ही मैंने प्रश्न किया है, तो फिर क्या कारण है कि नोटिस मांगने के बावजूद भी अभी तक इसका जवाब नहीं प्राप्त हुआ है ?

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, २८ तारीख को यह सवाल मेरे पास आया और उस रोज जो सवाल थे वे आम सवाल थे, एक व्यक्ति विशेष की बाबत तो कोई सवाल था नहीं । अब एक व्यक्ति विशेष की बाबत सवाल पूछा गया है और २८ तारीख को नोटिस मिला, तो इतनी जल्दी जवाब आना जरा मुश्किल बात है ।

****२९---श्री शिवप्रसाद नागर**---[स्थगित किया गया ।]

राजकीय जनाना अस्पताल, सुल्तानपुर की डाक्टरनी के विरुद्ध आरोपों की जांच

****३०---श्री मदन पांडेय**---क्या स्वास्थ्य मंत्री को जुलाई, सन् १९६१ के दूसरे सप्ताह में सुल्तानपुर राजकीय जनाना अस्पताल में किसी लड़की के आपरेशन न किये जाने से तड़प-तड़प कर मर जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, ऐसी एक शिकायत स्वास्थ्य सेवा निदेशक के कार्यालय में जुलाई के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुई थी ।

****३१---श्री मदन पांडेय**---क्या यह सत्य है कि उक्त शिकायतों में से एक शिकायती-पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि जहां रोगी को तुरन्त आपरेशन की आवश्यकता थी, वहां मर्फिया का इन्जेक्शन दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

****३२---श्री मदन पांडेय**---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह---सिविल सर्जन सुल्तानपुर द्वारा जांच कराई जा रही है ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी कृपा कर उस डाक्टर का नाम बतलायेंगे कि जिसके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने इन्जेक्शन की जगह मर्फिया लगा दिया और जिस की वजह से वह लड़की तड़प तड़प कर मर गई ?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न वहां के जनाना अस्पताल के बारे में है और वहां एक ही लेडी डाक्टर है, उनका नाम तो मेरे पास नहीं है ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आरोप जो जुलाई के तृतीय सप्ताह में प्राप्त हुआ था उसकी इन्क्वायरी के सिलसिले में अभी तक कोई सूचना प्राप्त हुई है या नहीं और उसके आधार पर क्या सरकार यह उपयुक्त समझती है कि उक्त लेडी डाक्टर को वहां से स्थानान्तरित करके वहां इन्क्वायरी कराई जाय ?

श्री धर्मसिंह---जब तक कि मामले की जांच न हो जाय तब तक शासन कोई कायवाही करने को तैयार नहीं है, उसकी रिपोर्ट आने पर ही तमाम विचार हो सकेगा।

श्री रामायणराय---क्या इस बात की भी जांच की जा रही है कि उक्त आपरेशन में एनेसथीसिया देने वाले डाक्टर की गलती से मृत्यु हुई थी या जिसका काम आपरेशन का था उसकी गलती की वजह से लड़की की मृत्यु हुई ?

श्री धर्मसिंह---यह सब बातें सिविल सर्जन के ऊपर छोड़ दी गई हैं और उस शिकायती-पत्र की प्रति भी उनके पास भेज दी गई है और वह सब बातों की जांच कर रहे हैं।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जांच में अभी कितना और अधिक समय लगेगा और उस पर शासन की ओर से ठोस कदम उठाये जाने की कब तक आशा है ?

श्री धर्मसिंह---उनसे खास तौर से टेलीफोन से कहा गया है कि जांच के बाद शीघ्र ही शासन को इत्तला करें, फिर जांच की रिपोर्ट के बाद ही सोचा जा सकेगा कि क्या किया जाय।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३३–३४ का स्थगन

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या मंत्री महोदय मेरे निवेदन को सूचना मान कर इस बात को जानने की कृपा करेंगे कि इस उपनिवेशन में लगभग ५५० या ६०० व्यक्ति हैं जिनको कि सरकार का रुपया चुकाना है, लेकिन उनमें से, केवल ६–७ के ही क्वार्टर्स ले करके उनकी जमीन छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---यह सवाल चूंकि हो चुका था और गवर्नमेंट के पास आ चुका है इसके आधार पर वहां से सूचना मंगाई जायगी और जो कुछ माननीय मित्र ने अब पूछा है उसकी भी मंगा ली जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---एक चुप में १०० बलायें टल जाती हैं, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खीरी उपनिवेशन में वहां के अधिकारी और वहां के कोआपरेटिव अधिकारी कितने साल से वहां हैं और शिकायतें आने पर भी उन का वहां से ट्रान्सफर क्यों नहीं हुआ ?

श्री चरणसिंह---कोआपरेटिव के अधिकारी वहां कितने दिनों से हैं यह नहीं मालूम, लेकिन यह सही है कि कालोनाइजेशन आफिसर वहां ६–७ साल से हैं और अच्छे अफसरों में उनकी शुमार है।

**३३–३४---[स्थगित किये गये।]

रूरा क्षेत्र में लगान की अनुचित वसूली की शिकायत

३५---श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला के अन्तर्गत तहसील अकबरपुर के क्षेत्र रूरा के किसानों से सन् १३६२ से सन् १३६६ फसली तक का लगान व आबपाशी वहां के तहसील अधिकारियों द्वारा दोबारा दिनांक २१ अगस्त, १९६१ ई० से वसूल करना आरम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस अनुचित वसूली के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र वहां के किसानों का न्याय मन्त्री को २२ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हुआ है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)---इस सम्बन्ध में सरकार को प्रथम सूचना माननीय सदस्य के २२–८–६१ के पत्र के साथ भेजे गये शिकायती-पत्र से ही मिली।

३६---श्री रामस्वरुप वर्मा**---क्या यह सही है कि तत्कालीन अमीन ने अनेकों किसानों को जाली व गलत रसीदें देकर रुपया ले लिया और बकाया जमाबन्दी में नहीं दिखाया तथा जब हाल में ही आडिट हुआ तो गबन का रहस्य खुला ? यदि हां, तो इस प्रकार कितनी रकम का गबन आडिट को मिला ?

**३७---क्या यह सही है कि जिलाधीश कानपुर से किसानों की ओर से इस तथ्य का निवेदन १२ अगस्त, १९६१ को किया गया और इसके फलस्वरूप तहसीलदार अकबरपुर व एस० डी० एम० अकबरपुर ने अविलम्ब उक्त धन को दो बार किसानों से वसूल करने का उपर्युक्त प्रयत्न किया ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल---प्रश्न ३६ तथा ३७ में वर्णित विषयों की कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित किया जा रहा है।

श्री रामस्वरुप वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्हें २२ तारीख को सूचना मिल गई थी कि किसानों से जबरिया वसूल हो रहा है और पांच साल का जो बकाया है वह दिखाया न जाकर अब लिया जा रहा है---जो गबन कर दिया गया किसी अमीन के द्वारा, तो सरकार उसे तुरन्त रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है कि वाकयात क्या हैं, आया इसमें कोई सत्यता है या नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २२ तारीख को जब उनको पत्र मिल गया तो कलेक्टर से उन्होंने कब रिपोर्ट मांगी और कब तक उसके आने की उम्मीद है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---रिपोर्ट मैंने एलीगेशंस के बारे में मांगी है कि दुबारा वसूल किया जा रहा है या नहीं। वह रिपोर्ट अब आ जाएगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २२ तारीख को सरकार को जब सूचना मिल चुकी तो २२ के बाद आज ८ दिन हो चुके हैं, कानपुर के जिलाधीश से ट्रंककाल के द्वारा क्या सरकार ने जानकारी करने की कोशिश की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने ट्रंक-काल तो नहीं किया, लेकिन यह आदेश भेजा है कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें।

श्री रामस्वरुप वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब आडिट-रिपोर्ट में यह गबन साबित हुआ और उसकी वसूलयाबी का प्रश्न उसमें लिखा हुआ है कि जबरिया वसूलयाबी की जा रही है तो फिर कौन-सी कठिनाई थी---आडिट रिपोर्ट मंगा लेते और देख लेते--तो जिलाधीश को किस तारीख को लिखा गया कि वह आडिट रिपोर्ट या संबंधित कागजात भेजें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन शिकायत आने के बाद आदेश दिया है।

श्री राजनारायण---मूल प्रश्न है कि १३ अगस्त को ही किसानों ने जिलाधीश को सूचित कर दिया कि हमसे दुबारा वसूलयाबी की जा रही है और जब वहां के तहसीलदार और अमीन को पता लग गया कि किसानों से दुबारा लगान वसूल किया जा रहा है---हमने शिकायत जिलाधीश को की, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने स्वतः शिकायत की, तो सरकार को क्या कठिनाई हुई कि जिलाधीश को यह आदेश नहीं दिया कि जब तक पूरी जांच न हो तब तक दुबारा लगान न वसूल किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---महज एलीगेशन पर कोई आर्डर नहीं जारी होता है। पहले उसके तथ्य तो मालूम हो जायं कि आया कोई बेसिस भी है।

श्री राजनारायण---आडिट रिपोर्ट में जब वह बात आ गई तो महज एलीगेशन कैसे रह गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं उसे फाइनल नहीं समझता।

श्री राजनारायण---आप तो अपने को ही फाइनल समझते हैं ।

किच्छा चीनी मिल चलाने की प्रार्थना

**३८---श्री बाबूराम तथा श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---क्या यह सही है कि किच्छा गन्ना फैक्टरी इस वर्ष नहीं चालू हो सकेगी ? यदि नहीं चालू हो सकेगी तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी---किच्छा फैक्टरी को इस वर्ष (१९६१-६२) में चालू करने की चेष्टा की जा रही है ।

**३९---श्री बाबूराम तथा श्री नत्थूसिंह (बरेली)---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्ट्री का काम कब से जारी हुआ और अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है तथा इसमें सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

श्री रऊफ जाफरी---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नत्थूसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल को चलाने की सरकार क्या चेष्टा कर रही है और आने वाले सीजन में यह चल सकेगी या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि यह फैक्टरी प्राइवेट सेक्टर में है । हमारी कोशिश यह हो रही है कि जो उसमें पार्टनर्स हैं, जो अब हो गये हैं, पहले दानसिंह विष्ट थे अब मोदी भी शामिल हो गये हैं, उनका कालोबरेशन हो गया है, तो उन लोगों से कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम करो । बिल्डिंग बन ही चुकी है । कुछ फारेन मशीनरी जो है वह आ गई है, कुछ मशीनरी जो यहां से मिल सकती है उसके लिये उनसे कहा गया है कि जल्दी से मंगा लो और किसी तरह से चालू कर दो । बिलकुल यकीनन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें उम्मीद दिलाई गई है कि मार्च, अप्रैल में ट्रायल रन इस फैक्टरी का हो जायगा ।

श्री बाबूराम---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के किसानों की परेशानी को देखते हुए और यह देखते हुए कि जिन साहब को इस फैक्टरी का लाइसेंस दिया गया था वह समय से उसे नहीं चला सके हैं, सरकार उसे स्वयं चलाने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब तो कोई ऐसा विचार है नहीं । पहले विचार उठा था कि इसको एक कोआपरेटिव फैक्टरी के रूप में चलाने की चेष्टा करें, लेकिन दानसिंह विष्ट जी ने अपना कालोबरेशन मोदी जी से कर लिया और मोदी जी ने यह आश्वासन दिया कि वह इस सीजन में इस फैक्टरी को चलाने की भरसक चेष्टा करेंगे । वह शायद मशीन इत्यादि के संबंध में विलायत भी गये हुए हैं और दो-चार रोज में लौटकर आने वाले हैं ।

**४०---४२---श्री गौरीशंकर राय---[स्थगित किये गये ।]

जिला मैजिस्ट्रेटों को जिला परिषद् व नगरपालिका के अध्यक्षों से मिलने के लिए आदेश

**४३---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने कुछ समय हुआ जिला मैजिस्ट्रेटों व जिले के उच्च अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश दिया था कि वह जिला परिषदों व नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के निवास स्थानों पर जाकर उनसे सम्पर्क स्थापित करें ? यदि हां, तो क्या वह उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला मैजिस्ट्रेटों को यह आदेश है कि जब वे पहले पहल जिले में जायें तो जिला परिषद् व नगरपालिका के अध्यक्ष के यहां शिष्टाचार के तौर पर जायें और अध्यक्ष भी जिला मैजिस्ट्रेटों के यहां जाकर इस शिष्टाचार को पूरा करें। यह आदेश केवल जिला मैजिस्ट्रेटों के लिये हैं, अन्य उच्च अधिकारियों के लिये नहीं है।

आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१५ पर)

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में नोटर व ड्राफ्टरों की अपीलें

**४४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में उस कार्यालय के जूनियर नोटर व ड्राफ्टरों की सचिव, सिंचाई विभाग को दी गई कितनी अपीलें पड़ी हैं और क्यों? वह कितने समय से पड़ी हुई हैं? उन पर निर्णय के लिये कितने समय की आवश्यकता है?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों को स्थायी करने से संबंधित प्रस्ताव

**४५—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, उप-सचिव, श्री जोशी, द्वारा समिति अधिकारी विधान सभा, उत्तर प्रदेश को भेजे गये पत्र संख्या ७८२—ई० जी० २३-पी० डब्लू० डी० २ ई० ए० क्यू०—१९६१, दिनांक २२ जुलाई, १९६१ के संबंध में कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में क्या-क्या प्रस्ताव उन्हें मुख्य अभियन्ता से मिले, किस-किस के बारे में तथा उन पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दी या नहीं व आइन्दा सरकार इस पर क्या कर रही है?

श्री गिरधारालाल—पिछले वर्ष नई मांगों की सूची में सम्मिलित करने के लिये कर्मचारियों के पदों को स्थायी करने का जो प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता से प्राप्त हुआ था उसकी सूची संलग्न है। १९६१-६२ की नई मांगों की सूची में यह सम्मिलित नहीं किया गया।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१६ पर)

हिगुठा ग्राम से पानी निकालने की प्रार्थना

**४६—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम हिगुठा, परगना व जिला जालौन के नागरिकों की एवं ग्राम पंचायत के प्रधान की ओर से जिला अधिकारियों अथवा सरकार के पास इस बात का प्रार्थना-पत्र हाल में आया है कि अतिवृष्टि के कारण गांव पानी से घिरा हुआ है और कुछ व्यक्तियों के जान-माल का खतरा पैदा हो गया है?

**४७—यदि हां, तो इस पानी के निकास की अविलम्ब कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है।

मेरठ नगरपालिका के प्रारम्भिक अध्यापकों को महंगाई भत्ता न मिलना

**४८—आचार्य दीपंकर—क्या शिक्षा मंत्री को २६ अगस्त, १९६१ को मेरठ नगरपालिका के प्रारम्भिक अध्यापकों की ओर से एक आवेदन-पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि

राजाज्ञा सं० डी० आई०/९७३-एक्स-३१६-६०, दिनांक मार्च, ९ अक्तूबर, १९६१ के अनुसार दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता उन्हें नहीं दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी नहीं ।

४९—आचार्य दीपंकर**—क्या यह भी सही है कि कार्यकारी अधिकारी की ओर से भत्ता देने का आदेश होने पर भी वहां के एक क्लर्क द्वारा आपत्ति लगाये जाने पर यह भत्ता देना रोक लिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जांच करने पर ज्ञात हो सकता है ।

५०—आचार्य दीपंकर**—यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करेगी कि वे तुरन्त अध्यापकों का देय धन उन्हें देना शुरू करें तथा पुराना बकाया भी दे दें ?

आचार्य जुगलकिशोर—जांच के पश्चात् आवश्यक आदेश दिये जायेंगे ।

फरदहन रेलवे स्टेशन के गन्ना यार्ड में पशुओं व गाड़ियों की दशा

५१—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके रानीखेत के निर्वाचन से कुछ दिनों पूर्व गोला जाते समय फरदहन रेलवे स्टेशन के गन्ना यार्ड पर किसानों के अपार जन समूह ने मुख्य मंत्री को रोक कर यार्ड में फंसे हुए पशु और गाड़ियां उन्हें दिखाई थीं ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वास्तविक स्थिति के बारे में जांच की जा रही है ।

५२—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया ।]

५३—श्री शिवप्रसाद नागर—[स्थगित किया गया ।]

अल्प वेतन-भोगी कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास

५४—श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा में सुधार लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी आवश्यकता समझती है ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—सरकार ने अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा स्थिति में सुधार करने के लिये समय-समय पर समुचित कदम उठाये हैं । सरकार, जैसा कि पहले करती रही है, भविष्य में भी इन कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिये अपने वित्तीय साधनों के अन्तर्गत प्रयत्न करती रहेगी। आगे यह भी आशा की जाती है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में जो विकास योजनाएं शामिल हैं, वे इन सरकारी कर्मचारियों की दशा समाज के दूसरे अंगों की भांति, सुधारने में काफी सहायक होंगी ।

क्षेत्र समितियों के प्रमुखों व उपप्रमुखों के चुनाव की रूप-रेखा

५५—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बार बंकी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास खन्ड इलाकों के अध्यक्ष का चुनाव वे किस महीने में कब तक करायेंगे ?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—प्रश्न स्पष्ट नहीं है। किन्तु यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में प्रस्तावित क्षेत्र समितियों के प्रमुखों से है तो स्थिति यह है कि उक्त विधेयक पर, जो राज्य विधान मंडल द्वारा पारित हो चुका है, अभी गवर्नर व राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। अतः

जब तक वह अधिनियम नहीं बनता, यह कहना संभव नहीं कि उसके अधीन क्षेत्र समितियों की स्थापना और उसके प्रमुखों का चुनाव कब तक हो सकेगा।

**५६—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ब्लाकों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की रूप-रेखा क्या होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—क्षेत्र समितियों के प्रमुख व उप-प्रमुखों के चुनाव की रूप-रेखा उक्त विधेयक के खन्ड ७ में दी हुई है और जिसकी विशेष बातें इस प्रकार हैं—

प्रत्येक क्षेत्र समिति का एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख होगा, जिनका चुनाव गुप्त मतदान द्वारा समिति के सदस्यों द्वारा किया जायगा।

प्रमुख के पद के लिये ऐसा कोई भी व्यक्ति निर्वाचित किया जा सकता है जिसका नाम खन्ड में सम्मिलित किसी क्षेत्र से विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो।

उप-प्रमुखों का निर्वाचन समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जायगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य विधान मंडल का सदस्य हो, अथवा किसी टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया कमेटी का अध्यक्ष हो अथवा जिसकी अवस्था तीस वर्ष से कम हो प्रमुख अथवा उप प्रमुख नहीं निर्वाचित किया जा सकता।

क्षेत्रीय सहकारी समिति, हिलवाड़ी के मंत्री के विरुद्ध शिकायत

**५७—आचार्य दीपंकर—क्या सहकारिता मंत्री जी को २३ अगस्त, १९६१ और उससे पहिले ग्राम हिलवाड़ी (क्षेत्रीय सहकारी समिति, मेरठ) के मंत्री व्यवस्थापक के विरुद्ध ग्रामवासियों एवं सहकारी समिति के संचालकों तथा सदस्यों की ओर से ऐसा आवेदन-पत्र मिला है कि उन्हें तत्काल वहां से स्थानान्तरित कर दिया जाय ?

श्री मंगलाप्रसाद—हिलवाड़ी गांव वालों का शिकायती-पत्र १८-८-६१ को प्राप्त हुआ, इसके पहले आचार्य दीपंकर जी का पत्र २३-८-६१ को प्राप्त हुआ था।

**५८—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मंगला प्रसाद—शिकायती-पत्र जांच के लिये निबन्धक, सहकारी समितियों, को भेज दिये गये हैं। रिपोर्ट आने पर मुनासिब कार्यवाही की जायेगी।

सदर तहसील में चकबन्दी के विरुद्ध शिष्ट मण्डल की मुलाकात

**५९—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में चल रही चकबन्दी स्कीम के तहत में जो जमीन चकबन्दी से अलग कर दी गई, क्या उसका भी चकबन्दी कर किसानों को देना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों और किस रेट से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, यदि ऐसी जमीन उस जोत (holding) का हिस्सा हो जिसका कुछ हिस्सा चकबन्दी क्षेत्र में हो। खर्चा जोतों को अधिक संहत (more compact) करने का पड़ता है। आयतीकरण शुल्क के अतिरिक्त वसूली की दर ५ रु० ८७ नये पैसे प्रति एकड़ है।

**६०—श्री अमरनाथ—क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि क्या उनसे गोरखपुर की सदर तहसील में हुई चकबन्दी में की गई धांधलियों के संबंध में श्री शिब्बन लाल सक्सेना एम० पी०, श्री मदन पांडेय, एम० ए न० ए०, श्री अमरनाथ मिश्र, एम० एल० ए०, श्री दुर्योधन प्रसाद, एम० एल० ए० तथा श्री नरसिंह नारायण पान्डे का कोई डेपुटेशन दिनांक १२ अगस्त, १९६१ को मिला था ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां, डेपुटेशन से भेंट हुई थी। उन्होंने गोरखपुर जिले के कुछ खातेदारों की अर्जियां भी दी थीं जो आवश्यक कार्यवाही के लिये चकबन्दी आयुक्त के पास भेज दी गई हैं।

परिवहन विभाग में अनुसूचित जाति के ए० आर० टी० ओ० व ए० जी० एम०

**६१—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग में कुल कितने ए० आर० टी० ओ० व ए० जी० एम० हैं और उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

**६२—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या संरक्षण के अनुपात से लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर ए० आर० टी० ओ० व ए० जी० एम०के पदों पर अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों की नियुक्ति किये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है

मेंहदावल एलोपैथिक अस्पताल में डाक्टर का न होना

**६३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के कस्बा मेंहदावल में जो एलोपैथिक अस्पताल है क्या उसमें ९ महीने से कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, १ दिसम्बर, १९६० से कोई डाक्टर इस अस्पताल में नहीं है।

**६४—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार १८ हजार आबादी वाले कस्बे की आवश्यकता को देखते हुए वहां पर शीघ्र से शीघ्र डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत् २२ जून, १९६१ को स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा डा० डी० एन० मोइत्रा का तबादला मेंहदावल चिकित्सालय को किया गया था परन्तु किन्हीं कारणोंवश वह डाक्टर अभी उक्त स्थान पर नहीं पहुंच सके हैं। २९ अगस्त, को सिविल सर्जन बस्ती को पुनः तार द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वह तुरन्त ही जिले से ही मेंहदावल चिकित्सालय में, डा० मोइत्रा अथवा अन्य कोई डाक्टर के पहुंचने तक, कोई अन्य चिकित्सक भेज दें।

अफजलगढ़ कालोनाइजेशन संबंधी छटनी किये गये कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति क लिए आदेश

**६५—श्री हिम्मत सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अफजलगढ़ कालोनाइजेशन (उपनिवेशन योजना) जिला बिजनौर मे छटनी किये गये कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त करने के लिये हाल में आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है और कितने कर्मचारियों को पुर्नानियुक्त कर दिया गया है और कितने बाकी हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१६ अगस्त, १९६१ को सरकार ने छटनी किये हुए मिनिस्ट्रीरियल कर्मचारियों (लिपिकों) के पुनर्नियुक्त के संबंध में राजस्व परिषद् को आदेश भेजे हैं जिसमें कालोनाइजेशन (उपनिवेशन योजना) के छटनी किये हुए कर्मचारियों की भी पुर्नानियुक्ति का भी उल्लेख है। राजस्व परिषद् इस पर कार्यवाही कर रहा है पर अभी इसके अधीन किसी कर्मचारी की पुर्नानियुक्ति नहीं हो पाई है। एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टरों की पुर्नानियुक्ति का प्रश्न कृषि विभाग के विचाराधीन है।

हाथ से कपड़ा छापने के उद्योग में सहायता

**६६—श्री रामकुमार वैद्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या हाथ से कपड़ा छापने का काम राज्य द्वारा स्वीकृत कुटीर उद्योगों की सूची में सम्मिलित ह ? यदि हां, तो

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस उद्योग में लगे हुए लोगों को भी वही सहायता एव ऋण आदि दिये जाते हैं जो अन्य कुटीर उद्योगों में लगे हुए लोगों के लिये निश्चित हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां ।

**६७--श्री रामकुमार वैद्य--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस उद्योग के लिये इस वर्ष (चालू वर्ष) में दी जाने वाली सहायता और ऋण की राशि क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

राप्ती पुल निर्माण संबंधी रिट किसानों द्वारा वापस लेने के लिए जिलाधीश गोरखपुर को आदेश

*१--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण (क) विभाग के कान्फीडेन्शल जी० ओ० नं० १०४६-सी० डब्लू XXIII-पी डब्लू ए--X (३६-सी)-६०, दिनांक १७ मार्च, १९६१ के द्वारा गोरखपुर में राप्ती पुल निर्माण के संबंध में जिलाधीश गोरखपुर को किसानों से सुलहनामा करने के लिये आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो सुलहनामा आनरेबुल हाई कोर्ट में किस तिथि को दाखिल हुआ ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--इस राजाज्ञा द्वारा सुलहनामा के कोई आदेश नहीं दिये गये बल्कि जिलाधीश को कहा गया था कि यदि काश्तकारान उच्च न्यायालय से रिट उठा लें तो उन्हें आश्वासन दे दिया जाये कि उनकी भूमि कार्य समाप्ति के पश्चात् उन्हें इस शर्त पर वापस कर दी जायेगी कि एप्रोच रोड (Approach road) के निर्माण काल में उस जमीन को प्रयोग करने का सरकार को पूरा अधिकार होगा ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

*२--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुलहनामा दाखिल होने के बाद जिलाधीश, गोरखपुर द्वारा ड्राफट एवार्ड बोर्ड आफ रेवेन्यू को ग्राम चकरा अव्वल का किस तिथि को भेजा गया तथा बोर्ड आफ रेवेन्यू ने ड्राफट एवार्ड स्वीकृत करके किस तिथि को भेजा ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--१७-५-६१ को ।

द्वितीय भाग--अभी उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

*३--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार १६ फरवरी, १९६० के प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के क्रम में बतलाने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा जो प्रतिकर शीघ्र किसानों को दिया जाने वाला था उसके संबंध में कोई आदेश भेजे गये थे ? यदि हां, तो १६ फरवरी, १९६० से आज तक इस संबंध में सुलहनामा हो जाने के बाद भी ग्राम चकरा अव्वल की विवादित भूमि का प्रतिकर न देने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--जी नहीं ।

जिलाधीश गोरखपुर स्वयं इस संबंध में शीघ्रता कर रहे थे ।

द्वितीय भाग--काश्तकारों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट २५-४-६१ को उठाया गया। उसके बाद (Provisional awards) तैयार किये गये जो राजस्व परिषद् के विचाराधीन है ।

[३० अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लोहा तथा इस्पात विक्रय के लिए रजिस्टर्ड व कंट्रोल स्टाकिस्ट के लिए नियम

*१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को यह विदित है कि केन्द्रीय सरकार के आइरन ऐन्ड स्टील कंट्रोलर के आज्ञानुसार रजिस्टर्ड व कंट्रोल स्टाकिस्ट क्रमशः दो तथा तीन महीने में कोटे का माल परमिट द्वारा न उठने पर स्वयं ही माल बेचने के अधिकारी हो जाते हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां। लोहा तथा इस्पात के कुछ विशेष किस्मों में यह अवधि ९० दिन की कुछ में ६० दिन की तथा कुछ अन्य में जिनकी विशेष कमी नहीं होती ३० दिन की है। इस अवधि के उपरान्त रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट तथा कन्ट्रोल्ड स्क्रैप स्टाकिस्ट स्वयं ही माल बिना परमिट के बेचने के अधिकारी हो जाते हैं। यह नियम परफेक्ट मेटीरियल के कन्ट्रोल्ड स्टाकिस्ट पर लागू नहीं है।

*२—श्री लक्ष्मणराव कदम—यदि हां, तो सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त आज्ञा के बावजूद प्रदेशीय आयरन ऐन्ड स्टील कंट्रोलर उपर्युक्त निर्धारित समय के बाद भी माल बेचने के लिये स्टाकिस्ट लोगों को उनकी अनुमति लेने के लिये बाध्य किये हुए हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

रामपुर में शक्कर का सरकारी दूकान

*३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—तहसील सिधौली (सीतापुर) के दक्षिणी कोपरी परगने के अन्तर्गत ग्राम रामपुर के फुटकर चीनी विक्रेता के विषय में विधान सभा के दिनांक २३ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २४ के पूरक प्रश्नोत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शुरुआत में जो टेलीफोन किया गया वह लखनऊ से किस अधिकारी ने कब किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अनुसचिव २, खाद्य तथा रसद विभाग, ने दिसम्बर ३, १९६० को।

*४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस संबंध में उस स्थान के बी० डी० ओ० ने जांच करके क्या रिपोर्ट भेजी तथा चीनी उठाये जाने का क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बी०डी० ओ० ने पूर्ति अधिकारी, सीतापुर को सूचित किया कि रामपुर मथुरा के एक निवासी श्री राम पदारथ मिश्र, आत्मज श्री बलदेव मिश्र चीनी का कोटा उठा कर बेचने को तैयार हैं और वे २-१-६१ को पूर्ति अधिकारी के सामने उपस्थित होंगे।

श्री राम पदारथ यथासमय नहीं आये। इसी बीच श्री राजमल जैन, जिनकी दूकान समय पर चीनी न उठाने के कारण कैंसिल की जा रही थी, ने प्रार्थना की कि उन्हें पुनः कोटा दिया जाय। पूर्ति अधिकारी ने परिस्थिति पर विचार करके उन्हें चीनी का कोटा देना शुरू कर दिया। श्री जैन ही इस समय रामपुर मथुरा के लिये सरकारी चीनी के फुटकर विक्रेता हैं।

*५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के साथ इकरारनामा करने पर विचार

*६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—क्या वन मंत्री Star Paper Mill सहारनपुर के साथ चंड़ आदि की लकड़ी के व्यापार से सबंधित जो इकरारनामा हुआ है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—स्टार पेपर मिल सहारनपुर के साथ अभी कोई इकरारनामा नहीं हुआ है। यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

"कलेक्टरी" और "खजाना" का स्टाफ

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "रिआर्गनाईजेशन आफ ट्रेजरी" योजना के अनुसार दिनांक १ अप्रैल, १९५८ से "कलेक्टरी" और "खजाना" दोनों विभाग अलग-अलग हो गये हैं? और, क्या यह सत्य है कि एक जगह का स्टाफ (Staff) दूसरी जगह नहीं जा सकता है तथा पदोन्नति भी उपरोक्त दोनों विभागों के कर्मचारियों की अलग-अलग होती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, १ अप्रैल, १९५८ से कलेक्टरी और सदर खजाने के कर्मचारियों का कैडर (Cadre) अलग-अलग हो गया है।

जी हां, परन्तु वे व्यक्ति जिनका नाम २६ अप्रैल, १९६० को ट्रेजरी हेड क्लर्क व कलेक्टरी के कार्यालय अधीक्षक की डिव जनल लिस्ट पर था अभी भी खजाने से कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट से खजाने में पदोन्नति पा सकते हैं। बाकी सभी अपनी ही कैडर (Cadre) में पदोन्नति पा सकते हैं।

वन रोपण योजना

*८—श्री झारखंडेराय—क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजना में प्रदेश भर में ३५ लाख एकड़ भूमि में जंगल लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री अलगूराय शास्त्री—वन विभाग द्वारा तृतीय योजना के अन्तर्गत केवल १,६३,५५० (एक लाख, तिरसठ हजार पांच सौ पचास) एकड़ भूमि में जंगल लगाने की योजना है।

*९—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो ये जंगल कहां-कहां और कितने-कितने क्षेत्र में लगाये जायेंगे?

श्री अलगूराय शास्त्री—ये जंगल निम्न प्रकार से लगाये जायेंगे :

क्षेत्र	भूमि का रकबा
पूर्वीय क्षेत्र में	३९,९५० एकड़ (उन्तालिस हजार नौ सौ पचास)
पश्चिमी ,, ...	२३,३०० एकड़ (तेइस हजार तीन सौ)
केन्द्रीय ,, ...	१०,००० एकड़ (दस हजार)
बुन्देलखन्ड ,, ...	२६,४०० एकड़ (छब्बीस हजार चार सौ)
पर्वतीय ,, ...	६३,९०० एकड़ (तिरसठ हजार नौ सौ)

*१०—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस योजना का अनुमानित व्यय क्या होगा?

श्री अलगूराय शास्त्री—अनुमानित ३,३८,००,००० रुपये।

वाराणसी में कोयले की महंगाई

*११—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि कोयला इस वक्त वाराणसी में ६ रुपये मन के हिसाब से बेचा जा रहा है? यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं।

*१२-१४—श्री अमरनाथ—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सूचना विभाग के स्टोर्स की जांच के लिए आदेश

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि उसके सूचना विभाग के प्रधान कार्यालय, लखनऊ में सन् १९४७ से स्टाक रजिस्टर के ठीक तौर से न रखे जाने के परिणामस्वरूप यही पता नहीं कि उस समय से अब तक कितना माल खरीदा गया और वह कहां है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रऊफजाफरी—सूचना निदेशालय के प्रधान कार्यालय में विभिन्न स्टोर्स के स्टाक रजिस्टर बराबर रक्खे जाते रहे हैं किन्तु कुछ स्टोर्स की वार्षिक जांच नियमित रूप से नहीं की गई। इसके लिये आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं और जांच प्रारम्भ हो गई है।

*१६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि उक्त विभाग द्वारा इस दर्मियान में बहुत सी टेक्स्ट पुस्तकें खरीदी गई थीं और उनमें से लगभग तीन सौ पुस्तकें कतिपय अधिकारियों को कई वर्ष हुए जब ईशू की गई थीं तथा एक अधिकारी को एक ही समय में अस्सी पुस्तकें ईशू की गई थीं ? यदि हां तो उक्त पुस्तकों के खरीदे जाने तथा उनकी वापसी के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रऊफजाफरी—टेक्स्ट पुस्तकें खरीदी अवश्य गईं पर उनकी संख्या अभी तक सूचना केन्द्र में ३०० नहीं हो पाई है। अतः इतनी पुस्तकें अधिकारियों को कई वर्ष पूर्व ईशू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विभाग के केवल एक भूतपूर्व अधिकारी के नाम सूचना केन्द्र के पुस्तक रजिस्टर में 'ईशू' की हुई ८६ पुस्तकें अंकित हैं। इन पुस्तकों को वापस करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

अल्प बचत योजनान्तर्गत धनराशि में प्रथम जिला

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्प बचत योजना के अन्तर्गत इस वर्ष जमा होने वाले रुपये के अनुसार प्रदेश में किस जिले का नम्बर प्रथम है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—१ अप्रैल, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक अल्प बचत योजना में जमा होने वाली कुल धनराशि के अनुसार कानपुर जिला, जहां १५,८०,८१९ रु० जमा हुआ, प्रथम है। वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये निर्धारित जिलों के लक्ष्य के अनुपात से जिला चमौली, जहां ४,९३,२१० रु० जमा हुए हैं जो वर्ष के लक्ष्य का ८२.२ प्रतिशत है, प्रथम है।

*१८—श्री सुरथबहादुरशाह तथा श्री शिवप्रसाद नागर—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

इटावा जिले में यमुना पर शेरगढ़ पुल की आवश्यकता

*१९—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इटावा जिले के अन्तर्गत जो सड़क औरैया से जालौन को जाते समय जमुना नदी पार करती है उस पर शेरगढ़ के पास पीपों का पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।
तृतीय पंच वर्षीय आयोजना में इस पुल का निर्माण संभव नहीं है।

*२०—श्री भजनलाल—यदि हां, तो कब तक यह योजना प्रारम्भ कर दी जायेगी, और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—पहला भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

दूसरा भाग—धनाभाव के कारण ।

*२१—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला इटावा में कौन-कौन-सी सड़कें वह पक्की कंकड़ की कराने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंच वर्षीय योजना में इटावा जिले के लिये किसी नई पक्की सड़क के निर्माण का आयोजन नहीं किया गया है ।

डी० एफ० ओ० व रेंज आफिसर्स तराई-भावर डिवीजन हल्द्वानी के विरुद्ध शिकायतें

*२२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, अप्रैल या मई, १९६१ में कोई शिकायती-पत्र उनके पास इस आशय का आया है कि डी० एफ० ओ० व रेंज आफिसर्स तराई-भावर डिवीजन हल्द्वानी जिला नैनीताल, ठेके दारों से रिश्वत लेकर जंगल की लकड़ी मुफ्त या सस्ते दामों पर देते हैं जिसके कई प्रमाण उक्त आवेदन-पत्र में थे ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, दो गुमनाम पत्र प्राप्त हुये थे । गुमनाम पत्रों पर कार्यवाही करने के विषय में वर्तमान शासकीय आदेश यह है कि उन पर कोई कार्यवाही न की जाय । फिर भी विभागीय जांच के आधार पर पता चला कि शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोप निराधार थे ।

*२३-२४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२६-२७—श्री नन्दराम—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

कटरा, इलाहाबाद में पुराने बांटों की जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तारियां

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के मुहल्ला कटरा में नये बांट के इस्तेमाल न करने पर ७ अगस्त, १९६१ को गिरफ्तारी हुई थी ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनके साथ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बांट न इस्तेमाल करने पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, केवल पुराने बांट जब्त किये जा रहे थे । कुछ व्यक्तियों ने अधिकारियों के इस कार्य में बाधा डाली जिसके फलस्वरूप ३ व्यक्ति गिरफ्तार हुये ।

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन जिलों में व्यापारी नये बांट का इस्तेमाल कर रहे हैं और किन-किन जिलों में नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अक्तूबर, १९६० से इस प्रदेश के मेरठ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर तथा वाराणसी नगरों में दाशमिक प्रणाली के बांटों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है । प्रदेश के शेष भागों में ३१ मार्च १९६२ तक पुराने बांट प्रयोग में लाये जा सकेंगे । उक्त तिथि के बाद सारे प्रदेश में मीट्रिक बांटों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के बांटों का प्रयोग करना उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत अपराध होगा ।

*३०—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[३१ अगस्त, १९६१ के लिए प्रश्न ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३१-३२—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

*३३-३४—श्री ऊदल—[११ वें गुरुवार के लिय प्रश्न ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३५—श्री प्रतापसिंह—[६ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अपरेंटिस ओवरसियरों की ट्रेनिंग

*३६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष, १९६० में कितने अपरेन्टिस ओवरसियर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिये पी० डब्ल्यू० डी० में रक्खे गये तथा उनमें से कितने पर्वतीय जिलों में भेजे गये ?.

श्री गिरधारीलाल—गत वर्ष १९६० में सार्वजनिक निर्माण विभाग में ७०६ अपरेन्टिस ओवरसियर ट्रेनिंग में लिये गये। इनमें से ११९ को पर्वतीय जिलों में भेजा गया।

*३७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ट्रेनीज में कितनों को पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा इम्प्लायमेंट दिया जा चुका है और कितने शेष हैं और उनके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—ट्रेनिंग में लिये गये ७०६ अपरेन्टिस ओवरसियरों में से अभी तक ३४९ को ओवरसियर के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। ३५७ अपरेन्टिसों की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। जो अपरेन्टिस ट्रेनिंग के लिये जाते हैं उन्हें नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई गारेन्टी नहीं दी जाती है। ओवरसियर के पद पर नियुक्ति विभाग में रिक्त स्थानों के आधार पर लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है ।

*३८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सत्य है कि सरकार एक साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पाये हुये ओवरसियर्स के बनस्बित पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रमाणित अनट्रेंड ओवरसियर्स को प्रीफरेंन्स देने जा रही है और यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी अनट्रेन्ड ओवरसियर की नियुक्ति की सिफारिश नहीं की है ।

*३९-४१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पेन्शनर्स को महंगाई भत्ता न मिलना

*४२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार की भांति उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं ।

*४३-४४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये ।]

*४५-४६—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—[६ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला

*४७—श्री जयदेवसिंह आर्य (जिल मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुल कितने ईंट पकाने के भट्ठे हैं और उनको कितना कितना कोयला वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में और वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में २ अगस्त, १९६१ तक प्राप्त हुआ है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६१७–६१८ पर)

भातखण्डे संगीत विद्यालय के प्रशासक के नाम जमा धन

*४८—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, १९५४ में भारत सरकार ने जिस भारतीय संगीत एकडमी की स्थापना हेतु २५,००० रु० की धनराशि दी थी और जिसमें प्रदेशीय सरकार ने भी अपना अंश २५,००० रु० लगाया था उसकी स्थापना हुई या नहीं ? यदि हुई, तो कहां, यदि नहीं, तो यह रुपया क्या हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं । भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान का ५०,००० रु० भातखंडे संगीत विद्यालय के प्रशासक के नाम से पर्सनल लेजर एकाउन्ट में खजाने में जमा कर दिया गया था । इसमें से ३२,०००० रु० विद्यालय के ऊपर व्यय हो गया और शेष १८,००० ० रु० अब भी जमा हैं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक निवेदन यह है कि मुझे जहां तक स्मरण है, कल शायद आपने कहा था कि प्रश्नों का समय भी बढ़ाने पर मैं विचार करूंगा, क्या यह सही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आज बहुत से ऐसे सवाल हैं, जैसे मेरा ५२ नम्बर का सवाल जिला नैनीताल में आलू की फसल के बारे में है, जिनके उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं । तो क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि प्रश्नों के उत्तर, जिन माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं हुए हैं उन प्रश्नों को अगली दफा रखा जायगा या कोई ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे माननीय सदस्यों को उत्तर प्राप्त हो सकें ?

श्री अध्यक्ष—जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं उनके उत्तर दूसरी सिटिंग में उनको देने चाहिये, क्योंकि वे प्रश्न तो उनके पास भेज दिये गये और स्वीकृत प्रश्न हैं । जैसे ही उनके पास उत्तर आयेंगे, मेरे पास आ जायेंगे और दूसरी बैठक में आयेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह उचित नहीं है कि विभागों को यह लिख दिया जाय कि वे कोई उत्तर न देने के बजाय कम से कम यह लिख कर भेज दें कि सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—मामूली तौर से यही करते हैं । मैंने उनसे यह कहा कि अगर आखिर तक उत्तर आ जाय तो दे दीजिये । तो यह उत्तर वह दे सकते थे कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं मिला । एक, आध का उत्तर दे दिया उन्होंने जो अभी आ गये ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि हमारे भी बहुत से प्रश्न थे, लेकिन पहली तारीख से ८ तारीख तक उनका उत्तर आने वाला था। आज सेशन बन्द हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि जिन प्रश्नों के उत्तर आने वाले थे और तो मैंने व्यवस्था चाही थी कि आज सेशन अनिश्चित काल के लिये बन्द हो रहा है तो क्या उन प्रश्नों के आधार पर सरकार उचित कार्यवाही या उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो सरकार का कर्त्तव्य है, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, जिन प्रश्नों की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी उनके बारे में कुछ कहना है। बहुत से प्रश्नों की सूचना समयाभाव के कारण नहीं मिल सकी। मेरे भी दो प्रश्न थे। इस बात को ध्यान में रख कर कि सदन आज के बाद नहीं बैठेगा और बहुत अर्से तक शायद न बैठे, इस बीच में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी कि खास अहमियत है, उसके लिये क्या यह उचित होगा कि प्रश्नकर्त्ता मंत्री महोदय के पास जाकर उन प्रश्नों के विषय में कुछ वार्तालाप कर सकें ? यों तो सब को अधिकार है, किन्तु वे कह दें कि आया हां या नहीं तो सम्भव है कि प्रश्नों के जवाब आ सकें।

श्री अध्यक्ष—वैसे मैं कायदे के हिसाब से सदन में ही उनसे कह सकता हूं कि उत्तर दें, लेकिन यह साधारण रवैया है कि अगर आपने प्रश्न पूछा और उनके पास जवाब आ गया, इस बीच में आप मंत्री महोदय से पूछें कि उत्तर आ गया है, तो उन्हें, मैं समझता हूं, भाई चारे के हिसाब से आपको सूचना देनी चाहिए। वह भी उसके लिये इन्कार नहीं कर रहे हैं नहीं तो प्रोटेस्ट करते।

श्री राजनारायण—भाई चारा बड़ा वाइड टर्म है।

श्री अध्यक्ष—यह सदन चूंकि एक घर-सा है इसलिये मैंने कहा कि यह रवैया होना चाहिये, आप उनके कमरे में जा कर उत्तर ले सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मान्यवर, आज १८ अल्पसूचित तारांकित प्रश्न रह गये और ५० फीसदी प्रश्नों का उत्तर ऐसा मिलता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है .....

श्री अध्यक्ष—आप समय बरबाद न करें।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिनका जवाब नहीं आया तो वह प्रश्न बता दें कि सूचना नहीं आयी, या जिनके उत्तर उनके पास नहीं आये हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप अजीब प्रश्न करते हैं, कृपया आप बैठें।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६०†

श्री अध्यक्ष—अब सभापति, संयुक्त प्रवर समिति, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० पर नियुक्त सयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(सहकारी मन्त्री तुरन्त खड़े नहीं हुए और श्री अध्यक्ष ने उनका नाम दोबारा पुकारा।)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—जो सदन की मेज पर रखा गया है यह टाइप किया हुआ है, अभी छपा नहीं है। यह छपा कर बाद में बांट दिया जायगा।

श्री झारखंडराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, सदन का जो प्रोग्राम पहले था उसके अनुसार इस विधेयक पर विचार होना निश्चित था, लेकिन नये प्रोग्राम के मुताबिक जब आज हम इसकी बैठक को खत्म कर रहे हैं तो फिर इस विधेयक पर जो आज पेश कर दिया गया कब विचार होगा, क्या इसकी व्यवस्था होगी यह जानना चाहता हूं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जरा रिपोर्ट तो पढ़ लूं कि कितने दिन लगेंगे उसमें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, आज हाउस साइने डाई ऐडजर्न हो जायगा तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई मोटा अन्दाज ऐसा दे सकते हैं कि अगले साल का वोट आन एकाउन्ट आने से पहले यह सदन दिसम्बर या जनवरी तक बैठेगा या कतई नहीं बैठेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सदन कब बैठेगा और कब नहीं बैठेगा इस पर विचार करना है। समय निकल सकेगा तो अवश्य बैठेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—आमतौर से यह नियम है कि जब अध्यक्ष किसी को पुकारें तो वह खड़ा हो कर अपनी बात कहे। अभी मैंने देखा कि माननीय सहकारिता मंत्री आपके पुकारने पर खड़े नहीं हुये थे। तो आप यह व्यवस्था दें कि जब सहकारिता मंत्री खड़े नहीं हुये तो उनका बोलने का हक समाप्त हुआ या नहीं ? यह तो आपकी उदारता थी कि आपने उनको दोबारा बुलाया और मौका दिया, लेकिन पहली बार तो वह खड़े नहीं हुये थे।

श्री अध्यक्ष—हक समाप्त बिल्कुल नहीं होता। सवाल यह है कि उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि उस वक्त यहां पर बहुत से व्यवस्था के प्रश्न और प्रश्नों के बारे में प्रश्न ऐसे हो रहे थे कि वह समझ रहे थे कि प्रश्नों के बारे में ही प्रश्न हो रहे हैं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—मैं माल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली मर्तबा जो कार्यक्रम दिया गया था उसके अनुसार चकबन्दी कानून में कुछ तरमीम के सम्बन्ध में हम लोगों को सूचित किया गया था और विशेष रूप से धारा ४८ में जो अधिकार दिया गया था.....

श्री अध्यक्ष—वह विधेयक तो आया ही नहीं।

आचार्य दीपंकर—मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूं कि क्योंकि अब सदन उठ रहा है तो उस संशोधन के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई आर्डिनेंस निकालेगी या उसको स्थगित कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—मैं सभी प्रश्नों के लिये इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—इस सम्बन्ध में जरा एक निवेदन करूंगा जो माननीय सभापति, संयुक्त प्रवर समिति ने कहा। पहले सदन का फैसला था कि १८ तारीख को संयुक्त प्रवर समिति की रपट आयेगी। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने सदन से रिक्वेस्ट किया कि अब वह ३१ तारीख तक चाहते हैं। हमने इजाजत दे दी। सरकारी पक्ष की ओर से बार बार सदन में यही है बताया गया कि चूंकि यह सहकारिता सम्बन्धी विधेयक है और सरकार चाहती है कि जल्दी हो ताकि समाज का कल्याण हो, इसलिये इसमें बिलम्ब नहीं होना

चाहिये । इस बात को मद्देनजर रखते हुये सदन ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी पेश कर दीजिये, ताकि हम उस पर विचार करें और वह अधिनियम बन जाय । अभी जो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा उसके अनुसार सरकार आज यह कहने के लिये निश्चित नहीं है कि यह सदन बैठेगा भी या नहीं..... ?

श्री अध्यक्ष——तो फिर आप पूछ क्या रहे हैं ?

श्री राजनारायण——मैं यह पूछ रहा हूं कि जो तात्कालिकता उस समय दिखायी जा रही थी किसानों और जन कल्याण के लिये क्या वह तात्कालिकता अब सरकार के सामने रह गयी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष——उस उत्तर के बाद यह प्रश्न उठता नहीं ।

श्री राजनारायण——तो फिर यही मान लिया जाय कि वह सरकार का प्रचार था, वह चाहती नहीं थी इसको लाना ।

श्री अध्यक्ष——नतीजा जो भी आप समझिये ।

अगली बैठक की जानकारी की मांग

श्री मदन पांड़ेय (जिला गोरखपुर)——एक सूचना जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिछली बार उठते वक्त आपने यह सूचना हमें दी थी कि ३१ जुलाई को अब हम बैठेंगे और यह परिपाटी सब को बड़ी अच्छी लगी थी और उसके मुताबिक प्रोग्राम भी बना था, तो क्या मुख्य मंत्री जी अब की बार भी सफाई कर देंगे या आप परामर्श करके सफाई कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष——मैं जब लूंगा उस समय सफाई करूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)——श्रीमान् जी....

श्री अध्यक्ष——भाषण की कोई इजाजत नहीं है ।

श्री टीकाराम पुजारी——जी नहीं श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, इन साढ़े चार सालों में मेरी जो शासनकर्त्ताओं ने इज्जत की है वैसी कोई और नहीं कर सकता है । मैंने हर तरह के शब्द कहे, लेकिन उन्होंने कोई जबाव नहीं दिया, न तो सम्पूर्णानन्द जी की सरकार ने और न गुप्ता जी की सरकार ने कोई जबाव दिया लेकिन विरोधियों ने जो किया वह उतना नहीं किया जितना मैंने कहा । श्रीमन्, मैं सरकार को सच्चे माने में इसलिये धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी सारी बातों को सुना, लेकिन उलटकर जबाव नहीं दिया । श्रीमन्, वह मेरे पुराने साथी हैं, उनके लिये धन्यवाद है । मेरे खानदानी हैं और एक बाप के बेटे हैं । इसलिये मैं अपने इन पुराने मित्रों को बारम्बार धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष——अब आप कृपा करके बैठें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——मैंने कोई काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है । एक काम रोको प्रस्ताव गंगा और सई नदी के बारे में आया था, उसके ऊपर बहस हो चुकी है और आवश्यक भी मालूम नहीं होता ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)——अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि.....

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके बैठिये ।

श्री नन्दराम—आप सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप कृपा करके बैठिये । राजनारायण जी, मैं समझता हूं कि इनको समझा दिया जाय ।

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये जाने वाले वक्तव्यों के लिए समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार ६–७ हैं और कई ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रश्न हैं । इसलिये मैं हर एक के लिये ७–७ मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा । जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल इस से सहमत होंगे जबकि दो विषयों पर बहसें और होने वाली हैं । एक तो डेढ़ घंटे की बहस भाषा के प्रश्न पर होगी और दूसरी चीनी के ऊपर होने वाली है । ऐसी अवस्था में हर एक के लिये में ७–७ मिनट दे दूं तो ठीक रहेगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आप क्यों समय निर्धारित करें ? पता नहीं माननीय मंत्री जी वक्तव्य देने में न जाने कितना समय लेंगे । वैसे आपको अधिकार तो है ही ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मंत्री जी २–३ मिनट लेंगे और ४–५ मिनट प्रश्नों के लिये दे दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, सबसे पहले नियम ५२ के अन्तर्गत रेनियां ग्राम के सभापति श्री प्रताप सिंह की हत्या के संबंध में माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देना है । इस पर हमने १२ प्रश्न दे दिये हैं और यह बड़ा विवादास्पद मामला है । इसलिये यदि आपने उचित समय नहीं दिया तो हमारे साथ न्याय नहीं हो पायगा ।

श्री अध्यक्ष—देखिये किसी को किसी में दिलचस्पी होगी और किसी को किसी में ।

श्री गौरीशंकर राय—जी नहीं श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके लिये पूरा समय देने के लिये तैयार हूं बाकी छोड़ दीजिये ।

श्री गौरीशंकर राय—यह तो नहीं हो सकता है, श्रीमन् ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या समय बढ़ाया नहीं जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—समय बढ़ाने से मतलब हल नहीं होगा और बहस नहीं हो पायेगी ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि ५ बजे के बाद समय बढ़ सकता है ।

श्री अध्यक्ष—इसके बाद भी मैं देखता हूं कि दिक्कत पड़ेगी ।

जिला जालौन के रिनियां ग्राम के सभापति, श्री प्रतापसिंह, की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब रिनियां ग्राम में जो श्री प्रतापसिंह सभापति की हत्या हुई है, उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ।

श्री मदन पांडेय—(जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो नोटिस माननीय सदस्य ने दिया है क्या उसे आप कृपया सदन की सूचना के लिये पढ़ देंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जो सूचना भेजी थी वह इस प्रकार थी—

"गत ११-८-६१ को जिला जालौन के रिनियां ग्राम के सभापति, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जिला कार्यसमिति के सदस्य तथा जिले के एक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री प्रतापसिंह की हत्या साढ़े ५ बजे शाम को थाने से थोड़ी दूर पर कर दी गयी। श्री प्रतापसिंह की हिस्ट्री शीट कुछ दिन पहले राजनैतिक विरोधियों एवं पुलिस की साजिश से उनको बदनाम करने के लिये खोल दी गई थी जिससे उनकी हत्या की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। इस प्रकार यह हत्या स्पष्ट रूप से राजनीतिक हत्या है और श्री प्रतापसिंह के बार-बार चिल्लाने पर भी कि उनकी जान का खतरा है उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इससे सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं तथा जनता में भय एवं क्षोभ की भावना फैल गयी है।"

***गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, जालौन से श्री प्रतापसिंह निवासी ग्राम रिनियां की हत्या के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है—

श्री प्रताप सिंह ११-८-६१ को शाम के करीब साढ़े ५ बजे ग्राम चुरकी से अपने ग्राम रिनियां वापस आ रहे थे। उनके पीछे दो अन्य व्यक्ति भी थे। ग्राम चुरकी से करीब ४ फर्लांग की दूरी पर जब वे एक नाले के पास पहुंचे तो तीन व्यक्ति रघुनाथ सिंह, राम शंकर और मेहताब सिंह दूसरी तरफ से आये और श्री प्रताप सिंह को पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा कि दुश्मन हाथ आ गया। इस पर तीन अन्य व्यक्ति केदार नाथ, जिनके पास बन्दूक थी, जगदीश सिंह व समरथ सिंह जिनके पास देशी पिस्तौल थीं नाले के पास से आ गये जहां वे छिपे हुए थे। केदार नाथ और जगदीश सिंह ने श्री प्रताप सिंह पर एक, एक गोली चलायी और फिर सब ने मिलकर प्रताप सिंह के शव को उठाकर थोड़ी दूर पर नाले में गिरा दिया। कुछ लोग भी श्री प्रताप सिंह और उनके साथियों की आवाज सुनकर मौके पर आ गये। अभियुक्त गण श्री प्रताप सिंह के शव को नाले में डालकर भाग गये। भागते समय भी समरथ सिंह अभियुक्त ने एक और गोली अपनी देशी पिस्तौल से चलाई। सर्व श्री सबोले और फूल-सिंह ने मृतक के घर जाकर उनके पुत्र कृष्ण स्वरूप को सूचना दी। कृष्ण स्वरूप तथा अन्य गांव वाले मौके पर आये और श्री प्रताप सिंह के शव को पड़ा पाया। उनकी छाती, बायीं आंख और बांयी कनपटी पर गोली के जख्म थे। १२ बोर की एक खाली कारतूस भी मौके पर पड़ी मिली। कृष्ण स्वरूप तुरन्त थाने गये जहां उन्होंने पौने सात बजे सायंकाल अपनी रिपोर्ट लिखायी। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह भी लिखाया कि दीवानी और फौजदारी के मुकदमों के कारण उनके पिता की अधिकतर अभियुक्तों से दुश्मनी थी। रिपोर्ट लिखाने के समय थाना चुरकी के एस० ओ० सदर गये हुए थे और थाने पर मौजूद नहीं थे। घटना की सूचना प्राप्त होते ही एस० ओ० और सी० आई० रात में ही एक जीप पर सवार हुए। सर्किल आफिसर और एस० पी० भी १२-८-६१ को शाम को मौके पर पहुंचे। एस० पी० ने आदेश दिये कि इस केस की जांच सी० आई० द्वारा की जाय। तुरन्त ही अभियुक्तों के घरों पर छापा मारा गया और तलाशी ली गयी मगर अभियुक्त घरों से फरार थे। उनके विरुद्ध धारा ८७/८८ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त रघुनाथ सिंह, राम शंकर और मेहताब सिंह १६-८-६१ को व जगदीश सिंह १७-८-६१ को ए० डी० एम० (जे०) की अदालत में हाजिर हुए और समरथ सिंह अभियुक्त को पुलिस ने १७-८-६१ को गिरफ्तार किया। १८-८-६१ को केदार नाथ अभियुक्त भी अदालत में हाजिर हो गया। ये छओं मुलजिम जेल में हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक अन्य व्यक्ति का भी जिक्र किया गया था। इस व्यक्ति का अभी कुछ पता नहीं चला, पुलिस सरगर्मी से इस केस की जांच कर रही है। यह सही है कि श्री प्रताप सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे और ग्राम रिनियां के सभापति भी थे। यह भी सही है कि श्री प्रताप सिंह हिस्ट्री शीटर थे। उनकी हिस्ट्री शीट १८-२-६०

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

को खोली गयी थी। यह नहीं है कि हिस्ट्रीशीट राजनीतिक विरोधियों एवं पुलिस की साजिश से खोली गयी बल्कि हिस्ट्री शीट इस आधार पर खोली गयी कि वह चोर, नकबजन, डकैत इत्यादि को शरण देते थे और बदमाशों की जमानत करते थे। वह अन्य जुर्म करने वालों को जुर्म में सहायता देते थे और केस चलने पर उनकी मदद करते थे।

प्रस्ताव में यह कहा गया है कि हत्या राजनीतिक हत्या है यह बात सही नहीं है। हत्या की घटना की लिखित रिपोर्ट थाने पर श्री प्रताप सिंह के पुत्र श्री कृष्ण स्वरूप सिंह ने स्वयं की थी और हत्या का कारण रंजिश व मुकदमें बाजी बताया था। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि इस हत्या का कोई राजनैतिक आधार है। श्री कृष्ण-स्वरूप सिंह के शब्द निम्न प्रकार हैं—

"मेरे पिता जी से जगदीश सिंह व समरथ सिंह व राम शंकर से फौजदारी व खेतों की बाबत मुकदमें चल रहे हैं। केदार नाथ व उनके भाई रामेश्वर दयाल में जमीन की बाबत मुकदमे बाजी हो रही है जिसमें पिता जी रामेश्वर दयाल के मुख्तार व पैरोकार खास थे। महताब सिंह रामशंकर का रिश्तेदार व केदारनाथ का दोस्त है। मेरे भाई ने भी एक मुकदमा मुलजिमान पर अदालत में दायर कर रखा है। इन्हीं सब रंजिशों की वजह से मेरे पिता जी को मार डाला है।"

जहां तक श्री प्रताप सिंह की जान के खतरे का प्रश्न है श्री प्रताप सिंह ने ऐसी किसी खतरे की सूचना जिलाधिकारियों किसी समय भी नहीं दी। उनके पुत्र श्री राम स्वरूप सिंह ने एक रिपोर्ट धारा ५०४–५०६ भा० दन्ड विधान व धा। २४ "कैटल ट्रेसपासर्स ऐक्ट," के अन्तर्गत १०–५–६१ को खेत की फसल को मवेशियों द्वारा नुकसान किये जाने के बारे में अवश्य लिखाई थी परन्तु उस रिपोर्ट में भी किसी खतरे या अन्देशा होने का जिक्र नहीं किया गया था। श्री प्रताप सिंह हत्या होने के दो दिन पहले यानी ९ अगस्त, १९६१ को स्वयं कप्तान पुलिस-जालौन से मिले थे। परन्तु उस समय भी इस बात का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि उन्हें किसी से जान का खतरा है।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा बयान हो गया। यह बात ठीक है कि माननीय मित्र ने मेरे पास १०–१२ सवालों की सूची भेजी थी। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं जबाब दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैं चाहता हूं कि समय बचाने के लिये जो मैंने सवाल भेज रखे हैं उनके संबंध में अगर मंत्री जी जानकारी दे सकें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—चूंकि वह सवाल मेरे द्वारा नहीं दिये हैं जो मेरे मार्फत गया है उस पर मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया। अगर आप यह कहें कि वह सब का जबाब दे दें उसके बाद आप सवाल नहीं पूछेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन उसमें समय कम नहीं लगेगा।

श्री गौरीशंकर राय—अगर ऐसी बात ऐडवाइजेबिल हो तो करें। मैं तो समय बचाने के लिये कह रहा था। मैं सवाल पूछ रहा हूं।

क्या यह सही है कि जहां प्रतापसिंह की हत्या हुई है, वह स्थान पुलिस स्टेशन से बहुत नजदीक है ?

श्री चरणसिंह—यह सही है, ४–५ फर्लांग है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या गृहमंत्री को ज्ञात है कि मई, १९६१ को इस सदन के माननीय सदस्य श्री गोविन्द नारायण तिवारी ने गृह मंत्री जी के पास अपने एक वक्तव्य की प्रति भेजी थी जिसमें कहा गया था—

"Shri Pratap Singh of village Rinia, who was the only member of District Board on Socialist Party ticket, was prosecuted on account of political rivalary and was acquited in all the cases. He is at

present Sabhapati of Gram Sabha. His history sheet has been opened by the S. P. of Orai to put him into disrepute."

क्या यह खत मंत्री जी को मिला था ?

श्री चरणसिंह---जिस वक्तव्य को आपने सुनाया वह मुझ को नहीं मिला। माननीय गोविन्द नारायण तिवारी ने मुझ से इस संबंध में कहा था, तो मैंने कहा था कि मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी को पुलिस की उन एफ० आई० आर० रिपोर्टों की जानकारी है, जिनके सिलसिले में मैंने पहले सवालों में जिक्र कर दिया है कि प्रताप सिंह ने ये रिपोर्टें की थीं और माननीय गृह मंत्री को भी लिखा था कि पुलिस हमारे खिलाफ है जो कांग्रेस के लोगों की साजिश से हमें परेशान करती है और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गयी ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक की सुनाये देता हूं। देर लगेगी इसलिये मैं बचाना चाहता था। यह राम स्वरूप सिंह जी ने जो प्रताप सिंह जी के साहबजादे हैं, उन्होंने १२ जुलाई सन १९६१ को दफा १०७ और ११७ जाब्ता फौजदारी में एस० डी० एम०, काल्पी के यहां एक दरख्वास्त दी थी, इस्तगासा दायर किया था, जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस से उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है और मुलजिमान गांव में यह खुलेआम कह रहे हैं कि वह उनको (राम स्वरूप जी को) कत्ल कर देंगे और उन्होंने यह भी कहा था कि केदार नाथ मुलजिम जो है वह अपनी बन्दूक इस्तेमाल करने की धमकी देता है। इसमें २० आदमियों के नाम थे जिसमें कि जो मुलजिम है इस मामले में कत्ल के उसमें से भी चार पांच आदमियों के नाम थे। यह चुतर्की के एस० ओ० को एन्क्वायरी के लिये काल्पी के एस० डी० एम० ने भेजा और एस० ओ० ने उस पर यह कहा कि कोई नक्शे अमन का अन्देशा नहीं है।

अब जैसा कि आप उसके लिये कहते हैं कि कोई प्रिन्टेड स्टेटमेन्ट श्री गोविन्दनारायण तिवारी ने मुझको दिया हो, जैसा मैंने अर्ज किया मेरे दफ्तर में कोई इसका सबूत नहीं है। उस सिलसिले में जो प्रिन्टेड स्टेटमेंट है उसमें यह बतलाया जाता है कि उसमें यह लिखा था कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सोशलिस्ट पार्टी के एक मात्र मेम्बर थे और पोलिटिकल कारणों से, राजनीतिक राइवलरी की वजह से उन पर और उनके लड़कों पर कई बार मुकदमें चले। उन सब मुकदमों में वह छूट गए, तो कितने उन पर मुकदमें चले हैं वह मैं बतलाये देता हूं। जो मुकदमें चले वह इस प्रकार हैं---पहला मुकदमा १४७-४५२-३२३-५४२-५०६ में कोई भागीरथ साहब थे विलेज रिनियां के उनके इस्तगासे पर चला-पहली जुलाई सन् १९५३ को दायर हुआ और ६ अप्रैल सन् १९५४ को वह केस छूट गया। प्रताप सिंह और उनके साहबजादे राम स्वरूप जी इसमें मुलजिम थे। एक प्राइवेट केस था, भागीरथ नाम के व्यक्ति ने दायर किया था।

दूसरा केस क्राइम नम्बर ८ अंडर सेक्शन ३३७-४४२ आई० पी० सी०---११ मार्च सन् १९५४ को रिनियां के कोई मैकू साहब हैं उन्होंने इनके खिलाफ इस्तगासा दायर किया। इस केस में प्रताप सिंह मुलजिम नहीं थे, लेकिन उनके दोनों लड़के राम स्वरूप सिंह जी और.....

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, समय बचाने के लिये एक बात बता दूं। मैंने जो पूछा था, माननीय गृह मंत्री को प्रताप सिंह ने चौथे महीने में खत लिखा उसमें ३०-३५ केसेज ऐसे साइट किये हैं कि चूंकि कांग्रेस के लोगों के खिलाफ हमने रिपोर्ट लिखायी, तो हमारी रिपोर्ट की सुनवाई नहीं की गई। वह खत माननीय मंत्री जी के पास मौजूद है, तो उसका तो जवाब माननीय मन्त्री जी दे नहीं रहे हैं। जो मैं पूछ नहीं रहा हूं वह वह बतला रहे हैं, तो जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर वह दें या अगर कुछ कहने के लिये तैयार होकर आये हों तो वह कह लें....

श्री अध्यक्ष---वह जो समझे उसका उत्तर वह दे रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, प्रतापसिंह जी ने और उनके लड़के ने मौके मौके पर जो एफ० आई० आर० लिखायी और उसके अलावा ३०-३५ केसेज मंत्री जी को लिखकर दिये कि इस मामले में ज्यादती हो रही है। १०७ के मामले में जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है और मुलजिम को बन्दूक दे दी गई, तो इन मामलों के बारे में तो वह सुनाते नहीं हैं और उन पर क्या क्या केसेज चले यह वह बता रहे हैं.... ?

श्री अध्यक्ष---आपका आक्षेप यह था कि उनके ऊपर जो मुकदमें चले, वे राजनीतिक कारणों से चलाये गए, तो उसका उत्तर वे दे रहे थे।

श्री गौरीशंकर राय---यह आक्षेप नहीं था। आपने सुना नहीं। मैंने यह कहा कि क्या यह सही है कि समय-समय पर एफ०आई०आर० प्रताप सिंह ने या उनके लड़के ने लिखायी और यह भी कहा कि चौथे महीने में गृह मंत्री को प्रताप सिंह ने व्यक्तिगत पत्र लिखा, जिसमें २५-३० केस साइट किये कि उसमें उनके साथ ज्यादती हो रही है कांग्रेसियों और पुलिस की साजिश से, यह इन्फार्मेशन अगर उनके पास न हो तो प्रताप सिंह जी के लड़के आये हैं, वे अपने साथ एफ० आई० आर० की कापी भी लाये हैं, वह मैं उनके पास भेज दूं ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, कहा यह गया कि मेरे पास कोई खत गोविन्द नारायण जी तिवारी ने भेजा जिसमें प्रिन्टेड स्टेटमेंट था या मेरे पास प्रताप सिंह जी ने भेजा जिसमें यह कहा गया था कि ३०, ३५ केसेज उन्होंने चलाये। मुझको वह खत मिला या नहीं इस बात का सबूत हमारे आफिस में नहीं है, लेकिन वह ३०-३५ केसेज नहीं थे, बल्कि केवल ५ केसेज थे जो चलाये। वह केवल दो केस १०७ और ११७ के प्राइवेट लोगों ने उन पर चलाये थे। उनका राजनीतिक कारणों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कोई इस्तगासा दायर करने की कोशिश की ?

श्री चरणसिंह---उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कागनीजेबुल आफेन्स की १२ जुलाई को और उसके बाद दूसरे फरीक ने उनके खिलाफ १०७, ११७ का मुकदमा दायर कर दिया कालपी के एस० डी० एम० के यहां। कालपी के एस० डी० एम० ने उसको पुलिस के पास भेज दिया कि वह उस पर अपनी रिपोर्ट दे। पुलिस ने कहा कि शान्ति के लिये कोई खतरा नहीं है। इनके खिलाफ १०७, ११७ का खुद दूसरे फरीक का केस चल रहा था तो ५ अगस्त को उनकी उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रताप सिंह जी पुलिस कप्तान से मिले। तो हमारी जान को खतरा है इस बात की न तो पहले रिपोर्ट उन्होंने लिखाई और न उनको सूचना दी और न कोई इशारा ही किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या गृहमन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि इस कत्ल के केस के मुलजिमान जब अदालत में हाजिर किये गये तो वे जिला समाज कल्याण की जीप पर हाजिर किये गये ?

श्री चरणसिंह---मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रतापसिंह जी मारे गये, इससे पूर्व कि इन पर मुकदमे चलाये गये वह किसी राजनैतिक दल के सदस्य थे या नहीं ?

श्री चरणसिंह---इनके ऊपर ३०, ३४, ३५ पार्टियों ने मुकदमे दायर किये हैं। इतना मुझको मालूम है। कभी ये कांग्रेस के ऐक्टिव वर्कर नहीं थे। कभी ये चार आने के मेम्बर रहे हों तो यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस गांव में प्रतापसिंह जी रहते थे, क्या उस गांव में और भी हिस्ट्रीशीटर रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---इससे इसका क्या मतलब है ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रतापसिंह जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में आने के पहले कांग्रेस के मेम्बर रहे हैं किसी वक्त, ऐसी कोई सूचना उनको है ?

श्री चरणसिंह---यह सूचना मेरे पास है कि सन् ४२ में ४ महीने के लिये वह जेल गये थे। उस वक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी। एक सोशलिस्ट पार्टी थी जो कांग्रेस के अन्दर शामिल थी। इससे अनुमान लगता है कि वह सन् ४२ में कांग्रेस के मेम्बर थे। इसके बाद वह कब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुये यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिस दिन यह हत्या हुई उसी दिन आदरणीय सदन के माननीय सदस्य श्री गोविन्द नारायण ने एक तार दिया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि कुछ हत्यारे स्वशासन मन्त्री श्री चतुर्भुज शर्मा के पुत्र मानिकचन्द शर्मा और रामाधार शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी हत्या की रात को ही रेलगाड़ी से लखनऊ के लिये अलीबाइ (alibi) के लिये रवाना हो गये ?

श्री चरणसिंह---जी हां, यह तार मुख्य मन्त्री जी के नाम या मेरे नाम आया था। यह मुझे मालूम है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि स्वर्गीय प्रताप सिंह, जिनकी हिस्ट्रीशीट इस कारण से खोली गई कि वह चोर बदमाश और डकैत लोगों को शरण देते थे तो हिस्ट्रशीट खोलने के पहले उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया गया था ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन हिस्ट्रीशीट खोलने के लिये किसी मुकदमे के चलाने की जरूरत नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिरथी में अनन्दी सिंह के कत्ल में भी प्रताप सिंह जी मुलजिम थे ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रताप सिंह और उनके कुछ साथियों पर एक मुकदमेबाजी हो रही थी जिसमें लल्लू जी ने एक पत्र लिखा था मैजिस्ट्रेट को सिफारिश में, और उसमें एक्यूज्ड में से दो और एम० एल० सी० साहब कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के मुकदमे में हाईकोर्ट से सजा पाये थे ?

श्री अध्यक्ष---इसका इससे क्या ताल्लुक है ?

श्री गौरीशंकर राय---मैं यह साबित करना चाहता हूं कि यह जो मुलजिम थे उन्होंने सिफारिश की ....

श्री अध्यक्ष---यह कोर्ट नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जब श्री गोविन्द नारायण जी का तार सरकार को प्राप्त हुआ तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और क्या उस कार्यवाही के फलस्वरूप सरकार को जानकारी हुई कि लखनऊ में कोई एलीबाइ (alibi) बनायी गयी या नहीं ?

श्री चरणसिंह---जी, उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की बावजूद इसके कि मुझे श्री रामअधार मिले। वे स्वयं मेरे पास आये थे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप के पास तार आया है और आप इसकी तहकीकात करिये और अगर वह गलत साबित हो तो उनको सजा दीजिये और अगर तहकीकात से यह बात साबित हो कि हम यहां आये तो हम को सजा दीजिये। तो मैंने उनको जवाब दिया कि इस तरह के तार में जो कुछ लिखा हुआ है, जितना ला मैं जानता हुं उस हिसाब से यह कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद उनकी राय हुई कि डिपार्टमेंट से मशविरा करूंगा और अगर उसके बाद उनकी राय हुई कि यह जुर्म है तो मैं उसकी तहकीकात करा लूंगा और फिर जैसा होगा उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि शर्मा जी, जो माननीय स्वशासन मंत्री जी के सुपुत्र हैं, वह माननीय मंत्री जी से कब मिले ?

श्री चरणसिंह---उनके सुपुत्र मुझसे महीनों से नहीं मिले। (हंसी)। मैंने कहा कि श्री रामअधार शर्मा मुझसे मिले थे।

श्री राजनारायण---वह किस तारीख को मिले थे ?

श्री अध्यक्ष---इस तरह से नहीं चलेगा। आप शान्त रहें। उन्होंने पहले ही कहा था कि श्री रामअधार शर्मा उनसे मिले थे।

श्री राजनारायण---मैं वही पूछ रहा हूं....

श्री अध्यक्ष---इसमें हंसने की क्या जरूरत थी। यह नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण---मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीर मसला है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिये। जिनका नाम माननीय मंत्री जी ने लिया वह माननीय मंत्री जी से कत्ल के कितने दिन बाद मिले थे और उनका शर्मा जी से कोई संबंध है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---वह मुझसे मिल पाये थे, कोई सात आठ रोज हुए। यहां से लौटने के बाद फिर उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी है कि श्री गोविन्दनारायण तिवारी जी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने इस तरह की नोटिसें छपवायी हैं। वे स्वयं वकील हैं और उन्होंने लिखा है कि उनकी राय में यह जुर्म है और वे चाहते हैं कि तहकीकात करायी जाय ...

श्री अध्यक्ष---किस बात की तहकीकात करायी जाय ?

श्री चरणसिंह---आपने सवाल पूछा था कि गोविन्दनारायण जी ने जो तार दिया था कि वे एलीबाइ बनाने जा रहे हैं और उसके लिये शर्मा जी उनके सुपुत्र के साथ यहां आये हैं .....

श्री अध्यक्ष---तो उन्होंने कहा कि वे नहीं आये....

श्री चरणसिंह---यह मैंने पहले ही अर्ज किया था। यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपने को साफ नहीं कर सका। उन्होंने कहा था कि वे नहीं आये और इसकी तहकीकात करायी जाय। अगर यह साबित हो तो....

श्री अध्यक्ष---उन्होंने आना डिनाई किया था नहीं ?

श्री चरणसिंह---उन्होंने बिलकुल डिनाई किया।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। प्रश्न यह है कि क्या आप माननीय मंत्री जी को बाध्य कर सकते हैं कि वे जिस रूप में उत्तर न देना चाहते हों, उस रूप में उत्तर दें ?

श्री अध्यक्ष---जो बात स्पष्ट नहीं होगी उसको मैं स्पष्ट कराने की कोशिश करूंगा।

श्री झारखंडेराय---प्रतापसिंह जी १९४२ में जेल गये और वे सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर थे। उस समय सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस में शामिल थी और नासिक के फैसले के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। तो क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अवगुणों की चर्चा यहां की गयी, क्रिमिनल्स को प्रश्रय देने की या और तरह की, वे अवगुण उनमें सन् ४२ के पहले भी थे, या जब वे कांग्रेस में थे और क्या उस समय भी उनका नाम नम्बर ११० में दर्ज हुआ था ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हिस्ट्रीशीट तो उनकी फरवरी, १९६० में खुली थी। मैंने यह नहीं कहा कि सन् ४२ में वह सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर थे या नहीं थे। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर उनमें यह अवगुण थे जैसा कि पुलिस की रिपोर्ट में है, तो यह उनको विरासत में मिले थे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब इसको समाप्त किया जाय ?

श्री गौरीशंकर राय---मान्यवर, किसी तथ्य पर पहुंचने के लिये एक दो सवाल और एलाउ कीजिये।

श्री अध्यक्ष---यहां यह कोर्ट नहीं है, आप तो केवल कुछ आवश्यक बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करा सकते हैं। मंत्री जी को क्रास एग्जामिन नहीं कर सकते .....

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, मंत्री जी ने ऐसे एलीगेशन्स लगा दिये हैं कि .....

श्री अध्यक्ष---वह तो मामला कोर्ट में जायेगा। यहां पर कोई बात आप सिद्ध करने के लिये नहीं हैं, केवल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, स्टेट बनाम मकबूल जो मुकदमा चला था, जिसकी कोर्ट की नकल भी मेरे पास है, उसमें एक थानेदार श्री एम० सी० दूबे ने बयान दिया था कि यह चार्ज शीट इस समय मौजूद है। मुल्जिमान की तरफ से इस मामले में श्री चतुर्भुज शर्मा, वर्तमान मंत्री, यू० पी० सरकार थे। यह गलत है कि मैं मुल्जिम से मिला था। तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष---इसका इससे क्या मतलब ? यह उठता नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जब प्रतापसिंह जी के विरुद्ध एस० डी० एम० की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो दरोगा ने यह रिपोर्ट दी कि नुक्सेअमन का कोई अन्देशा नहीं है और उसके ५ दिन बाद ही उनका कत्ल हुआ ?

श्री चरण सिंह---मैंने तो यह नहीं कहा कि ५-६ दिन बाद कत्ल हुआ। मैंने यह कहा था कि जो केस उनके विरुद्ध चल रहा था, उनके लड़के ने जो दरख्वास्त दी थी, वह ५ अगस्त को खारिज हो गया। यह कत्ल ११ अगस्त को हुआ। अब इसमें कितना अन्तर है, यह आप समझ लीजिये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी को, जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ और जिसकी हिस्ट्रीशीट खुली थी, उसी के संबंध में, उसका कत्ल होने पर, उनकी ही पार्टी के एक व्यक्ति श्री शिवसम्पत्ति शर्मा का कोई पत्र मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि "अभी-अभी भाई प्रतापसिंह रेनियां की मृत्यु का समाचार गोली कांड द्वारा सुना। मैं तो इस समाचार को सुनकर बिलकुल शून्य सा हो गया, क्योंकि भाई प्रतापसिंह जी के पुरुषत्व और सरल स्वभाव से मैं बहुत नजदीक से परिचित था। आपको इस मृत्यु से आघात पहुंचा है।" यह पत्र गोविन्द नारायण तिवारी को लिखा गया है, उसकी कापी आपके पास भेजी है। "उसकी कल्पना करके मैं सिहर उठता हूं...."

श्री अध्यक्ष--इससे इसका क्या संबंध है ?

श्री रामायणराय--मान्यवर, शिवसम्पत्ति शर्मा कांग्रेस के अगले इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। उन्होंने स्वर्गीय प्रताप सिंह जी के बारे में जो अपनी वेदना व्यक्त की है, उस पत्र की कापी उनको मिली है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--सवाल यह जाकर पड़ता है कि इससे क्या सिद्ध होगा ? यही कि कांग्रेस वालों के और उनके रिश्ते अच्छे थे।

श्री रामायण राय--गुमराह करने की चेष्टा मत कीजिये यह कहकर कि क्रिमिनल थे इस वजह से हत्या हुई। बात यह है कि इनके दल के जरिये से हत्या हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--बस, अब आगे चलना चाहिए।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् मैं यह पूछना चाहता था कि जो इस सभा के दायरे में शिष्टता का प्रयोग करे उसको तो मौका कभी न मिले और जो जबरदस्ती माइक्रोफोन न छोड़े उसको बोलने का हक हो जाता है, तब तो मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं भी कुछ पूछना चाहता था, आप आज्ञा दें तो मैं पूछूं।

श्री अध्यक्ष--पूछिये, क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि उस व्यक्ति को जिसे मुल्जिम और मर्डरर समझा जाता है, हाल ही में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की सिफारिश से मोटर का परमिट मिला है ?

श्री चरणसिंह--मुझको नहीं मालूम है कि मोटर का परमिट मिला है या नहीं।

श्री गौरीशंकर राय--मंत्री जी ने बतलाया है कि उन्होंने यह इस्तगासा दायर किया था पिछली जुलाई के महीने में, तो क्या यह सही है कि उस इस्तगासे में लिखा था कि पुलिस थाना, चुर्की से मुस्तगीस को इन्साफ की उम्मीद नहीं है, मुल्जमीन ने गांव में ऐलान कर दिया है कि जान से मार देंगे, केदारनाथ मुल्जिम अपने बन्दूक का नाजायज फायदा उठाता है ? उस इस्तगासे में यह भी कहा गया है कि पुलिस पक्षपात कर रही है और क्या यह सही है कि पुलिस के बयान पर एस० डी० एम० ने केस ड्राप कर दिया और ५ दिन के अन्दर ही प्रताप सिंह की हत्या हो गयी ?

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि इस प्रकार की रिपोर्ट लिखायी गयी थी, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जब मैंने बयान पढ़ कर सुनाया था तो उसमें उनके लड़के ने लिखाया है कि "केदारनाथ तथा उनके भाई रामेश्वर दयाल में जमीन की बाबत मुकदमेबाजी

हो रही है जिसमें पिता जी रामेश्वरलाल के मुख्त्यार तथा पैरोकार खास थे। मेहताब सिंह रामशंकर का रिश्तेदार और केदारनाथ का दोस्त है। मेरे भाई ने भी एक मुकदमा मुल्जमीन पर अदालत में दायर कर रखा है। इन्हीं सब रंजिशों की वजह से मेरे पिता जी को मार डाला गया है।"

केदारनाथ को कहा जाता है कि यह कांग्रेस का वर्कर है। यह गलत है। वह कभी डी० सी० सी० का मेम्बर नहीं था, चार आने का मेम्बर रहा हो या न रहा हो, इसका भी कोई सबूत नहीं। केदार और रामेश्वर दयाल में मुकदमे बाजी हो रही है और रामेश्वरदयाल की तरफ से ये पैरोकार खास थे, तो कातिल कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। एफ० आई० आर० में उनके लड़के ने नाम जरूर लिखा दिया है केदारनाथ का कि मेरे पिता जी से उनकी रंजिश थी।

साथ ही चाहे कोई चार आने का मेम्बर हो या डी० सी० सी० का मेम्बर भी हो, लेकिन अगर परसनल रंजिश की वजह से कोई किसी का मर्डर कर दे तो इसका आप खुद ही फैसला करें कि वह पोलिटिकल मर्डर कहा जायगा या नहीं कहा जायगा। यह महज इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए सारा प्रोपेगेंडा है।

श्री गौरीशंकर राय---यह बात तो ऐसी हुई कि अब कुछ वक्त इसके लिए दीजिये।

श्री मदन पांडेय---मैं यह जानना चाहता था कि अब तक जो स्टेटमेंट है मंत्री जी का और जो इधर से सवाल हुए और उधर से जवाब दिये गये, उनसे साबित है कि हत्याकारियों की साजिश पुलिस के साथ है और जिनकी हत्या की गयी है उनके साथ पुलिस की पुरानी रंजिश है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए वहां इस समय जो लोग पुलिस में हैं उनका ट्रान्सफर कर देंगे और दूसरे लोगों को उनके स्थान पर भेज कर उनसे पूरी जांच करायेंगे ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा कि यह प्रश्न चुनाव के जीतने के लिये, चुनाव के सिलसिले में किया गया है। यह सदन के नियमों के अनुकूल उत्तर है या उनके प्रतिकूल, क्योंकि यह सारा लांछन उन माननीय सदस्यों के ऊपर है, जिन्होंने यह सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष---यह बात तो स्पष्ट है कि यह प्रश्न जिस तरह से उठाया गया है, मेरी राय अगर आप पूछते हैं, और जिस प्रकार से दूसरे पक्ष के लोगों के नाम लिये गये तथा आक्षेप किये गये, वह ठीक नहीं है। मंत्री जी को इस प्रकार से क्रास एक्जामिन किया गया, मानो अदालत में मामला हो रहा हो। जब अदालत में मामला जाने वाला है यह प्रश्न उठता नहीं है। मैं विरोधीदल के नेता से यह कहने के लिये जरूर क्षमा चाहता हूं कि जब मैं इस प्रकार के प्रश्नों को करने से उनको नहीं रोक सका तो दूसरे पक्ष के क्रोध को भी नहीं रोक सका। मेरी भी यह लाचारी इस बात से हुई कि इस तरफ के लोगों ने कुछ नाम लिये और यह कहा कि कांग्रेस वालों ने हत्या करायी और यह भी कह दिया कि आदरणीय सदन के अमुक सदस्य का सम्बन्ध है। जब इस तरह की बात हुई और उसका उत्तर दूसरी तरफ से दिया गया तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ, जब उन्होंने यह कहा कि आक्षेप इसलिये लगाया जा रहा है कि उन लोगों का नाम लेकर इलेक्शन जीत लिया जाय। किसी के ऊपर हत्या लगाना बहुत बुरी बात है। अब माननीय विरोधीदल के नेता ने प्रश्न पूछकर दूसरी ओर के सदस्यों को रोका, लेकिन अगर मैं विरोधी दल के प्रश्नकर्त्ताओं को रोकता तो मैं समझता हूं कि काफी इस संबंध में शोर होता। नियम ५२ के अनुसार तो यह है कि उसके अनुसार कंक्रीट ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, सुझाव दिये जाते हैं कि किस दृष्टि से मामले की मंत्री जी जांच करा लें। लेकिन यहां पर मंत्री जी को एक कलप्रिट की भांति इस प्रकार से क्रास

[श्री अध्यक्ष]

एक्जामिन किया जा रहा है मानो वे कोई बात छिपाना चाहते हो। नियम ५३ के अन्तर्गत तो बहस की जा सकती है न कि नियम ५२ में। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात उचित नहीं है कि किसी माननीय सदस्य पर इस प्रकार के आक्षेप किये जायं और दूसरी ओर से भी यह उचित नहीं है किसी प्रकार किसी सदस्य के बारे में शक पैदा करें। होना यह चाहिये था कि वे कहते हैं कि इस बारे में जांच कर ली जाय कि इसका कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है। लेकिन उसको साबित करने की कोशिश करना और यह कहना कि उसको सिद्ध करके दिखा देंगे, यह अदालती बातें हैं और उसका निर्णय अदालत ही करेगी। यह चीज नियम ५२ में नहीं आती है।

श्री चरणसिंह---आपकी इजाजत से मैं एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं। उधर से बराबर यह कहा गया कि उस कत्ल की जिम्मेदारी कांग्रेसवालों पर है और कांग्रेस के मिनिस्टर का एक लड़का भी उसमें शामिल है और उसने भी उसमें मदद की। जो नोटिस वहां तकसीम किया गया है उसमें है "प्रताप सिंह जी की लाश पर अट्टहास करने वाले मिनिस्टर वापस जाओ।" यह बात वहां पी० एस० पी० की तरफ से कही गयी है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि इस हत्या के राजनीतिक कारण हैं, राजनीतिक दल खासतौर से कांग्रेस ने इस हत्या को कराया है। जब इस प्रकार का इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है तो आप ही बतायें कि हमारा यह कहना कहां तक अनुचित है कि यह इल्जाम राजनीतिक लाभ उठाने के लिये लगाया जा रहा है।

श्री रामायणराय---माननीय गृह मंत्री ने बजट के समय जो भाषण दिया कि राजनीतिक दल चोरों को प्रश्रय देते हैं, तभी से इस प्रकार की हत्यायें प्रारम्भ हुईं। इसके लिये कांग्रेस सरकार तथा वे स्वयं मुलजिम हैं।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, इस वक्त मामला ठंडा है, इसलिये मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। ऐसे तकलीफ तो हो सकती है। बड़ी नम्रतापूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने व्यवस्था देने के स्थान पर जो भाषण दिया वह तो सर आंखों पर, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि मेरे सवाल बहुत से पूछे, अगर इन सवालों में कोई इल्जाम था तो उस समय आपको रोकना चाहिये था, मैं वापस ले लेता। लेकिन आपने बड़ी उदारता करके मुझे सवाल करने की इजाजत दे दी, फिर उसके जवाब में माननीय मंत्री जी का यह कहना कि कुछ लोग ऐसे सवाल इसलिये पूछ रहे हैं क्योंकि एलेक्शन नजदीक है, यह कहां तक उचित है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। मेरे सवाल में कोई इल्जाम की बात हो तो उसे आप कृपया प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज कर दें लेकिन माननीय मंत्री जी का यह रिमार्क करना कहां तक उचित है, क्योंकि जो सवाल मैंने पूछे थे, मैंने अदालत के बयान कोट किये, तो उनको आप एक्सपंज करदें लेकिन माननीय मंत्री जी अपने रिमार्क को वापस लें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष---मैं उनको एक्सपंज कर दूंगा। ऐसा करने का मुझे राइट है।

श्री गौरीशंकर राय---सदन की मर्यादा को देखते हुए मैं चाहता हूं कि जब मेरे शब्द को एक्सपंज किया जाय तो माननीय मंत्री जी भी अपने शब्दों को वापस लें क्योंकि उन्होंने जो बातें कहीं वे बड़ी मैलिशस हैं। चुनावबाजी वाली बात जो उन्होंने कही उसे सदन की मर्यादा और नियमों के अनुसार वापस लें।

श्री अध्यक्ष---मैं उसे देख लूंगा और एक्सपंज करने लायक हुआ तो एक्सपंज कर दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---मे बारे में तो आपने कहा, लेकिन उनको भी तो चुनावबाजी वाली बात वापस लेने के लिये कहें। मेआप जो व्यवस्था देंगे उसे मैं मान जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले व्यवस्था दे दी ।

श्री गौरीशंकर राय—आप उनसे कहें कि इसको वापस लें ।

श्री अध्यक्ष—मैं यह नहीं कहने वाला हूं ।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, एक पैक्ट और सत्य बात है कि उरई में सरकार के कनाइवेंस से (Connivancc) राजनीतिक हत्यायें करायी जा रही हैं ।

श्री चरणसिंह—अगर माननीय सदस्य ऐसा इल्जाम लगाते हैं तो मैं हर्गिज अपने लफ्ज को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री गौरीशंकर राय—सरकार के मंत्री और सरकार प्रश्रय देती है कातिलों को ।

श्री राजनारायण—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम लोग गैर-सरकारी सदस्य हैं और यहां जनतंत्र प्रणाली है । कांग्रेस पर जो आक्षेप माननीय गौरी शंकर राय ने किया, अब से पूर्व किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा था कि माननीय मंत्री जी या सरकार यह करा रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज जो चौधरी चरण सिंह जी मंत्री के रूप में, सरकार के रूप में यहां बोल रहे हैं, वे सरकार के रूप में ही जवाब दे रहे हैं, उनके लिये जैसे पी०एस०पी०, जैसे सोशलिस्ट पार्टी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी है क्योंकि वे सरकार हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से जवाब देने के लिये वे नहीं हैं और न इस तरह से जवाब देना सही है। (शेम, शेम) तो मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस प्रकार का उत्तर दे सकती है? अगर कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य खड़े होकर कहता कि क्या श्री गौरी शंकर राय जी इस तरह का सवाल करके कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसका जवाब वे देते तो दूसरी बात थी, मगर सरकारी पार्टी का सदस्य होकर स्वतः पार्टी के नेता के रूप में जवाब देना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इस चीज को पसन्द नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे कंटेस्ट में बात कही गयी, तो मेरे लिये कोई चारा नहीं रह गया । जो अनुचित बात कही गयी है, उसको मैं एक्सपंज कर दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय—फिर मेरा ही क्यों एक्सपंज करेंगे, जब माननीय मंत्री जी अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं । जब आपने पहले उसे आउट आफ आर्डर नहीं कहा तो उसे रहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—तो दोनों ही की बातें रह जायंगी, कोई हर्ज नहीं है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरी बात साफ नहीं हुई । क्या वे कांग्रेस पार्टी हैं ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वे कांग्रेस पार्टी नहीं हैं ।

सीतापुर में सरायन नदी पर पुलों के गिरने तथा तोड़वा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब सीतापुर शहर में सरायन नदी पर पुलों के गिरने अथवा तुड़वा दिये जाने के संबंध में श्री अवधेश कुमार सिनहा द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक २४ अगस्त, १९६१ को दी गई सूचना पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का वक्तव्य होगा ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, लखनऊ-बरेली रोड के मील ५४ पर स्थित सरायन नदी के पुल के संबंध में श्री अवधेश कुमार सिनहा, एम० एल० ए० द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करने वाले प्रस्ताव दिनांक ३०-८-६१ के संबंध में मुझे कहना है कि लखनऊ-बरेली-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग सरायन नदी को सीतापुर स्थान पर काटता है। यातायात के निकलने के लिये इस जगह पर एक लकड़ी का पुल (पाइल ब्रिज) बना हुआ था। यह अधिक भार का यातायात नहीं ले सकता था तथा साधारण तौर पर उसकी दशा अत्यन्त असन्तोषजनक थी। अतः सरकार ने निश्चय किया कि इस स्थान पर एक नया ऊंचे दर का सीमेन्ट कंक्रीट पुल बनाया जाय। तदनुसार इस पुल का निर्माण हाल में किया गया तथा करीब १५ महीने हुए कार्य पूरा कर दिया गया था। इस पुल की लागत लगभग ५ लाख रुपये थी। नये पुल के निर्मित होने तथा यातायात के लिये खोल दिये जाने के पश्चात् पुराना लकड़ी का पुल तोड़ दिया गया तथा उस ढांचे में से काम आने वाली लकड़ी आदि अन्य स्थानों पर प्रयोग के लिये निकाल ली गई।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष---सदन में शान्ति रहनी चाहिये।

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार की साधारण नीति के अनुसार इस पुल को पथकर देय पुल घोषित कर दिया गया तथा इस पुल पर पथकर अन्य इसी प्रकार के पुलों पर लगाये जाने वाले दर के अनुसार लगाया जाने लगा। हाल ही में सरकार ने पथकर लगाये जाने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है तथा यह निश्चय किया है कि यदि रख-रखाव व मरम्मत के लिये नगरपालिका, सीतापुर १ हजार रुपया प्रति वर्ष देना स्वीकार करे तो इस पुल को पथकर से मुक्त कर दिया जाय। अतः नगरपालिका के इस प्रतिबन्ध को स्वीकार करते ही यह पुल पथकर मुक्त पुल घोषित कर दिया जायगा।

पुराना नवाबी पुल जो नये पुल के बहुत ही पास स्थित था, नगरपालिका सीतापुर द्वारा हाल ही में यातायात के लिये बन्द कर दिया गया, अतः नये पुल के ऊपर से ही सभी यातायात आजकल निकलता है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष---आप जरा स्पष्ट पढ़िये।

श्री रामस्वरूप यादव---मैं तो काफी तेजी से बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप तेजी से ही तो न बोलिये, शायद माइक काम नहीं कर रहा है आप का।

श्री रामस्वरूप यादव---जुलाई के अन्तिम सप्ताह में एक बीम के निचले हिस्से में कंक्रीट दृष्टिगोचर हुई है। अधीक्षक अभियन्ता द्वारा पुल की तुरन्त ही जांच कराई गई तथा प्रेसर ग्राउटिंग मशीन प्राप्त करने की तुरन्त ही कार्यवाही की गई जिससे कि कमजोर भागों के निकालने के पश्चात् जहां कंकीट गिर चुकी है, उन स्थानों पर सीमेन्ट बालू मसाले का प्रयोग किया जा सके।

जहां तक पुल की स्थिरता का संबंध है, इस पुल की पूर्ण रूप से भार परीक्षा (टेस्ट) कर ली गई है। वर्तमान ढांचा यातायात के लिये पूर्ण सुरक्षित है। अधिशासी अभियन्ता, ब्रिज डिजाइन डिवीजन, का भी यह विचार है कि यातायात के लिये यह पुल अच्छी हालत में है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुल जब से यातायात के लिये खोला गया है उसके कितने दिन बाद सीमेन्ट कंक्रीट गिरने लगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--थोड़े ही दिन पहले यह मालूम पड़ा था कि कुछ जगह से कंक्रीट का कुछ हिस्सा गिर गया है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--श्रीमन्, मेरा निश्चित प्रश्न है कि यह पुल कितने दिन हुए यातायात के लिये खोला गया और उसके कितने दिन के बाद से सीमेन्ट और कंक्रीट गिरना शुरू हो गया ?

श्री गिरधारीलाल--इस वक्त इसकी डेट तो नहीं है, लेकिन यह पुल जो है वह कोई पुराना नहीं है, अभी बना था और कुछ थोड़े ही दिनों के बाद नीचे की जो कंक्रीट थी वहां का जो सरिया या लोहा होता है वह पकड़ नहीं पाया। वह गिरने लगी थोड़ी सी। जैसा कि बयान में कहा गया है, ग्राउटिंग मशीन से वहां नये सिरे से जमा रहे हैं और इस तरीके से पुल ठीक किया जा रहा है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। उन्होंने कहा कि सीमेन्ट और कंक्रीट पकड़ नहीं पाया, तो क्या वह पुख्तगी आने के पहले ही उसे यातायात के लिये खोल दिया गया था इसलिये नहीं पकड़ पाया था ?

श्री गिरधारीलाल--नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह तो गलती कहिए या किसी तरीके से नीचे के कुछ हिस्से के अन्दर इस प्रकार की कमजोरी थी कि वहां का जो लोहा या सरिया था वह उसको पकड़ नहीं पाया। पुल को जिस समय खोलना चाहिये था ट्रैफिक के लिये उसी वक्त खोला गया था।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--क्या मंत्री जी के पास सीतापुर नगरपालिका का इस संबंध में प्रस्ताव आ चुका है कि वह एक हजार रुपया देने को तैयार है और इसलिये पुल पर टैक्स लेना तुरन्त बन्द कर दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल--मुझे इस बात की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन जैसा कि बयान में कहा गया, जो लोकल बाडीज हैं, जहां इस प्रकार के पुल होंगे, तो जिस वक्त वह १ हजार रुपया जमा कर देंगे तो जो टोल वगैरह लगता है उससे उसे मुक्त कर दिया जायगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--श्रीमन्, इस नवनिर्मित पुल के ३ दर हैं और तीनों दरों के अन्दर गिरावट शुरू हो गई है। इस पुल में रोड वे २२ फीट है। उस २२ फीट में ६ फीट एक तरफ है और ६ फीट एक तरफ। तीन दर हैं, तीनों दरों में ६-६ फीट है। तीनों दरों में गिरावट शुरू हो गई है। यहां से इंजीनियर, माथुर साहब गये और वहां जाकर ऊपर से लेसा पोती करना शुरू कर दिया। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको यह मालूम है कि तीनों दरों में गिरावट शुरू है ?

श्री गिरधारीलाल--मैंने जैसा बतलाया, इस चीज की मुझको इत्तला है कि वहां का प्लास्टर या नीचे की गिट्टी जो है वह कुछ गिर रही है और उसकी मरम्मत की जा रही है ग्राउटिंग मशीन के जरिये से। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि लेसा-पोती की जा रही है, ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--उनका कहना यह है कि तीनों दरों में गिर रहा है और गिट्टी जो आप कहते हैं, तो गिट्टी क्या प्लास्टर का एक अंश है ?

श्री गिरधारीलाल--जो सरिया होता है उसके नीचे गिट्टी और प्लास्टर लगता है, तो वह चीज है--सीमेन्ट और गिट्टी को मिलाकर कंक्रीट होता है।

श्री अध्यक्ष---सीमेन्ट और गिट्टी को मिलाकर कंक्रीट होता है और प्लास्टर अलग होता है, तो वह प्लास्टर गिर रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---जो लोहे के नीचे की कंक्रीट है वह थोड़ी बहुत गिरी है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि सरकार ने उन कारणों की जांच कराई है कि वह गिट्टी या कंक्रीट क्यों गिर रही है ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने कहा कि कुछ उसमें कमजोरी थी। लोहे को पूरी तौर से पकड़ नहीं पाया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मंत्री जी ने बताया कि कुछ गलती इसमें है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी की यह गलती उनकी समझ में आई कि जिसके कार्य की वजह से गिट्टी या कंक्रीट गिर रही है इससे यह भी संभावना पैदा हो गई है कि सारा पुल गिर जाय तो उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री गिरधारीलाल---ऐसी संभावना तो नहीं है कि पूरा पुल गिर जाय, लेकिन जो भी व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जायगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर के पुल के नीचे जो प्लास्टर गिर रहा है, हम लोग भी उधर से निकले और हमने भी देखा है, तो क्या मंत्री जी उसका जो मसाला है, सीमेन्ट और बजरी की जो उसमें मात्रा है, उसको किसी एक्सपर्ट एनालिस्ट के पास भेजेंगे जांच के लिये कि कितना अनुपात उसमें मिलाया गया ?

श्री गिरधारीलाल---वह अनेलिसिस के लिये भेजा हुआ है ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---क्या मंत्री जी को याद है कि जब यह पुल बन रहा था तब उनके पास इस बात का एक शिकायती पत्र जनता के कुछ आदमियों की ओर से आया था कि इसका सीमेन्ट ब्लैक में ५ रुपया बोरी बिक रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---मुझे इसकी कोई याद नहीं है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पुल पर कितना रुपया मरम्मत पर इस समय तक खर्च हो चुका है और कितना आगे खर्च होगा ?

श्री गिरधारीलाल---दो ढाई हजार रुपये का काम होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी इस बात को इस स्तर पर उचित समझते हैं कि यह पुल अभी बना था और यातायात के लिये खुला लेकिन एकाएक गिर गया, इसकी जांच किसी टेक्निकल कमेटी द्वारा करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---एकाएक गिर गया यह आप गलत कह रहे हैं ?

श्री उग्रसेन---पुल में जो कंक्रीट गिर रहा है यह क्यों एकाएक गिर रहा है, इसकी जांच किसी टेक्निकल कमेटी द्वारा करायेंगे ।

श्री गिरधारीलाल---इसकी टेक्निकल जांच हो रही है। इसके अलावा और किसी कमेटी की जरूरत इस समय नहीं है ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---अध्यक्ष महोदय, सारा शहर पानी के अन्दर आ रहा है और आप दो प्रश्न भी करने की आज्ञा नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष---आप तो कई सवाल कर चुके हैं, औरों को भी प्रश्न कर लेने दें ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---तीन पुल हमारे यहां थे जिनमें से दो पुल तो बेकार हो गये। एक ही पुल है जिस पर यातायात चालू है और उसका भी कंक्रीट गिर रहा है।

श्री अध्यक्ष---अच्छा एक प्रश्न आप पूछ लें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---क्या मंत्री जी इस पुल से टैक्स अब हटाने की कृपा करेंगे?

श्री गिरधारीलाल---मैंने जैसा अभी बताया---यह तो कायदा बहुत पहले से है कि जिस म्युनिसिपल एरिया के अन्दर इस प्रकार के पुल हैं वहां की लोकल बाडीज अगर १,००० रु० जमा कर दें तो पुल कर से मुक्त हो जायगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---म्युनिसिपल बोर्ड ने कह दिया है कि हम १,००० रुपया जमा कर देंगे।

श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं भी सीतापुर में रहता हूं, मुझे भी प्रश्न करने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष---पूछिये।

श्री मूलचन्द---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह पुल यातायात के लिये खोला गया उस समय किसी इंजीनियर द्वारा या किसी एक्सपर्ट द्वारा इसकी जांच कर ली गई थी कि यह पुल यातायात के लिये ठीक हो गया है?

श्री रामस्वरूप यादव---इस पुल को चालू करने के पहले जो टेस्ट हुआ करता है वह किया गया था और पुल में कहीं कमजोरी नहीं पायी गई।

श्री शिवप्रसाद नागर---मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी नियम ५२ के जो प्रश्न हैं १० और बाकी हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न में कम से कम १५ मिनट या आध घंटा लग जाता है। अब अगर सब आज टेक अप किये जायं तो ५ घंटे इसी में लग जायेंगे। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था करें कि इसके बाद जो बहस बाकी रह जायगी और चीजों पर भी, कल के लिये उसको रख दिया जाय, १ दिन और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध के टूट जाने की सम्भावना से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब माननीय सिंचाई मंत्री हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध के टूट जाने की संभावना के बारे में वक्तव्य देंगे।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)---अध्यक्ष महोदय, अर्जुन बांध हमीरपुर जिले में अकटोहा ग्राम के निकट स्थित है। यह बांध १६,००० फीट लम्बा है तथा इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई ८० फीट है। बांध के ऊपर की चौड़ाई २० फीट है जिस पर सड़क है जिसके दायें और बायें बड़े मिट्टी के डयोले हैं। बाढ़ के अधिक पानी के निकालने के लिये ७ फाटक लगे हुए हैं। इनसे १२ हजार क्युसेक्स पानी निकाला जा सकता है। ज्ञात हुआ कि वर्तमान वर्षाकाल में ८ अगस्त, १९६१ को अर्जुन बांध पर ३ इंच व इसके कैचमेन्ट एरिया में १० इंच वर्षा हुई जिससे बांध का लेविल ऊपर उठा। चूंकि वर्षा अधिक हो रही थी, अतः पानी यदि फौरन न निकाला गया होता तो जलाशय में क्षमता से अधिक पानी भरने का भय था जिससे

[श्री राममूर्ति]

जलाशय को हानि हो सकती थी। इस परिस्थिति को रोकने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि कुछ पानी खारिज कर दिया जाय। इस कारण स्केप को चला दिया गया। अधिक वर्षा के कारण वहां के कुछ ग्राम वासियों को बाढ़ का संदेह हुआ जो कि नितान्त निर्मूल था। अब धीरे-धीरे स्केप का जल-प्रवाह कम होता जा रहा है और २४ तारीख को केवल १ हजार क्यूसेक्स ही रह गया है। स्केप को अथवा बांध के किसी भी कार्य को क्षति का न कोई खतरा था, न है। स्केप या नाले की मिट्टी भी नहीं कट रही है और किसी प्रकार से बांध के कटने का भय निर्मूल है। किसी ग्रामवासी के ग्राम को छोड़कर अन्यत्र जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। ग्रामवासी अब भी अपने ग्राम में हैं और सुरक्षित हैं।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)---क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि वहां कीजनता जब फाटकों के लिये चिल्लायी कि ये फाटक खोल दिये जायं, तो दो फाटक से ज्यादा क्यों नहीं खोले गये और इस घबराहट में वहां की सारी जनता सिर्फ कीमती संपत्ति और अपने बच्चों को लेकर, बाकी सब सामान वहीं छोड़ कर जंगल में भाग गयी थी और मूसलाधार पानी बरस रहा था और एक दिन और एक रात वहां रही ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो इत्तला है उसमें तो यह लिखा हुआ है कि १२ हजार क्यूसेक्स पानी उससे बहाया जा सकता है और वह बहाया गया. . . .

श्री अध्यक्ष---वह तो यह जानना चाहती हैं कि क्या एक रोज ऐसा वाकया हुआ कि २४ घंटे लोग बाहर रहे डर के मारे चूंकि पानी नहीं निकाला गया ?

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी---अध्यक्ष महोदय, जब लोग चिल्ला रहे थे कि ज्यादा फाटक खोल दिये जायं, हम लोगों को खतरा है, क्योंकि वह गांव नीचे है, तो फिर वह फाटक क्यों नहीं खोले गये ? मेरे पूछने का सिर्फ यह मतलब है।

श्री राममूर्ति---माननीया सदस्या जिस बात का जिक्र कर रही हैं, अगर उन्होंने फाटक नहीं खोला तो मुझे इस बात का अफसोस है। कम से कम जो विभाग के कर्मचारी थे, यदि गांव वाले कहते थे तो उनको उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिये था, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन दिला दूं कि जितने फाटक खोलने की जरूरत थी उतने खोल दिये गये थे और न तो किसी आदमी को और न जमीन को कोई क्षति हुई।

श्री अध्यक्ष---उनका प्वाइन्ट सिर्फ यही था कि जब मूसलाधार वर्षा हो और ऊपर तक पानी आ जाय तो कम से कम फाटक क्यों नहीं खोले गये ?

श्री राममूर्ति---एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जो मेरे पास जवाब आया है उसमें लिखा है कि पानी जिस सतह तक आया उसके बाद भी ५ फीट ऊपरी सतह जलाशय में खाली थी। ऐसा नहीं था कि जलाशय बिलकुल ऊपर तक भर गया था और उसके टूटने की संभावना थी। यह हो सकता था कि वह भर जाता क्योंकि पानी बहुत बरस रहा था।

झूसी बाजार, इलाहाबाद में अनेक दुकानों के तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब इलाहाबाद वाला मामला मैं लेता हूं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, पूर्वीय जी० टी० प्रान्तीय मार्ग जो झूसी टाउन एरिया से होकर गुजरता ह उसके मील ४९४ पर पिछले कई वर्षों से स्थायी तथा अस्थायी अतिक्रमण बढ़ते जा रह हैं। स्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिये दफा १३३ सी०

आर० पी० सी० के अन्तर्गत एस० डी० एम० के कोर्ट में कार्यवाही की जा रही है। वे अस्थायी अतिक्रमण जो दो साल से कम पुराने थे उनको हटाने के लिये एडीशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस तथा चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, झूसी को लिखा गया। चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, झूसी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इन अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिये जून, १९६१ के आरम्भ में एक नोटिस डुग्गी पिटवाकर तथा पुलिस की मार्फत सब संबंधित सज्जनों को दिया गया तथा इन सज्जनों से प्रार्थना की गई कि वे ७ जून, १९६१ तक अपने अधिकृत कब्जों को हटा दें। इस नोटिस का किसी संबंधित सज्जन ने विरोध भी नहीं किया और न अपने अतिक्रमण को ही सड़क से हटाया। साथ ही साथ सुपरिंटेण्डेंट पुलिस से इन कब्जों को हटाने की प्रार्थना की गई और उन्होंने २५ अगस्त, १९६१ की तिथि इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये निर्धारित की। एस० डी० एम०, फूलपुर को भी इसकी सूचना भेज दी गई।

२५ अगस्त, १९६१ को पुलिस ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों की सहायता से इन अतिक्रमणों को हटाया। स्टेशन आफिसर, पुलिस स्टेशन, सरायं इनायत ४ कांस्टेबिलों के साथ उपस्थित रहे। कुल ६१ अस्थायी अतिक्रमण थे जिनमें गुमटी, छप्पर, टिनशेड और जाफलरी सम्मिलित थीं। इनमें जितनी गुमटी थीं वे उनके मालिकों के सामने उठाकर सड़क के हद के बाहर रख दी गईं। हटाने से पहले मालिकों ने या तो अपना सामान हटा लिया या ताला लगवा दिया। छप्पर व टिनशेड सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों के द्वारा हटा दिये गये, किन्तु जो कुछ सामान उनके अन्दर था उसमें हाथ नहीं लगाया गया। जितना भी सामान उनमें था वे मालिकों ने अपने आप छप्परों के हटाने के पूर्व हटा लिया। अतिक्रमण हटाने का कार्य १२ बजे दिन में प्रारम्भ किया गया था और साढ़े छः बजे संध्या को समाप्त कर दिया गया। कुल ६१ में ५६ अतिक्रमण हटा दिये गये। बाकी शेष पांच ऐसी दुकानें थीं जिनमें हटाते समय पुरुष उपस्थित न थे और स्त्रियों ने लिखकर इस बात का आश्वासन दिया था कि वे अपनी दुकानें पुरुषों के आने पर हटवा देंगी, परन्तु ये दुकानें अभी तक हटायी नहीं गईं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह गुमटियां या दुकानें कितने वर्षों से हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि पुरानों के खिलाफ तो १३३ की कार्यवाही हुई और जो २ साल के अन्दर थे उनको हटा दिया गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हटाने से पहले कितने गुमटी वालों को नोटिस दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—सब की सूचना के लिये मैंने निवेदन किया कि डुग्गी पिटवाई गई, पुलिस के द्वारा सूचना दी गई और टाउन एरिया कमेटी के चैयरमैन को लिखा गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारा (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गुमटियों के हटाते वक्त जिनके मालिक उपस्थित नहीं थे और ताले बंद थे उनको फिंकवा दिया गया और सामान खुर्द-बुर्द कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनको उठाकर रखवा दिया गया। ताले लगे थे, इसलिये सामान नहीं निकल सकता था और किसी का सामान नहीं छुआ गया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को पता है कि वहां पर ४ दुकान वालों के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसमें पी० डब्लू० डी० हार गया और इसके बाद अनुचित कार्यवाही के लिये पुलिस से सहायता ली गई ?

श्री अध्यक्ष—एक-एक प्रश्न पूछिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि पी० डब्ल्यू० डी० ने चार गुमटी वालों के ऊपर मुकदमा चलाया था और उसमें वह हार गया था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---इसकी कोई सूचना यहां नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जितनी सूचना आ सकी है उसको मैंने दे दिया है, क्योंकि कल आपने कहा था कि नियम ५२ के अन्तर्गत मामलों की जितनी सूचना आ सके वह दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष---आपके पास और सूचना नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नोटिस उनको दी गयी वह डुग्गी पिटवाकर दी गयी या लिखित ? और उनको नोटिस प्राप्त हुई इसका कोई सबूत सरकार के पास है ?

श्री अध्यक्ष---इसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि जितनी गुमटियां वहां हटायी गयीं या तोड़ी गयीं, उनका किराया टाउन एरिया ने आज से नहीं बल्कि शुरू से लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमान्, कल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां गये थे, टाउन एरिया के चेयरमैन भी उनके साथ थे। नियम है कि टाउन एरिया या कोई भी उसको किराये पर नहीं दे सकता जो नेशनल हाईवेज की पटरियों की जमीन पर दूकानें रखे हैं या कब्जा किये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---अध्यक्ष महोदय, मैं वहां स्वयं गया था और मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि किसी को भी नोटिस नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप उनको सूचना लिखकर दे दें। आपने उनका ध्यान आकृष्ट कर दिया। उसके बाद जो सूचना आपके पास हो वह उनको दे दें तो वह और उन पर भी इन्क्वायरी करा लें।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार को इस बात का पता है कि वहां किसी को भी नोटिस नहीं दी गयी है, इस तथ्य की जांच कराकर जिनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआविजा सरकार देगी ?

श्री गिरधारीलाल---जहां तक मुझे इत्तला मिली है वहां तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---पहले तो यह बतलाइये कि जो यह पूछते हैं कि उनको किसी को नोटिस दी गई या नहीं, इसकी इन्क्वायरी आप करायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---अगर आप चाहेंगे तो दोबारा दिखला लेंगे, लेकिन जिनके मकान भी हैं उनको कोई नोटिस दी गई या नहीं, इससे यह नहीं होता कि उनको मालूम नहीं था।

श्री अध्यक्ष---सवाल यह है कि वह कहते हैं कि किसी को नोटिस नहीं दी गयी। वह चाहते हैं कि उनको नोटिस दी गयी या नहीं इसकी आप जांच करा लीजिये। तो ऐसी जांच कराने में आपको क्या कोई एतराज है ?

श्री गिरधारीलाल---अगर आप आदेश देंगे तो कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---मैं काहे को आदेश दूंगा। आप अपना फर्ज समझें तो कराइये या न कराइये।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस सड़क पर एन्क्रोचमेन्ट होने की सूचना किस माध्यम से सरकार को प्राप्त हुई और जो दूकानदारों को वहां से हटने के लिये सूचना दी गयी वह कब दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस सड़क के ऊपर तो जैसा मैंने अपने बयान में कहा था कि दो साल पहले भी और दो साल से इधर भी बहुत ही ज्यादा एन्क्रोचमेन्ट हुये हैं। प्रदेश के अन्दर सड़कों पर यह आम प्रथा सी बन गयी है कि एन्क्रोचमेंट लोग कर लेते हैं। उसके लिये हमारे पास नियम ३३ है, उसके अन्दर हम उनको हटा सकते हैं। उसके अलावा पुलिस ऐक्ट के ३४वें नियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है। ७ जून, १९६१ को उनको वहां से हटने के लिये कहा गया था।

श्री मदन पांडेय—यह सूचना उनको कैसे दी गयी थी ?

श्री अध्यक्ष—वह इसकी सूचना नहीं दे सकते। उनके पास सूचना बहुत कम है क्योंकि पूरी सूचना उनके पास इतने कम समय में नहीं आ सकती।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके दफ़ा ५२ में नोटिस है सिर्फ उन्हीं को आप सवाल करने का अवसर दें क्योंकि ७ और ८ मिनट में पूरे प्रश्न और लोगों के नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष—यह आपने बड़े सूझ-बूझ की बात कही है। मैं अब इसी के अनुसार चलूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अब, अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सिर्फ साढ़े ३ घंटे मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सदन का समय बढ़ा देंगे।

श्री अध्यक्ष—वह तो बैठने के लिये आप चाहें जब तक बैठें, लेकिन आज उठेंगे जरूर, चाहे १२ बजे तक सदन बैठे यह बात दूसरी है। अगर आप चाहें तो ज्यादा बैठें, लेकिन मैंने यह समझा कि आप ज्यादा देर बैठेंगे तो आखिरवाले प्रश्न पर विवाद के लिये थक जायेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—श्रीमन्, बीच में और बात आ गयी है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गुमटियों वाले मामले की नोटिस दी गयी या नहीं, क्या इसकी जांच का आदेश सरकार देगी ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, वह करेंगे।

श्री अंजनीवीरप्रसाद, डी० आई० जी० की मेडिकल कालेज में मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री अंजनी वीर प्रसाद, डी० आई० जी० की मेडिकल कालेज में मृत्यु के सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक २९ अगस्त, १९६१ को दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने कल कहा था कि जिसके पास जो कुछ भी आवश्यक सामग्री हो वह मुख्य मंत्री जी के पास भेज दे। आपके इस आदेश के बाद मैंने स्वतः मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा कि मुख्य मंत्री जी, श्री अंजनी वीर प्रसाद की मत्यु के सम्बन्ध में आपकी सेवा में सामग्री कब दी जाय, इस सम्बन्ध में आपको कब समय है। मैं स्वतः आप की सेवा में उपस्थित हो कर सब सामग्री देना चाहूंगा। अतः आप कृपया समय देने का कष्ट करें। उत्तर जो मुझे मिला है उसमें है कि कल के बाद छुट्टी जब हो जायगी, तब आप सामग्री को मुझे दिखा सकेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—सब पढ़ दीजिये पूरा।

श्री राजनारायण—उसके आगे आपने यह भी लिखा है कि "वैसे मैंने अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि उनका जो इलाज होना चाहिये था वह अस्पताल में इलाज किया गया है।" यह मुख्यमंत्री जी का उत्तर है। तो यह उत्तर तो उनका, श्रीमन्, हमें पहले से ही मालूम था, तभी हमने बारबार आपकी सेवा में यह कहा कि इसके लिये हमारे पास भी सामग्री है और उसके आधार पर हम हर स्थिति में यह सिद्ध करने के लिये तैयार हैं कि उनका इलाज ठीक नहीं किया गया है। तो क्या आपकी यह व्यवस्था है कि जो एकांगी रिपोर्ट देंगे और हमारी सामग्री नहीं पायेंगे तो क्या फिर कभी इस पर विवाद होगा या इसको आप स्थगित करेंगे? क्या स्थिति होगी?

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्दर आप विवाद नहीं करते, केवल कुछ चीजों के ऊपर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि मंत्री जी कोई उत्तर दे दें तो आप प्रश्नों के द्वारा उनका ध्यान आकृष्ट करें कि अमुक चीजें हुईं या नहीं जिसमें कि वह इन्क्वायरी जो वह कराना चाहेंगे, उनके लिये रास्ता खुल जायगा। अब इसके बाद जो भी आपके पास मसाला हो, आप जब प्रश्न पूछिये उसमें रख दीजिये या बाद में जब उनको फुर्सत हो या आप चाहें तब उनके पास भेज दीजिये। कल के रोज़ बहुत से प्रश्न मैंने रखे थे कि जिनका जवाब सदस्यगण चाहेंगे। तब वह सूचना इकट्ठा कर रहे थे। इस विषय पर सब जानकारी हासिल करने का समय मंत्री महोदय को न हो तो इन प्रश्नों के बाद मंत्री जी से परामर्श के लिये समय ले लें।

श्री राजनारायण—ऐसा तो तभी कर सकते हैं जब ओपेन रहेगा।

श्री अध्यक्ष—ओपेन तो रहेगा ही। ओपेन तो हमेशा रहता है।

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—श्री अंजनीवीर प्रसाद, डी० आई० जी०, पुलिस की मृत्यु १२ मार्च, १९६१ को के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में हुई। उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में उनकी धर्मपत्नी, श्रीमती शान्ता देवी ने सरकार के पास एक शिकायत भेजी थी जिसमें उनका कहना यह था कि उनके पति की मृत्यु मेडिकल कालेज के कुछ डाक्टरों की लापरवाही के कारण हुई।

(इस समय १ बजकर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

इस शिकायत की एक प्रतिलिपि दिनांक १४ अप्रैल, १९६१ को लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति को विशेषज्ञों के द्वारा आरोपों की विस्तृत जांच तुरन्त करवाने के लिये भेज दी गयी। उनसे यह भी प्रार्थना की गयी थी कि जांच समाप्त होने के उपरान्त सरकार को अपनी समीक्षा सहित विस्तृत रिपोर्ट भेजें। श्रीमती शान्ता देवी ने यह भी प्रार्थना की थी कि उनकी शिकायतों की जांच के लिये हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के सभापतित्व में एक कमेटी बैठायी जाय जिसमें मेडिकल कालेज का कोई भी डाक्टर न हो और उपचार से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सरकार अपने संरक्षण में ले ले। श्रीमती शान्ता देवी के अनुरोध के सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि इस प्रकार की जांच कमेटी नियुक्त करने का प्रश्न विश्वविद्यालय के उपकुलपति से मांगी गयी रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर ही उठेगा।

यह विशेषज्ञों के लिये है कि क्या श्री प्रसाद की मृत्यु मेडिकल कालेज के डाक्टरों की लापरवाही के कारण हुई थी अथवा नहीं।

२२ मई, १९६१ को विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने सरकार को यह सूचित किया कि जिन डाक्टरों को बाहर से श्री अंजनीवीर प्रसाद की चिकित्सा के लिए बुलाया गया था उनके ऊपर स्वयं श्रीमती शान्तादेवी का भी विश्वास था, उनसे भी उपकुलपति ने इस सम्बन्ध में उनकी राय मांगी है। उन बाहरी डाक्टरों के नाम निम्नलिखित हैं—

(1) Col. M. P. Goel, I. A. M. C., Medical Specialist, Indian Military Hospital, Lucknow.

(2) Dr. S. K. Menon, F. R. C. S. (London) from, New Delhi.

(3) Dr. Penn of the University of California who is at present doing research work on tumors in India.

३० जून, १९६१ को उपकुलपति ने सरकार को यह बताया कि उन्होंने श्रीमती शान्ता देवी से यह अनुरोध किया है कि वे अपने आरोपों के समर्थन में साक्षियों की एक सूची उनके सम्भावित बयानों की संक्षिप्त टिप्पणी के साथ उनको भेजें। उपकुलपति ने यह भी सूचित किया है कि श्रीमती शान्ता देवी ने आवश्यक सूची कुछ समय बाद भेजने का वादा किया था।

२० जुलाई, १९६१ को उपकुलपति के पास सरकार द्वारा एक अर्द्ध सरकारी पत्र भेजा गया जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि श्री अंजनीवीर प्रसाद की मृत्यु से सम्बन्धित जांच में जो प्रगति हुई वह सरकार को बताएं।

९ अगस्त, १९६१ को उपकुलपति ने मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसके साथ उन्होंने उन दो बाहरी डाक्टरों की राय, जिनका जिक्र श्रीमती अंजनीवीर प्रसाद ने किया था, भेजी। साथ ही में उपकुलपति ने यह सूचना दी थी कि यह सम्पूर्ण केस हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट के सामने रखा गया। बोर्ड ने इस मामले पर गौर किया और बाहरी डाक्टरों की राय को भी देखा। बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री अंजनीवीर प्रसाद का पूर्ण इलाज हुआ और उसमें कोई त्रुटि नहीं थी और श्रीमती अंजनीवीर प्रसाद की शिकायत निराधार थी। वह दो डाक्टर, जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं —

(१) डाक्टर एस० के० मेनन, एफ० आर० सी० एस०, तीर्थरामशाह हास्पिटल, राजपुर रोड, दिल्ली।

(२) डाक्टर एस० एस० पेन।

उपरोक्त दो विशेषज्ञों की राय को मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, थोड़ा-सा मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे पास रिपोर्ट है यह दोनों डाक्टर्स ने दी है वह एक टेक्निकल रिपोर्ट है, तो आप से मैं आज्ञा चाहता हूं कि मैं उसे अंग्रेजी में ही पढ़ दूं।

यह डाक्टर एस० के० मेनन की रिपोर्ट है—

"As the primary disease did not produce any symptoms, it was not possible to diagnose of its existence till the secondary disease appeared and caused his death.

Line of treatment adopted by Dr. B. N. Sinha and others was, in my opinion, the best that could be given. All possible investigations were carried out and whatever could be done to a patient with such a disease was being done.

Nobody complained to me about any inattention to the patient by the doctors attending on him. The daughter of the deceased, during the course of her conversation said that the patients at Lucknow Medical College Hospital did not get proper attention. There was no specific reference or any instance cited of lack of attention to Mr. Prasad. As the daughter of the patient was in a distressed stage of mind due to the sudden calamity facing her, I did not consider it as a remark of any significance.

No Doctor dissuaded me from meeting the relations of the patient. On the other hand, after a brief narration of the history of the case, Dr. B.N. Sinha took me to the room of the patient and allowed me to make an independent and complete study of the case on the day I arrived there. I was with the patient for several hours during my two days' stay in Lucknow. The two Resident Doctors of the department were continuously attending to the patient and helping me in all possible ways.

[श्री धर्मसिंह]

I presume I have answered your questions satisfactorily. I am greatly surprised that any allegations should have been made against the medical staff regarding the treatment and care of Mr. A. B. Prasad during his last illness. I may be permitted to add, in this connection a few of my remarks outside the sphere of your questions. The moment I met Dr. B. N. Sinha, he told me that he was very glad that I had arrived there, as he was feelin vrye worried about a friend of his who—happened to be dangerously iii and he laid great emphasis on his peronal concern to pull Mr. Prasad out of the woods if it was humanly possible. Subsequently I met many other physicians and Surgeons who had from time to time attended on Dr. Prasad and they were also very deeply concerned about the tragic circumstances in which Mr. Prasad happened to be placed. I explained to Mr. Prasad's daughter how fortunate her father was to be in an institution of the reputation of Lucknow Medical College Hospital and to be attended to by its several very distinguished doctors. I told her that there are few institutions anywhere in the world where Mr. Prasad could have had bette treatment and certainly nowhere could he have had such affectionate regard or concern of all doctors engaged in his care. During the two days I was in Lucknow, I noticed that the Resident Officer of the department had not even slept for a whole night. I even advised Dr. B. N. Sinha to see that some kind of shift arrangement was made to avoid overstrain and ill health to his assistants who were in constant attendance on the case. Despite all this care and trouble taken over the patient much in excess of the routine in any hospital, I am surprised that Mrs. A. B. Prasad should make allegations of neglect against the medical staff"

दूसरे डाक्टर जिनका मैंने जिक्र किया था वह हैं डाक्टर एच० एस० पेन, एम० डी० जो आज कल रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट है, वह भी मैं बहुत संक्षेप में सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या आप ने आज्ञा दे दी कि इसकी हिन्दी न रखी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—बहरहाल, राजनारायण जी, आप तो समझते ही हैं, अगर कोई विशेष बात होती तो मैं अनुवाद के लिए कहता वर्ना इतना टाइम उसमें लगाने की क्या जरूरत है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खतों का पढ़ना है और यह जो सवाल हमारे विचाराधीन है उससे बिलकुल इर्रेलिवेंट है। उसमें तो यह कहा गया है कि उनकी नेगलेक्ट वहां की गई। तो जो आदमी दो मिनट के लिये उनको देखने के लिये आया उसको इसका क्या पता होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—वह जांच जब उनको दी गई थी तो उनका लेटर तो पढ़ा ही जायगा।

श्री धर्मसिंह—वह इस प्रकार है—

"As to my examination of Sri Anjani Bir Prasad, D. I. G. Central Intelligence Bureau, Lucknow, permit me to state the following—

(1) The evidence I found at the time of my visit strongly suggested an advance bilaterial pulmonary malignant neoplam. Whether or not this was primary was difficult to determine.

(2) In my opinion Dr. B. N. Sinha and the others had followed a course of treatment consistent with the best knowledge of present day medicine.

(3) A complaint was made to me by the daughter of the deceased of inattention and neglect on the part of the Doctors in attendance. This, however, was made by a highly emotional women who could not understand why her father could not be saved. These complaints also were inconsistent with the treatment received by the deceased.

(4) None of the Doctors have in the remotest possible sense tried to dissuade me from meeting the relatives of the patient. I found Dr.Sinha to be most co-operative in presenting the history of the patient as well as complete charts wherein the course of treatment was recorded."

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने यह सलूक श्रीमती अंजनीवीर प्रसाद के साथ किया था कि उनकी मृत्यु के साढ़े ५ महीने के बाद भी जीवन बीमा निगम के नियमों के अनुसार लास्ट मेडिकल अटेन्डेन्ट सर्टिफिकेट उनको अभी तक नहीं दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इसकी सूचना नहीं है । इसके लिये विश्वविद्यालय से पूछना पड़ेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मन्त्री जी ने कहा कि इन्क्वायरी करली गई है और वह सन्तुष्ट हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम की तरफ से जो फार्म आया है उसको भरकर उनको देना था । उस फार्म में एक खाना है जिसके विषय में डाक्टर कुंवर ने लिखा है । उस खाने में यह लिखा हुआ है कि—

"Was any Inquest or formal enquiry held regarding the death or was a post-mortem examination of the body made ? If so, by whom and what was the report of finding ? "

इसके लिये उन्होंने लिखा है (none so far) । इसका मतलब यह है कि डाक्टर कुंवर जो लास्ट मेडिकल अटेन्डेन्ट थे उनको मालूम नहीं है कि कोई इसमें जांच की गई । इसमें सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री आर० सी० श्रीवास्तव का एक पत्र है जिसमें वह लिखते हैं कि जांच होने पर सर्टिफिकेट दिया जायगा । वह खत यह है कि:—

"With reference to your application dated June 23, 1961 on the above subject I am to inform you that the Head of the section has informed that....

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को यह जानकारी है कि जो फार्म भरकर दिया गया डाक्टर कुंवर की तरफ से, उसमें यह है कि कोई इन्क्वायरी नहीं की गई और डाक्टर आर० सी० श्रीवास्तव का यह कहना है कि—

"I am to inform you that the case is under enquiry and, therefore, the form can be filled in when the enquiry of cause of death is completed."

इसमें यह कहा गया है कि इन्क्वायरी होने पर फार्म भरकर दिया जा सकता है । एक डाक्टर कहते हैं कि इन्क्वायरी नहीं हुई, तो मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि उनको क्या जानकारी है, वह स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे ब्यौरे की बात का ज्ञान नहीं है । जो बातें अभी माननीय सदस्य ने यहां पर उपस्थित की हैं कि उनका इन्श्योरेंस फार्म पर वहां से अटेस्टेशन नहीं हुआ इसकी पहले इत्तला दी जाती तो मैं वाइस चान्सलर से पूछ लेता और वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट से पूछता कि उन्होंने क्यों नहीं फार्म का अटेस्टेशन किया, लेकिन जितनी और बातें हैं वह पहले भी सदन के समक्ष आ चुकी हैं । आज जो सदन के सामने प्रश्न था वह तो यह था कि उनका

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इलाज अच्छी तरह से हुआ या नहीं और अस्पताल वालों ने उनके लिये उतना अटेन्शन दिया या नहीं जितना देना चाहिये था। उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाही थी। श्रीमती अंजनीवीर प्रसाद दो बार मेरे पास आईं। उनका पूरा विश्वास था कि इलाज सही हुआ। मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त करने की उनसे कोशिश की कि यदि वह इसके विषय में मुझे यह सलाह देंगी कि डाक्टरों ने श्री अंजनीवीर प्रसाद का इलाज ठीक से नहीं किया है तब अवश्य मेरे सामने यह सवाल उठेगा कि वायस चांसलर महोदय से मैं यह कहूं कि इसकी वह फिर से जांच करायें। जब वायस चांसलर ने दोनों पत्र भेज दिये उन व्यक्तियों के जिन पर अंजनी वीर प्रसाद का पूर्ण विश्वास था तो उसके उपरान्त मेरे पास कोई चीज नहीं रह गई कि मैं वायस चांसलर महोदय से कहूं कि फिर से इस विषय की जानकारी वह प्राप्त करें। मैंने स्वतः भी अनौपचारिक ढंग से इस विषय की जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की और कई मेडिकल कालेज के डाक्टरों से इसकी चर्चा हुई और उनसे जानकारी प्राप्त की। उन सब चर्चाओं से और जानकारी से मुझे यह विश्वास हो गया कि जहां तक इलाज का सम्बन्ध था, अंजनीवीर प्रसाद जी का इलाज उसी ढंग से किया गया जिस ढंग से ऐसे व्यक्ति का, जो इस प्रकार के रोग से बीमार था, इलाज होना चाहिये था। मैं यह भी यहां कहना चाहता हूं कि मुझे यह भी बताया गया कि श्री अंजनीवीर प्रसाद, श्री बी० एन० सिनहा के कुछ रिश्तेदार भी लगते थे और उनके परम मित्र भी थे। जैसा कि डाक्टर के खत से विदित है, श्री सिनहा स्वतः इस बात की चेष्टा में थे कि उनका यह मित्र किसी न किसी प्रकार से अच्छा हो जाय और उस बीमारी से जिसमें कि वह फंस गया है, मुक्त हो जाय।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि इस इलाज के दौरान में जब स्वर्गीय अंजनी बीर प्रसाद जी अस्पताल में थे तो उनकी श्रीमती जी माननीय मुख्य मंत्री जी के घर गयी थीं और उनसे यह निवेदन किया था कि डाक्टर सिनहा, जिनको मंत्री जी उनके मित्र और रिश्तेदार बतलाते हैं, उनके प्रति बड़ी नेग्लीजेंस बरतते हैं और उनको हैरेस करते हैं, इसलिये उनके मरीज को उनके विंग से हटा कर किसी दूसरे विंग में कर दिया जाय? और उनकी प्रार्थना पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको टेलीफोन किया था और तब वह चेंज हुआ था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि श्रीमती अंजनीबीर प्रसाद और उनकी लड़की मुझसे मिलने आयीं थीं और उनको मैं एक जमाने से जानता था। मुझे भी उनसे सहानुभूति थी और जब उन्होंने बतलाया कि बाहर के डाक्टरों के संबंध में अस्पताल के डाक्टरों को आपत्ति होती है, तो उनका एक प्रोफेशनल एटीकेट होता है। बाहर के डाक्टर जब तक इजाजत न ले लें उन डाक्टरों से जिनके इलाज में वह मरीज है या उस संस्था के मुख्य व्यक्तियों से तब तक बाहर के डाक्टर भी मरीज को अस्पताल में देखने नहीं आते। तो मैंने इस विषय की चर्चा डाक्टर श्रीवास्तव से की और उनसे निवेदन किया था। उन्होंने मुझे उनकी हालत बतलायी कि हालत मरीज की बहुत खराब है और तब मैंने अनौपचारिक ढंग से डाक्टर श्रीवास्तव से निवेदन किया था कि जब मरीज की ऐसी हालत है तो उनकी स्त्री की जो भावनायें हैं उनको नजर में रखते हुए यदि बाहर के डाक्टर मरीज को देखना चाहते हैं तो उनको देखने की इजाजत दे देनी चाहिये। और उन्होंने मेरा ऐसा विश्वास है कि डाक्टर सिनहा से भी इस विषय में बातें की थीं और डाक्टर सिनहा को बाहर के डाक्टरों के देखने में कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने उनको देखने दिया। और उनके इलाज के जो नुस्खे और उपचार के संबंध में जो बातें थीं वह भी बतलायीं। उनको अपनी राय उपचार आदि के संबंध में बताने के लिये पूरी-पूरी इजाजत दी गयी थी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान जो मिसेज अंजनीबीर प्रसाद ने पिटीशन दिया था उसकी ४६ वीं प्रार्थना पर गया है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जब डाक्टर मेनन देख कर गये और उन्होंने जो दवायें दीं उनको डाक्टर सिनहा ने बदल दिया और जिन दवाओं से फायदा हुआ था उनको कतई नहीं दिया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इन बातों को सही नहीं मानता। मेरी भी कुछ राय श्रीमती, अंजनीबीर प्रसाद और उनकी लड़की के विषय में बनी है और मैं उसे यहां व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि वे लेडी हैं और उनके पति नहीं रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि वे बहुत इम्मोशनल लेडी हैं और वे इतनी इम्मोशनल हैं कि सिर्फ यहां आप लोगों से मिल जुल कर ही बातें नहीं कीं बल्कि वे प्रधान मंत्री के पास दिल्ली भी गयीं और उनको भी प्रभावित करने की उन्होंने चेष्टा की। प्रधान मंत्री ने मुझे भी पत्र लिखा। जितने वाकयात हुए थे और जिनका मुझे स्वतः अनुभव हुआ वह मैंने उनको लिख कर भेजा। वह संतुष्ट हुए और मैं समझता हूं कि जब मैं इतनी बात कहता हूं तो इस सदन के सदस्यगण को भी संतुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—लखनऊ मेडिकल कालेज में मरीजों के साथ लापरवाही के मामले को लेकर कई बार आपत्ति उठाई जा चुकी है, तो क्या मेडिकल कालेज के पूरे संचालन पर, उसके पुनःसंगठन पर वह कोई कमेटी बैठाने का विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विचार तो मैं इस पर कई बार कर चुका हूं, लेकिन जब निर्णय लेने का विषय आता है तो आपके डर की ही वजह से कोई अंतिम निर्णय मैं नहीं लेता। क्योंकि जब हम इस विषय में निर्णय लेंगे और उसके प्रान्तीयकरण आदि का आदेश देंगे तो सदन के सारे सदस्य यह चिल्लाने लग जायंगे कि यह तो विश्वविद्यालय की आटोनामी में हस्तक्षेप किया जा रहा है। मुझे भी कुछ शिकायतें, आज नहीं, १५, १६, २० साल से हैं, और कभी कभी ऐसी बातें सामने आती हैं जिनकी शिकायत रहती है। और मेरे कानों में वे शिकायतें पड़ती रही हैं, लेकिन मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि जहां तक इस केस का संबंध है, जो संबंध श्री अंजनीबीर प्रसाद और श्री बी०एन० सिनहा का रहा है उसकी जानकारी रखते हुये और जो इलाज उनका हुआ उसको देखते हुये, मैं उससे संतुष्ट हूं और जहां तक उनके इलाज का संबंध है, उनका इलाज उचित प्रचार से किया गया। यह सही है कि उनकी बीमारी ऐसी थी कि इस बीमारी में व्यक्ति चटपट खतम हो जाता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, प्रधान मंत्री ने भी उनसे आग्रह किया कि वे जांच करें। यह सही है कि उन्होंने जांच की, मगर वह जांच उन्होंने अपने ढंग से की है। इन प्रश्नों के जरिये मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अब तक माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने नहीं आये, मैं उनको रखना चाहता हूं और उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी पुनः जांच करें और यदि वे ऐसा करेंगे तो वे अवश्य जो धारणा उनकी अब है, उसके विपरीत ही पहुंचेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक्टर सिनहा ने २० जनवरी को यह कहा कि उनके कैन्सर हुआ है और क्या उनको इसकी भी जानकारी है कि उन्होंने उनको ३० जनवरी को मालिश करने की सलाह दी? श्रीमन्, एक पत्र उनका हमें बाइ-चान्स मिल गया, उसमें लिखा है यह। तो जब उनको कैन्सर था तो मालिश करने की सलाह उनको क्या कोई डाक्टर दे सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—आपको रामस्वरूप वर्मा जी के प्रस्ताव में यह बात भी व्यापक रूप से लिखनी चाहिये थी....

श्री राजनारायण—व्यापक रूप से, श्रीमन्, यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष के सामने उठा था और जब हमारे प्रश्न उधर उधर हो गये तो उन्होंने कहा कि नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न दे दो। तो इस तरह से माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि जो भी तथ्य जिन लोगों के पास हों वे माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दें....

श्री उपाध्यक्ष—उसकी जानकारी मुझे है, किन्तु जो बातें अभी तक आपने माननीय मख्य मंत्री जी को नहीं बताई हैं वे उनको बता दें.....

श्री राजनारायण--तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह कहेंगे कि जो तथ्य हम बतायेंगे उनकी बुनियाद पर वे पुनः जांच करायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पहले मेरे पास तथ्य आ जायं, उनको देख कर ही मैं इस निर्णय पर पहुंच सकूंगा कि वे तथ्य ऐसे हैं कि उनकी बुनियाद पर किसी इन्क्वायरी कराने की जरूरत है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपकी सेवा में निवेदन कर दूं कि अभी माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने सर्टिफिकेट के विषय में एक प्रश्न पूछा था । मुझे अभी इस विषय में इत्तला मिली है, वह मैं बताना चाहता हूं । जिस सर्टिफिकेट की उन्होंने चर्चा की वह कल विश्व-विद्यालय से या मेडिकल कालेज से दे दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--तो आप लोगों के पास जो तथ्य हों वे आप लिख कर मुख्य मंत्री जी के पास भेज दें ....

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय, ईश्वर से भी बढ़ कर महत्वपूर्ण हुये हैं, अच्छा हो यदि वे कोई समय निश्चित कर दें और उनके कमरे में जाकर हम लोग उनको यह बातें बता दें....

श्री उपाध्यक्ष--आप लिख कर भेज दें ।

श्री राजनारायण--लिखकर, श्रीमन्, साफ नहीं होगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं सूचना के लिये सदन को बता दूं कि इस सदन का अगर कोई सदस्य मेरा सबसे ज्यादा समय लेता है तो वह माननीय राजनारायण जी हैं, फोन का तो वे इतना दुरुपयोग करते हैं कि मैं नहीं जानता कि वे उसका जितना दुरुपयोग करते हैं उसका उतना पैसा टेलीफोन विभाग को मिलता है या नहीं । जितना समय मेरा वे लेते हैं उतना कोई अन्य सदस्य नहीं लेता ।

श्री राजनारायण--इसलिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुचित कर्मों की, बुराइयों की और कुकर्मों की जानकारी हमको ज्यादा है ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी, कोई समय क्यों नहीं निर्धारित कर देते जिस रोज वह हाजिर होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास लिख कर भेज दें तो मैं समय तय करूंगा । इतनी खुराफात की बातें रहती हैं कि उनके लिए समय निकालना हर एक आदमी के लिए संभव नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, श्रीमती अंजनीवीर प्रसाद ने जो पत्र लिखा था, उसके जवाब में मंत्री जी ने लिखा है कि "हमें आपका ४ जुलाई का पत्र, जिसमें आपने श्री अंजनीबीर प्रसाद की मृत्यु के संबंध में जांच की चर्चा की है, प्राप्त हुआ है। आप अपने मामले को विश्वविद्यालय की जांच कमेटी के सामने प्रस्तुत करें।" तो यह कौन सी कमेटी है ? क्या कोई काल्पनिक कमेटी है जो कि कल्पना के समय ही समाप्त हो गयी है या बनने वाली है, वह किस स्टेज में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जांच कमेटी वाइस चांसलर और हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट की है, उन्हीं से मेरा मतलब था ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जब मिसेज अंजनीवीर प्रसाद वाइस चांसलर के पास पहुंचीं तो वाइस-चांसलर ने कह दिया कि कोई जांच कमेटी नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मुझे यह बात मालूम नहीं है। उनकी तरफ से मांग थी कि हाईकोर्ट का कोई जज इस विश्वविद्यालय की जांच करे, लेकिन विश्वविद्यालय में तो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज उपकुलपति हैं। वे स्वत: चूंकि जज रह चुके हैं, इसलिए उनकी यह मांग कि एक जज कोई नियुक्त किया जाय, अनावश्यक है और उनके द्वारा या उनकी कमेटी के द्वारा या हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट के जरिये से जो जांच होगी वह ऐसी होगी जिसके निर्णयों पर विचार करना बहुत जरूरी होगा।

श्री राजनारायण––क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण करेगी कि जब कि डा० कुंवर ने २८ तारीख को जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि २८ तारीख तक कोई जांच नहीं की गयी तो सरकार किस आधार पर कहती है कि कोई बोर्ड बैठा, उसने जांच की ?

श्री उपाध्यक्ष––यह तो नया तथ्य मालूम होता है।

श्री राजनारायण––जो लास्ट अटेंडिंग डाक्टर है वह कहता है कि २८ अगस्त तक कोई जांच नहीं हुई तो सरकार किस बुनियाद पर कहती है कि जांच बोर्ड बैठा था और जांच हुई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––सरकार इस बुनियाद पर कहती है कि श्रीमती अंजनीवीर प्रसाद स्वत: जगह-जगह पर कहती थीं कि उनका विश्वास दो डाक्टर पर है जो बाहर से आये थे। उन डाक्टरों ने, जो इलाज सही होना चाहिए था उसका तरीका बताया था और उनके ऊपर वह श्रद्धा रखती थीं। जिन डाक्टर्स पर वह श्रद्धा रखती थीं, जब उनसे जानकारी प्राप्त की गयी तो उन्होंने उस जानकारी के दौरान में बताया कि जितना इलाज हो रहा था और जिसने इलाज किया वह उत्तम से उत्तम इलाज था और बाद में, जैसा कि अभी बताया गया कि जब वाइस-चांसलर ने उनसे नाम मांगे कि वह अपने केस में किसी की गवाही दिलाना चाहती हैं तो उन्होंने वाइस चांसलर को न नाम दिये और न वहां गयीं। तो मैं इन बातों की बुनियाद पर जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वह यह है कि जहां तक अंजनीवीर प्रसाद जी के इलाज का प्रश्न है वह ठीक तरह से हुआ। कोई लापरवाही उनके इस इलाज के सम्बन्ध में मेडिकल कालेज में डा० सिन्हा या अन्य डाक्टरों ने नहीं दिखाई।

श्री रामस्वरूप वर्मा––श्रीमन्....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––माननीय सदस्य कष्ट न करें। मैं इससे ज्यादा अब इजाजत नहीं देता। श्री रामस्वरूप वर्मा जी का आखिरी प्रश्न इस संबंध में होगा। जो प्रश्न और तथ्य आपके सामने हैं वह उनके पास भेजिये। यह कोई आवश्यक नहीं है कि चूंकि खड़े हैं तो इजाजत दी जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा––माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि अब वे जांच की आवश्यकता समझते नहीं हैं, तो क्या इन तथ्यों को स्पष्ट करेंगे कि क्यों श्री अंजनीवीर प्रसाद की धर्मपत्नी और लड़की से उनके बार-बार आवेदन करने के बाद भी साक्ष्य या गवाही नहीं ली गयी ? दूसरे यह कि इसी में ६ अप्रैल का जो जवाब दिया है मंत्री जी ने, उसमें लिखा है कि मैंने सवाल किया था कि कैंसर के बीमार के लिए कौन उपयुक्त डाक्टर था, जब कैंसर की उनको बीमारी थी और डाक्टरों को मालूम था कि उसका यहां इलाज नहीं है, तो उसके लिये उन्होंने क्यों समय पर एडवाइस नहीं दी कि वह दूसरी जगह जाकर इलाज करावें ? तो इन सब बातों की जांच के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जो हालात मेरे सामने आये हैं और जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उनसे मैं संतुष्ट हूं कि श्री अंजनीबीर प्रसाद का इलाज सही और ठीक प्रकार से हुआ। अब कोई नई जांच की जरूरत नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मुझे बड़ा दुःख है कि १७ बार मेरे खड़े होने पर भी मेरे प्रश्न का अवसर नहीं दिया गया, तो स्पष्टीकरण कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---काफी स्पष्टीकरण हो गया है। अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। आप कृपया बैठें।

श्री मदन पांडेय---आप मुझे बात कहने से रोक नहीं सकते हैं। २१ फरवरी को डाक्टर मेनन आये थे और २२ को गये। उन्होंने जो प्रेस्क्रिप्शन दिये थे, इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी बतलावें कि २३ तारीख के बाद उन नुस्खों को बदला गया या नहीं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गौरीशंकर राय---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आज नियम ५२ के बहुत से सवाल हैं। जब मंत्री लोग बयान दे चुकें और सवाल पूछे जाते हैं तो हमसे तो आप कहते हैं कि सवाल पूछें, तो मंत्री जी को भी कहें कि सवाल का जवाब दीजिये। दादी और नानी की सारी कहानी..

श्री उपाध्यक्ष---यह बात आपकी बहुत उचित है।

माननीय गृह मंत्री जी मुझसे पूछ कर चले गये हैं। इसलिये अब पहले आइटम १४ (२) लेता हूं। पहली वाली बाद में ली जावेगी।

लखीमपुर-खीरी शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दुकानों को उखाड़ फेंकने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---जिलाधीश महोदय से सूचना मंगवाने पर मालूम हुआ है कि जो विज्ञप्ति उन्होंने पहले दी उसके अलावा और मकान नहीं गिराये गये। प्रस्तावक महोदयों ने केवल दूकानों का जिक्र किया है, मकान का नाम नहीं है। उन्होंने अन्त में कहा है कि ये दूकानें लकड़ी और छप्पर की थीं। मकानों का कोई जिक्र नहीं है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---यह केवल स्पष्टीकरण है। इस पर सवाल नहीं हो सकते।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---अगर कोई जानकारी इसके बाद हासिल करनी हो तो बजाय सवाल के कैसे करें ?

श्री उपाध्यक्ष---मिनिस्टर को लिखें या सवाल भेजें।

लखीमपुर जिले में थाना, नीमगांव के थानेदार तथा पुलिस कप्तान द्वारा श्री बंशीधर शुक्ल को कत्ल कराने की आशंका

श्री उपाध्यक्ष---आइटम १४ (३) पर जो है उसे बंशीधर जी ने वापस ले लिया है। इसलिये वह अब नहीं लिया जायगा।

१५ नम्बर माननीय आबकारी मंत्री का है।

(आबकारी मंत्री के उपस्थित न होने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---एक व्यवस्था का सवाल है। आबकारी मंत्री उपस्थित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि वह ड्राप हो गया।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, अब १६ नम्बर का मैं ले रहा हूं।

श्री रामस्वरुप वर्मा (जिला कानपुर)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि दफा ५२ के अन्तर्गत सूचना सबसे आवश्यक होती है। माननीय गृह मंत्री उपस्थित नहीं हैं। उन्हें आप बुलवावें। जब तक उनका वक्तव्य न हो जाय तब तक और बहस नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय गृह मंत्री कितनी देर में आ रहे हैं।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)---वह परिषद् में गये हुये हैं। अभी आने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष---वह आ जावें और आगे की कार्यवाही दफा ५२ की हो जाय।

(इस समय गृह मंत्री आ गये।)

ग्राम जूरन का पुरवा, जिला इटावा में दो दलों में संघर्ष के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---श्रीमन्, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसको पढ़कर सुना दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---यह नहीं किया जा सकता है।

श्री भजनलाल---श्रीमन्, उसको कल माननीय अध्यक्ष ने पढ़ कर नहीं सुनाया था।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपकी बात को मानकर उसको पढ़े देता हूं लेकिन वह नियम नहीं बनाया जा सकता। वह इस प्रकार है---

"ग्राम जूरन का पुरवा थाना दिबियापुर जिला इटावा के अन्तर्गत जमीन के संबंध में दो दलों में स्थानीय पुलिस की साजिश से दिनांक २५ अगस्त, सन् ६१ को संघर्ष हो गया जिसके फलस्वरूप दोनों तरफ के व्यक्ति घायल हुए। नेक राम के मकान में आग भी लगा दी गयी। नेक राम की रिपोर्ट थाना में नहीं लिखी गयी। इटावा एस० पी० को प्रार्थना-पत्र दिया गया झगड़े वाली भूमि पर दरोगा साहब ने बिला किसी अदालत के आदेश से जबरदस्ती दूसरी पार्टी के पक्ष में होकर हल चलवाये जिसके फलस्वरूप झगड़ा हुआ। दिनांक २७ अगस्त को सुबह ही फिर दोनों दलों में संघर्ष हो गया। दरोगा साहब की पार्टी के लोगों ने अर्जुन लाल के मकान पर घेरा डाल दिया जिसमें करीब ४०-५० आदमी मय कांता, वल्लम तथा देसी तमन्चे से लैस थे। अर्जुनलाल अपने प्राणों की रक्षा हेतु मय परिवार के अन्दर बन्द थे। यदि अर्जुन लाल बाहर निकल आयें तो जान से मारे जायं। अर्जुन लाल ने एक पुलिस को पत्र लिखकर किसी प्रकार पुलिस के पास भेजा कि मेरी जान खतरे में है। मेरा घर चारों तरफ से घिरा हुआ है। पुलिस ने सूचना देने वाले व्यक्तियों को थाने में ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को अर्जुन लाल का मकान घेरे हुए मौके पर व्यक्ति मिले परन्तु उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अर्जुन लाल को मकान से निकाल कर उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी लाइसेन्स्ड बन्दूक को भी ले लिया। इसके अलावा दरोगा ने सिपाहियों को लेकर छोटे लाल, राम किशुन, नेकराम, पन्ना लाल के घरों में घुस कर सरे-आम औरतों की पकड़ा-धकड़ी की जब कि मकान के अन्दर कोई भी व्यक्ति नहीं था और हजारों गाली देकर औरतों की मारपीट की जिसके फलस्वरूप औरतें घायल हो गयीं। दफेदार नामक सिपाही और दरोगा ने औरतों की इज्जत पर भी हाथ फेरा जिसके फलस्वरुप औरतों की आंचलों पर भी खरोचें आ गयी हैं। औरतों ने लड़-झगड़ कर किसी प्रकार अपनी इज्जत बचाई। पुलिस नेकराम की पार्टी के व्यक्तियों को गिरफ्तार करके थाना पावस जा रही थी उसी समय डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट सिन्हा मौके पर पहुंचे परन्तु दरोगा ने नेकराम की विरोधी

[श्री उपाध्यक्ष]

पार्टी के लोगों से ही सिन्हा साहब के सामने बयान दिला कर उल्टे पांव वापस थाना को कर दिया। नेकराम की पार्टी के लोग थाना तक गये परन्तु डिप्टी एस० पी० ने कोई बात नहीं सुनी। नेकराम की पार्टी के लोगों को जेल भेज दिया गया। २७ अगस्त को मेरे मकान पर मुझको भी सूचना दी गयी। मैंने अपने भाई गया प्रसाद जी व भतीजे भारत सिंह को मौके की जानकारी के लिये घटनास्थल पर भेजा। जानकारी से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त तथ्य बिलकुल सही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने रिश्वत खाकर उस पार्टी का पूरा समर्थन किया है। वह लोग तथा उस गांव के लोग अब हमारे कमरे पर आये हुए हैं जिन्होंने सारी घटना से मुझको अवगत कराया है। इस प्रकार की पुलिस की कार्यवाही से सारे क्षेत्र और जिला इटावा के अन्तर्गत घोर असन्तोष का वातावरण व क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न द्वारा सरकार से नियम ५२ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—२५-८-१९६१ को बाबू राम लोध, निवासी जोरन का पुरवा ने थाना डिबियापुर पर रिपोर्ट लिखायी कि वह, निक्सन, राजा राम और बच्चू अपने खेत को जोत रहे थे जो सवा साल पहले श्रीमती फूल से बैनामा द्वारा खरीदा गया था। इस खेत में एक मकान था जिसका भी बैनामा हुआ था। नेकराम ने आकर इस मकान में आग लगा दी। लाखन व भारत ने निकसन पर कांते व कुल्हाड़ी से हमला किया। फूल सिंह ने बाबूराम व जियालाल पर लाठी चलाई और रामनाथ ने बच्चू पर हमला किया। इस पर धारा ३२४ भा० दं० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल जांच पर निकसन की चोट शदीद (grievous injury) पायी गयी, इसलिये अब मुकदमा धारा ३२६ में बदला जायगा।

२६-८-१९६१ को प्रातःकाल नेकराम आदि कप्तान पुलिस से मिले और उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र दिया कि ४७ व्यक्तियों ने नेकराम के घर में आग लगा दी है। कप्तान पुलिस के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे थाने पर रिपोर्ट करने नहीं गये और सीधे उनके पास आये हैं। कप्तान पुलिस ने एस० ओ० को आदेश दिये कि केस रजिस्टर किया जाय और जांच की जाय। एक केस धारा ४३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत २७-८-६१ को रजिस्टर किया गया।

२७-८-१९६१ को इसी ग्राम जोरन का पुरवा के एक व्यक्ति लल्लू ने सात व्यक्ति नेकराम आदि के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई कि उसे लाठी और कांते से घातक चोटें पहुंचाई हैं। इस पर धारा ३०७/१४८ भा०दं० वि० का केस दर्ज किया गया और लल्लू को औरैया अस्पताल इलाज के लिये भेजा गया। एस०ओ० डिवियापुर सूचना मिलने पर ४ सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ७ में से ६ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों के लिये पुलिस अभियुक्तों के मकान में घुसी थी। पुलिस के ऊपर स्त्रियों ने ईंटें फेंकी और यह कोशिश की कि पुलिस वाले मकान के अन्दर न घुस सकें। इसके फलस्वरूप ३ कांस्टेबुल के चोटें आईं।

२७-८-६१ को शाम के साढ़े चार बजे ए०एस० पी० थाना दिवियापुर पहुंचे, वहां उनको मालूम हुआ कि लल्लू के सख्त चोटें आई हैं और एस०ओ०, गांव जोरन का पुरवा गये हैं। ए०एस० पी० भी जोरन का पुरवा पहुंचे और वहां उन्होंने गांव वालों से पूछतांछ की और जगह जगह पर ईंटों के ढेर पड़े पाये। उनके सामने गांव वालों ने इस बात की पुष्टि की कि पुलिस वालों पर ईंटें फेंकी गयी थीं और ३ कांस्टेबिलों के चोटें आयी थीं जो डाक्टरी जांच के लिये भेज दिये गये हैं। ए०एस०पी० ने इस मकान का भी निरीक्षण किया जिसमें २५-८-६१ को आग लगाई बताई गयी थी। मकान के बरामदे का केवल एक छप्पर जला हुआ पाया गया और घर के अन्दर का कोई सामान नहीं जला था। ए०एस० पी० अपनी जांच से इस नतीजे पर पहुंचे कि यह आग नेकराम और भारत ने छप्पर में लगाई थी और उनका इरादा था कि अपने दुश्मनों को इस मामले में फांस दें।

पुलिस इस मामलों में जांच कर रही है और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भजनलाल---क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इन दो दलों में संघर्ष हुआ तो ये दारोगा साहब बिना किसी अदालत के आदेश के आधार पर एक पार्टी से मिल कर जबरदस्ती खेत पर हल चलवाये जिसके फलस्वरूप यह झगड़ा हुआ ?

श्री चरणसिंह---जितनी जानकारी मुझे हो सकी है मैं दे रहा हूं । कल आपने यह दिया है और स्पेशल मसेंजर के जरिये यह जानकारी मंगायी गयी है और कोई जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इन दोनों दलों में बहुत पहले से झगड़े की संभावना थी, तो क्या माननीय मंत्री जी या, सरकार के उच्च अधिकारी जैसे आई० जी० या डी० आई०जी० के पास इस तरह की कोई रिपोर्ट मुलजिम की तरफ से भेजी गयी थी कि अमुक-अमुक व्यक्ति हमारी जान लेने के लिये या कोई नुकसान पहुंचाने के लिये जगह-जगह तैयार रहते हैं और जिसमें पुलिस की भी साजिश है ?

श्री चरणसिंह---जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की कोई दरख्वास्त नहीं दी गयी । लेकिन आपकी इजाजत से मैं बतला दूं कि बहुत से जुर्म करने वाले जो होते हैं वे अपनी पेशबन्दी करने के लिये दूसरे के खिलाफ दरख्वास्त दे देते हैं । ऐसे तो हमारे यहां हर किस्म की दरख्वास्तें आती ही रहती हैं लेकिन मुझे कोई इल्म नहीं है कि इस तरह की कोई दरख्वास्त आयी ।

श्री भजनलाल---क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय अर्जुनलाल ने सूचना दी उस समय उसकी सूचना के आधार पर मौके पर ४०-५० आदमी छतों पर और बाहर भी उनके मकान को घेरे हुये पाये गये ? यदि हां, तो उसी समय उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री चरणसिंह---जो सूचना मेरे पास आयी है, अर्जुनलाल ने कोई सूचना दी या रिपोर्ट लिखायी, यह मुझे नहीं मालूम है । यह तो आप अर्जुन लाल का नाम ले रहे हैं, मैंने उनका नाम नहीं लिया । जो तीन रिपोर्ट्स लिखायी गयी हैं उनमें अर्जुनलाल की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---इस बात को देखते हुये कि ४४१ दफा का जो नया संशोधन अभी सदन में पास हुआ है कि ऐसी हालतों में जब किसी जगह पर कोई काबिज हो और उस जगह पर दूसरे लोग कब्जा करना चाहते हों या अपना हल चलाना चाहते हों तो पुलिस की ओर से यह हस्तक्षेप क्यों किया जाता है और क्यों दूसरी पार्टी की सहायता कर के मदद दी जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष---अभी तो वह ऐक्ट बना भी नहीं है और न यह कोई जनरल सवाल है, इसके बारे में आप पर्टिकुलर प्रश्न पूंछना चाहते हैं तो पूछें ।

श्री मोतालाल अवस्थी---क्या यह सही है कि छोटे लाल और नेकराम के मकान में जब पुलिस गई और जब वहां कांसटेबिल दाखिल हुये तो उन्होंने वहां औरतों को घसीटा और उन के साथ बेइज्जती का व्यवहार किया ?

श्री चरणसिंह---यह बिलकुल गलत है ।

श्री भजनलाल---क्या मंत्री जी मेरी बात को सूचना समझकर इस बात को एस० पी० व जिलाधीश से जांच करायेंगे कि वास्तव में दरोगा पुलिस और कुछ सिपाहियों ने मां बहनों पर हस्तक्षेप किया और यहां तक कि उनके हाथों की चूड़ियां तक तोड़ दीं और उन के अंचल पर नाखूनों के निशान लगे थे ?

श्री चरणसिंह---इन्क्वायरी तो, जितनी घटनायें हो रही हैं सबकी हो रही है, लेकिन यह कि पुलिस वालों ने किसी बदनियती से हमला किया, जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, उस के अनुसार यह गलत है । मैं साफ कर दूं कि जिस वक्त पुलिस वहां गिरफ्तार करने के लिये पहुंची तो वह मकान में घुस गये और औरतों ने दरवाजे सहन के बन्द कर लिये और कोठरी के भी और जब पुलिस ने मकान के अन्दर जाना चाहा तो औरतों ने उन पर ईटें फेंकना शुरू कर दिया, जिससे ३ कांस्टेबिल घायल हुये, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया । उसके बाद एक पुलिस वाला किसी तरह से छत पर चढ़ गया और जो औरतों ईटें फेंक रही थीं उन से कहा कि तुम ईट फेंकना बन्द कर दो वर्ना डंडे से खबर लेंगे । यह नामुमकिन है और न ऐसा कोई नियम हो सकता है कि पुलिस के ऊपर ज्यादती की जाय, ईटें बरसायी जायं और वह कुछ न कहे ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---माननीय मंत्री जी ने कहा कि ३०७ के मुकदमें के संबंध में पुलिस को गिरफ्तारी की आवश्यकता थी तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ३०७ का मुकदमा दर्ज किया गया और जिन के चोटें लगी थीं और यह एक बड़ा जुर्म है तो क्या इसकी इत्तिला मंत्री जी को मिली थी कि कत्ल होने वाला है ?

श्री चरणसिंह---मैंने तो जितना अभी तक बयान दिया है उसमें ३०७ में कोई गिरफ्तार करने गये थे, ऐसा नहीं कहा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---अभी उन्होंने कहा कि ३०७ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और अस्पताल में आदमियों को भेज दिया गया था ।

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री भजनलाल---कृपया क्या गृह मंत्री जी इस बात की जानकारी प्राप्त करायेंगे कि जिस समय डी०एस०पी० जांच के लिये पहुंचे उस समय दरोगा जी अर्जुनलाल वगैरह को गिरफ्तार किये आ रहे थे और उस समय जो दरोगा जी और सिपाहियों ने जांच कराई वह केवल विरोधी पक्ष के लोगों से ही जानकारी प्राप्त कराई और जब वह दिबियापुर गये और वहां अर्जुनलाल की पार्टी के लोग पहुंचे तो उन को डी० एस०पी० के पास तक नहीं जाने दिया और बिना दूसरे पक्ष की बात की जानकारी किये हुये वह चले गये । तो क्या मंत्री जी इन सब बातों की जानकारी कर के उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री चरणसिंह---मैं इतनी तफसील में इंक्वायरी कराने की जरूरत नहीं समझता । एस०पी० के नोटिस में सारी घटना है और उन्होंने मामले की रिपोर्ट के लिये डी०एस०पी० को भेजा था ।

श्री भजनलाल---एस० पी० ने जब डी० एस० पी० को भेजा तो मैं कहता हूं और लिख कर भी दे सकता हूं कि उन को जो मौके पर सूचना दी गई वह केवल एक पार्टी की ओर से ही दी गई और दूसरी पार्टी को बिलकुल उनके पास तक फटकने नहीं दिया गया, तो क्या इसके बावजूद एस०पी० और जिलाधीश के सामने इन तथ्यों को रखकर कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दीजिये ।

नियम ५२ के अन्तर्गत लखनऊ नगर महापालिका द्वारा एक मकान को गिराने तथा तदर्थ पुलिस की सहायता के सम्बन्ध में वक्तव्य

* गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)––अध्यक्ष महोदय, सदन में नियम ५२ के अन्तर्गत नं० ११ कैन्टोनमेंट रोड, लखनऊ पर स्थित मकान के कुछ भाग गिराये जाने के संबंध में १०–८–६१ को वक्तव्य दिया गया था। अनुपूरक प्रश्नों के दौरान में श्री त्रिलोकी सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था कि दिनांक ३१–७–६१ को घटनास्थल पर कम से कम १०० आर्म्ड पुलिस गयी थी। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार मैंने जांच करा ली है। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार ३०–७–६१ को एक एस० आई०, एक हेड कांसटेबिल और ४ कांसटेबिल मौके पर गये थे। ३१–७–६१ को भी यही फोर्स यानी १ एस०आई०, १ हेड कान्सटेबिल और ४ कान्सटेबिल तैनात थे। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी और वहां का वातावरण भी गर्म हो गया था जिसकी सूचना टेलीफोन पर फ्लांइग स्क्वैड को दी गई। फ्लाइंग स्क्वैड भी मौके पर पहुंच गया जिसमें १ एस०आई०, १ हेड कान्सटेबिल और २ सिविल पुलिस कान्सटेबिल व दो आर्म्ड कान्सटेबिल थे। थोड़ी देर बाद कैसरबाग थाने के थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और उनके साथ ३ सिविल पुलिस कान्सटेबिल थे। इस प्रकार पुलिस की कुल संख्या ३ एस०आई०, २ हेड कान्सटेबिल, ९ सिविल पुलिस कान्सटेबिल व २ आर्म्ड पुलिस कान्सटेबिल थी न कि १०० आर्म्ड कान्सटेबिल।

श्री उपाध्यक्ष––इस संबंध में मैंने पहले यह व्यवस्था कर रखी है कि यह तो स्पष्टीकरण है। एक बात का आपने आग्रह किया कि उसमें जांच करा ली जाय। अगर उसके बाद कोई प्रश्नोत्तर रह गया हो तो नियमों के अनुसार आप प्रश्न पूछें। अब इस पर प्रश्नोत्तर की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)––श्रीमन्, एक बात और थी और वह यह कि जब ३१ तारीख को पुलिस वहां गई है तो जो हिस्सा गिरहर नहीं था, जो नोटिस में नहीं था, वह पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया। मैंने इस सिलसिले में माननीय उपमंत्री को, जिन्होंने बयान दिया था, एक तफसीली खत भी लिखकर भेज दिया था। मुझे नहीं मालूम कि उस पर जांच की गई या नहीं।

श्री चरणसिंह––उस पर जांच का सवाल नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के सामने कौन सा हिस्सा गिराया गया या नहीं, यह इरेलेवेंट बात है। न सिटी मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार का अधिकार दिया और न पुलिस को इस प्रकार का आर्डर देने का अधिकार था। पुलिस तो केवल इसलिये गई कि ला एन्ड आर्डर मेन्टेन किया जाय। कितना गिरा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह––व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी के कथनानुसार पुलिस इसलिये गई कि गिराने वालों के काम में कोई खलल डाले तो उसे न डालने दे, क्योंकि खलल डालेंगे तभी तो शांति भंग होगी। तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को––मैं गलत कह गया कि व्यवस्था चाहता हूं––मान्यवर के द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किस कानून के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ने मदद दी कि मालिक मकान जिस हिस्से को चाहे गिरा दे और अगर कोई गिराने में दखल देगा तो पुलिस फौरन उसको पकड़ लेगी? और साथ ही मंत्री जी रेलेवेंट धारा भी पढ़ने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह––उपाध्यक्ष महोदय, यहां कानूनी बहस तो मेरे वश की नहीं है, लेकिन सेक्शन ४६६–बी आफ दि म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट या कारपोरेशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

ऐक्ट जो भी है, उसके मातहत कारपोरेशन अथार्टीज पुलिस मांग सकती हैं जबकि वह किसी काम को कराना चाहें और उसमें डिस्टरबेंस आफ पब्लिक पीस का अन्देशा हो। तो कारपोरेशन अथार्टीज ने यह रिक्वैस्ट इस विषय में की और सिटी मजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया पुलिस को। पुलिस केवल वहां यह देखने गई कि ब्रीच आफ पब्लिक पीस होता है या नहीं।

श्री त्रिलोकीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने धारा गलत कोट की, ५६६ को ४६६ कहा और यह भी कह दिया कि अधिकार है। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार की सहायता दी गई उसका अधिकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को मौजूदा कानून के अन्तर्गत नहीं था। अगर माननीय मंत्री जी पढ़ने की कृपा करेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा।

श्री चरणसिंह—सिटी मजिस्ट्रेट के आर्डर पर पुलिस जरूर जायेगी। अब सिटी मजिस्ट्रेट ने उसके मातहत भेजी जो कि रिक्वेस्ट उससे की गई।

ननकू पासी की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—ननकू पासी की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के संबंध में सर्वश्री गोविन्द सिंह बिष्ट, टम्बरेश्वर प्रसाद, मन्ना लाल, मलिखान सिंह, राजेंद्र सिंह तथा जगदीशनारायणदत्त सिंह द्वारा दी गई सूचना के संबंध में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

*गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—"उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत १६ सितम्बर, १९६० को सदन में वक्तव्य दिया जा चुका है। संक्षेप में घटना इस प्रकार है कि २१/२२ जून, सन् १९६० की रात को देहरादून शहर में गाजी नाम के व्यक्ति के घर पर चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट थाने में लिखाई गई। दो हेड कांस्टेबिल और एक कांस्टेबिल २२-६-६० को घटना-स्थल पर गये। इस चोरी के संबंध में ननकू मृतक को पुलिस पकड़ कर साधूराम नामक व्यक्ति के घर पर ले गयी। पुलिस की ओर से यह कथन था कि ननकू भागकर कुयें में गिर गया और उसकी मृत्यु हुई। दूसरी ओर से आरोप था कि ननकू को पुलिस ने इतना मारा कि वह मर गया और बाद में उसकी लाश कुयें में डाल दी गई। एक आरोप यह भी था कि लाश मृतक के संबंधियों को नहीं दी गई और पोस्ट-मार्टम के बाद तुरन्त ही जलवा दी गई। सदन के सम्मुख दिये गये वक्तव्य के अनुसार सरकार ने आदेश दिये कि जांच सी० आई० डी० करे और उचित धाराओं के अन्तर्गत केस रजिस्टर किया जाय। अतः हेड कांस्टेबिल शिवनाथ सिंह और चेतसिंह तथा कांस्टेबिल श्यामलाल के विरुद्ध धारा ३०२ भारतीय दंड विधान में केस रजिस्टर किया गया। सब-इंस्पेक्टर आनन्द स्वरूप के विरुद्ध धारा २०१ भारतीय दंड विधान का मामला दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने ननकू की मृत्यु की ठीक जांच न करके पुलिस अधिकारियों को बचाने की चेष्टा की थी। इसके अतिरिक्त सब इंस्पेक्टर महेशचन्द्र शर्मा के विरुद्ध भी धारा ३३१ भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के अपराध में कनाईवेंस की थी।

सी०आई० डी० ने इस मामले की पूरी जांच की, परन्तु उनको इतने पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हो सके कि मुकदमा अदालत में भेजा जा सकता। इसलिये इन केसों पर फाइनल रिपोर्ट दी गई जो न्यायालय ने स्वीकार कर ली। अब संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है। यहां यह कहना भी उचित होगा कि ये सभी पुलिस कर्मचारी मुअत्तल हैं।"

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन, एक क्लैरीफिकेशन है। श्रीमन्, पुलिस कस्टडी में यह आदमी मरा यह बात मन्त्री जी को स्वीकृत है। यह भी स्वीकृत है कि कुयें में कूद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर नहीं मरा, करीब १५, २० इन्जरीज उसके शरीर पर पाई गईं। क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो सी० आई० डी० इंस्पेक्टर थे वे पहले देहरादून में रह चुके थे और स्टेशन अफसर, देहरादून जिसका इसमें सारा हाथ था, वह न सुअत्तल किया गया और न उसका ट्रांसफर किया गया, जिसके कारण उन्होंने तथा अन्य पुलिस वालों ने उसको प्रभावित किया और जांच मुकम्मल नहीं हुई। पड़ोस के ६ रेस्पेक्टेबिल गवाहान मौजूद थे और जिस कमरे में ननकू को बन्द किया गया था वहीं दूसरा आदमी भी बन्द था, वह गवाही दे रहे हैं। तो मन्त्री जी पुनः इस बात की जांच करायेंगे ला डिपार्टमेन्ट द्वारा कि जो फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है वह उचित है कि नहीं ? तथा यह भी कि उसमें नई जांच करवाई जाय या कम से कम लीगल रिमेंबरेंसर से राय ली जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—यह उचित होगा कि आप तफसील से प्वाइंट बना कर मन्त्री जी के पास भेज दें। इस समय मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो क्या माननीय मन्त्री जी इन बातों को देख कर पुनः विचार करेंगे या किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट है उससे यह तो सिद्ध होता है कि वह लोग गिल्टी तो हैं, लेकिन ऐसी गवाही पुलिस के पास नहीं है कि वह जुडिशल स्क्रुटिनी से निकल जाय और अदालत से सजा हो जाय। इस वास्ते डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। आप उसके कंट्राडिक्शन में एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं कि एस० ओ० वहां रहे, वगैरह, वगैरह। तो यह सब आप लिख कर दें जिम्मेदारी के साथ तो मैं तहकीकात करा लूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैंने एक आपत्ति उठाई थी और आपसे यह पूछा था कि जब आपने आइटम नम्बर १५ पुकारा था और माननीय मन्त्री जी को पुकारा था उस वक्त वे यहां मौजूद नहीं थे। हम लोगों के नाम से जब कोई संशोधन वगैरह होते हैं और पुकारे जाने पर अगर हम लोग यहां उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है और वह आइटम ड्राप हो जाता है। आज हमने देखा कि इस आइटम को आपने दोबारा फिर पुकारा और जब आपने स्पष्टीकरण मांगा तो पता लगा कि मन्त्री महोदय विधान परिषद् में उपस्थित हैं, इसलिये यहां अनुपस्थित हैं। इसकी आपको पहले से सूचना नहीं थी। तो आपकी मैं व्यवस्था जानना चाहता हूं कि एक आइटम को आप एक दफा पुकार लें और सम्बन्धित मन्त्री या सदस्य उपस्थित न हों तो क्या दोबारा आपको उस आइटम को लेना वांछनीय है ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मोतीलाल जी जानते हैं कि यह नियम तो ठीक है कि जिस माननीय सदस्य या माननीय मन्त्री का नाम पुकारा जाय वह अगर उपस्थित न हो तो फिर उसको मौका न दिया जाय। लेकिन इस समय एक विशेष परिस्थिति में माननीय मन्त्री माननीय अध्यक्ष से छुट्टी लेकर गये थे और वह आइटम मुल्तवी कर दिया गया था। रेसीजुअरी पावर्स में यह दिया हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष को अधिकार होगा कि जो बातें नियमों में वर्णित न हों तो किसी समस्या को हल करने के लिये उनको विशेष अधिकार होंगे और उन विशेष अधिकारों का प्रयोग करके मैंने माननीय आबकारी मन्त्री को अधिकार दिया और अगर वह नहीं हैं तो ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी होने की वजह से मैं माननीय सिंचाई मन्त्री को इसे प्रस्तुत करने का अधिकार देता हूं।

राज्य मद्य निषेध बोर्ड में कार्य करने वाले सदस्यों की अवधि में वृद्धि

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य मद्य निषेध बोर्ड का, जिसमें कार्य करने के लिये इस विधान सभा में सर्वश्री कन्हैयालाल वाल्मीकि, देवलारायण भारतीय, जगदीश प्रसाद तथा मन्नालाल को, जो विधान सभा के सदस्य हैं, चुना था, तीन वर्ष का कार्यकाल १२ मार्च, १९६१ को समाप्त हो गया है

[श्री राममूर्ति]

और उक्त बोर्ड को पुनः संगठित करने का निश्चय किया गया है। अतएव आगामी आम चुनाव एवं वर्तमान विधान सभा के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि उपर्युक्त चारों सदस्य इस विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति अथवा विघटन के पूर्व के दिनांक तक पुनः संगठित उक्त बोर्ड के सदस्य रहें और उसमें कार्य करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राज्य मद्य निषेध बोर्ड का, जिसमें कार्य करने के लिये इस विधान सभा के सर्वश्री कन्हैयालाल वाल्मीकि, देवनारायण भारतीय, जगदीश प्रसाद तथा मन्ना लाल को, जो विधान सभा के सदस्य हैं, चुना था, तीन वर्ष का कार्यकाल १२ मार्च, १९६१ को समाप्त हो गया है और उक्त बोर्ड को पुनःसंगठित करने का निश्चय किया गया है। अतएव आगामी आम चुनाव एवं वर्तमान विधान सभा के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि उपर्युक्त चारों सदस्य इस विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति अथवा विघटन के पूर्व दिनांक तक पुनःसंगठित उक्त बोर्ड के सदस्य रहें और उसमें कार्य करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि आज हमारे सामने आपके द्वारा दो प्रकार की व्यवस्थायें दी गई हैं। मैं उन्हीं को स्पष्ट करूंगा। आज १४ नम्बर के आइटम में जब दफा ५२ के सम्बन्ध में पूरक स्पष्टीकरण आज दिया गया तो पहले व्यवस्था आपकी यह हुई कि ऐसे पूरक स्पष्टीकरण में प्रश्न नहीं किये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो समाप्त हो गया....

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरी पूरी बात तो सुन लीजिये। आइटम नम्बर २ में आपने कुछ पूरक प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दी, लेकिन आइटम नम्बर १ और ३ में पूरक प्रश्न करने की इजाजत दे दी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दो व्यवस्थाओं में कौन सी व्यवस्था कायम रहेगी?

श्री उपाध्यक्ष—जो दफा ५२ मे अग्रेतर सूचना दी जायगी उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जायगा। माननीय सदस्य को यह ध्यान नहीं रहा कि माननीय त्रिलोकी सिंह और माननीय गोविन्दसिंह जी ने जो प्रश्न किये उनका स्पष्टीकरण से सम्बन्ध नहीं था, बल्कि उन्होंने कुछ जनरल इंफारमेशन की बातें जाननी चाही थीं और वह माननीय मोतीलाल जी भी कभी-कभी पूछ लेते है। इसलिये व्यवस्था तो यही सही रहेगी कि दफा ५२ में जो अग्रेतर सूचनायें दी जायं उसके बारे में प्रश्नोत्तर करने की इजाजत नहीं दी जायगी।

केन फेडरेशन यूनियन द्वारा खरीदे गये कागज के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय की बड़ी अनुकम्पा हुई थी कि उन्होंने हमसे कहा था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दो और यदि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में वह न आ सकेंगे तो नियम ५२ के अन्तर्गत हम सरकार को बयान दिला देंगे। एक प्रश्न यह था कि केन यूनियन फेडरेशन के द्वारा ६ हजार रीम कागज खरीदा गया जो करीब १ लाख ३० हजार रुपये का था और दीक्षित ऐंड को० के नाम से एक फर्म थी उसमें सप्लाई किया। मगर इस नाम से कोई कम्पनी है ही नहीं। बाद में जब चेक भेजा गया तो वह डाक से वापस आ गया। फिर कार्यालय से पता चला कि यह तो कोई फिक्टीशस नाम रख दिया गया और उनको पेमेंट दे दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो दूसरी चीज है। एक प्रश्न हमारे सामने है जिसमें माननीय अध्यक्ष ने लिखा है कि....

श्री राजनारायण—तो पहले के बारे में तो मैंने विधान मण्डल के जो सचिव, श्री रूपचन्द्र जी हैं उनकी सेवा में लिखकर दिया था और जो संशोधन बताये गये थे वे कर दिये थे। उसके बावजूद भी प्रश्न न आये तो मेरी क्या गलती है?

श्री उपाध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि आप लिखकर दे दें। अगर किसी अधिकारी ने गलती की होगी तो हम कार्यवाही करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका श्री आर०के० साही के बारे में है। माननीय अध्यक्ष ने मंत्री जी से सूचना देने के लिये कहा था, लेकिन वे सूचना न दे सके और उन्होंने अपनी असमर्थता प्रगट की।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह किसी के घर का पेपर नहीं है। यह सरकारी कागज है। गवर्नमेंट डी० ओ० नम्बर, २२२८—सी०डी०/१२-एच—३७२—६०....

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, ठीक है।

श्री राजनारायण—सरकारी कागज है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष—इतनी जल्दी वह शार्ट नोटिस पर पूरी जानकारी प्राप्त न कर सके।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम प्रश्न पूछें?

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। माननीय अध्यक्ष ने विशेष परिस्थिति में मन्त्री जी से कहा कि वह इस स्थिति में नहीं हैं कि पूरी सूचना एकत्रित किये बिना जवाब दे सकें तो फिर प्रश्न उठ सकेगा।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष ने ऐसी व्यवस्था चलाई थी कि सरकार ने जिन प्रश्नों के बारे में यह कहा कि सूचना नहीं आ सकी है तो उन्होंने कहा कि आप प्रश्न पूछिये तो हम प्रश्न क्यों पूछें?

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रश्न के रूप में भेज दें तो उत्तर दिया जायगा।

श्री राजनारायण—अब पता नहीं श्रीमन्, सदन बैठेगा या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है। आप उससे लाभ उठायेंगे।

प्रदेशीय सरकार द्वारा हिन्दी को उचित स्थान न देने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—अब आइटम नम्बर १६ पर विवाद प्रारम्भ होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मान्यवर....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन, इस पर भी हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। उस समय जो विवाद की बात थी उसमें श्री रामस्वरूप जी वर्मा और मेरे नाम से स्पष्टीकरण दिया गया था, उसमें सर्वश्री गोविन्दसिंह विष्ट, टम्बरेश्वर प्रसाद आदि के भी नाम थे। उसे उस दिन स्थगित कर दिया गया था कि इस पर फिर विवाद होगा, लेकिन आज एजेंडे में इसमें से हम लोगों के नाम गायब हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस दिन जितनी बातें हों चुकी थीं उन सभी के सम्बन्ध में विवाद होगा या माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने जो प्रश्न किया है उसके बारे में ही विवाद होगा?

श्री उपाध्यक्ष---बहरहाल इस सम्बन्ध में अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप को इजाजत दे दी जायगी। अगर आप इसके बारे में लिखित शिकायत दें तो हम जांच करेंगे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम किस-किस की लिखकर शिकायत दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि आप क्या पद्धति अपनायेंगे। उस दिन जब यह बहस उठी थी तो मैंने निवेदन किया था कि माननीय सदस्यगण जो आपत्ति उठाना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ लें। वे लिखित रूप में आ गये हैं। अब क्या यह पद्धति रहेगी कि जो प्रश्न पूछे गये हैं मैं उनका उत्तर पढ़ता जाऊं और उसके विषय में सवाल होते जायं और मैं उनका उत्तर देता जाऊं या फिर से जो सवाल सात-आठ सदस्यों ने किये थे, उनके ऊपर ही बातचीत प्रारम्भ होगी।

श्री उपाध्यक्ष---उस दिन जो प्रश्न उठाये गये थे उन पर माननीय सदस्य रायजनी न करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, अच्छा तो यह होता कि जो सवाल यहां पूछे गये थे या लिख कर देने के लिये कहा गया था उनका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी पढ़ देते तो हम विवाद करते।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुख्य मन्त्री जी की तरफ से तो उत्तर बंट गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---एक पुस्तिका है वह शायद आप लोगों को मिली होगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---वह तो पुरानी वाली है जो पहले कार्यवाही हो चुकी है। जो प्रश्न हमने पूछे हैं उनके उत्तर नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष---मुख्य मन्त्री जी इस पुस्तिका के अलावा और भी कोई उत्तर देंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं। कल शाम को मुझे जरूर एक प्रश्न मिला था, उसके बारे में तो मैं सब चीजों का ज्ञान नहीं कर सका, लेकिन जितनी जानकारी स्वतः रखता हूं उतना उत्तर दे दूंगा।

उस दिन तो यही तय हुआ था कि माननीय सदस्यगण प्रश्न रख दें और मैं उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें दे दूंगा और उसके बाद उन उत्तरों से सम्बन्धित अगर कोई और सवाल होंगे तो मैं उनका उत्तर भी दे दूंगा। मैं यह जानना चाहता था कि जो ६, ७ या ८ माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये थे उनका लिखित उत्तर आ गया है। मैं उनके सवाल भी पढ़ दूं और उनके उत्तर भी और उनके उत्तरों के विषय में कोई प्रश्न वे करना चाहें तो मैं उत्तर दे दूं वरना जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है मैंने इतना साहित्य वितरित कर दिया है कि उसके बाद अब कुछ अधिक वाद-विवाद करने से अधिक समय सदन का बेकार-सा जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, जो दफा ५३ है उसके अनुसार तो "सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदन ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मन्त्री संक्षेप में उत्तर दे सकेंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।" इतना ही है। यह व्यवस्था स्पष्ट है, इसके अलावा और कोई व्यवस्था ठीक नहीं होगी कि वह पढ़कर सुनावें और उस पर लेक्चरबाजी में समय अधिक नष्ट हो।

श्री उपाध्यक्ष---मोतीलाल अवस्थी जी ने जो सुझाव दिया है वह नियमानुकूल है और मैं इससे बिलकुल सहमत हूं और उसी के अनुसार हम चलेंगे।

श्री राजनारायण—मेरा निवेदन यह है कि मोतीलाल जी ने जो बात कहीं है वह तो जो किताब में है बिलकुल नहीं बताई है, वह ठीक व्यवस्था भी है, लेकिन आप स्वतः आज के लिये देख रहे हैं कि किसी नियम का लिटरल रूप से पालन नहीं हो रहा है। इस भाषा के प्रश्न पर उस दिन जितने प्रश्न उठाये गये थे उनके सम्बन्ध में यदि कोई सदस्य जानकारी रखते हों तो उनको इजाजत होनी चाहिये कि वे भी उस सम्बन्ध में अपना मत स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उसको रोकूंगा नहीं। उसका रिफरेंस देकर वे अपने भाषण में संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं। डेढ़ घंटे का समय है आप इसमें बोलना शुरू करें, ५, ६ मिनट तो हो चुके हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, मैंने एक प्रश्न जो कल भेजा था उसका जवाब नहीं आया है।

श्री राजनारायण—मैं यह देख रहा हूं श्रीमन्, इस भाषा के प्रश्न को लेकर सारे प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव का वातावरण पैदा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—आप उसको अपने भाषण में रखियेगा।

श्री राजनारायण—सरकार से भी प्रार्थना कर दीजिये कि भाषा का विवाद इस ढंग से न चलावें जिससे प्रदेश का वातावरण दूषित हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस बात के लिये किसी सदस्य को नहीं रोक सकता। यह बात वे या मुख्य मन्त्री जी जो यह समझते हैं कि इससे साम्प्रदायिकता का तनाव बढ़ता है, उन्हीं पर निर्भर है। मेरा यह काम नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इसको आरम्भ करने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने दिया था उसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो बात उस दिन तय हुई थी उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि जितने प्रश्न आये थे उनके सम्बन्ध में मेरे अधिकारियों को और मुझे भी बहुत समय लगाना पड़ा है। अब आपने जो प्रश्न कल भेजा है, मझे जो जानकारी है वह मैं बता दूंगा। उसे मेरे अधिकारी अभी देख नहीं सके हैं और न मैं उन तक उसको पहुंचा सका हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो सरकार उसका लिखित उत्तर नहीं दे सकती इसका मुझे अफसोस है।

श्री उपाध्यक्ष—इसे आपको भाषण में मौका रहता है उसी समय सब कह दीजिये। अब आप शुरू कीजिय, समय कम है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य है कि मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला। यदि मुख्य मन्त्री जी प्रोसीडिंग्ज को देखेंगे तो यह कहा था कि हम लोग प्रश्नों को लिखित दें। बाद में कुछ सदस्यों ने मौखिक प्रश्न कर दिये थे। दोनों चीजें हैं।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और उनके विभाग का आभारी हूं कि उन्होंने थोड़ा बहुत साहित्य इस सम्बन्ध में दिया और मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी में यह बनाया गया है और काफी परिश्रम के साथ बनाया है। जो अच्छा काम किया है उसके लिये आभारी हूं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह रहा है कि आज असेम्बली का आखिरी दिन होने से इतनी जल्दी में आ गया है कि दस बजे सुबह हम लोगों को मिला, उन्होंने परिश्रम तो किया, लेकिन उसका हम, समयाभाव के कारण, उपयोग नहीं कर सके। आधा भी नहीं पढ़ पाये।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

यह भाषा का जो विवाद उठाया गया है इसके मूल में सबसे बड़ी बात यह है कि लिंगुइस्टिक माइनारिटीज कमीशन एक बनाया गया था। उसका यह भूत आज खड़ा हो गया। न वह भूत खड़ा होता, न वह आश्वासन दिये जाते, मुख्य मन्त्री जी स्वयं इससे सहमत होंगे, न यह नौबत आती।

अगर थोड़ा-सा दृष्टिपात करें तो हिन्दी इस प्रदेश की राजभाषा है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने साहित्य म लिखा होगा कि ८ अक्तूबर, १९४७ को काउंसिल में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी देवनागरी लिपि में होगी। उसके बाद शनैः-शनैः सरकार की तरफ से निर्देश निकलते रहे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक तालिका भी दी है कि क्या-क्या हिन्दी में किया जाना चाहिये, और उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राजभाषा के रूप में जो कार्य होगा, उसके यह मानी हैं कि सारी आज्ञायें, नोट्स, दफ्तर के जितने कार्य हैं और समन, कचहरियों के सारे के सारे कार्य केवल हिन्दी में हुआ करेंगे। १९५१ में एक राजभाषा अधिनियम भी बना। उस समय भी मुस्लिम लीग के सदस्य, जो विरोधीदल में बैठते थे, उनकी तरफ से नवाब जमशेद अली खां और अन्य लोगों की तरफ से यह मांग की गई कि उर्दू को एक रीजनल भाषा के रूप में माना जाय। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री, डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने यह कहा कि यह बिलकुल तथ्यहीन है। यह मांग मानी नहीं जा सकती।

उर्दू को मान्यता देने के लिये जो तर्क दिये गये थे उनमें एक तर्क यह दिया गया था कि जो १६ रीजनल भाषायें हैं, जैसे---तामिल है, तेलगू है, कन्नड़ है, उसी तरह उनमें से उर्दू भी एक रीजनल भाषा है, उस तर्क का जवाब डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने यह दिया था कि उर्दू कोई ऐसी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, जिस क्षेत्र में केवल उर्दू भाषा बोली जाती हो या कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां हिन्दी ही हिन्दी बोली जाती हो। उन्होंने कहा था कि उर्दू हिन्दी की एक शैली है। सरकार ने जो वक्त-वक्त पर आदेश निकाले वह यथेष्ट समझे गये, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज्ञायें तो बहुत निकाली गईं लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। स्वयं भोलानाथ झा जी न, जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे, उन्होंने एक जी० ओ० निकाला था। उसमें उन्होंने लिखा था कि यह बड़े दुख की बात है कि किसी आदेश का कड़ाई स पालन नहीं किया गया। उदाहरण के लिये ऐसे आदेश होते हुये भी कि हिन्दी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये जायं कुछ कार्यालयों में अंग्रेजी के ही स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट भर्ती किये जा रहे हैं। उन्होंने यहां तक लिखा कि नोटिसेज और विज्ञापन भी हिन्दी में नहीं दिये जाते। तो आज मुख्य मन्त्री जी ने जिन अड़चनों का अपने श्वेतपत्र में जिक्र किया है, कि जैसे पारिभाषिक शब्दों की कमी है अथवा टाइपराइटरों की कीज का निर्धारण न होना, हिन्दी टाइपिस्ट की कमी, इस तरह की जो बातें हैं, यह उस समय भी कही गई थीं, विभागों की तरफ से। यह सब इसमें आगे दिया गया कि जो आज्ञा उस समय निकली थी, यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि हिन्दी के पत्र में अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पारिभाषिक शब्द हिन्दी लिपि में लिखे जा सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई जगह इसका तस्किर भी किया है और हमने कुछ पुस्तिकायें भी उपलब्ध की हैं श्रीमन्, कि अब हिन्दी में टेक्निकल और अन्य लीगल टर्मिनालाजी के शब्द उपलब्ध हैं और ऐसे शब्दकोश बने हुए हैं। जब यह सारी बातें हैं, तब श्रीमन्, हमारी समझ में नहीं आता कि क्या वजह है कि इतनी पुरानी बात होते हुए और इतने दिनों की यह आज्ञा होते हुए, क्यों नहीं कत्तई कोई प्रगति हुई? यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि हमने छः-छः महीने में इसकी जांच के लिये एक आफिसर रखा है, जो छः-छः महीन क बाद रिपोर्ट दें, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब ऐसे गम्भीर प्रश्न सरकार के सामने आये, चाहे पुरानी सरकार के सामने आये, चाहे नई सरकार के सामने आये, मैं दोनों को एक ही समझता हूं, तो क्या वजह है कि हम इस स्तर तक भी नहीं पहुंच सके कि हिन्दी यहां पर सब कार्यों के लिए प्रयोग में लायी जाय।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने थोड़ी-सी अदालतों का जिक्र किया कि वहां पर हिन्दी में कार्य होता है। लेकिन श्रीमन्, उस तालिका को दख कर मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि राजस्व परिषद्

के लिए लिखा जाता है कि प्रायः हिन्दी में कार्य होता है और कई जगह यहां तक कि श्रीमन्, उसके नीचे माल बोर्ड के नीचे और मैजिस्ट्रेट के नीचे जो कार्य करने वाले दफ्तर हैं उनमें एक तो इंग्लिश आफिस है, वह अपनी जगह पर बरकरार है और दूसरा वर्नाक्यूलर आफिस है जहां कि हिन्दी में काम होने लगा तो उसके लिए लिखा गया है कि-अधिकांश कार्यालयों में हिन्दी भाषा में भी कार्य होने लगा है और थोड़े बहुत हिन्दी के भी शब्द आने लगे हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दी गई पुस्तिका के शब्द में उद्धृत करके कह रहा हूं। यानी इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, बड़े-बड़े पहाड़ हिलाये और चूहा उसमें से यह निकला कि थोड़े बहुत शब्द हिन्दी के आने लगे हैं। क्या यही हिन्दी की प्रगति है? क्या इसी से राष्ट्र भाषा आगे बढ़ेगी? तो अब इन सब के बावजूद हिन्दी "शैशवावस्था" में है और अपनी सरकार द्वारा उपेक्षित नीति के कारण अपने पद पर आसीन नहीं हो सकती ह। अब भी तीन विभाग बताये गये ह—सूचना, पेटीशंस और एक कोई और विभाग है कि जहां हिन्दी में काम होता है, लेकिन जब उनका तस्किरा पढ़ा तो उनके भी जिले स्तर के अपने अपने जो कार्यालय हैं उनमें अभी तक काम हिन्दी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है। यह भी उसी पुस्तिका से जाहिर है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि इन तीन विभागों में भी पूरा काम हिन्दी में हुआ करता है।

इतना सब होने के बावजूद श्रीमन्, अब आज यह मांग दोहराई जाने लगी है कि उर्दू को मान्यता दी जाय। वह बड़े गोलमाल शब्दों में है, क्योंकि भाषा समिति के नाम पर उर्दू की समिति को गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर हम संविधान देखें जिसके अन्तर्गत माननीय मंत्री जी कहते हैं कि संरक्षण है तो आर्टिकिल ३४७ में यह है,—

"तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जन-समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये, तो यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।"

इसी के साथ-साथ श्रीमन्, मैं धारा ३४५ भी पढ़ देना चाहता हूं। मेरे पास अंग्रेजी की ही कापी संविधान की है, इसलिए उसी में से पढ़ने की इजाजत चाहता हूं—

"345. Subject to the provisions of Articles 346 and 347 the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of the State :"

यानी इसके मानी क्या हैं श्रीमन्, कि कोई एक भाषा या एक से अधिक भाषा, दोनों में से एक या केवल हिन्दी। तो अगर हिन्दी को एडाप्ट कर लिया है तो अन्य भाषाओं को नहीं किया जा सकेगा। ३४५ धारा के अनुसार और यहां पर जो धारा ३४७ में है कि अगर काफी अनुपात में वहां के आदमी यह कहें कि किसी दूसरी भाषा को भी मान्यता दी जाय तो उसकी परिभाषा जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है मुख्य मंत्रियों का अभी जो सम्मेलन हुआ, उसमें यह बात तय की गई है कि ऐसे जिले या ऐसे प्रान्त में जहां ६० या ७० फीसदी उस भाषा के बोलने वाले आदमी हों, वहां के लिए यह हो सकता है कि यह भाषा उस क्षेत्र के लिए मान्य की जाय। मगर इतनी प्रतिशत में हमारे प्रान्त अथवा किसी जिले में उर्दू भाषा वाले नहीं हैं और स्वयं मुख्य मन्त्रियों के मापदंड के अनुसार यहां उर्दू को किसी रूप में प्रादेशिक अथवा जिलास्तर पर मान्यता नहीं दी जा सकती। अब श्रीमन्, आप देखेंगे कि कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहाँ पर लोग इतने प्रतिशत में कोई विशेष भाषा बोलते हों, मगर फिर भी ७ जिलों के लिये उर्दू को मान्यता दे रहे हैं तो यह संविधान के खिलाफ है और संविधान को भंग करना है। मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दें। यह संविधान उनके द्वारा ही बनाया गया था। अब इसकी मर्यादा को क्यों घटाया जा रहा है? इसका क्या हश्र होगा। यह संविधान का अतिक्रमण है। इसके पीछे भाषा की बात नहीं है।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

इसके पीछे असल चीज भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की बात है जो खतरनाक चीज है। उर्दू कमीशन के लिये विचार करने के जो विषय हैं उनमें यह भी है कि शिक्षा के क्षत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और स्वीकृत संरक्षणों के सम्पूर्ण विषयों पर विचार करना तथा उर्दू और भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण यानी उर्दू का ही नहीं संरक्षण होगा बल्कि संरक्षण होगा उर्दू का और साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों का भी। इसमें और भी बहुत से सवाल हैं। उनकी नौकरियों का भी संरक्षण का सवाल है। आज अगर उनके लिये नौकरी के संरक्षण का सवाल होता है तो कल को उनका मुंह इतना बढ़ जायगा कि आप को और भी उनके लिये सोचना पड़ेगा, जैसे रिजर्वेशन-नौकरियों में तथा विधान मण्डलों में।

बहुत सी सर्विसेज में भर्ती के लिये यह सवाल था कि वह विकल्प से अंग्रेजी या हिन्दी में परीक्षा दे सकता है। यह उनके लिय भी था जिनकी संख्या इस प्रदेश में १५, २० फीसदी है। आजादी के बाद से सरकार की यह नीति रही ह राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में कि जो सरकारी नौकरी में आना चाहता है उसको हिन्दी सीखना जरूरी है। उसी हिसाब से जो पुराने कर्मचारी थे उनको हिन्दी सीखने हेतु ६ महीने का मौका दिया गया। अगर उन लोगों ने ६ महीने में भी हिन्दी को नहीं सीखा तो उसके बाद ४ महीने का समय उनके लिये और देने की बात की गई। जब राष्ट्र भाषा हमारी हिन्दी और लिपि देवनागरी है तो दूसरी लिपि उस स्थान पर कसे हो सकती है? यह भी १९५५ की किसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि राजकीय कार्यालयों में २ परसेन्ट आदमी केवल रह गये हैं जो हिन्दी नहीं सीख पाये हैं। बाकी सब लोग हिन्दी सीख गये हैं। जब इतना सारा हो गया तो क्या जरूरत है कि किसी जाति या किसी रिलीजन के लिये किसी भाषा को किसी स्तर पर राज भाषा के समान माना जाय। क्या वजह है कि जहां पर हमारे मुसलमान भाई ही ज्यादा तादाद में हों, तो वहां के जिलों के लिये ही उर्दू में मतपत्र छापे जायं? यह बात आप अपने मुंह से स्वीकार न करें, लेकिन आप के काम कहते हैं कि कांग्रेस सरकार मुसलमानों के साथ उर्दू भाषा जोड़ कर उनक साथ वह रियायत कर रही है। जो उर्दू के जिले माने गये हैं उनके लिये यह सारी बातें चुनाव लिस्ट उर्दू में छापन आदि की की जा रही है। इस प्रकार से भाषा के नाम पर यह सारी बातें इधर उधर की जा रही हैं। हमारी पार्टी उर्दू के खिलाफ नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सारे देश की देवनागरी लिपि होगी और इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, वह सब देवनागरी लिपि में लिखें। मैं मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अंजुमने तरक्कीए उर्दू जो बात मांग करती है, क्या उसके लिये इससे पहले सेफगार्ड नहीं था? सरकार ने इस बात को मान लिया है और अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन लोगों के हित की रक्षा नहीं हो रही है। श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने भी यह लिखा है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं और मजहबी अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है। उनके साथ डिस्क्रीमिनेशन हो रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। इसलिये उनके लिये संरक्षण की जरूरत है। इसी कारण से जैदी साहब और मौलाना हिफजुर्रहमान जहां-जहां विषवमन करते है, इसी कारण से यह भाषा समिति का जन्म हुआ है। उसमें जो प्रतिनिधि रखे गये हैं, वह अंजुमने तरक्की-ए-उर्दू के प्रतिनिधि हैं। आज यह सरकार उनके इशारे पर चलना चाहती है। इस भाषा के नाम पर वही बातें यहां होंगी जो दूसरे प्रदशों में हो रही ह। इससे देश का हित नहीं होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने और जगह मद्रास, पंजाब और उड़ीसा में सवाल खड़े कर दिये हैं वही यहां पर भी खड़े होंगे, यह आप समझ लीजिये ....

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उस दिन जब इस सम्बन्ध में विवाद हो रहा था तो एक व्यवस्था राजनारायण जी ने चाही थी और मैं देख रहा हूं कि आज फिर उसी के विरुद्ध कार्य हो रहा है। उस दिन विवाद का मूल था रामदुलारे जी का प्रश्न, जो इस प्रकार था कि क्या सरकारी सचिवालय में, पत्र-व्यवहार विभागों में हिन्दी में होता है और क्या रिपोर्टें, फाइलों की टिप्पणी लिखने में और सरकारी फार्म, रजिस्टर

आदि छपवाने में हिन्दी प्रयुक्त की जाती है ? और सरकार का उत्तर था कि यह सब प्रायः हिन्दी में ही होता है और विभागों की रिपोर्टें हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी छपती हैं, आदि-आदि।

श्री उपाध्यक्ष---आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप पहले वह सुन तो लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---यह आवश्यक नहीं है कि आप की हर बात जो आप सुनाना चाहें, वह मैं सुनूं। मैं आपको प्रश्नोत्तर पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। आप चाहते हैं क्या ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं यह चाहता हूं कि रामदुलारे जी के प्रश्न पर विवाद उठा था और उसमें था कि सरकार हिन्दी का प्रयोग नहीं कर रही है और अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। उसके साथ-साथ एक उर्दू का प्रश्न भी जोड़ दिया गया है। उस समय आधे घंटे का विवाद हिन्दी बनाम उर्दू का विवाद हो गया था, जिस पर राजनारायण जी ने आपत्ति उठायी थी कि यह विवाद हिन्दी बनाम अंग्रेजी का है। उस पर माननीय अध्यक्ष की यह व्यवस्था हुई कि विवाद जिस ढंग से होना चाहिये उस ढंग से नहीं किया जा रहा है और उसके लिये उन्होंने डेढ़ घंटे का समय दिया। तो मैं चाहता हूं कि वाद-विवाद हिन्दी बनाम अंग्रेजी का होना चाहिये न कि हिन्दी बनाम उर्दू का। जो व्यवस्था हो चुकी है उसके अनुसार कार्य किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने प्रश्न यह है कि जो बहस चल रही है उसका स्पष्ट रूप क्या हो। कोई माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, कोई कुछ। मैंने सचिवालय से पूछा कि दफा ५३ में किस बात पर चर्चा हो रही है तो पता चला कि माननीय सदस्यों में जो बातें हो चुकी हैं उन्हीं को लेकर वादविवाद हो रहा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इसीलिये मैं चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है उसे देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास कोई समुचित बात दफ़ा ५३ में नहीं है इसलिये.....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---आपके पास निश्चित बात है। आप एजेण्डे का आखिरी पैरा देखिये, जिसमें दिया है कि ८ अक्तूबर, १९४७ के लेजिस्लेटिव कौंसिल के प्रस्ताव पास करने, सन् १९५१ में राज भाषा अधिनियम पारित होने तथा संविधान में हिन्दी राज भाषा होने की व्यवस्था के होते हुए सरकार ने हिन्दी को अपना उचित स्थान लेने में आवश्यक कार्य नहीं किये बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों के नाम पर उर्दू का झगड़ा खड़ा कर दिया है। जिससे इस प्रदेश व देश की राष्ट्रभाषा ही नहीं वरन् यहां की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है। विशेषतया सरकार की भाषा संबंधी समिति में केवल उर्दू को स्थान देने से। इस लोक महत्व के अत्यावश्यक तात्कालिक प्रश्न पर सदन में वाद-विवाद उठाने की आज्ञा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अवस्थी जी, अब तो आपको स्पष्ट हो गया ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इस विषय में नियम २९० की शरण में जा रहा हूं जो इस प्रकार है---जब चर्चा के बीच स्पष्टीकरण के लिये या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूछेगा। तो मैं इस सम्बन्ध में सरकार से नहीं, आप के माध्यम से बिष्ट जी से प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---पूछिये।

श्री राजनारायण---तो मैं माननीय गोविन्दसिंह जी से यह जानना चाहूंगा कि जब वह यह कहते हैं कि उर्दू किसी सम्प्रदाय विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि उर्दू को मुसलमान भी जानते हैं और पढ़ते हैं और हिन्दू भी पढ़ते हैं, तो वे यह कैसे कहते हैं कि उर्दू से देश में साम्प्रदायिकता की भावना फैल जायेगी ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---वह इसलिये है श्रीमन् कि हिन्दी राष्ट्र भाषा स्वीकृत हो चुकी है और जिस समय यहां उसको स्वीकार किया गया उस समय उसका यहां विरोध नहीं किया गया। आज कांग्रेसी सरकार अपनी इस नीति द्वारा यानी कि जिस तरह से उर्दू के सम्बन्ध में वे नीति अपना रहे हैं, मत पत्रों को उर्दू में छापा गया है उन स्थानों के लिये जहां पर कि मुसलमानों का परसेन्टेज ज्यादा है, तो इस तरह से उन्होंने एक विशेष सम्प्रदाय के लिये उर्दू केवल उनकी भाषा मानकर यह किया है और यह गलत चीज है। इस तरह से उन्होंने उसको एक विशेष सम्प्रदाय से जोड़ दिया है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछ लिया जाय इनसे कि कहां मतपत्र उर्दू में छापे गये हैं ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं उसमें थोड़ा संशोधन कर दूं। श्रीमन्, उर्दू में मतपत्र छापने के सुझाव केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से आये हैं, और मंत्री जी ने जिलों के लिए उन्हें माना है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि सुझाव इस प्रकार के उनके पास आये हैं या नहीं। ७-८ जिलों के लिए उर्दू में मतपत्र छापने के सुझाव उनके पास आये हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब संविधान के अन्तर्गत उर्दू को मान्यता मिली है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर उर्दू की तरक्की के लिये समुचित कदम उठाया जाता है, जिसको कि अभी तक सरकार ने हमारे मत के अनुसार नहीं उठाया है, तो वह किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करेगी ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, माननीय सदस्य अगर इस प्रस्ताव को प्रीजुडिस होकर और सन् १९६२ के इलैक्शन को सामने रख कर न देखें और इसे गौर से पढ़ें तो उनको साफ़ मालूम हो जायेगा। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि ८ अक्तूबर, १९४७ के लेजिस्लेटिव कौंसिल के प्रस्ताव पास करने, सन् १९५१ में राज भाषा अधिनियम पारित होने तथा संविधान में हिन्दी राष्ट्र भाषा होने की व्यवस्था के होते हुए भी सरकार ने हिन्दी को अपना उचित स्थान लेने में आवश्यक कार्य नहीं किये, बल्कि भाषाई संख्यकों के नाम पर उर्दू का झगड़ा खड़ा कर दिया है। (व्यवधान) मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। जवाब मैं दूंगा। तो श्रीमन्, हमारा प्रश्न तो यह है कि हिन्दी का जैसा विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। उर्दू की तरक्की का हमें कोई विरोध नहीं है। हमारा कहना है कि हिन्दी को उसका समुचित स्थान नहीं मिला। उसके लिये आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज का एक झगड़ा खड़ा कर दिया और उनको खुश करने के लिये सरकार ने, जिससे सन् १९६२ में वोट प्राप्त हों, उर्दू का बहाना लेकर यह झगड़ा खड़ा कर दिया, ताकि मुसलमान उनके साथ मिले रहें---सीधी-सी बात है। हम इसका विरोध करते हैं। हम उर्दू भाषा का विरोध नहीं करते, उसको हम हिन्दी की एक शैली मानते हैं। वह उसे देवनागरी लिपि में लिखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है।

श्री राजनारायण---मैं चाहता हूं कि जनसंघ का दिमाग साफ हो, वह स्वयं राष्ट्र के लिये खतरा है।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---वह तो सन् १९६२ में मालूम होगा। देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी हो जायगी अगली बार।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो सूचना सदस्यों की मेजों पर और घर तक पहुंचा दी गयी उसके बाद इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि सरकार के द्वारा कुछ स्पष्टीकरण किया जाय, ताहम मुझे इन बातों का उत्तर देना है, जो गोविन्दसिंह जी विष्ट ने सदन के समक्ष रखी है।

उनका कथन कि हिन्दी की प्रगित उस तेजी से नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये थी और और उनकी आलोचना, मैं स्वीकार करता हूं ,कि किसी माने तक सही है, लेकिन मैं और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी कमियां और कमजोरियां हमारी हिन्दी की प्रगति के सिलसिले में अब तक रही है। क्या यह बात सत्य नहीं है कि गोविन्दसिंह जी स्वत: जो हिन्दी के बड़े पक्षपाती हैं, जब कभी उन्हें अधिकारियों के पास पत्र भेजना पड़ता है, कभी प्रधान मन्त्री या मुख्य मंत्री के पास पत्र भेजना पड़ता है तो अंग्रेजी में भेजते हैं (कुछ सदस्य—शेम, शेम) और यहां आकर हम लोगों की आलोचना करते हैं? आलोचना करने का उन्हें अधिकार है। जिन कमजोरियों के वे शिकार हैं उन्हीं के उधर बैठने वाले और इधर बैठने वाले हम सभी शिकार हैं। यह सही ह कि हमने हिन्दी को राष्ट्र भाषा का गौरव प्रदान किया ह, परन्तु अभी इस देश में ऐसी परिस्थितियां रही हैं जिनके कारण तेजी से हिन्दी की प्रगति नहीं हो सकी है और हम सब अंग्रेजी संस्थाओं में पढ़े-लिखे व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है, वे सब उसके दोषी हैं। इसलिए उस विषय में यदि कोई आलोचना करनी है तो उन्हें अधिकार है, लेकिन परिस्थितियों के रहते हुये जो कुछ कार्य इस प्रदेश में हिन्दी के सम्बन्ध में हुआ है वह अवश्य ऐसा नहीं है जिसके विषय में ऐसा कहा जाय कि हमने कोई कदम आगे बढ़ाया ही नहीं और हम वही हैं। हमने उत्तरोत्तर उस दिशा में जाने की चेष्टा की है जहां हम सब जाना चाहते हैं और जहां अब पूरा राष्ट्र भी जाना चाहता है, क्योंकि जहां सब से ज्यादा विरोध हिन्दी का था, आज तो उधर से भी यह आवाज उठ रही है कि अगर कोई देश की राष्ट्र भाषा वास्तविक रूप में हो सकती है और किसी भी भाषा की लिपि यदि सारे देश में बनायी जा सकती है तो वह हिन्दी और देवनागरी है। आज हम इस बात को सुनते हैं, भले ही हम बहुत तेजी से कदम न उठा पाते हों, परन्तु हमने जिस दिशा में कदम उठाया उसमें चल कर सारे भारतवर्ष में और उसके प्रदेशों में अब यह परिस्थिति अवश्य पैदा हो गयी है कि वहां के वे लोग भी जो अब तक हिन्दी को अपनाने में गुरेज करते थे, वे भी स्वीकार करने लगे हैं कि यदि देश की कोई भी भाषा ऐसी मानी जा सकती है जिसके द्वारा देश के प्रत्येक क्षेत्र के रहने वाले अपने विचारों को प्रकट करें तो वह हिन्दी है। इसलिए आज उस विषय में किसी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है।

एक बात मैं गोविन्दसिंह विष्ट जी की समझ नहीं पाया। वे संविधान में श्रद्धा रखते हैं। उसमें विश्वास रखने के कारण ही आज वे इस सदन के सदस्य हैं। वे संविधान के उन डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को आज क्यों भूल जाते हैं? मैं उनका ध्यान संविधान की धारा २९ और ३० की तरफ आकृष्ट करूंगा—

२९—(१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा,लिपि या संस्कृति है,उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायगा।

३०—(१) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

आठवें शेड्यूल में भी हमने कुछ भाषाओं को मान्यता प्रदान की है जिनमें उर्दू का भी स्थान है। यदि उर्दू का स्थान उन भाषाओं में है और यदि हम देश के सब नागरिकों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

को अधिकार देना चाहते हैं तो जो ऐसा मानते हैं कि वे उर्दू का अध्ययन करना चाहते हैं, जो उर्दू को अपनी मातृभाषा मानते हैं, तो यदि हम उनके पढ़ने की व्यवस्था करने की चेष्टा करें और चेष्टा उस आज्ञा की बुनियाद पर करें, उस कमीशन की सिफारिशों की बुनियाद पर करें तो हम कौन सी आपत्ति की बात करते हैं? क्या हम उस भाषा को जिसे लोग बोलना चाहते हैं, जिसे लोग लिखना चाहते ह और जिसको लोग अध्ययनकरना चाहते ह, यदि संविधान के अन्तर्गत उसका संरक्षण हम करें तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भाषा को जिसे लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसे वे अध्ययन करना चाहते हैं उसके लिये प्राइमरी कक्षाओं में व्यवस्था करें तो उसमें लोगों को क्यों आपत्ति होती है और उस संरक्षण दिये जाने के विषय को क्यों उस बात से जोड़ देते हैं जो हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा और अपने प्रदेश की राज्य भाषा बनाती है और कहा जाता है कि हम उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

हमने संविधान की धारा ३४५ क अन्तर्गत हिन्दी को अपने राज्य की भाषा के रूप में अपनाया है और सारे देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया है, उस पर तो हम कोई कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, उसके विकसित होने में तो कोई अड़चन हम डाल नहीं रहे हैं,लेकिन इसके साथ ही साथ हिन्दी के अतिरिक्त जो १४ और दूसरी भाषायें हैं उनको भी हम संरक्षण देना चाहते हैं और यह संरक्षण का विषय केवल उर्दू के लिये ही नहीं है। जब केन्द्र में हम देश के मुख्य मंत्रियों के रूप में बैठते ह तो केवल उर्दू के विषय को ही लेकर नहीं बैठते। हमारे देश में ऐसी बहुत-सी भाषाएं हैं, जिनका हमारे यहां प्रचार व प्रसार है और जिनको हमारे यहां की लिंग्विस्टिक माइनारिटी माना गया है। सभी भाषाओं को संरक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने स्टेट रिआगनाइजेशन कमीशन को नियुक्ति की और लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये उनको मानते हुए केन्द्रीय सरकार ने १९५८ में कुछ आदेश प्रदेशीय सरकार को दिये। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन आदेशों को स्वीकार किया और स्वीकार करके कुछ आदेश अपने सारे प्रदेश में जारी किये। जिन आदेशों के तहत में यह भी हुआ कि प्राइमरी स्टेज पर यदि कोई व्यक्ति या विद्यार्थी जिनकी तादाद १० हो या सारे स्कूल में ४० विद्यार्थी उर्दू का अध्ययन करना चाहते हों तो शिक्षा संस्थाओं में इस बात का प्रबन्ध किया जायगा और उर्दू में प्राइमरी शिक्षा उनको प्रदान की जायगी। क्या माननीय गोविन्दसिंह जी को वे आदेश जो कि इस श्वेतपत्र में दिये हुए हैं, उनका पता नहीं ह? जो आदेश प्रदेशीय सरकार की तरफ से निकाले गये वे इस प्रकार हैं—

"1. Facilities should be provided for instruction and examination in the Urdu language at the primary stage to all children whose mother tongue is declared by the parent or guardian to be Urdu.

2. Arrangements should be made for the training of teachers and for providing suitable text books in Urdu.

3. Facilities for instruction in Urdu should a so be provided in the secondary stage of education.

4. Documents in Urdu should be accepted by all courts and offices the necessity of translation or transliteration in any other language or script, and petitions and representation in Urdu should also be accepted.

5. Important laws, rules and regulations and notifications should be issued in the Urdu language also in areas where this language is prevalent and which may be specified for this purpose."

ये आदेश २० जुलाई, १९५८ को केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार प्रदेशीय सरकार द्वारा जारी किये गये थे। मार्च के महीने में इस आदेश की तरफ विधान परिषद् में जब बजट पर बहस हो रही थी, मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया और इस बात की उलाहना दी गयी विरोधी पार्टीज की तरफ से और उन आलोचकों की तरफ से, जो बजट की आलोचना कर रहे

थे, कि सरकार ने आदेश तो यह दे दिया है, परन्तु इस आदेश के आधार पर पीछे कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। एक व्यक्ति बोला, दो व्यक्ति बोले, तीन व्यक्ति बोले, जब सारे व्यक्ति आलोचना करने लगे तो मैंने अपने अधिकारियों से आक र पूछा कि सही परिस्थिति क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि यह सही है कि हमने आदेश दिया है, परन्तु हमारे आदेश का पालन नीचे के लेविल पर नहीं हो रहा है। मैंने अनुभव किया कि यदि नीचे के लेविल पर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं गलती है, कहीं न कहीं खामी है, कहीं न कहीं कमजोरी है, चाहे वह सरकार से सम्बन्ध रखने वाले अन्तरिम जिला परिषदों के इस विधान सभा के सदस्यगण हों, चाहे उधर बैठने वाले विरोधी दल के अन्तरिम जिला परिषदों के सदस्यगण हों, चाहे जनसंघ की तरफ बैठने वाले सदस्यगण अन्तरिम जिला परिषदों में हों, उनकी ही यह गलती है। यदि यह भूल है, गलती है और जानबूझ कर सरकार के आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो अवश्य इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये और जांच करनी चाहिये कि गलती किस की है। गलती इधर बैठने वाले सदस्यों की है या उधर बैठने वाले सदस्यों की है जो अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य हैं,यदि इस कमेटी के द्वारा हम इस बात की जानकारी कर लें और जानकारी प्राप्त करने के लिये उन सुझावों को प्राप्त कर लें जिनके द्वारा अभी तक जो हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा है और उन पर अमल नहीं हो रहा है, उन पर अमल कराने के लिये अपनी जानकारी बढ़ा लें तो मैं नहीं जानता कि इसमें क्या आपत्ति है? आज हमने एक लैंग्वेज कमेटी बना दी तो इसके ऊपर बड़ा शोर है कि हमने हिन्दी के खिलाफ एक कार्यवाही कर दी। मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार इस मनोवृत्ति को मानने वाली नहीं है। जैसा कि मैं बराबर कह चुका हूं, आज भी इस सदन में दोहराता हूं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं और कोई भी वह व्यक्ति नहीं मान सकता जो कि भाषा की प्रगति चाहता है, किसी भी भाषा की प्रगति चाहता है और जो भाषा से प्रेम रखता है। जिनको भाषा से प्रेम नहीं होता, जो उसे विकसित ही नहीं होने देना चाहते, वे केवल संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय देते हैं, जिससे किसी भाषा को बढ़ने व उभड़ने का अवसर न मिले। मैं बराबर इस सदन में और बाहर भी कहता हूं कि मैं इस बात को नहीं मानता कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। उर्दू यहां के हिन्दू भी बोलते थे और उर्दू यहां के मुसलमान भी बोलते हैं। इसके अलावा जो पर्शियन के पंडित हैं या संस्कृत के पंडित हैं उनको भी मैंने उर्दू बोलते हुए देखा है। मने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हिन्दी, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत आदि विभिन्न भाषाओं के पंडित ह। यदि हमें हिन्दी भाषा से प्रेम है तो हम उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू आदि भाषाओं की तरक्की की बात क्यों न करें? हमने १४ भाषाओं को अपने राष्ट्र के अन्दर अपनाया है जो विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है, तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम उन भाषाओं की प्रगति व विकास की ओर भी ध्यान दें।

यह बात सही है और मैं बराबर कहता हूं कि जब हमने हिन्दी को सारे राष्ट्र की भाषा व उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा मान ली है तो उत्तर प्रदेश में उर्दू या और भाषायें हिन्दी की बराबरी नहीं कर सकतीं, लेकिन जो उर्दू लिखना, पढ़ना या बोलना चाहता है तो उससे उसे वंचित करना हमारा ध्येय नहीं है।

अभी दिल्ली में चीफ मिनिस्टरों का अधिवेशन हुआ था तो विभिन्न लैंग्विस्टिक माइनारिटीज के बारे में बहुत चर्चा हुई, बहुत विवाद व विचार-विमर्श हुआ। वहां हमने यह निर्णय लिया कि अगर किसी जिले में उसकी ६० फीसदी आबादी में एक जबान बोली जाती हो वहां अवश्य इस बात पर हम विचार कर सकते हैं कि वहां के लिये उस जिले की एक एडीशनल स्टेट लैंगुएज मानी जाय। हमारे प्रदेश के तो किसी भी जिले में कोई अन्य भाषा ६० प्रतिशत लोगों के द्वारा बोली नहीं जाती है, इसलिये यहां तो एडीशनल स्टेट लैंगुएज का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन यह जरूर है कि सरकार उर्दू के विकास के बीच में खड़ा होना नहीं चाहती, हम चाहते हैं कि साथ-साथ उसका भी विकास हो और जो भी हो सके हम उसकी भी सहायता करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय देंगे। इसलिये मैं निवेदन

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

करूंगा कि यदि माननीय सदस्य अपने संविधान में श्रद्धा रखते हैं तो उसकी धारा २९ के अन्तर्गत हमें उन तमाम भाषाओं को संरक्षण देना है जिन का अध्ययन कोई व्यक्ति यहां करना चाहता है, हमें उनकी सहायता करना है और उनको वह तमाम सुभीते देना है जो सुभीते उसको विकसित करने में हम सक्रिय बल देकर दे सकते हैं। मुझे बार-बार लाल बत्ती दिखाई जा रही है, मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर वाद-विवाद किसी संकीर्ण वातावरण में न किया जाय। जहां तक हिन्दी के विकास का सम्बध है उसमें जो कमजोरियां रही हैं वे सब श्वेतपत्र में छाप दी गई हैं और जो हमारी नीति है, हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, वह सब श्वेतपत्र में दे दिया गया है। जो माननीय सदस्य उस के उपसंहार को पढ़ेंगे वह हमारी नीति और कार्यक्रम को अच्छी तरह से समझ सकेंगे।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि जो प्रश्न उठाया गया था और जो इस सदन के सामने है उस पर चर्चा न कर कुछ हम बहक गये हैं। प्रश्न केवल यह है कि हिन्दी की प्रगति के लिये जितना कार्य इस प्रदेश की सरकार को करना चाहिये था वह नहीं किया गया। लेकिन यहां उर्दू के विकास का सवाल उठाया गया और माननीय मुख्य मन्त्री ने एक मुल्जिम की हैसियत से सफाई-सी दी कि उर्दू के विषय में यदि कुछ किया जाय तो वह हिन्दी के विरुद्ध नहीं होता है। यह तो सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भाषा के विकास का यह अर्थ नहीं है कि उस में किसी दूसरी भाषा को गिराने की बात किसी तरह से भी निहित हो।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान हिन्दी की प्रगति में जो कदम सरकार की तरफ से उठाये जाने चाहिये थे और नहीं उठाये गये उन की तरफ आप की आज्ञा से विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। यह सब को मालूम है कि सन् १९४७ से पहले इस प्रदेश में जितने अधिनियम बनते थे, यानी कानून बनते थे उनका अथराइज्ड वर्जन यानी तर्जुमा उर्दू में भी होता था। तो क्या पिछले १४ साल में जब से कि यू०पी० की सरकार ने तय किया कि यहां की भाषा हिन्दी है, कोई प्रयत्न इस सम्बन्ध में किया है कि जितने पुराने लोकल एक्ट्स या जो कानून यहां चालू हैं, जिन का इस्तेमाल यहां की आदालतों में होता है और जो जनता के इस्तेमाल में आते हैं उन का प्रमाणित अनुवाद हिन्दी में हो? वह इस बात का जवाब दें। साथ ही मैं अर्ज करूंगा कि लोक सेवा आयोग से आज के दिन भी जितने आवेदन-पत्र जो पदों के लिये निकलते हैं और विज्ञापन निकलते हैं वह समस्त फार्म अंग्रेजी में ही होते हैं। कौन-सी वह दिक्कत है कि वे हिन्दी में नहीं निकाले जा सकते?

तीसरे मैं यह अर्ज करूंगा कि पिछली बार जब सदन में इस सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ था तब भाषा कमीशन का जिक्र आया था। वह असंगत था, लेकिन चूंकि उस का हवाला माननीय मुख्य मन्त्री ने दिया है, न इसलिये मैं भी मान्यवर की आज्ञा से इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। मैंने यह कठिनाई प्रकट की थी कि जितनी भी आबादी इस प्रदेश में रहती है उसको इस बात का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे मातृभाषा में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो, इसकी पुष्टि संविधान भी करता है। माननीय मुख्य मन्त्री ने उस दिन, यदि मुझे सही याद है, यह बात कही थी कि हम क्या करें, यह तो स्थानीय निकायों के अधिकार की बात है। लेकिन मैं आपके द्वारा उनको याद दिलाना चाहता हूं और आज भी उन्होंने अन्तरिम जिला परिषद् का जिक्र किया कि अन्तरिम जिला परिषदों की बड़ी संख्या में, जिस दल के माननीय मुख्य मन्त्री जी सदस्य और एक मात्र नेता हैं उसी दल के लोगों का बहुमत है। बड़ी कृपा होगी यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी उन तमाम अन्तरिम जिला परिषदों में इस बात की व्यवस्था कराने की कृपा करें कि बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाय।

जुलाई, १९५८ की आज्ञा का जिक्र किया गया। माननीय मुख्य मन्त्री ने, श्वेतपत्र में उसका अनुवाद था, मगर पढ़ा अंग्रेजी में। मुझे दुःख है कि जो प्रयत्न इस सिलसिले में होने चाहिये, नहीं किये गये। जल्दी की बात नहीं है, समय लग सकता है और लगना चाहिये---लेकिन इसमें

सफलता क्यों नहीं हो सकी ? एक कारण यह है कि हिन्दी के जो ज्ञाता पैदा हुए सन् १९४७ के बाद वे कौन हैं ? जिन्हें अनुवादक कहा जाता है। अनुवादकों ने कभी संसार के इतिहास में किसी भाषा की रचना नहीं की है। इस सरकार ने अनुवादकों के द्वारा हिन्दी भाषा को प्रगति देनी चाही। वह अपनी इस नीति को छोड़े। जो आये दिन की भाषा है, जो भाषा बोली जाती है, जो चालू है, उन शब्दों को अपनाए तो वह देखेगी कि जो गतिविधि है और जो कठिनाई दिखाई पड़ती है वह दूर हो जायेगी और उत्तर प्रदेश में, वर्ष दो वर्ष के अन्दर हिन्दी भाषा का ऐसा स्वरूप होगा कि जिसके बारे में न तो माननीय सदस्य अल्मोड़ा जिले को शिकायत को मौका मिलेगा और न उन लोगों को जिनकी कि मातृभाषा उर्दू है, उन्हें समझने और सीखने में किसी प्रकार की शिकायत रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राजनारायण, मैं एक पार्टी के केवल एक सदस्य को समय दे दूंगा, इस बात का ध्यान रखिये।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---लेकिन चार आदमियों के दस्तखत....

श्री उपाध्यक्ष---चार आदमियों के दस्तखत होने से .....

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---नियम ५३ में यह लिखा है कि ३ से कम सदस्य होंगे तो उठ नहीं सकता है इसलिये....

श्री उपाध्यक्ष---नियमानुसार ३ सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिये, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं है कि उन तीनों का भाषण करना भी आवश्यक है।

श्री राजनारायण---श्रीमन, मैं बहुत दुःख के साथ आज माननीय मुख्य मन्त्री की सफाई सुनने के बाद यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी की प्रगति के लिये सरकार की ओर से जो आवश्यक कदम ठोस रूप में उठाया जाना चाहिये था, वह नहीं उठाया गया। श्रीमन्, आपको इस बात की जानकारी होगी कि केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि पार्टी के रूप से भी इस सवाल को लेकर कि अंग्रेजी का सभी सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाय, अंग्रेजी का प्रयोग खत्म किया जाय, हमने आन्दोलन भी किया और सन् १९५७ में इस बात को लेकर के ८ महीने, ४ महीने और ६ महीने हमारे दल के बहुत से सदस्यों ने सजा भी काटी। हिन्दी के ही प्रश्न को लेकर, जबकि हम हिन्दी में वाद-विवाद करने से रोके गये तो ३ महीने की सजा भी हाई कोर्ट के एक सम्मानित जज के द्वारा मुझे दी गई। जब १९५७ में यह प्रश्न उठा था तो हमने सरकार के द्वारा जो साहित्य हमें दिया गया उसको देखा और उस समय भी दो बातें मुख्य रूप से कही गई थीं कि सार्वजनिक क्षेत्र में सभी जगह अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करा दिया जाय तो सार्वजनिक क्षेत्र के माने क्या हैं ? मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या लखनऊ और पान दरीबा, जहां मुख्य मन्त्री जी का निवास स्थान है, वहां से आज तक अंग्रेजी के साइनबोर्ड हट गये हैं, अंग्रेजी के साइनबोर्ड नहीं हैं ? अब भी अंग्रेजी के साइनबोर्ड हैं। हमारी दूसरी मांग थी कि सरकार फैसला कर ले कि वह जितने सरकारी विज्ञापन देगी हिन्दी के पत्रों को देगी, अंग्रेजी के पत्रों को नहीं मिलेगा। क्या सरकार ने अपनी विज्ञापन देने की नीति में परिवर्तन किया है ? कितने प्रतिशत विज्ञापन जो सरकार देती है हिन्दी के पत्रों को देती है और कितने अंग्रेजी के पत्रों को देती है ? और यदि एक भी प्रतिशत अंग्रेजी के पत्रों को विज्ञापन जाते हैं तो क्यों जाते हैं ? अगर सरकार हिन्दी को सम्मान देना चाहती है तो इस मकसद को पूरा करने के लिये अंग्रेजी के पत्रों को सरकार की ओर से विज्ञापन देना इस मकसद से उल्टा कदम उठाना है।

हमने कहा कि टेलीप्रिन्टर हिन्दी में हों, कोशिश हो। क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, हमारे प्रश्न का जो उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री ने दिया है कितना लचर है। मूल प्रश्न यह किया था कि मौजूदा जो कानून चल रहा है उसके मातहत भी मैजिस्ट्रेट और सेशन्स जज की अदालत में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। मगर क्या

[श्री राजनारायण]

सरकार कह सकती है कि जितने मैजिस्ट्रेट हैं वे सब फैसला अपना हिन्दी में लिखते हैं ? उनके यहां सारी कार्यवाही हिन्दी में होती है ? अगर आज मैजिस्ट्रेट भी हिन्दी में फैसला न दें तो सरकार के लिये अशोभनीय बात है और ऐसे मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति यह सरकार करती चली जाय और कहे कि हमने हिन्दी को विकसित करने के लिये समुचित कदम उठाये हैं, यह सत्य से परे चीज है।

मुख्य मन्त्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि चूंकि हाई कोर्ट की भाषा अभी तक अंग्रेजी है तो सेशन जज को फैसला हिन्दी में लिखने में दिक्कत पड़ती है क्योंकि अभी तक हिन्दी की जो व्याख्यात्मक शब्दावली है उसका अन्तिम रूप निर्धारित नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से सहमत हूं कि भाषा का गठन, भाषा के प्रयोग, इस्तेमाल और मंजने से होता है, बराबर इस्तेमाल करने से होता है और भाषा बनती है, पुष्ट होती है उन लोगों के द्वारा जो उसका प्रयोग करते हैं। सही माने में अनुवादक लोग भाषा को नहीं बनायेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आज यह सरकार सही माने में यहां पर घोषित कर सकती है कि इस सरकार के मन्त्रि-परिषद के जितने सदस्य हैं वे जो कुछ भी अपने नोट लिखते हैं, हिन्दी में लिखते हैं ? मुझे निजी जानकारी है, इन्होंने माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट के लिये कह दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं उसका जवाब देता कि क्या सरकार किसी एक स्तर पर बता सकती है जब हमने कभी उनको अंग्रेजी में पत्र लिखा हो ? बराबर हिन्दी में लिखते हैं और हिन्दी का ही प्रचार करते हैं। लेकिन जब हमारे आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही होगी तो उस पर नोट करेंगे अंग्रेजी में। दो, एक माननीय मंत्री महोदय की सेवा में उपस्थित होने का अवसर हमको मिला। वे जब अंग्रेजी में नोट कर रहे थे तो हमने कहा कि यह क्या अनर्थ कर रहे हो ? तो कहते हैं कि हमारे सेक्रेटरीज़ हिन्दी नहीं समझते हैं। क्यों इस सरकार के सेक्रेटरी ऐसे हैं जो हिन्दी न समझते हों ? अंग्रेजी भाषा के गुलाम, अंग्रेजी सभ्यता के गुलाम, अंग्रेजी भोजन और अंग्रेजी भवन के गुलाम हैं। जनतंत्र में जनता की भाषा चलेगी न कि सामन्ती और साम्राज्यशाही भाषा चलेगी। निर्विवाद रूप में अंग्रेजी भाषा सामन्ती और साम्राज्यशाही भाषा है। जनता की भाषा हिन्दी है।

सरकार कहती है कि हमारे पास हिन्दी की शार्ट हैण्ड नोट करने वाले कम हैं। आप जानते होंगे, इस सदन के सभी सदस्य जानते होंगे कि निष्काम प्रणाली को इसी प्रदेश में वाराणसी जिले के श्री निष्कामेश्वर ने चलाया था और काशी नगरी प्रचारिणी सभा की ओर से उस प्रणाली में लोगों को शार्ट हैण्ड पढ़ायी गई। न मालूम कितने थोड़ी बहुत हिंदी के शार्ट हैण्ड राइटर्स हैं जो बेचारे बेकार पड़े हुये हैं। उनकी कहीं खपत करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने क्या प्रयत्न किया कि इन हिन्दी शार्ट हैण्ड राइटर्स को कुछ प्रोत्साहन दिया जाय ? कुछ नहीं, उनको कोई मदद नहीं, कोई इमदाद नहीं। जबकि ऐसे लोगों को अन्य लोगों के बजाय सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन जिस रूप में सम्भव होता, दिया जाना चाहिये था। मगर सरकार उस ओर प्रयत्नशील ही नहीं है।

आज माननीय रामस्वरूप जी के प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हमारे पास हिंदी की टाइप मशीनें नहीं हैं। कितनी लचर दलील है, और किसी भी स्वस्थ और अच्छी सरकार के लिये क्या यह शोभनीय बात है कि वह कहे हमारे पास टाइप मशीनें हिंदी की नहीं हैं ? हिंदी की टाइप मशीनें हुजूर ज्यादा हैं, जितनी सरकार को आवश्यकता हो उतनी मिल सकती हैं। लेकिन सरकार मंगाना नहीं चाहती इसलिये वह इस तरह का उत्तर दे दिया करती है।

श्रीमन्, जिला परिषद् में---चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने नाम ले लिया---मैं कहना चाहता हूं कि हम वाराणसी के जिला परिषद् में एक बार नहीं अनेक बार जब-जब वहां उपस्थित हुये हैं और जब-जब सरकारी विभागों से अंग्रेजी में परिपत्र गया है हमने कहा कि इस पर विचार नहीं होना चाहिये, जिला परिषद् को लिख देना चाहिये कि सरकार हिन्दी में लिखे तब उस पर विचार होगा, अंग्रेजी में विचार नहीं होगा मगर आज जिस प्रकार से जिला परिषद् का गठन

किया गया है सरकारी कमेटी के रूप में क्या ऐसे जिला परिषद् कोई क्रांतिकारी कदम उठाने में सक्षम हो सकते हैं ? हर्गिज नहीं । वह तो तभी होगा जबकि सीधे जनता द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा उनका गठन होगा और माननीय चन्द्रभानु गुप्त के नामजद सदस्य उनमें नहीं होंगे ।

इसी के साथ-साथ हमें यह निवेदन करना है, माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा, उसके बारे में कह दूं कि आज जो नियम ५२ के अन्तर्गत विवाद चल रहा है उसमें उर्दू का भी प्रश्न है और माननीय गोविंददसिंह विष्ट ने हमारी समझ में एक अनावश्यक ढंग से इस प्रश्न को उपस्थित कर दिया कि उर्दू के लिये जो कदम सरकार उठा रही है उससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है । मैं कहना चाहता हूं कि जितनी कोशिश सरकार ने उर्दू के लिये समुचित कदम उठाने की नहीं की उससे कहीं ज्यादा माननीय गोविंद सिंह के इस दूषित प्रचार ने सरकार के पक्ष में मुसलमानों को करा दिया । उर्दू की तरक्की के लिये भी सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया है । हमने सरकार से लगातार यह आग्रह किया है कि अगर एक भी विद्यार्थी उर्दू पढ़ने वाला हो तो उसके पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिये । क्या उसने ऐसी कोई व्यवस्था की ? और आज जो यह १० और ४० की बात आती है यह केवल कागज पर लिखने की बात है । क्या कचहरियों में आज जब उर्दू में दरख्वास्तें दी जाती हैं तो उनको लिया जाता है ? क्या आज जो उर्दू के लिये आवश्यक किताबें हैं वह मिलती हैं ?

२४ और २५ तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने एक मीटिंग हुई थी । उसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि गये थे । एक पत्रकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि यह जो मत-पत्र उर्दू में होने की चर्चा है यह उत्तर प्रदेश सरकार की इशारेबाजी पर आप कर रहे हैं या स्वतः आपके अन्दर ऐसी भावना पैदा हुई जो आप ऐसा कर रहे हैं । इसका कोई उत्तर नहीं हुआ । बल्कि वह बड़े उत्तेजित हो गये हैं कि इलेक्शन कमीशन पर यह हमला किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा के सामने वह झुक गया । मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार उर्दू को भी तरक्की दे तो उससे हिन्दी भी स्वस्थ होगी, विकसित होगी । कोई भी राष्ट्रीय भाषा अपने प्रदेश में जो उसकी छोटी-छोटी बहनों के रूप में भाषायें हैं उनको दबा कर विकसित नहीं हो सकती । हिन्दी को अगर विकसित करना है तो अंग्रेजी को हटाइये ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---इसके मुताल्लिक एक शेर हो गया है अगर आप इजाजत दें तो सुना दूं ।

श्री उपाध्यक्ष---अभी नहीं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर वाद-विवाद हो रहा है मेरी समझ में उसके दो पहलू हैं । एक तो सरकार ने, हिन्दी के विकास, प्रसार और प्रचार के लिये जो उसे करना चाहिये था, नहीं किया । यह प्रस्ताव का एक अंग है । दूसरा उसकी उर्दू विरोधिता । मैं समझता हूं इस प्रस्ताव की आत्मा में उर्दू की मुखालिफत ज्यादा है और उस दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव लाया भी गया है । इसमें कोई शक नहीं और मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इसको स्वीकार भी किया कि जितना प्रसार और प्रचार या हिन्दी का उपयोग सरकारी कामों में होना चाहिये था उतना नहीं हुआ । इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । मेरा अपना खयाल है कि जितना हो सकता था उतना भी नहीं हुआ । और वह केवल सरकार की इस विषय में ढीली नीति के कारण । जो साहित्य हमको मिला है, चूंकि आज ही मिला है और जो मैं देख सका हूं उसमें काफी चीजें दी गई हैं । लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सात करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के लिये जितनी तेजी से और जितने बड़े पैमाने पर हिन्दी के प्रसार में कार्यवाही की जानी चाहिये थी उतनी नहीं की जा सकी है पिछले १४ वर्षों में, ऐसा मेरा विचार अपना स्वयं का है ।

[श्री झारखंडे राय]

यह सही है, श्रीमन्, कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा और इस प्रदेश में राज्य भाषा होने का गौरव प्राप्त है और हिन्दी का प्रसार हमारे देश में और प्रदेश में होना चाहिये। एक बात की मुझे आशंका है कि कहीं हम में से कुछ लोगों के हृदयों में हिन्दी के प्रति अव्यवहारिक, अति उत्साह होने के कारण हिन्दी को हानि न पहुंच जाय और देश में ऐसी बातें हो रही हैं उनकी ओर से हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं। आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सवाल लेकर हिन्दी के सवाल का समर्थन अथवा विरोध किया जा रहा है और आज बड़े-बड़े पुराने समर्थक हिन्दी के विकास के विरुद्ध हो रहे हैं। अगर हिन्दी के प्रसार में ऐसी अव्यवहारिकता का परिचय दिया गया तो मुझे संदेह है कि हिन्दी का प्रसार रुक न जाय और बहुत-सी कठिनाइयां हमारे देश में पैदा हो सकती हैं। इसलिये जो सभी इस राय के हैं कि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी अमल में हो और उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिये। उन्हें धैर्य से एवं व्यवहारिक बुद्धि से काम लेना चाहिये ताकि अन्य भाषा-भाषी लोगों के मन में कोई संदेह तथा उससे उत्पन्न विरोध भाव न पैदा हो।

सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति ने आवाज उठाई कि अगर देवनागरी लिपि में सभी भाषायें लिखी जायं तो सबको एक सूत्र में मिलाने में बड़ी सहायता मिलेगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सबसे पहले आवाज इस सम्बन्ध में उनकी ही उठी। अभी जो दिल्ली में मुख्य मंत्री लोगों का सम्मेलन हुआ था उसमें इसको स्वीकार किया गया। सचमुच में यह एक ऐसा कदम है जिसकी ओर अन्य भाषा-भाषियों को ध्यान देना होगा और हम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि अन्य भाषा-भाषी यह महसूस करें कि यह ऊपर से लादी जा रही है। यह भी एक बात है कि आजकल हिन्दी के प्रति जो विरोध अन्य भाषा-भाषियों में पैदा हो रहा है वह कुछ हद तक हमारी गलती से ही हो रहा है।

उर्दू के संरक्षण के लिये, मैं समझता हूं कि हिन्दी के प्रति जो सरकार का रुख है, उससे वह कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। उर्दू का संरक्षण जितना सरकार को करना चाहिये था उतना नहीं किया गया है। जो कमेटी अभी उर्दू के लिये बनी है वह बहुत देर से बनी है और बहुत पहले बननी चाहिये थी, उर्दू को संरक्षण मिलना चाहिये। यह जीवित भाषा है और प्रदेश के लाखों आदमी इसको बोलते हैं और बिना किसी धर्म के भेदभाव के हिन्दू भी इसके भक्त हैं। यह बात दूसरी है कि मुसलमान हिन्दुओं के बनिस्बत अधिक संख्या में इस भाषा को बोलते हों। इसलिये उर्दू को देश की सुरक्षा के सवाल के साथ जोड़ देना और देश के विभाजन से जोड़ना ऐसा है जैसे अनेक समस्याओं को मिलाकर रखने की कोशिश की जाय। इससे असलियत हमारे सामने नहीं आ सकती है।

यह सही बात है कि हमारे प्रांत में उर्दू एक ऐसी भाषा है जैसे मलयालम् भाषा-भाषी क्षेत्र में कन्नड़ बोलने वाले हों, जैसे तेलगू भाषा-भाषी क्षेत्र में तामिल बोलने वाले हों, तामिल भाषा-भाषी क्षेत्र में मलाया बोलने वाले हों, जैसे केरल में तामिल बोलने वाले हों। यह छोटे-छोटे समुदाय हैं जो अत्यधिक संख्या में, दूसरी भाषा बोलने वालों में अन्य भाषायें बोलते हैं, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। इसी प्रकार, जहां हमारे देश में हिन्दी भाषा-भाषी हैं, वहां उर्दू बोलने वालों को संरक्षण मिलना चाहिये। हम इसकी प्रसंशा ही करेंगे जो हमारे यहां एक कमेटी इसके लिये बनाई गई है। वैसे यह बहुत पहले बननी चाहिये थी और बहुत देर हो गई है। जितनी तेजी से इस तरफ काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ।

हिन्दी का गठन और इमोशनल इंटीग्रेशन हिंदुस्तान की मजदूर संस्थाओं में एवं श्रम केन्द्रों में स्वतः हो रहा है। हिन्दी की इतनी शुद्ध और ऐतिहासिक सरलता है कि राष्ट्रीय संरक्षण मिलने से पहले से ही यह अपना प्रसार कर रही थी। आज हिन्दुस्तान के कोने-कोने में जहां विभिन्न भाषा-भाषी इकट्ठे होते हैं स्वभावतः वे आपस में हिन्दी में विचार-विनिमय करते हैं चाहे वह कुरु केला हो या भिलाई, चाहे आसाम के चाय बागान हों या पंजाब का भाखरानंगल अथवा अन्य हिस्सा, जहां भी मजदूर इकट्ठा होता है, जहां विभिन्न प्रदेशों के लोग इकट्ठा होते हैं, वहां अपने

आप हिन्दी को प्रश्रय मिल रहा है। इसलिये हिन्दी का तो स्वाभाविक स्थान राष्ट्रभाषा का है और वह स्थान वह प्राप्त करती जा रही है। उसमें ज्यादा तेजी से गलत उठाने से जो उसका प्रचार हो रहा है वह कहीं रुक न जाय।

माननीय, अन्त में एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे देश में अंग्रेजी का एक तरीके से अव्यवहारिक विरोध झलकता है जो न हमारे देश के लिये लाभप्रद है और न किसी तरह से हमारे राष्ट्र के लिये। अंग्रेजी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, उसका अपना एक स्थान है। इतिहास के विकास में, बहुतों के न चाहते हुये भी, हमारे पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी की ही जानकारी रखते हैं काफी मात्रा में और उसकी जानकारी होनी भी चाहिये ताकि अंन्तर्राष्ट्रीय लेन देन में हमारा देश पीछे न रहे लेकिन हमारे राष्ट्रीय क्षेत्र में, और सूबे के क्षेत्र में जो हिन्दी का स्थान होना चाहिये था वह नहीं हुआ है और उसके विकास में जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। इसके लिये मैं एक उदाहरण दूंगा.....

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मुझे इस बात की जानकारी है कि चीन में इस देश के बाद आजादी आयी लेकिन राष्ट्रभाषा की जितनी प्रगति वह कर सके हैं अपने यहां वह हम उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सके हैं। हम कर सकते हैं अगर हममें भी साहस हो। हमसे यह कहा जायगा कि हमारे यहां पुस्तकों की कमी है खासकर विज्ञान और टेक्निकल विषयों की पुस्तकों की लेकिन मैं यह जानता हूं कि वह बहुत बड़ी बात नहीं है। यह बात चीन में नहीं है। वहां प्रोफेसर अंग्रेजी में पढ़ करके, नोट्स लेकर के और तैयार हो करके आते हैं लेकिन वह पढ़ाते चीनी भाषा में हैं और लड़के भी नोट्स चीनी भाषा में ही लेते हैं। यह हमारे यहां भी हो सकता है यदि हमारे यहां भी हममें साहस हो लेकिन यह काम छोटे-छोटे साहस से नहीं हो सकता है।

अन्त में मैं इस प्रस्ताव के ऊपर उस बात का कि जितना सरकार कर सकती थी हिन्दी के विकास के लिये उसने नहीं किया है, समर्थन करता हूं लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी जो उर्दू को दबाने के लिये कुत्सित भावना वाला जो भाग है उसका विरोध करता हूं। उसकी निन्दा करता हूं और कहता हूं कि उसको न स्वीकार किया जाय।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। श्रीमन्, सबने अपनी वायस लैंग्वेज के बारे में रखी है लेकिन मैं एक माइनारिटी का नुमाइन्दा हूं मुझे भी कुछ हक बख्शा जाय कि मैं भी कुछ कह सकूं।

अध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

***आचार्य द्रोपंकर** (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आपके द्वारा इस सदन में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी जो कोई बात कही जाय उसी का विरोध करना हमारा मकसद नहीं है और कम से कम अपने बारे में तो मैं यह बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि यहां जो नियम ५३ के अन्तर्गत चीज लायी गयी है उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, सिद्धांत रूप से मैं उसका बिलकुल समर्थन करता हूं। मैं यह मानता हूं कि हमारे प्रदेश में हिन्दी के विकास की जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता उर्दू के विकास की भी है। मैं इस बात को इसलिये भी कहना चाहता हूं कि कभी तो अल्पभाषा के दमन के नाम अत्याचार होते हैं और कभी राष्ट्रीयता के नाम पर अत्याचार होते हैं। हम जानते हैं कि पूरे हिन्दुस्थान की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। इस बात को संविधान में भी स्वीकार किया गया है, इस बात को विधान में भी स्वीकार किया गया है और हमारे देश का जनमत इसको अंगीकार करता है, लेकिन जिस हठधर्मी के साथ हिन्दी की पैरवी की जाती है उससे अहिन्दी भाषी प्रदेशों में, तामिल नाड में बंगाल, में गुजरात में एक रेजिस्टेंस की भावना पैदा होती है और अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं को बनाने के नाम पर वे हिन्दी के विरुद्ध नारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

बुलन्द करने लगे हैं। यह हमारी संकुचित मनोवृत्ति का फल है कि हम हिन्दी के विरुद्ध एक वातावरण बनाते हैं। आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे प्रदेश में जब यह सवाल उठता है कि अंग्रेजी को हटाया जाय, जैसा कि माननीय राजनारायण जी कह रहे थे तो कहा जाता है कि धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा को हटायेंगे, लेकिन इस कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने हमारे अपने अकेले प्रदेश में लाखों पढ़े लिखे आदमियों को अनपढ़ बना दिया है जो केवल उर्दू जानते थे, जो उर्दू किताबें लिखते थे, लेख और कवितायें लिखते थे, वे अनपढ़ बना दिये गये। जब उर्दू का सवाल उठता है तो माननीय मुख्य मंत्री बड़ी डिफेंसिव लाइन के ऊपर, जैसे किसी ने बड़ा गुनाह किया हो, जिस तरह से एक गुनहगार बोलता है, उस तरह से बातें करते हैं। मैं इस बात की निन्दा करता हूं। वह लोग जिन्होंने सदियों से उर्दू भाषा के अन्दर काम किया है, यह देश के सांस्कृतिक विकास में योगदान किया है, उस भाषा को कुचला नहीं जा सकता। अगर यह सिद्धांत माना जाय कि उर्दू कोई नयी भाषा नहीं है, वह हिन्दी की एक शैली है, अगर ऐसा है तो उर्दू का विकास हिन्दी का विकास बन जाता है' लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि हिन्दी का विकास इस लिये रुक गया है, क्योंकि उर्दू के विकास की बातें की जा रही हैं। कांग्रेसी शासन काल में न हिन्दी का विकास हुआ है, न उर्दू का विकास हुआ है। उर्दू हिन्दी के विकास के रास्ते में रुकावट नहीं है। मैं इस बात को भी नहीं मानता कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। उर्दू के अच्छे-अच्छे लेखक और कवि हिन्दू भी रहे हैं, सिक्ख भी रहे और मुसलमान भी रहे। भाषा किसी धर्म से सम्बन्ध नहीं रखती। है एक जमाना था कि धर्म के नाम पर उर्दू की जो अनुचित पैरवी की गयी, उसकी वजह से पाकिस्तान बना। अगर अनुचित रूप से उर्दू को दबाया जायगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, जिस तरह से पंजाबी को दबाने की प्रतिक्रिया पंजाब में हुई और गुजराती को दबाने की प्रतिक्रिया बम्बई में हुई। किसी भाषा को दबाने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूं कि आज कोई डिफेंसिव लाइन अख्तियार करके उर्दू के सम्बन्ध में बात करने की आवश्यकता नहीं है। उर्दू भी एक भाषा है। वह इसी देश में पैदा हुई और इसी देश में उसका विकास हुआ है। वह विदेशी भाषा नहीं है। जहां तक यह बात कहीं जाती है कि उर्दू के विकास से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जायगा, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा होगा, लेकिन जो राष्ट्र में विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं, जो हिंदू और मुसलमानों का विभाजन करके अपने कुछ राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। उनके बारे में जरूर रुकावट पैदा होगी और वह रुकावट हम पैदा करना चाहते हैं। जब तक मैं हिन्दू और मुसलमानों का सामंजस्य करके अपना सांस्कृतिक विकास नहीं करते तब तक हमारी राष्ट्रीयता भी नहीं रहेगी और सुरक्षा भी नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष---श्री एस० जी० दत्त।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपसे पहले उपाध्यक्ष जी द्वारा व्यवस्था दी गयी थी कि एक दल का एक आदमी से अधिक नहीं बोलेगा। उस समय हमने प्रार्थना की थी कि हम दोनों ने मोशन दिया है, तो उन्होंने कहा था कि आपके दस्तखत कर देने से क्या होता है, एक दल के एक ही आदमी को अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष---व्यवस्था मैं कायम करता हूं वह कायम नहीं करते हैं।

*श्री एस० जी० दत्त---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझको मौका दिया है कि मैं अपने खयालात इस लैंग्वेज के ऊपर प्रकट कर सकूं। आपको मालूम हो कि मैं २२ वर्ष तक लैंग्वेज मास्टर रहा हूं और इस वास्ते लैंग्वेज से मुझे बड़ी दिलचस्पी है। जबान जो है वह एक इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान में एक जरिया होता है जिससे कि वह अपने खयालात का इजहार एक दूसरे तक पहुंचायें और जब कोई इंसान किसी की जबान को समझता है तो वह उसके खयालात को भी समझ सकता है। इस तरह से दुनिया में जितनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जबानें हैं वह एक दूसरे के खयालात को, एक मुल्क की तहजीब और तमद्दुन को उसके रहन-सहन को दूसरे तक पहुंचने का काम करती हैं। इसलिये जबान बहुत जरूरी है। जब हमारे देश में आजादी आयी तो उस वक्त हमारे यहां के कांस्टीट्यूशन में यह तय हुआ कि हिन्दी हमारी राष्ट्रीयभाषा होगी।

श्री अध्यक्ष—आपके लिये समय थोड़ा है। दो ही तीन मिनट में आपको खत्म करना है।

श्री एस० जी० दत्त—मुझे बता दिया जाय कि कितना टाइम मुझे मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—दो तीन मिनट हैं।

श्री एस० जी० दत्त—मुझे थोड़ा टाइम और दे दिया जायगा। हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है इसमें कोई शक नहीं। हुआ क्या कि इस मुल्क में कई जबानें थीं और ऐसे भी बहुत सारे सूबे थे कि हिन्दी से वाकिफ नहीं थे जैसे कि जिस सूबे से मैं आता हूं पंजाब, पंजाब में हिन्दी नहीं थी। जब मैं यहां आया तो एकायक हिन्दी का बोझ मेरे ऊपर पड़ा और मैंने देखा कि कल को जो मेरे साथी पोलिटिकल फील्ड पर थे जो उर्दू बोलते थे एकदम उनकी जबान तब्दील हो गई और वे बड़े-बड़े हिमालय पहाड़ जैसे दूसरे शब्द बोलने लगे जिसको कि मैं न समझ सका। तो जबानों को सीखने और सिखाने का कायदा यह होता है जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू में खाना नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको वह चीज दीजाती है कि जो वह हजम कर सके। तो जब अपना राज्य हुआ तो बहुत आसान हिन्दी होनी चाहिये थी, लेकिन किया क्या कि एकदम संस्कृत के बड़े-बड़े लब्ज जारी कर दिये अखबारों में और किताबों में जिसके कि हिन्दी की तरक्की नहीं हो सकी। यह सबसे बड़ा सबब है कि जो हिन्दी को पढ़ने की कोशिश करने वाले थे वह उससे पीछे हट गये और हिन्दी की तरक्की नहीं हुई। आज जो जनसंघी कह रहे हैं वह अगर अहले जबां होते तो यह न कहते। सरकार ने हिन्दी के बारे में बहुत कोशिश की और सरकार की कोशिश नुमायां हैं। अगर कोई महज इस वास्ते कहे (लाल बत्ती होने पर) आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मुझे थोड़ा ही कहना है तो मैं आपसे यह कहूंगा कि हिन्दी राष्ट्रीयभाषा है लेकिन उर्दू को जिस तरह से फिरकेवाराना तरीके से जनसंघ लेता है, वह ठीक नहीं है। यह कहना कि उर्दू हो जायगी तो दूसरा पाकिस्तान बन जायगा, मैं कहता हूं कि यह खयाल गलत है, कभी कोई पाकिस्तान नहीं बन सकता। अगर उर्दू भी चले और और जबानें भी चले तो हिन्दी के लिये बहुत सुन्दर होगा। मैं यह कहता हूं कि यह जनसंघ वाले मद्रास में जाकर अगर यह कहें कि तामील न हो तो इनको एक वोट नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष (कुंवर श्रीपालसिंह से)—अब आप एकाध प्रश्न कर लें जो आप करना चाहते हों।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—पहला प्रश्न तो मैं यह करना चाहता हूं कि जो यह श्वेतपत्र मिला है इसके पृष्ठ ५५ पर आइटम नम्बर ३ पर "राज्य सेवाओं में भरती के सम्बन्ध में संरक्षण", यह इसकी हेडिंग है तो मैं जानना चाहता हूं कि उर्दू भाषा जो है उसको राज्य सेवाओं में क्या भरती मिलेगी, यह माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह संरक्षण भाषा के बारे में है या भाषा बोलने वालों के बारे में है ? और दूसरा प्रश्न यह है श्रीमन्, कि इसमें यह कहा गया है कि कुछ जिले मेरठ और लखनऊ का शहर भी उसमें है—ये लिंग्विस्टिक माइनारिटी माने जायेंगे ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन जिलों और लखनऊ शहर के रहने वाले लोग क्या सरकार में अपने अनुपात के अनुसार नहीं हैं ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी लखनऊ शहर के रहने वाले नहीं हैं ? यह भाषा और भाषा बोलने वाले दोनों प्रश्नों को जो एक में उलझा दिया है इससे यह भ्रम सारा पैदा हो गया है, इसका माननीय मुख्य मंत्री जी जरा निराकरण कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---राष्ट्र सेवा के सम्बन्ध में भाषा का संरक्षण यही बात आप कहते हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि भरती के सम्बन्ध में किस तरीके से भाषा के सम्बन्ध में संरक्षण दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह राज्य सेवा में भाषा के विषय में संरक्षण का प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि अब तो विधान के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति, जो योग्यता रखता है, उसके अनुसार चुना जाता है। उसमें संरक्षण का सवाल नहीं है। यहां तो इसमें रिआर्गनाइजेशन कमीशन ने कुछ बातें उठाई थीं तो उसके अनुसार यहां कुछ संरक्षण की चर्चा है। जहां तक सेवाओं में संरक्षण का सवाल है वह उठता नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह---अगर भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक माइनारिटी बनायी जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है कि उसके आधार पर ७ जिलों को रखा गया है और लखनऊ शहर भी उसमें आता है जहां पर फारसी लिपि का इस्तेमाल किया जायगा मत पत्रों में। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि संरक्षण के बारे में क्या उन जिलों में इस लखनऊ शहर में रहने वालों के अनुपात से जो २० फीसदी की बात हुई है, उस २० फीसदी के अनुपात में आज सरकार में काम करने वाले लोग नहीं हैं और मुख्य मंत्री जी, जो लखनऊ शहर के रहने वाले हैं, वह मुख्य मंत्री नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं तो कुछ समझ नहीं पाया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---उन्होंने कहा कि हिन्दी की तरक्की उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिये थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की दृष्टि में उर्दू की तरक्की उतनी हुई जितनी होनी चाहिये थी ? अगर नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उर्दू की तरक्की इसलिये नहीं हुई कि एक दूषित वातावरण सारे देश में देश के बटवारे के बाद फैल गया और उर्दू को मुसलमानों से और इस्लाम से जोड़ दिया गया। बटवारे ने जिस दूषित वातावरण को सारे देश में पैदा किया, उसका शिकार उर्दू भी बन गई।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी, जो मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है, उसी के संदर्भ में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अधिनियम जो सन् १९४७ के पूर्व बने हैं या जब तक हिन्दी भाषा इस प्रदेश की नहीं मानी गई वह अधिनियम बने, उन शब्दों को छोड़कर जो लीगल हैं, शेष भाग का हिन्दी में उल्था करा कर इस विधान सभा की प्रापर्टी बनवायेंगे जिससे सदस्यों को सुविधा हो जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केन्द्रीय सरकार उन कानूनी किताबों का तरजुमा करा रही है और प्रदेशीय सरकार भी अपना प्रबन्ध कर रही है।

नियम ५३ के अन्तर्गत प्रदेश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी खपत की व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५३ के अनुसार चीनी उत्पादन के सम्बन्ध में विवाद होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं, श्रीमन्, एक बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब वह विषय समाप्त हो गया।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के आर्थिक ढांचे से बंधा हुआ है और मैं समझता हूं कि पिछले ८ वर्षों में कुछ इस तरह की उलझन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में यह पड़ा हूं कि इस सदन में कई बार विचार हुआ लेकिन इस सदन के विचारों का ठीक-ठीक एप्रोसियेशन भारत सरकार न कर सकी और मैं समझता हूं कि यहां की जो वर्तमान सरकार थी उसने भी अपने उत्तरदायित्व का ठीक प्रकार से वहन नहीं किया।

मैं, श्रीमन्, संक्षेप में दो तीन बातें आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। इस समय एक बड़ा हौवा है कि चीनी बहुत बन गयी है। यह मैं मानता हूं कि इस वर्ष जितनी चीनी बनी है उतनी पिछले वर्षों में कभी नहीं बनी थी। ३० लाख टन चीनी देश में तैयार हुई है जिसमें से १५ लाख टन उत्तर प्रदेश में बनी है। यह उत्तर प्रदेश के किसानों की कुर्बानी है कि जिन्होंने १५ लाख टन चीनी बनाने के लिये गन्ना देर तक अपनी जमीन पर खड़ा रखा और उसे वे गुड़ या खंडसारी में भी बदलने नहीं पाये.....

श्री अध्यक्ष—आप कितना समय लेंगे? १५ मिनट लें तो ठीक होगा।

श्री गेंदासिंह—बहुत अच्छा। ऐसा समझने में भूल की जाती है कि जितना लम्बा सीजन होगा, जितनी ज्यादा चीनी बनेगी, उतना ही किसान उससे लाभान्वित होगा। लम्बे सीजन से किसान लाभान्वित नहीं होता। उसमें उसे देर तक अपनी जमीन पर गन्ना खड़ा रखना पड़ता है और देर तक रखने से जमीन की ज्यादा खुराक वह लेता रहता है। इसके अलावा जो दूसरी फसल उस जमीन से ली जा सकती है वह भी वह किसान नहीं ले सकता। इसके बाद, उस गन्ने क वजन घट जाता है। तो लम्बे सीजन का लाभ उठाता है मिल मालिक और सरकार। श्रीमन्, देखें कि अगर १५ लाख टन चीनी पैदा हुई तो ४६ करोड़ रुपया केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकार को टैक्स का मिलता है। जब ८ लाख टन चीनी प्रदेश में बनती थी तो टैक्स का इंसीडेंस कम था, आज जब चीनी ज्यादा बनी, प्रोडक्शन कास्ट कम पड़ी तो टैक्स का इंसीडेंस ज्यादा हो गया। अगर ४६ करोड़ रुपया टैक्स का निकलता है तो उसमें से २० करोड़ उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलेगा। तो लम्बे सीजन में किसान को नुकसान हुआ और सरकार को और मिल मालिक को लाभ हुआ....

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—क्या सरकार का लाभ किसान का लाभ नहीं है?

श्री गेंदासिंह—तो अगर इस बात को सरकार नहीं समझती तो हम किसानों की मदद नहीं कर सकते। यह उनको समझना चाहिये कि लम्बे सीजन में किसान का निश्चित तौर पर नुकसान है और सरकार का और मिल मालिक का लाभ है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी समझने की चेष्टा करेंगे तो वे अवश्य उसी जगह पर पहुंच जायेंगे। इससे किसान आज लाभान्वित नहीं हो रहा है, मिल मालिकों को ही लाभ पहुंच रहा है।

श्रीमन्, हमारा फैसला है कि गन्ने की कीमत बढ़ा दी जाय। इसको इसलिये बढ़ाने का सवाल है कि सन् १९५२-५३ में जो प्राइस इन्डेक्स था और जो अब है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना फर्क है। इस समय प्राइस इन्डेक्स, श्रीमन्, १२८.६ है यानी सन् १९५२ में १०० रुपया कीमत अगर किसी चीज की थी तो वह अब १२८.६ है। तो मैं नहीं समझता कि सन् १९५२ में जो गन्ने की कीमत थी उसके मुकाबले में आज उसको क्यों नहीं बढ़ाया जाता?

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई सदस्य, जब कि हाउस चल रहा हो, प्रेस के लोगों के पास बैठ कर बातचीत कर सकता है?

श्री अध्यक्ष—इस विषय में माननीय सदस्य ने कोई नियम नहीं बताया, जिसके अनुसार सदन के किसी सदस्य को कहीं बैठने से रोका जा सकता हो। आप नियम बताते तो अच्छा होता।

श्री गेंदासिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज यहां पर गन्ने की कीमत को बढ़ाने का सवाल है। अगर आज सरकार किसानों की रक्षा नहीं करती तो मालूम नहीं फिर

[श्री]गेंदा सिंह]

क्या होगा। यहां बाम्बे का सवाल नहीं है, आन्ध्र का सवाल नहीं है और किसी जगह का सवाल नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का सवाल है और इस सवाल को उत्तर प्रदेश की सरकार को प्लीड करना चाहिये और गन्ने की ऊंची कीमत दिलानी चाहिये। टैरिफ कमीशन ने भी ज्यादा मुनाफे की सिफारिश की है और कहा है कि इससे मिल मालिकों को भी ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश है। जितना प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा लाभ होगा।

अब दूसरी तरफ देखिये कि कन्ज्यूमर्स को भी चीनी अधिक दामों पर मिलती है। मेरे पास "एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इण्डिया" नाम की एक पुस्तिका है, उसके आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं। इसके अनुसार मई में, कानपुर के बाजार में, चीनी का भाव ४२ रुपये मन था। यह होलसेल प्राइस थी। ४२ रुपये मन से कभी कीमत कम नहीं हुई। कभी ४२ रुपये १८ नये पैसे हो गयी, कभी ४२ रुपये १५ नये पैसे हो गयी। तो सब जगह से महंगी चीनी कानपुर के बाजार में रही। जो कन्ट्रोल रेट है चीनी का वह, औसन, ३७ रुपये ८५ नये पैसे है। यू० पी० में कहीं पर, किसी भी बाजार में एक रुपये मन ट्रान्सपोर्ट चार्जेज देकर चीनी पहुंचाई जा सकती है और उस सूरत में वह ३८.८५ रुपये तक हो सकती है। तो क्या वजह है कि कानपुर के बाजार में चीनी का भाव ४२ रुपये मन रहा जब कि चीनी की इतनी बहुतायत थी। अगर गुप्ता जी अपने सेक्रेटरिएट के इर्द-गिर्द देखें तो उनको कहीं भी अच्छी चीनी १८ आने सेर से कम नहीं मिलेगी। इण्डियन शुगर मिल एसोसिएशन का तो कहना है कि कलकत्ता और आसाम के बाजार में तो ५० रुपये से ७५ रुपये प्रति मन तक चीनी का भाव रहा है। यह कुछ महीने पहिले की बात है। अगर आप चीनी का डिकन्ट्रोल कर दें तो चीनी ठीक दाम पर आ सकती है। मैं नहीं समझता कि अगर चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कैसे उसकी कीमत ऊंची रहेगी। मैं समझता हूं कि निश्चित ही सरकार को डिकंट्रोल करके खुले बाजार में आने देना चाहिए।

तीसरी बात, गन्ने की खेती बढ़ा देना, अगर काश्तकार का कसूर है तो १९३५-३६ की फिगर्स बता रही हैं कि १९३३-३४ में हमारे यू० पी० में २२,४९,००० एकड़ गन्ना बोया गया और १९३६-३७ में २५,१५,००० एकड़ बोया गया। अब १९६०-६१ में ३४,९६,००० एकड़ बतलाया गया है। इसमें शक नहीं कि एकरेज जरूर बढ़ा है। लेकिन जरा सारे भारतवर्ष की फिगर्स को देखें। १९३६-३७, १९३७-३८ और १९३८-३९ तीनों सालों का औसत एकरेज सारे भारत का ३२,५२,००० एकड़ है और इस वक्त का औसत एकरेज ५२,२६,००० एकड़ है। अगर हमने २५ लाख से ३५ लाख कर लिया तो कोई ज्यादा एकरेज नहीं बढ़ा। डेवलपमेंट का काम जरूर हुआ और प्रोडक्शन बढ़ा, इसलिए गन्ने से निरुत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सरकार क्यों नहीं विचार करती?

अगर सफेद चीनी बनने से संकट आ जायगा, महंगी भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो फिर सरकार खंडसारी और गुड़ के ऊपर बन्धन क्यों लगाती है? क्यों नहीं उसकी छूट दे दी जाती है कि लोग खंडसारी और गुड़ बनाएं? गुड़ का भाव यहां १५ रुपया और बम्बई में २१ रुपया मन है। तो गुड़ ही बनता और उसको ट्रांस्पोर्ट करने की सहूलियत मिलती, क्योंकि इतना खर्चा तो होता नहीं होगा जो ६ रुपया मन अधिक वहां बिक रहा है लेकिन मालूम नहीं जब कि कई बार यहां इस मामले पर विचार हो चुका है, सरकार ने क्यों किसानों को गन्ना खड़ा रखने के लिये मजबूर किया और सफेद चीनी मिलों को बेचने के लिए ही मजबूर किया। जब ओवर-प्रोडक्शन की इतनी बड़ी मुसीबत उत्तर प्रदेश सरकार के सामने थी तो क्यों इतने करोड़ रुपयों की छूट मिल-मालिकों को दी गयी है कि वे चीनी का उत्पादन करें? एक तरफ तो खंडसारी और गुड़ पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं और रऊफ साहब कहेंगे कि नहीं लगाया है, लेकिन तकावी को ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढंग पर बांटने नहीं दिया गया, कोल्हू नहीं चलने पाये और गुड़ मार्केट को गिराने की कोशिश की गयी। फारवर्ड मार्केटिंग बोर्ड ऐसा प्रयत्न करता रहा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उसमें थे तो वे क्या करते रहे? मैं

मंत्री जो से कहूंगा कि वह इस बात की जानकारी करायें कि जब कि सारे भारतवर्ष में मिलें बढ़ी हैं– हमारे यहां तो नहीं बढ़ी हैं · लेकिन किसी तरफ से गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि कोई खंडसारी पर इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय।

श्रीमन्, अन्त में मैं यह बात जरूर कहूं कि मिल-मालिकों को इसेंटिव दिया गया कि २ वर्ष से ज्यादा उत्पादन करने पर एक्साइज़ ड्यूटी में १,२ माफ़ कर दिया जायगा। पहले मिल चलाने के लिये भी सरकार ने करोड़ों रुपये की माफ़ी उनको दी। इससे जब चीनी का उत्पादन बढ़ा तो किसा ां से कहा जाता है कि जब तक गन्ने की कीमत कम न कर दी जाय तब तक काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि इस सूबे की सरकार की ालिसी साउण्ड होनी चाहिये। जितनी चीनी की जरूरत हो उतनी बनवायें और १ रुपया १२ आने मन गन्ना की कीमत दिलाने के लिये यह सरकार भारत सरकार से कहे।

डेफर्ड प्राइस जो पिछले ८ साल का लगभग ३० करोड़ रुपया बाक़ी है, उसके दिलाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। वह दिलाई जाय।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गेंदासिंह जी की बात को सुनकर शुरू में ज़रा ताज्जुब हुआ। उनको यह पता है कि गन्ने की पैदावार यहां ज्यादा नहीं हुई। जब सीज़न चल रहा था तो रोज़ उनको यह फ़िक्र थी कि गन्ना इतना पैदा हुआ है कि वह खेतों में खड़ा रह जायगा और सारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। खैर, अब उनको मालूम हो गया कि हमारी कैपेसिटी कितनी है और सारा गन्ना पेर दिया गया। यह खुली हुई बात है कि गोदामों में चीनी भरी हुई है। यही नहीं, तमाम भारत भर में है और उसकी बाहर निकासी की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में यह बात माकूल सी देखने में लगती है कि जब चीनी भरी पड़ी है तो कंट्रोल क्यों लेकिन ज़रा गहराई में जाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें किसानों का किस क़दर नुकसान है अगर डिकंट्रोल कर दिया गया, एक्स-फैक्ट्री प्राइस भी चीनी की हटा दी जाय, अगर इसका नतीजा यह हुआ कि चीनी का दाम गिर जायगा तो उसका नतीजा गन्ने की कीमत पर भी अवश्य पड़ेगा और वह कम होनी चाहिये। चीनी की कीमत में २ ३ दाम गन्ने की कीमत का होता है। तो चीनी का दाम गिरने से इंडस्ट्री को भी हानि पहुंचेगी, साथ ही किसान को भी, क्योंकि यह भी सवाल पैदा हो जायगा कि गन्ने की कीमत गिराई जाय या नहीं। इसलिये कंट्रोल को हटाना बहुत खतरनाक बात होगी।

जैसा श्री गेंदासिंह जी ने कहा, एक्स-फैक्ट्री प्राइस में और रिटेल प्राइस में, चीनी की दरअसल सन्तुलन नहीं है. उसमें इम्बेलैंस है, रिटेल का दाम बहुत ज्यादा है। ४२ और ४५ रुपये मन तक वह है जो किसी सूरत से मुनासिब नहीं है। इस बारे में सरकार कदम उठा रही है। सिवाय इसके कि क्वान्टीटेटिव तरीक़े से जो माहवारी रिलीज़ होता है, वह रहे और बाकी सब हटा लिया जाय, और कोई रास्ता अभी नज़र नहीं आया है। इस पर विचार हो रहा है। इंटर स्टेट मूवमेंट है, डीलर के लाइसेंस की बात है, ये सब खत्म कर दिया जाय। इस सूरत से फ्री मूवमेंट होने से बहुत कुछ हो जायगा। लेकिन एक्स-फैक्ट्री कंट्रोल को खत्म करना बहुत खतरनाक होगा। श्री गेंदासिंह जी ने दक्षिण का हवाला दिया है कि वहां किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। मगर वहां के हालात हमारे यहां के हालात से मुखतलिफ़ हैं। वहां की रिकवरी ज्यादा है। हमारा खयाल है कि जो कुछ किया जाने वाला है उससे रिटेल प्राइस में काफ़ी फर्क आ जायगा।

गन्ने की कीमत कम करने की बात भी कही गई।

श्री गेंदासिंह—कम किये जाने की बात नहीं है। सदन के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की बात है।

श्री रऊफ जाफरी—वह प्रस्ताव भी है। मैंने उस वक्त कहा था कि इस वक्त कोई सुझाव हमारे सामने कीमत म करने का नहीं ह। केन्द्रीय सरकार के मंत्री ने भी पार्लियामेंट में कहा कि इस सीज़न में गन्ने के दाम कम करने का खयाल नहीं है। १९६२–६३ का सवाल

[श्री रऊफ जाफरी]

अभी आया नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, गन्ने की कीमत मुकर्रर करती है केन्द्रीय सरकार। यह जरूर है कि पहले उसमें वह हमारी सलाह लेती है, लेकिन वह मजबूर नहीं है कि हमारी सलाह को माने ही। उसके सामने हर जगह का नक़शा होता है, कितना गन्ने का प्रोडक्शन है, कितनी चीनी पैदा होगी, कितनी की खपत है, इन तमाम बातों को देख कर वह क़ीमत मुक़र्रर करती है।

जैसा श्री गेंदा सिंह जी ने कहा, यह मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं कि किसानों ने बड़ी कुर्बानी की कि इतना अधिक गन्ना पैदा कर दिया। अगर इतना गन्ना वह कम एकरेज में पैदा करते तो मैं उनकी बात को मान लेता कि उन्होंने अपनी और सरकार की आमदनी बढ़ाई है। जब हम केन्द्रीय सरकार के पास जा कर कहते हैं कि गन्ने का दाम बढ़ाइये, तो वह हमसे कहते हैं कि आप कैसे कहते हो जब कि गन्ने की खेती बराबर बढ़ती चली जा रही है ? इससे यह अन्दाजा होता है कि और चीजों के मुक़ाबले में गन्ने की खेती में किसान को अधिक लाभ है, इसलिये वह गन्ने की खेती बढ़ाता जाता है। सरकार की नीति यह कभी भी नहीं रही है कि एकरेज बढ़े। यह जरूर रही है कि डेवलपमेंट और दूसरे तरीकों से फी एकड़ पैदावार बढ़े।

डेफर्ड पेमेंट का भी सवाल उन्होंने उठाया। जैसा उन्हें मालूम है, यह सवाल टैरिफ कमीशन के सुपुर्द है। उसकी सिफारिश के बाद यह अन्दाजा हो सकेगा कि किसान को कितनी रक़म मिलने वाली है। मैं समझता हूं कि यह खयाल गलत है कि इस समय चीनी की ज्यादा पैदावार का सवाल उठा कर, गन्ने की खेती बढ़ाने का सवाल उठा कर, डैफ़र्ड पेमेंट का सवाल बैकग्राउन्ड में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है। चीनी बढ़ गई है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है। गन्ने के लिये कहा जाता था कि वह खेत में खड़ा रह जायगा। हमें खुशी है कि गेंदासिंह जी ने यह नहीं कहा कि गन्ना रह गया और उसे जलाना पड़ा। ४० करोड़ ११ लाख मन गन्ना पेरा गया है।

उन्होंने यह भी फरमाया कि खांडसारी पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। परचेज टैक्स के विधेयक के समय मैंने कहा था कि यह रेस्ट्रिक्शन नहीं है बल्कि रेग्यूलेशन है। प्लान्ड इकानामी करनी पड़ती है वरना उसका नतीजा यह हो जाता जैसा कि पूर्व की चीनी की मिलों के बारे में नोंच-खसोट का हुआ था और किसी को पूरी खूराक नहीं मिल रही थी। अब वह मामला नहीं रहा, पहले था। इसलिये हम प्लान्ड तरीके पर चलना चाहते हैं। जहां कहीं गन्ना ज्यादा है, खपता नहीं है वहां कोशिश करते हैं कि खांडसारी यूनिट्स को बलाया जाय, लेकिन, जहां पहले से ही लगी हुई हैं वहां पर और बढ़ा कर मुसीबत पैदा नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा कि हमारे देश में दक्षिण में खांडसारी को बढ़ने से रोका नहीं गया। वहां पर खांडसारी यूनिट्स अधिक होंगी नहीं लेकिन हमारे यहां यह व्यवसाय पुराना है।

श्री गेंदासिंह—मेरे साथ आंध्र चल कर देखिये।

श्री रऊफ जाफरी—चलूंगा। इस वक्त मेरी बात सुन लीजिये।

मेरा कहना है कि दूसरी जगह रेस्ट्रिक्शन इसलिये नहीं है कि वहां पर खांडसारी की यूनिट्स अधिक नहीं है लेकिन हमारे यहां यह व्यवसाय बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और इसी बीच में ७० फैक्ट्रीज और आ गयीं। इसलिये हमें उसको रेग्युलेट करने की आवश्यकता पड़ी और उनको इसीलिये उसकी जरूरत नहीं होती और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वे आगे हमारी तरह से पछतायें, जैसा कि हम सोचा करते थे कि कौन सी फैक्ट्री यहां से हटा कर कहां ले जायी जाय।

गुड़ और खांडसारी के सिलसिले में एक बात और कह दूं कि इस साल १० फीसदी गन्ना और ज्यादा पैदा हुआ है और अगले साल १०-११ करोड़ मन गन्ना बढ़ जायगा। हमारी कैपेसिटी माननीय सदस्यों को मालूम है। इसलिये अगले वर्ष खांडसारी और गुड़ की ओर हैवी डायवर्शन होना चाहिये। माननीय सदस्यों, और खास कर गेंदासिंह जी, को इसके लिये

कोशिश करनी चाहिये। हमारे सामने यह एक सवाल पेश है और गालिबन हम उस पर से परचेज़ टैक्स भी हटा सकें। हम इस समय उस पर विचार कर रहे हैं। लिहाजा हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि काफी गन्ना गुड़ और खांडसारी की तरफ जाय क्योंकि मिलें उस सारे गन्ने को पेर नहीं सकेंगी। जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा, लम्बा सीजन चलने में किसी को भी लाभ नहीं होता। किसान को इसलिये नुकसान होता है कि उसका गन्ना सूख जाता है, मिल को इसलिये नुकसान होता है कि उसमें रिकवरी कम होती है और जब ज्यादा एकड़ में गन्ना पैदा होता है तो सरकार को परचेज़ टैक्स भी कम मिलता है। इसलिये सभी को नुकसान होता है।

गेंदासिंह जी की यह बात मेरी समझ में नहीं आई जब उन्होंने कहा कि किसान को नुकसान होता है और गवर्नमेंट को फायदा होता है। गवर्नमेंट के पास जो रुपया आता है उससे टैक्स या दूसरी चीजों में कमी होती है और उससे डेवलपमेंट के ही काम होते हैं जिनसे किसान को भी फायदा पहुंचता है। इसलिये गवर्नमेंट और किसान के फायदे अलग-अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)——अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस साफगोई के साथ माननीय जाफरी साहब ने सरकार की असफलता को स्वीकार किया। उसे देखकर जो भी योजनायें सरकार की तरफ से गुड़ और खांडसारी के बारे में बनाई गईं और जो नीति इसके सम्बन्ध में सरकार के द्वारा अपनाई गई उसको साफ तौर से जाफरी साहब ने बता दिया। आज जाफरी साहब ने हमें यह बताया कि गन्ने का उत्पादन किसान ने ऐकरेज बढ़ा कर किया है।

श्री अध्यक्ष——मैं अब १०–१० मिनट का समय सब को दूंगा।

श्री मदन पांडेय——गन्ने तथा चीनी का उत्पादन बढ़ने पर वे किसानों को मुबारकबाद देने के लिये तैयार नहीं हैं...

श्री रऊफ जाफरी——मैंने यह कहा था कि अगर वे फी एकड़ उत्पादन गन्ने का बढ़ावें, तब तो वे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं लेकिन केवल फैलाव से, एकरेज बढ़ने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है।

श्री मदन पांडेय——माननीय मन्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीनी के उत्पादन का जो लक्ष्य तीसरी योजना में रखा गया था किसानों ने उस लक्ष्य को दूसरी योजना के अन्त तक ही पूरा कर दिया, लेकिन उसके लिये वे किसानों को मुबारकबाद देने के लिये तैयार नहीं हैं। सारी दुनिया में हम यह तो सुनते थे कि उत्पादन का जो भी लक्ष्य निर्धारित हो उस लक्ष्य को यदि किसी देश के किसानों या मजदूरों ने निर्धारित समय से पूर्व पूरा कर लिया तो उस देश की सरकार ने और वहां के लोगों ने लेबर हीरो, या किसान हीरो कह कर उनको पुरस्कृत करने की कोशिश की लेकिन यह पहला उदाहरण इस हिन्दुस्तान में खासकर इस प्रदेश में है जहां पर योजना कमीशन द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये चीनी उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे बड़े प्रयत्नों के बाद पहले ही पूरा कर देने पर आज किसानों को यह इनाम दिया जा रहा है।

आज चीनी की अधिकता का जो हौवा दिखाया जा रहा है उसकी तरफ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सदन में इस समय विषय पर एक से अधिक बार विवाद हुये लेकिन उन मौकों पर माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं थे, कृपया इसे गौर से सुने। इस साल चीनी का उत्पादन लगभग साढ़े २९ लाख टन के हुआ है। चीनी के उत्पादन के लिहाज से भारत सरकार ने सारे देश को तीन भागों में बांटा है। सारे देश में जितनी चीनी पैदा होती है उसकी दो तिहाई के करीब उत्तरी भारत में पैदा होती है। उत्तर भारत के यू० पी० और बिहार में इस साल करीब १९ लाख टन से अधिक चीनी पैदा हुई है और ९, साढ़े ९ लाख टन

[श्री मदन पांडेय]

चीनी दक्षिण भारत की चीनी मिलों ने पैदा की है। इस लिहाज से अगर हम चीनी के उत्पादन के हिसाब से इस वर्गीकरण पर विचार करें, तो केन्द्रीय सरकार की जो इस सम्बन्ध में दोषपूर्ण नीति है उसे अगर हम दुरुस्त करें तो हमारे गन्ने व चीनी के उत्पादन बढ़ने की समस्या हल हो सकती है।

आज दक्षिणी भारत की चीनी मिलों को आजादी है कि वह अपनी चीनी बम्बे, मद्रास के बाजारों में ले जाकर बेच सकती हैं उसी भाव पर जो कि और मिल वाले उत्तरी भारत के बेचते हैं। उत्तर भारत की चीनी मिलों को तो वहां तक बैगन द्वारा चीनी पहुंचाने में रेलवे फ्रेट के रूप में ही तीन साढ़े तीन रुपया फी मन दे देना पड़ता है, जो दक्षिण भारत की चीनी मिलों के मिल मालिकों को नहीं देना पड़ता। इस तरह से वे साढ़ेतीन तीन रुपये मन का फायदा उठाते हैं। ४ अगस्त, को केन्द्रीय कृषि मन्त्री पाटिल साहब ने जब भाषण देते हुये किसानों से गन्ने की कीमत में २० प्रतिशत कमी करके चीनी के निर्यात को बढ़ाने की बात कही तो हमारे प्रदेश की मुख्य मन्त्री या कृषि मन्त्री, किसी ने भी उनसे यह नहीं कहा कि किसानों के गन्ने की कीमत घटाने के बजाय दक्षिण भारत के चीनी मिल मालिकों को जो १०० रुपये टन लाभ उठाने की छूट आपने दे रखी है उसी को लेकर उस घाटे को क्यों नहीं पूरा करते? साढ़े ९ लाख टन चीनी में साढ़े तीन रुपये मन के हिसाब से उसके लिये काफी रकम मिल सकती है। लेकिन ऐसा न करके हमारी सरकार उनकी हां में हां मिलाती है और कहती है कि हमारे यहां गन्ने का एकरेज बढ गया है तथा चीनी का उत्पादन भी बढ़ गया है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस रुख से भी इस पर विचार करें।

दूसरी बात कही जाती है कि हमारे यहां चीनी मिल के गोदामों में चीनी सड़ रही है, चीनी उठ नहीं रही है और आज जैसा कि अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, इस सेक्रेटेरिएट के चारों तरफ अगर हम चीनी खरीदने के लिये जायें तो १८ आने सेर से कम में चीनी नहीं मिलेगी। जाफरी साहब को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह कहते हैं कि उनके चपरासी खरीदने जाते हैं तो उनको मिल जाती है लेकिन मैं उनको दावत देता हूं कि कल सुबह को वह अपने चपरासी से ४ आने की चीनी मंगायें तो उनको मालूम होगा कि वह १ रुपया २ आना ही नहीं बल्कि १ रुपया ४ आना सेर के हिसाब से मिलेगी। अगर चीनी की रिटेल प्राइस ३७.८५ रुपया मन मुकर्रर की है तो वह बाजार में रिटेल में १ रुपया से कम की सेर बिकना चाहिये ऐसा उनका खयाल है लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज इस सरकार ने यहां के लोगों का जीवन स्तर इस तरह का नहीं किया है कि वह एक बार १ रुपया की सेर भर चीनी खरीद सकें, जब तक लोगों में एक बार इतना सामान खरीदने की क्षमता नहीं पैदा होती तब तक चीनी के अधिक दामों को बाजार में रोकने के लिये कोई न कोई ठोस कदम सरकार को उठाना होगा।

तीसरी बात, जिसकी तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि इस सदन की मर्यादा का उन्हें जितना अधिक ध्यान रखना चाहिये वह उन्होंने नहीं रखा है। जितने भी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट निकले हैं उनमें से किसी में भी इस गवर्नमेंट ने १ रुपया १२ आने मन गन्ने की कीमत का जो सर्वसम्मत प्रस्ताव है उसकी तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया है, सरकार ने कोई प्रेशर नहीं डाला। मैं गुड़ और खंडसारी के विषय में माननीय गेंदा सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस मोशन के द्वारा सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का अवसर दिया है। हमारे यहां का ६० प्रतिशत तक गन्ना गुड़ खांडसारी में जाता है लेकिन गुड़ और खांडसारी के प्रति ऐसी भेदभाव की सरकार की नीति है। उस पर तरह तरह के लाइसेन्स और प्रतिबन्ध लगा कर अगर मूवमेंट को सफोकेट कर के जहां खंडसारी का भाव ऊंचा है वहां उसको न जाने देकर पिछले ३ साल में जो नीति बरती गई है उसका नतीजा यह है कि आज सारा व्यवसाय एक भयंकर परिस्थिति में है। मैं जाफरी साहब से क

कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो कोई बुरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसान मुबारकबादी का मुस्तहिक नहीं है। जाहिर भी है कि उनकी दृष्टि में तो मिल मालिक ही मुबारकबादी का मुस्तहिक हो सकता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा कि हमारा आप का सम्मिलित प्रयत्न होना चाहिये, इस व्यवस्था पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे ढीले होंगे, यह भी उन्होंने इशारा किया है, लेकिन जितना ही इस सरकार ने यहां गुड़ और खंडसारी के व्यवसाय को पीछे ढकेला है उतना ही इस प्रदेश के किसान का नुकसान हुआ है। महज कागजी स्टेटमेंट्स से काम चलने वाला नहीं है आपको हर गांव में एक मजबूत आरगेनाइजेशन गन्ने की खपत के सम्बन्ध में खड़ी करनी होगी। जो तकावी वगैरह बांटे और जो संगठित रूप से किसानों के हित में काम करे, जो संगठन टूट चुके हैं जो पहले गुड़ और खंडसारी के सम्बन्ध में सक्रिय थे उनको पुनः आपको जीवित करना होगा तभी आप इस परिस्थिति पर जो आज है काबू पा सकते हैं।

चौथी बात डेफर्ड प्राइस के सम्बन्ध में है। गन्ने की न्यूनतम प्राइस फिक्स होती है। जिस वक्त पिछले साल हम लोग गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में केन्द्रीय मन्त्री पाटिल साहब से मिलने गये थे तो उन्होंने हम से कहा था कि हम तो गन्ने की न्यूनतम कीमत फिक्स करते हैं और ज्यादा दाम लेने की किसी फैक्टरी या मिल मालिक को ज्यादा दाम देने के लिये कोई मुमानियत नहीं है। इस तरह के डेफर्ड प्राइस के सवाल को साइडट्रैक कर दिया जाता है। जिस वक्त एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जा रही थी और केन सेस में कमी की जा रही थी उस वक्त भी हम ने कहा था कि अगर मिल मालिकों के पास पैसा चला गया तो उनकी तिजोरी में जो चला जाता है वह फिर निकलता नहीं है। वह हमारी बात बिलकुल सही निकली और मिल मालिकों से अब वह पैसा निकल नहीं रहा है। आज सरकार तरह-तरह के उसूल बता कर जो मूल प्रश्न है उससे ध्यान हटाना चाहती है। इसका नतीजा यह है कि किसानों का ३० करोड़ रुपया आज मिल मालिकों की थैली में है।

एलेक्शन के ६ मास बाकी हैं और हमें और शासक दल के हर सदस्य को मालूम है कि इस सरकार का मिल मालिकों के प्रति साफ्ट कार्नर है। ऐसी हालत में मन्त्री जी गन्ना किसानों को किस तरह से मुबारकबाद दे सकते हैं, वह आज मिल मालिकों को चाहे जितना मुबारकबाद दें, लेकिन अगर उन्हें इस देश और प्रदेश की इकानामी को ठीक रखना है तो मिलमालिकों को मुबारक-बाद देते हुये भी किसानों के हितों की रक्षा करना होगा। मैं चाहता हूं कि गन्ने का भाव कम से कम १ रुपया १२ आना मन किया जाय और गन्ने का दाम घटाने के विषय में जो केन्द्रीय सरकार की आवाज है, उसको ठुकरा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह विषय ६–२० तक चलेगा, इसलिये इस वक्त तक सदन का समय आज को बढ़ा दिया जाय, इसमें सब एक मत हैं?

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने नियम ५३ में जो गन्ने के सम्बन्ध में विवाद उठाया है मैं उस पर अपना मत प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमन्, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है इस सरकार के सामने और केन्द्रीय सरकार के सामने भी, मगर उसका तो यहां प्रश्न नहीं है इस सरकार के सामने एक योजना बीती, दूसरी भी चली गई, और तीसरी भी लागू है, लेकिन सरकार के सामने कोई मूल्य नीति नहीं है। यदि सरकार हमारे सुझाव को मानकर, सोशलिस्ट पार्टी के सुझाव को मानकर कोई मूल्य नीति अपनाती, दाम बांधने की कोशिश करती—चाहे वह खेती की पैदावार हो और चाहे कारखाने की—और एक मूल्य नीति स्थिर करती तो मैं समझता हूं कि यह जो मुसीबत आई और जो आज हम बहस कर रहे हैं यह नौबत न आती।

श्रीमन्, बिलकुल सीधी सी बात है। हमने सिद्धान्त बताया कि कारखाने में जो माल पैदा होता है उसकी लागत के डेढ़ गुने से ज्यादा उसकी खरीद का दाम न हो। मिल मालिक, जो चीनी बनाते हैं, वह कारखाने में ८ आने सेर के लगभग उसको पड़ती है और मिलमालिक

[श्री उग्रसेन]

बाजार में उसको १ रुपये २ आने और १ रुपये ४ आने सेर बेचते हैं। हमारी मूल्य नीति के अनुसार उसका दाम १२ आने सेर से ज्यादा नहीं होना चाहिये। यदि २० रुपये मन कारखाने में लागत पड़ती है तो ३० रुपये से ज्यादा उसका दाम नहीं होना चाहिये। फिर भी हमने कह दिया कि ३२ रुपये मन से ज्यादा नहीं होना चाहिये। खेती की पैदावार में भी करीब २० आने के आस-पास किसानों का खर्चा पड़ता है। तो हमने कहा कि ३२ आने मन गन्ने का भाव रहे और ३२ रुपये मन चीनी का दाम रहे। लेकिन आज चीनी ४५, ४६ और ५० रुपये मन तक बिकती है। बस्ती में ट्रांस-राप्ती एरिया में ५५ रुपये मन तक बिकी, जहां का गन्ना आनन्दनगर और बलरामपुर शुगर मिल लेती है। कोई मूल्य का निर्धारण नहीं है।

उत्पादन का बड़ा हौआ खड़ा किया जा रहा है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्पादन ज्यादा हुआ और चीनी उठ नहीं रही है। तो किसकी गलती है अगर हमारी लिखी हुई किताब——मैं तो कोई लेखक नहीं हूं——को बाजार न मिले तो यह तो प्रकाशक और लेखक की गलती है कि इतनी घटिया किताब लिखी। चीनी नहीं उठती तो आप क्यों परेशान हैं? मिल को बन्द कीजिये। ऐसी खराब चीनी पैदा करते हैं कि जिसके लिये कोई गुंजायश नहीं है। दुनिया में जावा और क्यूबा के मुकाबले में चीनी में नहीं ठहर सके और अपना झंडा स० २६–२७ से बुलन्द किये हैं, सरकार ने उनको एकाधिकार दे रखा है। सरकार के कितने फर्मान गये हैं कि बढ़िया चीनी बनाइये? उनकी चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पैमाने पर कैमिकल एक्जामीनेशन कराके आपने कभी तम्बीह दी है कि खराब चीनी बनेगी तो नहीं उठेगी? उनके पीछे जबर्दस्ती आप जनता के भाग्य को बांध देंगे। आप हमें मजबूर कर रहे हैं और हमारी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है।

मन्त्री जी ने कहा कि मुबारकबाद इसलिये नहीं देता कि प्रति एकड़ उनकी पैदावार ज्यादा नहीं है। एकरेज बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिये कि गन्ना कैश क्राप है। सरकार हमेशा मिल मालिकों का फायदा कराती है। गन्ने का दाम कम हुआ तो भी उसका फायदा। दुतरफी मार मारती है। गन्ने का दाम कम हुआ, माननीय पाटिल जी की बात रह गई, सदन की बात नहीं रही। हमने दो रुपया मन गन्ने के दाम की बात कही, माननीय सदन पांडेय जी ने १ रुपये मन १२ आने की बात कही वह सुधार कर लें। हमने कहा कि २ रुपये मन गन्ना और ३२ रुपया मन चीनी। गन्ने का दाम सरकार ने कम कर दिया तो उससे बड़े लोगों का ही फायदा हुआ। चीनी का भाव बढ़ गया तब किसका फायदा हुआ? उसमें भी बिड़ला, टाटा, खेतान, नेवतिया, मोदी आदि का ही फायदा हुआ।

श्री अध्यक्ष——आपने कई मिल मालिकों को एक मन्त्र में फंसा दिया।

श्री उग्रसेन——श्रीमन्, मुझे तो ८७ मिल मालिकों के नाम याद थे, क्योंकि बम्बई में मैं मजदूरों का काम करता था। गन्ने के दाम घटाये बिड़ला का फायदा किया, चीनी के दाम बढ़ाये तब भी मिल मालिक का ही फायदा हुआ। मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं किसान का फायदा सरकार ने १३, १४ साल की जिन्दगी में किया है? नहीं किया।

डेफर्ड पेमेन्ट की बात मुझे याद है। रामकोला मिल में कुछ दिनों हड़ताल चली थी किसानों की, मैं स्वयं कांटे पर बैठा था, माननीय मन्त्री जी पधारे थे। बात यह तय हुई कि अतिरिक्त गन्ना पेर लेते हैं तो उसके अतिरिक्त दाम दिये जायं। मुझे याद है जब पश्चिमी जिलों के मिल मालिकों को ज्यादा दाम देना पड़ा था। पारगाल जब ज्यादा दिन सीजन बढ़ा तो बहुत सी मिलों ने मजबूर होकर गन्ना लेने के लिये कुछ दाम बढ़ा दिये थे। अब बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं जब से मुख्य मन्त्री जी हुये हैं। अब तो सवाल यह है कि हमारे नागरिक अधिकार और हकह-कूक कितने कम हों...

श्री अध्यक्ष——इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उग्रसेन—भारत में जो नेहरूवाद का जनतन्त्र है उसका एक खास तरीका है कि अगर किसी चीज को टालना है तो एक कमेटी बना दें। अब क्या हुआ ? सारा मामला टैरिफ कमीशन को चला गया। कम से कम ४ साल तो गवाहियां होंगी, तब टैरिफ कमीशन रिपोर्ट देगा जो पार्लियामेंट में पेश होगी और तब सरकार के अधिकार में होगा कि उस रपट को माने या न माने। तब यह घोषणा हुई थी, गेंदा सिंह जी जानते हैं, तो यही नहीं कहा था कि डेफर्ड पेमेंट आज से दिलायेंगे बल्कि कहा गया था कि दो साल पहले से दिलायेंगे। गन्ना किसानों की यह दुर्दशा हो रही है, डेफर्ड पेमेंट का यह हाल है। गन्ने के भाव को कम करने को पाटिल साहब क्यों बात करते हैं ? मन्त्री जी ने कहा कोई उन पर हमारा दबाव नहीं है कि हमारा प्रस्ताव माने ही। मैं याद दिलाना चाहता हूं जब १ रुपया १२ आना मन का प्रस्ताव पास हुआ और सम्पूर्णानन्द जी पर दबाव डाला कि आपने महज प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है या उसके बारे में कुछ लिखा भी है ? तो उन्होंने उस पत्र को यहां सदन में पढ़ कर सुनाया था, कार्यवाही में होगा, जिसमें लिखा था कि प्रदेश की सरकार जोरदार शब्दों में सिफारिश करती है कि यह भाव मान लिया जाय और केन्द्रीय सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी केन्द्रीय सरकार की भर्त्सना करें कि हमारी बात क्यों नहीं मानती। हिन्दुस्तान की आधी चीनी हम पैदा करें और गन्ने की कीमत तय करते समय हमारी राय न ली जाय यह गलत है।

खांडसारी के बारे में कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग पैदा करें। कैसे पैदा करें ? पारसाल एक प्रश्न आया था जब सीजन बीत गया था तो हमारे पास चिट्ठी आई थी कि देवरिया में १४ कोल्हू बांटे जायेंगे जबकि २०० कोल्हू की तकावी आई थी, वह आज तक नहीं वितरित हुई। अगर आप खांडसारी चाहते हैं तो बड़ा फालतू गन्ना है। यह मिलें बेकार हैं, इनकी मशीनरी बहुत पुरानी हैं जो हमारी आवश्यकता को कंटर नहीं कर सकतीं। कायदे से अगर देखा जाय तो इन पुरानी मशीनों को स्क्रैब में गलाकर छोटे-मोटे ट्रैक्टर बना दिये जाने चाहिये। अगर इन मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो तब जाकर ठीक होंगी।

खंडसारी को मन्त्री जी प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो जो खरीद टैक्स, लाइसेंसिंग टैक्स या और जितने प्रकार के टैक्स हैं वे सब खत्म कर दें और कह दें कि जगह-जगह लोग खंडसारी यूनिट्स बना लें फिर देखिये कि खंडसारी की उन्नति होती है कि नहीं। चीनी और गुड़ का सीजन साथ होता है मगर गुड़ सस्ता हो जाता है और चीनी उसी भाव पर रहती है, यह सरकार की करामात है।

श्री अध्यक्ष—माननीय जगबीरसिंह बोलेंगे, मगर पहले परिषद् से कुछ सूचना आई जिसे सचिव, विधान सभा प्रस्तुत करेंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१

सहायक सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१, जो विधान सभा द्वारा २८ अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से आज ३० अगस्त, १९६१ को बिना किसी सिफारिश के वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१

सहायक सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक,

[सहायक सचिव, विधान सभा]

१९६१, जो विधान सभा द्वारा २९ अगस्त, १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से आज ३० अगस्त, १९६१ को बिना किसी सिफारिश के वापस प्राप्त हो गया है।

नियम ५३ के अन्तर्गत प्रदेश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी खपत की व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में चर्चा—(क्रमागत)

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज गन्ने पर यहां विवाद मांगा। आज गन्ने का सवाल हमारे प्रदेश का ऐसा सवाल है जिससे किसान का बहुत बड़ा सम्बन्ध है। गन्ने के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ हमारे मुख्य मन्त्री का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। कुछ समस्या इस प्रकार की है जो एक जिले में कुछ है और दूसरे जिले में कुछ है। मुझे दुःख है कि आज तक कुछ बातों का जिक्र गन्ने के किसान के सम्बन्ध में इस सदन में नहीं किया गया। मैं आप का ध्यान विशेषकर एक बात की तरफ दिलाना चाहूंगा। जिस समय गन्ने की कीमत मुकर्रर की जाती है तो प्रदेश में कहा जाता है कि यह तो सेंटर की बात है। यह ठीक है कि सेंटर से गन्ने की कीमत मुकर्रर की जाती है। लेकिन हमारे इस आदरणीय सदन के सर्वसम्मति से गन्ने की १ रुपया १२ आने की कीमत का प्रस्ताव पास किया था। तो मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी का यह परम कर्त्तव्य है कि उस गन्ने के किसान के लिये जिसकी अगर आज प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहा जाय तो कुछ गलत नहीं होगा, उस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार से मनवाने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न करें और मुझे आशा है कि हमारे मुख्य मन्त्री हो सकता है इस प्रयत्न में सफल हों।

चाहे मिल गेट पर हो, चाहे परचेजिंग सेंटर पर हो, गन्ने की कास्ट आफ प्रोडक्शन दोनों जगह एक ही होती है, लेकिन मिल गेट पर गन्ने की कीमत १ रु० १० आने है और सेंटर पर १ रु० ८ आने दी जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस सवाल को केंद्रीय सरकार के सामने क्यों नहीं रखते कि मिल गेट पर जो कीमत गन्ने की दी जाती है वही सेंटर्स पर भी दी जाय। इतना ही नहीं, होता क्या है, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यान दें, मैं पहले भी एक मर्तबा एक पत्र के द्वारा मुख्य मंत्री जी को लिख चुका हूं परन्तु आजतक उस पर कुछ अमल हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता। हमारे जिले में एक अजीब समस्या है। गन्ने की कीमत मुकर्रर की जाती है १ रुपया ६२ नये पैसे गेट पर और १ रुपया ५० नये पैसे सेंटर पर जहां से रेल से गन्ने को ले जाया जाता है। और अगर कहीं सेंटर से रेल का इन्तजाम नहीं है और ट्रांसपोर्ट का जरिया ट्रक्स का है तो वहां ३ आने मन तक कीमत काटी जा सकती है, यानी १ रुपया ७ आने देना पड़ेगा। लेकिन हमारे जिले में कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर १ रुपया ७ आने मन भी मिल मालिक देना नहीं चाहते। कहा जाता है कि हम १ रुपया १० आने में से ३ आने काट कर १ रुपया ७ आने देंगे, लेकिन दिया जाता है १ रुपया ४३ नये पैसे जबकि होता है १ रुपया ४४ नये पैसे। इस एक नये पैसे की कमी की वजह से किसान का बहुत काफी नुक्सान बैठता है। इतना ही नहीं जब हम कहते हैं कि रेलवे इन सेंटर्स पर एक रुपया आठ आने मन गन्ने की कीमत मिलनी चाहिये तो हमें जवाब मिलता है कि हमें ट्रक से गन्ना ले जाना पड़ता है इसलिये नहीं देंगे। जब रेल मौजूद है तो मैं नहीं समझता कि मिल मालिक को क्या अधिकार है कि वह ट्रक से ले जाने की बात सोचें। हो सकता है कि अन्य किसी प्रदेश में ऐसी बात हो। लेकिन मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि तमाम प्रदेश में ऐसी समस्या नहीं है। उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि एक रामकोला सेंटर है जो मिल से २४ मील की दूरी पर है और वहां से गन्ना रेल द्वारा न ले जाया जाकर ट्रक से ले जाया जाता है। लेकिन गन्ने की कीमत वही एक रुपये आठ आने मन दी जाती है। इसी तरह से लखीमपुर का एक हरियाना सेंटर है जो १३ मील है। वह भी गन्ना ट्रक द्वारा ले जाया जाता है लेकिन कीमत १ रुपये ८ आने मन ही दी जाती है।

अगर मुख्य मंत्री जी मालूम करने की कृपा करेंगे तो ऐसे सेंटर्स हैं जहां रेल की सुविधा है और मिल मालिक ट्रक द्वारा ले जाता है तो वही कीमत देता है । लेकिन हमारे जिले के मिल मालिक अपनी मनमानी करते हैं और हमारी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्रीमन्, बुलन्दशहर में इस वर्ष भी जब डी०सी०ओ० ने लिखा कि कितनी कीमत मिल मालिकों पर बाकी है तो मैंने कहा कि क्या आपने फर्क भी लिख दिया है । इस पर डी०सी० ओ० ने कहा कि हम उसके लिये मिल मालिक से लिखा पढ़ी कर रहे हैं लेकिन वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं । जब कार्टेज के काटने की बात होती है तो उसकी मंजूरी डी०एम०देते हैं । लेकिन मिल मालिक किस तरह से काटते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है इस पर सरकार ध्यान दे और देखे कि जो किसान का पैसा वाजिब है उसके दिलाने का प्रयत्न किया जाय ।

श्रीमन्, जिस समय सीजन चलता है, उस समय कोई माननीय सदस्य जिनका गन्ने से जरा भी संबंध है, वह इससे इंकार नहीं कर सकता है कि हर सेंटर पर अंडर वेमेंट होता है । इसको रोकने के लिये सरकार को कोई न कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी । मैं इसके लिये एक सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सेंटरों पर औटोमेटिक कांटे लगवा दें इससे किसानों के साथ जो ज्यादती होती है वह बन्द हो जायगी । लेकिन इसके लिये मिल मालिकों को मजबूर करना पड़ेगा । इतना ही नहीं श्रीमन्. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को पीछे से कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिये वह बोल नहीं पा रहे हैं ।

श्री जगवीरसिंह—इतना ही नहीं श्रीमन्, जब मिल मालिक गन्ने की कीमत नहीं देते हैं तो कायदे के अनुसार १५ रोज के बाद हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है । किसान जो आज मुसीबत में है, बाढ़ में उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, उसके पास फसल भी नहीं बची है, इसके बाद उसे सिंचाई का तीन आने रेट भी देना है, इसलिये ऐसी दशा में माननीय मुख्य मंत्री जी का कर्त्तव्य हो जाता है कि किसानों को बचाने के लिये जो कीमत केंद्रीय सरकार ने गन्ने की निश्चित की है कम से कम उसको दिलाने का वह प्रयत्न करें ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गन्ने के ऊपर विवाद सदन में इस समय हो रहा है उसके संबंध में मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन में अपने विचार पेश करना चाहता हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वह बोल रहे हैं ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—मान्यवर, जो मुझे इस विवाद से मालूम हुआ है वह यह है कि किसानों का किसी तरीके से लाभ न हो,यह भावना सरकार की हमेशा रहती है । एक उदाहरण आपको दूं कि लकड़ी जो हम जलाते हैं वह गोरखपुर और लखनऊ गोंडा आदि शहरों के अन्दर भी ढाई और पौने तीन रुपये मनके भाव से बिकती है, लेकिन किसान का गन्ना १ रुपये १० आने मन में बिकवाया जाता है, जिसके लिये बड़ी उदारता से केंद्रीय सरकार द्वारा यह दाम दिलवाया गया है । इसमें भी हर प्रकार की कटौतियां टैक्स के रूप में तथा सोसाइटी टैक्स के रूप में होती है । वह सब काट कर उसे सिर्फ १ रुपये ५ आने मन का ही दाम मिलता है । यह दाम उस फसल के लिये जिसके लिये किसान साल भर परिश्रम करता है और जहां मिल मालिकों का फायदा होने को होता है तो उसके लिये सरकार क्या करती है । इस पर माननीय गवा सिंह जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है । अब उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वह यही कि उपमंत्री जी ने अभी कहा था कि एकरेज बढ़ाने के बजाय गन्ने की पैदावार अगर किसान फी एकड़ बढ़ावें तो ज्यादा अच्छा हो, वह मेरी समझ में ठीक नहीं है ।

[श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह]

गन्ने का रकबा चाहे कम हो या ज्यादा, जब पैदावार बढ़ेगी तो बात वही रही, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं । जब बेंचने का सवाल आता है तब सब को मालूम है कि कितना लम्बा सीजन होता है कि इधर तो अप्रैल और मई तक चलता है और उधर एक बार गन्ना सितम्बर में बोया जाता है और आगे फिर मार्च, अप्रैल में बोया जाता है । तो साल का साल गन्ना खेत में खड़ा रहता है । सीजन के लम्बे होने की वजह से मिल मालिक का फायदा होता है और पैदावार कम हो रही है,क्योंकि ज्यादा देर तक गन्ना खेत में खड़ा रहने के कारण सूख जाता है और जमीन की ताकत खिंच जाती है । सीजन ज्यादा लम्बे होने की बात उपमंत्री जी ने भी स्वीकार की है कि उसका प्रभाव किसानों पर पड़ता है । इसलिये इस बात की चेष्टा होनी चाहिये कि सीजन कम रहे । साथ ही किसानों को इस बात की भी छूट मिलनी चाहिये कि वह अपने गन्ने से चाहे तो गुड़ बनवाये या खंडसारी या अगर वह और किसी मिल को बेचना चाहे तो बेचे जिससे समय से उनका गन्ना बिक जाय और उन को ज्यादा नुक्सान न उठाना पड़े ।

श्रीमन्, कहा यह जाता है कि गन्ने का रकबा बढ़ाया जाता है इस लिये चीनी का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है और वह नहीं बिक पाती । लेकिन अगर फी एकड़ मांडेज बढ़ेगा तभी तो यही समस्या पैदा होगी । गन्ने का रकबा इस लिये बढ़ा है कि इस कृषि पदार्थों की कोई प्राइस पालिसी नहीं है । इस सदन में बार-बार मैंने कहा कि सरकार की एक निश्चित नीति होनी चाहिये कि गन्ने के अलावा जो और फसलें हैं, उनकी कीमत निर्धारित की जाय । तब किसान यह सोच सकता है कि वह कौन सी फसल कितने रकबे में बोये । मगर यह सरकार कुछ नहीं कर रही है । अगर खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित हो जायं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसान उससे भी निश्चिन्त हो कर गन्ने के रकबे को खामखा कम करेगा । गन्ने का रकबा बढ़ाने का दूसरा कारण यह है कि तेलहन और पोस्ता आदि जो कैश क्राप्स हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । पोस्ता का तो कल्टीवेशन बन्द कर दिया गया था । अब शायद प्रदेश के कुछ भाग में शुरू किया गया है । इस वजह से गन्ना ही एक कैश क्राप रह जाती है जो वह मजबूरन बोता है । अगर देखा जाय तो गन्ने की पैदावार में २०–२२ आने मन तक खर्चा करते हैं । दो तीन आने मन की सिर्फ बचत होती है । फिर भी वह गन्ना मजबूरन बोते हैं क्योंकि कोई और दूसरी ऐसी फसल नहीं है जिसके द्वारा जाड़े के मौसम में आमदनी हो सके । उसका सहारा ले कर किसान अपना काम चलाता है । इस लिये गन्ने का मूल्य सरकार को बढ़ाना चाहिये । इस सदन ने गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये जो सिफारिश की थी उसको स्वीकार करने के लिये इस सरकार को केंद्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये ।

गन्ना हमारे प्रदेश का खास व्यवसाय है । चीनी के व्यवसाय से सरकार को भी फायदा होता है । लेकिन किसानों के फायदे का जब सवाल होता है तो एक न एक अड़ंगा लगा दिया जाता है । गन्ने का मूल्य कम से कम २ रुपये चार आने मन होना चाहिये । इससे कम नहीं होना चाहिये । साथ ही साथ अन्य फसलों के मूल्य निर्धारण के लिये केंद्रीय सरकार को लिखा जाना चाहिये । अखबारों के जरिये से मालूम हुआ है कि केंद्रीय सरकार में इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि वह कुछ फसलों का मूल्य निर्धारण करने वाले हैं मगर मैं यह नहीं कह सकता कि यह कब होगा या प्रान्तीय सरकार का क्या विचार हो रहा है और वह सेंटर को क्या सुझाव दे रही है । यहां से सुझाव शीघ्र जाना चाहिये । जब तक हर फसल की कीमत निर्धारित नहीं होगी तब तक सिर्फ यह कह देने से कि गन्ने का रकबा बढ़ रहा है, काम नहीं चल सकता । इसको मैं नहीं मानता ।

गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभाग खोले गये हैं । इसीलिये केन कमिश्नर का आफिस स्थापित किया गया है कि फसल बढ़ायी जाय और जब गन्ने की फसल बढ़ी तो उसके लिये यह रोना है कि हम बेच नहीं सकते । यह लचर दलील है । इसके लिये आवश्यक है कि देहातों में कोल्हू वगैरह दिये जायं । जिला गोंडा में कोल्हू के लिये जो तकावी पार साल गई उसके वितरण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी और जहांतक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से मालूम हुआ है कुल जिले भर के लिये इस साल केवल ५ कोल्हू निर्धारित किये गये हैं । आप सोच सकते कि इस तरीके से जो अतिरिक्त गन्ना होगा यह कहां जायगा, सिवा इसके कि मई, जून में सूखे

इसके अलावा और कोई चारा नहीं है । इस लिये सरकार को चाहिये कि वह इस बात का सव करवाये कि किस एरिया में गन्ना ज्यादा है, वहां पर विशेष रूप से कोल्हू दे या और कोई इन्तजाम करें ताकि किसान अपना गन्ना सीजन के अन्दर खत्म कर सकें और उनकी गाढ़ी कमाई की फसल बरबाद न हो ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय,....

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, बोलने वालों की संख्या अधिक है इस लिये समय आठ मिनट कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, लेकिन यह श्री सुरथबहादुर शाह पर लागू नहीं होगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री ने जो हुब्बुलवतनी या देश प्रेम दिखाया और हम लोगों के प्रति जो भावनायें प्रकट कीं, मेरी यह समझ में नहीं आया कि वह किसको बेवकूफ और अहमक बनाना चाहते हैं । उनकी सद्भावनायें, उनके हृदय की असली भावनायें हम सन् ५५ से देखते चले आये हैं ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, मैं समझता हूं कि आखिर में अब इस वक्त किसी के मोटिव पर हमला न कीजियेगा । जरा ठंडे दिल से आज हम लोग बाहर जायं तो अच्छा होगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैं हमला नहीं करता किसी के ऊपर । लेकिन सरकार जो अपना देशप्रेम दिखाती है गन्ने के किसानों के ऊपर वह मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह हमारे गले के नीचे उतरें । चारों तरफ हर सूरत से हमको जकड़ना क्या यह प्रेम की निशानी है ? क्या यह हमारी बहबूदी और उन्नति का प्रदर्शन है ? श्रीमन्, मैं गन्ने का काश्तकार स्वतः हूं । मैं छः छः घंटे खेत जोत चुका हूं और अब भी जोतता हूं जब अवकाश मिलता है । लेकिन यह माननीय मंत्रीगण जो हमें सिखाते हैं यह जरा हमें बतावें कि कितने इनमें से काश्तकारी पर निर्भर हैं ? गन्ना हमारी रोटी है, इसलिये मैं जानता हूं कि गन्ना कितनी मेहनत और कितनी दुश्वारी से पैदा होता है । अगर उन्हें वाकई में हमारी उन्नति का ध्यान है तो वह यह हमको कृपया बतायें कि हमारा जो गन्ने का दाम है वह हमको प्राइस इन्डेक्स के हिसाब से क्यों नहीं मिलता । अगर वाकई में यह हमारी तरक्की चाहते हैं और वाकई में हमको सम्पन्न देखना चाहते हैं तो कृपया बतायें कि आठ आठ वर्ष से डेफर्ड पेमेंट क्यों नहीं दिलाया है । भारत सरकार की यह सरकार चेरी तो नहीं है, उसकी गुलाम तो नहीं है । और सब बातों में तो भारत सरकार इनकी बात मानती है, सरकार तो उलट सकते हैं जवाहर लाल जी के नाम पर, मगर जहां किसान के लिये चार पैसे की आमदनी का सवाल होता है वहां भारत सरकार इनकी नहीं सुनेगी ? मैं यह कैसे विश्वास करूं ? श्रीमन्, यदि यह सरकार अपनी जगह पर सत्य है तो यह उनसे मांग कर सकती है ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब २७ रुपये पर चीनी बेचने का प्रयास था तब सरकार ने १ रुपया १२ आना से घटाकर १ रुपया ७ आना और १ रुपया ५ आना मन दाम किया था । आज वह चीनी का दाम कहां पहुंच गया ? उस समय उन्होंने अपना वर्ड आफ आनर दिया था । एक प्रकार की कसम ही थी वह । उन्होंने अपना वचन दिया था कि यह भाव इस कारण किया जा रहा है कि हम २७ रुपये मन चीनी बेचवाने वाले हैं । आज चीनी का भाव ४५ रुपये और ५० रुपये मन पहुंच गया, मगर काश्तकार वहीं पर हैं । यदि प्राइस इंडेक्स पर ध्यान दिया जाय तो मैटीरिअल की १५८–१५९ के करीब प्राइस हो गई है, तो उसी के हिसाब से कृपया चलिये और बताइये कि गन्ने की क्या कीमत होनी चाहिये । माननीय सदस्य देवरिया, जिनकी बदौलत कि आज हमको इस विषय पर अपनी राय जाहिर करने का मौका मिला है उनके हिसाब से भी मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि यदि सरकार १२८ प्राइस इंडेक्स मानकर के चलती है तब भी १ रुपये १३ आने मन गन्ने की कीमत होनी

[श्री सुरथ बहादुर शाह]

चाहिये गो कि हमारी मांग २ रुपये से कम नहीं है। लेकिन उसके हिसाब से भी वह १ रुपये १३ या पौने चौदह आने मन से कम नहीं मिलना चाहिये। तो कहां गया उनका ख्याल हमारी बहबूदी का ? कहां गये उनके विचार हमारे कल्याण हेतु ? श्रीमन्, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम जागते जायेंगे और यह गन्ने का मसला हमें जगाता जा रहा है वैसे वैसे इस चीनी मिल मालिकों की गुलाम सरकार की पोल खुलती जायगी। गन्ने के मसले ने ही खीरी और तराई के इलाकों को जगाकर इनके पूरे के पूरे नुमाइन्दों को वहां से उड़ा दिया, और मुझे आशा है कि इसी प्रकार और चलता रहा तो इस गन्ने के मसले पर से धीरे धीरे वह स्वयं साफ होते जायेंगे।

उदाहरण हेतु अर्ज करूंगा कि हम लोगों ने श्रीमन्, दो दो आने प्रति मन कटौती का पैसा जमा करके साढ़े सत्रह लाख रुपया जमा किया था कि हमारी भी एक दिन कोआपरेटिव मिल होगी। लेकिन उसके बजाय ढाई लाख जहां जमा हुआ था वहां तो मिल दी गई, और हम लोगों के पैसे वापस कराये गये। फायदा किसको हुआ ? मारवाड़ी मिल को जो कि तीसरे या चौथे नम्बर पर समझी जाती थी इस प्रदेश में आज वह हिन्दुस्तान की सब से बड़ी मिल बनवा दी गई है। इस सरकार की बदौलत उनको रुपये मिले और इस सरकार के खुशामदी मुसाहिब चाहते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी उनकी तरक्की हो, क्योंकि सरकार को समय-समय पर इलेक्शन लड़ने के लिये उनसे रुपया मिल जाता है। जिन सज्जन का एम०पी० की सीट पर कब्जा था और उसको अपनी मानोपोली बनाये हुये थे, उनको उस सीट को रिक्त करना पड़ा और हम छोटे किसानों ने ही उनको हटाया। मैं माननीय मुख्य मंत्री से क्या यह पूछ सकता हूं कि क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि कैश क्राप और ग्रेन क्राप में आज कोई नई बात हो गई है ? भारत का किसान पहले भी कैश क्राप में तम्बाकू, अफीम और जूट वगैरा बोता था। अगर उसकी तुलना की जाय तो कैश क्राप थोड़ा बढ़ा जरूर है लेकिन प्रपोर्शनेटली अर्थात् अनुपात उतना नहीं बढ़ा है। अगर उनको यह डर है कि गन्ने की कीमत से चीनी का भाव गिर जायगा तो मैं बहुत नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने का भाव नहीं गिराना चाहिये। अगर वास्तव में चीनी के भाव को गिराना है तो सरकार को अपने सेस को, जो उसने २ रुपये से आरम्भ किया था और आज १४ रुपया सेस ले रही है, उस सेस को कम करना चाहिये। यह नहीं कि जब सेस आरम्भ में २ रुपया से शुरू किया और आज १४ रुपया ले रही है और जब दाम घटाने का समय आवे तो अपने सेस को बरकरार रखे और गन्ना उत्पादकों का दाम कम हो जाय।

आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों यानी गन्ना किसानों को चारों तरफ से जकड़ा जाता है। यहां तक कि कोआपरेटिव के अध्यक्ष जो बनाये गये हैं वह केन कमिश्नर बनाये गये हैं। उधर हमारा डेफर्ड पेमेंट नहीं मिला। प्राइस इन्डेक्स के अनुसार पैसा भी नहीं मिला। इस तरह से हम लोग चारों तरफ से जकड़े हुये हैं। जैसा कि पांडेय जी ने कहा था कि मिल वाले ऐसे हैं कि जो रुपया उनके पास चला जाता है वह निकलता नहीं है और निकलता भी है तो वह हम किसानों के लिये नहीं निकलता है। जिसके जरिये से उनको रुपया मिलता है उनके लिये जरूर निकलता है यानी यह सरकार और उसके कांग्रेस मंडल।

दूसरी बात यह है कि अगर वाकई गन्ने के भाव उन्होंने प्राइस इंडेक्स के मुताबिक नहीं बढ़ाये तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि यह उनके लिये बहुत घातक सिद्ध होगा। कारण यह है कि वही किसान, जो चीनी पैदा करता है, वह जानता है कि कितनी मुसीबत से पैदा होती है, अगर आप कंपैरेटिव प्राइस को लें और कैश क्राप और ग्रेन क्राप में डिफरेंस को देखें तो वह उतना नहीं रह जाता है जितना कि होना चाहिये और न उसकी तुलना अन्य किसी क्राप से की ही जा सकती है। दोनों प्रकार के क्राप, अर्थात् उपज, सदैव से रहे हैं और काश्तकार के हित में उन्हें सदैव रखना होगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चीन की तरह चीनी की समस्या भी समय-समय पर एक भयंकर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती

रही है। यह बताना कि इसमें कितनी वास्तविकता है और कितनी कृत्रिमता, इतने थोड़े समय में कदाचित मेरे लिये सम्भव न हो। मैं केवल आपकी आज्ञा से इस बात पर ध्यान दिलाने की चेष्टा करूंगा कि वास्तव में यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई और इसका निराकरण कैसे हो सकता है। हमने आज से एक साल या दो साल पहले मिलवालों का यह नारा सुना था कि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो चीनी का लक्ष्य है उतना उत्पादन नहीं हो सकता और उसके लिये एक बड़ी विषम परिस्थिति उनके सामने पैदा हो सकती है। इसके लिये उन्होंने केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार से यह आग्रह किया था कि वह गुड़ और खांडसारी, जिसमें ६० फीसदी गन्ना अब भी खपता है, उन पर प्रतिबन्ध लगाये। इंडियन मिल्स एसोसियेशन ने, जब उसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था, यह मांग की थी कि अगर गुड़ और खॉडसारी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तो जो टैक्स का डिफरेंस है, उसके कारण लक्ष्य के अनुसार चीनी का उत्पादन भी नहीं हो सकेगा। उस मांग के फलस्वरूप एक हाई पावर कमेटी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने बनाई जिसमें उत्तर प्रदेश और केन्द्र के एक्सपर्ट्स शामिल थे। और उस कमेटी की सिफारिश के फलस्वरूप वह रिस्ट्रिक्शंस सदन में प्रस्तुत हुये जिनका अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया। मैं स्वागत करता हूं मुख्य मंत्री जी को उस घोषणा का, और बधाई देता हूं उनको उस आश्वासन के लिये कि वह इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि गड़ और खांडसारी इस प्रदेश में ज्यादा बने, लेकिन इसके लिये वह क्या उपाय करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि इंडस्ट्री को नियंत्रण में रखने के लिये यह प्रतिबन्ध लगाये गये थे, वास्तव में ये रेस्ट्रिक्शन्स नहीं थे। यदि ऐसा होता तो बहुत अच्छा था लेकिन दुख की बात है कि ऐसा है नहीं। उनका मंशा रेस्ट्रिक्शन्स लगाने का था और इस बात को कहने का मेरा आधार यह है कि वह रिपोर्ट जिसकी पृष्ठभूमि थी। वह कारण था जिसके आधार पर यह रेस्ट्रिक्शन्स लगाये गये थे। उसके आधार पर क्रशर्स के लाइसेंस का आर्डर पास किया गया था। उस रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में इस बात को लिखा गया है कि मिल ओनर्स के रेप्रेजेन्टेशन पर यह कमेटी बनायी गयी थी और यह उसका वास्तविक उद्देश्य था। दूसरे मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यदि उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना उसका वास्तविक आधार होता तो मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस रेस्ट्रिक्शन द्वारा जहां गुड़ का निर्माण नहीं हो पा रहा है, सरकार ने उन एरियाज में कौन से कार्य ऐसे किये कि जिससे उस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलता? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया है और केवल उनका गला काटने के लिये और मिल वालों को संतुष्ट करने के लिये और उनकी मांग का समर्थन करने के लिये यह रेस्ट्रिक्शंस लगाये गये थे। आज स्थिति बदली और जो कुछ हम उस दिन कहते थे वही स्थिति सामने आयी। आज स्थिति यह है कि हमारे विभाग के एक्सपर्ट, इंडियन मिल्स एसोसियेशन के प्रेसीडेंट, आदि सब इस बात में सहमत हैं कि गुड़ और खंडसारी पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का यह कोई अवसर नहीं है। मैं आभारी हूं वर्तमान मुख्य मंत्री जी का कि उनकी कृपा से सुचेता जी ने पिछली २४ तारीख को राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस का शब्द प्रयोग किया था लेकिन वह मांग टेबिल कांफ्रेंस थी। उसमें प्रदेश के जिम्मेदार प्रतिनिधि थे और उसमें समस्या पर विचार हुआ और आज गेंदा सिंह जी की कृपा से हमें अवसर मिला कि हम इस पर यहां विचार कर सकें। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आज कोई वजह नहीं रह गयी है कि गुड़ और खांडसारी पर कोई नियंत्रण लगाया जाय। यदि आप इस समस्या को मीट करना चाहते हैं तो उसका एक मात्र उपाय यही है कि इस रेस्ट्रिक्शन को समाप्त किया जाना चाहिये जैसी कि एक्सपर्ट्स की और मिल वालों की भी राय है।

एक निवेदन और मैं करना चाहूंगा कि जिस वक्त उस कमेटी ने रिपोर्ट की थी कि रेस्ट्रिक्शंस लगाये जायं तो उस के साथ उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी न लगायी जाय। लेकिन उस सिफारिश की स्याही सूखने भी न पायी थी कि केन्द्र ने गुड़ और खांडसारी पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी और इस तरह से उस इंडस्ट्री पर एक दोहरा बोझ पड़ गया। श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय और दिया जाय। तो उसका परिणाम यह

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

हुआ कि ४० प्रतिशत क्रशर्स तमाम उत्तर प्रदेश में घट गये। यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं संख्या बता रहा हूं। जो विभाग द्वारा जांच हुई उसके आधार पर मैंने यह निवेदन किया है। तो जिस इंडस्ट्री में इतना इम्प्लायमेंट पोटेंशियल था, जिसमें इतनी बेरोजगारी दूर करने की क्षमता है वह ४० प्रतिशत घट जाय, यह एक चिंता का विषय होना चाहिये। और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार का भी हमेशा यही मत रहा है कि काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जाय और हमारे प्रदेश में उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। उसका केवल एक ही तरीका है कि गुड़ और खंडसारी जो हमारे प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोत्साहन मिले।

श्रीमन्, सेकेंड फाइव इयर प्लान में क्रिस्टल शुगर का टारगेट २५ लाख टन था। उस वक्त खांडसारी शुगर का टारगेट साढ़े ७ लाख टन था। उस समय बड़ी भारी चिंता का समुद्र उमड़ आया था कि हम उस टारगेट के पीछे हैं और उस समय मिल मालिक भी शोर मचाते थे और सरकार भी इसको सही मानती थी। लेकिन उस समय कभी किसी ने कोई आंसू नहीं बहाया कि जो साढ़े सात लाख टन का टारगेट था, वह आगे क्यों नहीं बढ़ा।

मान्यवर, समय का अभाव होने के कारण मैं अधिक विस्तार से कुछ न कह कर एक बात जो फीस रखी गयी है, उसके बारे में कहूंगा। जो आपने क्रशर पर नियंत्रण या फीस लगाई है वह बहुत ज्यादा है। आपने इन पर २०० से ३०० रुपये तक फीस रखी है जबकि बड़ी मिलों पर फीस केवल ५ रुपये ही है। अगर आप काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और ऐसी आपकी नीति है तो आपको इस फीस को कम करना होगा। अगर इस समस्या का निराकरण करना है तो आज की आवश्यकता यह है, आज जनता की मांग यह है कि आप इन सारे रेस्ट्रिक्शन्स को जो आपने क्रशर आदि पर लगाये हैं, हटा लें। तभी इस समस्या का, जो आज भयंकर रूप धारण किये हुये है, हल हो सकता है।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, आज समस्त प्रदेश में कुछ मुख्य मांगें इस सम्बन्ध में जनता की हैं। उनमें पहली मांग तो यही है कि गन्ने का दाम बढ़ाना चाहिये और दूसरी मांग यह है कि चीनी के दाम इतने कम हों कि साधारण व्यक्ति भी उसका इस्तेमाल कर सकें। इस सबके लिये आज कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता सिवाय इसके कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। मैं आभारी हूं माननीय गेंदा सिंह जी का कि उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय इस सदन के सामने रखा। आज यह मांग करोड़ो व्यक्तियों के जीवन से सम्बन्ध रखती है। सरकार की प्राइस पालिसी की असफलता का इससे बढ़ कर और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि एक ओर चीनी का उत्पादन बढ़ता जाय और दूसरी ओर उसकी प्राइस भी बढ़ती जाय। इसमें आज दो राय नहीं हैं कि चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है, और उसकी कीमत भी बढ़ी है। चीनी का उत्पादन बढ़े और फिर भी उपभोक्ता को चीनी इतनी महंगी मिले, यह चिंता का विषय है। इतनी महंगी चीनी कभी नहीं मिली जितनी कि आज मिल रही है। इसके साथ ही इतनी पैदावार भी कभी नहीं हुई जितनी कि अब हुई है।

श्रीमन्, आज हमारे सामने दो वर्ग हैं, दो व्यवस्थायें नहीं हैं जैसी की दुनिया में आज हैं। एक तरफ हमारे प्रदेश में ७० चीनी मिलें हैं, ७० मिल मालिक हैं, दूसरी तरफ २० लाख गन्ने के काश्तकार हैं। इस तरह से अगर चीनी के दाम कम हुये होते तो उसका औचित्य मामूली आदमी के दिमाग में भी आ सकता था। अगर चीनी के दाम कम किये गये होते, मजदूर जो मजबूर होकर किसान के घर से निकल कर चीनी मिलों में काम करता है उसकी मजदूरी भी बढ़ गयी होती तो शायद इस प्रस्ताव का औचित्य न होता। लेकिन चीनी महंगी हो गयी, गन्ने के दाम कम रहे और मजदूरी कम हो गयी तो पूंजीपति जो मिल-मालिक हैं, वह दोनों तरफ से लूट रहे हैं। सस्ते दाम पर गन्ना लेना और महंगे दाम पर चीनी देना, इधर भी लूट और उधर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी लूट कर रहा है। मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार जो हमारे देश और प्रदेश में है यह सब उसकी कृपा से ही संभव है और ये ऐसे मौके आते हैं जब सरकार का क्लास कैरेक्टर क्लियर हो जाता है। मीठी मीठी बातें तो सब एक ही प्रकार की करते हैं लेकिन जब डिसाइसिव फैक्टर आता है पार्टियों के जीवन में, सरकारों के जीवन में, तब क्लास कैरेक्टर साफ होता है।

७० चीनी मिलों को प्रश्रय, प्रोत्साहन, पालन और उनके साथ नरम नीति और २० लाख गन्ना काश्तकारों के साथ तथा एक लाख मिल मजदूरों के साथ सख्ती की नीति और उनके साथ सौतेली मां ऐसा बर्ताव, यह प्रमाणित करता है कि वर्तमान सरकार का वर्ग कैरेक्टर क्या है। आपको याद होगा श्रीमन्, आपकी अध्यक्षता में माननीय भीखालाल का ऐतिहासिक प्रस्ताव इस सदन ने पास किया था कि गन्ने की कीमत एक रुपया १२ आने मन होनी चाहिये। वैसे तो आज चीनी की महंगाई को देखते हुये गन्ने के दाम २ रुपये मन होने चाहिये, लेकिन उसको छोड़ दिया जाय। जो प्रस्ताव माननीय सदन ने पास किया है उसको भी तो आनर होना चाहिये। हमारे पड़ोसी बिहार ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया। दो सूबों की सबसे बड़ी पंचायतें प्रस्ताव पास करें, १० करोड़ जनता और उसके प्रतिनिधियों की मांग हो कि गन्ने के दाम बढ़ने चाहिये और जब वह मांग बड़े दरबार में पहुंचती है, दिल्ली दरबार में, तो उसको ठुकरा दिया जाता है। इससे बढ़ करके इस सरकार के वर्ग चरित्र के विषय में और क्या कहा जाय।

माननीय जगदीशशरण ने काफी खांडसारी के सम्बन्ध में कहा, लेकिन सरकार फ्री इंटरप्राइज को एलाऊ तो करे, गुड़ और खांडसारी का मुकाबिला चीनी से होना चाहिये और गन्ने पर जो कंट्रोल है कि उसे चीनी मिलों को जरूर दें, उसे सरकार हटाये तो खांडसारी और गुड़ से फिर चीनी का मुकाबिला होगा और चीनी का दाम कम करना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त अवश्य है कि उनकी तिजोरियों में कमी अवश्य आ जायगी और कोई उपाय दिखायी नहीं पड़ता सिवाय इसके कि चीनी का दाम कम किया जाय और गन्ने का दाम बढ़ाया जाय और इन लोगों की तिजोरियों की मोटाई को कम किया जाय।

मान्यवर, सेंटर और गेट पर गन्ने का दाम एक ही होना चाहिये। जो ३ आना मन बढ़ाया गया है वास्तव में वह भी रह नहीं जाता है। सेंटर और गेट पर एक ही रेट होना चाहिये और उसका खमियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना चाहिये जो लोग उसके भुगतने के लायक हैं।

पिछले वर्ष पूर्वी यू०पी० की बहुत सी चीनी मिलों ने पौने दो रुपये तक चीनी का दाम दिया और कई महीने तक दिया। इससे साफ जाहिर है कि उनकी देने की कैपेसिटी है लेकिन सरकार ही किसानों का गला दबा रही है। ये मौत के सौदागर और खून और मौत के व्यापारी जो कुछ कर रहे हैं उसके विरुद्ध गवर्नमेन्ट को सख्त नीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन इस सरकार से क्या आशा की जाय जबकि वेज बोर्ड की रिपोर्ट भी अभी तक लागू नहीं हुई है। कोशिश तो हो रही होगी लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पायी है।

यह भी कहा गया कि गन्ने की काश्त बहुत बढ़ गयी है। लेकिन यह भी आपकी अनप्लान्ड नीति का परिणाम है। जो चाहे बोये, जो चाहे न बोये। जब आप जानते थे कि गन्ने की काश्त बढ़ रही है तो आपको ऐसे मेजर्स लेने चाहिये थे कि आवश्यकता से अधिक न बढ़ पाती। इसलिये अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि गन्नेका काम बढ़े, चीनी का दाम कम हो, पूंजीपतियों का मुनाफा कम हो तथा चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

*श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मंत्री जी ने यहां सदन में बताया कि इस प्रदेश में गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिये कृषकों को मुबारकबाद नहीं दिया जा सकता। गेंदा सिंह जी कृषकों के आदमी हैं। यह मैं इसलिये मान रहा हूं क्योंकि उन्होंने ही यह मांग किसानों की तरफ से उठायी है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में काफी बताया कि गन्ने की पैदावार अधिक होने के क्या कारण हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बरेश्वरप्रसाद]

उनमें से जो विशेष कारण हैं वे ये हैं कि सरकार ने मिल मालिकों की रक्षा के लिये ही गन्ने की पैदावार को प्रोत्साहन दिया लेकिन किसान के लिये दरवाजा बन्द कर दिया और कह दिया कि और किसी प्रकार से गन्ने का प्रयोग वह नहीं कर सकता। लेकिन इसके विरुद्ध मिलों को हर प्रकार का बढ़ावा दिया। दूसरा इसका कारण यह है कि किसान की कोई भी पैदावार ऐसी नहीं है जो सुरक्षित रूप से उसके गोदाम में पहुंच सके। गन्ना ही एक ऐसी क्राप है जो काफी रेजिस्ट करती है। अगर पानी ज्यादा पड़ जाता है तो भी वह पैदा हो जाता है, कम पड़ता है तो भी हो जाता है, जबकि दूसरी फसलें नहीं बच पातीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि गन्ने का क्षेत्रफल इसलिये बढ़ता जा रहा है कि गन्ने को ही सरकार बढ़ावा दे रही है। और किसी फसल के लिये किसी प्रकार का कोई बढ़ावा इस प्रादेशिक सरकार द्वारा नहीं मिलता है और जब यहां पैदावार बढ़ायी जाय तो वे कहते हैं कि क्यों बढ़ायी। जब केन डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से कोई योजना बनती है तो उसमें गन्ना आगे आता है लेकिन जब पैदावार बढ़ा कर लाते हैं तो उस समय यह जवाब दिया जाता है कि तुमने बहुत ज्यादा पैदा किया है। अध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। एक भेड़िया था और एक बकरी थी। एक धारा के ऊपर भेड़िया पानी पी रहा था और बकरी नीचे थी ज पानी पी रही थी। भेड़िया ने बकरी से कहा कि तुम नाले का पानी जूठा कर रही हो, इस पर बकरी ने कहा कि मैं तो नीचे हूं और आप ऊपर हैं, इसलिये मेरे जूठा करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस पर भेड़िया कूद कर नीचे चला आया और कहा कि मुझ से जबान लड़ाती हो। मैं समझता हूं कि यही हालत इस सरकार की भी है कि पहले तो उत्पादन बढ़ाने की लिये कहती है लेकिन जब उस चीज का उत्पादन बढ़ने पर उसका फल लेने का सवाल आया तब उसने कह दिया कि तुमने बहुत ज्यादा पैदा कर दी है। एक तो आप बड़ी कृपा यही करते हैं कि किसानों को गन्ने का दाम १ रु० ५० नये पैसे मन के हिसाब से दिलवा देते हैं। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता साथी ने कहा कि बहुत सी मिलें ऐसी हैं जो न मालूम कितने सालों से लगी हुई हैं और एक तरह से सड़ गयी हैं। यह सच है कि बाम्बे वाले अपनी मिलों में चीनी की रिकवरी अधिक करते हैं क्योंकि वे गन्ने का रस पूरी तरह से पेर लेते हैं लेकिन पुरानी मिलें गन्ने का रस पूरी तरह से नहीं निकाल पातीं जिससे रिकवरी कम होती है। इन पुरानी मिलों में रिकवरी कम होने से उसका भार भी गरीब किसानों पर ही पड़ता है। अगर गन्ना सूख जाता है तो शक्कर की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह से आज हालत यह है कि सरकार काश्तकारों को अपने गन्ने का सदुपयोग करने से भी रोकना चाहती है।

कुछ वर्ष पूर्व खांडसारी यहां का मुख्य व्यापार था। उस व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने इतना जोर किया कि इतना बड़ा लाइसेंसिंग ऐंड रेगुलेशन टैक्स लाद दिया जिस से वह व्यापार ही ठप हो गया। आज फिर उस व्यापार को पुनर्जीवित करने की समस्या इस सदन के सामने पेश है। अध्यक्ष महोदय, किसी व्यापार को कुचल देना तो आसान काम होता है लेकिन उसी व्यापार को बढ़ाने के लिये जब प्रश्न आता है तो उस व्यापार के सिलसिले में जिन व्यापारियों को पहले काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ गयी होती है उसको फिर से सम्भालने के काम में कुछ अधिक सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है लेकिन आज तक सरकार द्वारा इसको प्रोत्साहन देना तो अलग रहा, यदि वह किसी तरह से अपने गन्ने को रिजर्व्ड एरिया से कहीं बाहर ले जाना चाहता है तो इसके लिये भी उसे इजाजत नहीं दी जाती है चाहे उस एरिया के लिये वह गन्ना बेकार ही पड़ा क्यों न रह जाय। वहां पर कोई छोटी मोटी खांडसारी की योजनायें लगाना चाहता है तो ऐसी हालत में इस सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि इस प्रदेश में पैदा की हुई जो भी वस्तुयें हैं उनको बाहर बाजार में भेजने का प्रबंध करे। अगर कोई ज्यादा दाम पर अपना गन्ना बाहर ले जाकर बेचना चाहता है तो उसके लिये भी सरकार इजाजत नहीं देती है। मैं तो कहूंगा कि यह इस सरकार की नाकामयाबी है कि वह ज्यादा दाम पर उसे बेचने भी नहीं देती और उसकी तरफ से किसानों को गाइड करने का भी कोई प्रबंध नहीं है कि हम कौन चीज कितनी पैदा करें। इससे अधिक असफलता का उदाहरण क्या हो सकता है कि अगर हम अपने आप कोई उन्नति करना चाहें तो उसे करने भी नहीं दें।

*श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, परसों और आज शाम से जो विवाद हमारे सदन में चल रहा है उसको मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। मैं प्रदेश के उस अंचल का रहने वाला हूं जिसमें देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ आदि कई जिले हैं। गन्ने का उत्पादन हमारे प्रदेश में एक अच्छा स्थान रखता है। लेकिन में अपने अपोजीशन के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ जहां वे सरकार से ये सब पूछ रहे हैं, वे स्वयं अपने लोगों से ही इसे पूछ कर अपनी सुबुद्धि का परिचय दें।

श्री अध्यक्ष---इस समय विवाद बहुत ऊंचे स्तर पर चल रहा है, आप उसी स्तर को कायम रखें।

श्री राजदेव उपाध्याय---श्रीमन्, मेरा स्तर काफी ऊंचा है। मैं कह रहा था कि विरोधी पार्टी के सदस्य अपनी सुबुद्धि का परिचय दें। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि सरकार १३ वर्ष से किसानों को मार रही है। श्रीमन्, मैं अपने मित्रों का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊंगा कि जब इस प्रदेश में २ आना, ४ आना और ६ आना मन गन्ना बिक रहा था, वह समय भी हम ने देखा है और आज गन्ना यहां १ रुपया १० आना मन बिक रहा है। पिछले साल जब असेम्बली में प्रस्ताव आया था तो उस वक्त उधर से केवल १ रुपया १२ आना मन की मांग थी और उस वक्त हमारा प्रस्ताव था कि कम से कम गन्ने का दाम २ रु० मन होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग किसान और मजदूरों के हित में लगे हैं और हमारा दल, जो सहानुभूति और दल किसानों से रखते हैं, उस से अधिक सहानुभूति उन के साथ रखता है। हमें जो सरकार की कठिनाई है और जो सूबे की कठिनाई है उस को भी सामने रखना चाहिये। हमारे सूबे ने इस साल ४० करोड़ मन गन्ना पैदा किया है जिस की कीमत ६० करोड़ रुपया हुई। हमारे यहां चीनी का कास्ट आफ प्रोडक्शन ७०० रुपया प्रति टन है जबकि दूसरे देशों में ४०० रुपया प्रति टन है लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमारी सरकार ने चीनी को खपाने का प्रबन्ध किया है वह सराहनीय है। माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने, श्री राज नारायण जी के और श्री शिब्बनलाल सक्सेना के आंकड़े दिये। हमने उन सब को देखा, इस सरकार के आंकड़ों को भी देखा और भारत सरकार के आंकड़ों को भी देखा। हमने इस बात को भी महसूस किया कि फारेन की चीनी और हमारी चीनी में काफी असमानता है लेकिन में मंत्री महोदय को और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं इस माने में कि चन्द साल पहले अमरीका में गेहूं का इतना स्टाक जमा हो गया था कि वह समुद्र में डुबाना पड़ा लेकिन आज हमारे यहां का चीनी का स्टाक न डुबाया जा रहा है और न बर्बाद किया जा रहा है बल्कि सरकार अरबों रुपये का घाटा बर्दाश्त कर के अपनी चीनी क्यूबा और अमरीका भेज रही है है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिये वह दिन दूर नहीं जब यहां का किसान सुख में होगा और हम इसमें किसी से पीछे नहीं हैं।

गन्ने के बारे में जो दूसरी कठिनाई है उस की ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि पारसाल हमारे यहां मिलें एक मास पहले चलवाई गई थीं और इस साल भी अनुमान है कि बावजूद बाढ़ आदि के १० प्रतिशत गन्ना पिछले साल से अधिक होगा और साधारणतौर पर हमारी मिलें उस गन्ने को नहीं पेर सकेंगी। हमारे यहां एक बड़ी गम्भीर समस्या गन्ने की है। चाहे माननीय गेंदा सिंह हों या माननीय राजनारायण जी हों, कोई हो, सभी इस बात को मानेंगे कि गन्ने की समस्या एक गम्भीर समस्या है, इसलिये मेरी सदन में माननीय मुख्य मन्त्री से अपील है कि इस साल मिलें कम से कम डेढ़ मास पहले चलाई जायं और ऐसे आदेश भेजे जायं। पारसाल जिस तरह से गन्ने की पेराई के आदेश आखिर सीजन में भेजे गये और रामकोला आदि मिलें आखिर तक चलीं, बरसात आ चुकी थी और किसान गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं थे लेकिन सूरज की रोशनी की तेजी में वह गन्ना ले जाते रहे और एक एक गन्ना उन का पेरा गया और किसी का गन्ना बाकी न रहा, और मिलें उस वक्त तक चलती रहीं। उन का सुझाव अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजदेव उपाध्याय]

२ रुपये मन का है तो मैं तो कहूंगा कि ढाई रुपया मन का भाव गन्ने का किया जाय, आज किसान मुसीबत का मारा हुआ है इसी से उसको पैसा मिलता है। उधर के भाई १ रुपया १२ आना मन की बात कह रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि किसान आज परेशान है, वह मुसीबत का मारा हुआ है। उस की कठिनाई को देखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी जो वरिष्ट अधिकारी हैं, वह भारत सरकार से लड़ेंगे कि गन्ने का भाव ढाई रुपया होना चाहिये, इससे कम नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आज मैं आपके द्वारा अपने प्रदेश के जो करोड़ों मूक कंठ हैं उनकी बात को गुंजरित करना चाहता हूं। पहले मैं यह कह देना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने सरकार की ओर से जो सफाई पेश की है, यदि वह सफाई पेश न की होती तो ज्यादा अच्छा था। जाफरी साहब एक अच्छे वक्ता हैं और सरकार की लचर नीति और दलील को भी अपनी वक्तृता के द्वारा इस सदन में अच्छे प्रकार से पेश करते हैं। इसमें उनको कुशलता प्राप्त है, इस बात को मैं जानता हूं। मगर जो सत्य है वह सत्य है। मैं रऊफ साहब से इतना ही निवेदन करूंगा कि वह सत्य को सत्य मानने की कृपा करें। क्या यह सही नहीं है कि आज तक सरकार की कोई दाम सम्बन्धी नीति नहीं है? अगर सरकार के पास दाम सम्बन्धी नीति कोई है तो क्या यह भी सही नहीं है कि वह असंतुलित है? क्या सरकार आज तक उस शैशवावस्था में विचरण नहीं कर रही है जबकि प्राचीन काल में---हमारे मित्र झारखंडे राय जी बैठे हैं, मैं सबसे ज्यादा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज का केवल दो वर्गों में पूंजीवाद और समाजवाद में ही आज विभक्तिकरण क्यों नहीं है? जनतंत्र की प्रणाली और जनतन्त्र की व्यवस्था---अगर अंग्रेजी शब्दों से ही बहुत प्रेम हो तो डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक मैथड---इन दोनों के अन्तर को सदन के सम्मानित सदस्य समझें और विशेषकर झारखंडे राय जी समझें, क्योंकि वह जिस परम्परा का प्रतीक अपने को समझते हैं उस परम्परा ने भी कैपिटलिस्टिक मैथड, पूंजीशाही तरीका ही अख्तियार किया है। ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश की मगर उसी तरीके को अख्तयार करके जो कि अमेरिका और इंगलैंड में उत्पादन का है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। तो जो लोग यहां पर यह कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, जनतन्त्रवादी हैं, एक वाक्य में हम उनसे इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था की प्रणाली भी समाजवादी होगी। वह विकेन्द्रित व्यवस्था होगी, विकेन्द्रित प्रणाली होगी। हैवी इंडस्ट्री केन्द्रित नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को देखा जाय, झारखंडे राय जी की पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को भी देखा जाय। दोनों पार्टियों के चुनाव घोषणापत्र में इस बात को मान्यता प्राप्त है कि वह भारी उद्योग-धंधों की प्रणाली में विश्वास करती है। तो जो पार्टियां भारी उद्योग-धंधों की प्रणाली में विश्वास करेंगी वह हिन्दुस्तान ऐसे मुल्क में जनतन्त्र और समाजवाद की व्यवस्था नहीं चला सकतीं। यह ध्रुव सत्य है। अगर आज कोई नहीं मानता तो दो-एक वर्ष के बाद मानने लगेगा क्योंकि हमने जो बात कही है उसको लोग धीरे-धीरे मानने लगे हैं।

क्या यह सही नहीं है कि टैरिफ बोर्ड की सन् १९४९-५० की रिपोर्ट में सारी मदों को जोड़कर बिलकुल साफ साफ यह बताया गया कि अगर १ रुपये ५ आने मन गन्ना हो तो चीनी २१ रुपये मन, १ रुपये ७ आने मन गन्ना हो तो चीनी २३-२४ रुपये मन, १ रुपये १० आने मन गन्ना हो तो चीनी २७-२८ रुपये मन, और १ रुपये १२ आने मन गन्ना हो तो ३० रुपये मन चीनी का दाम होना चाहिये? यह टैरिफ बोर्ड की रिपोट में है, और सरकार सन् १९५० के पूर्व जाय तो देखेगी कि सन् १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५० और १९५०-५१ में गन्ने का भाव जब १ रुपये ७ आने मन, १ रुपये १० आने मन और १ रुपये १२ आने मन रहा है तो कभी भी चीनी की कीमत ३३-३४ रुपये मन से ज्यादा नहीं हुई है। आज क्या कारण है कि किसान के गन्ने की कीमत तो १ रुपया ७ आने और १ रुपये १० आने मन हो और चीनी ४० रुपये से कम फी मन कभी न बिके? ४० रुपये तो हमने कह दिया, मगर चीनी १ रुपये २ आने सेर,

१ पये ४ आने सेर और १ रुपये ८ आने सेर तक बिक रही है। फिर मैं क्या यह धृष्टता करूं आपके द्वारा श्रीमन्, मुख्य मन्त्री जी से जानने के लिये कि क्या यह किसानों का हित हो रहा है? क्यों साफ-साफ सरकार स्वीकार नहीं करती कि आज जो उसकी आर्थिक प्रणाली है उसमें किसानों का हित होना सम्भव नहीं है ? सरकार को स्पष्ट करना चाहिये। हो रहा है कुछ और लेकिन सरकार अपनी तार्किक प्र ाली से कुछ सिद्ध करना चाहती है, यह देख कर हमें दुख होता है कि क्या सरकार इस तरह की अशुद्ध प्रणाली को अपना कर मुल्क का निर्माण कर रही है? अपने को सदाचारी बना रहे हैं? बापू जी ने कहा था कि किसी राष्ट्र का निर्माण साजिश, तिकड़म और गलत तरीके को अख्तियार करके नहीं किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या किसान के गन्ने की कीमत जब तय की जाती है तब खेत का लगान, बीज की कीमत, गन्ने की कीमत, पानी और खाद की कीमत और उसकी अन्य मेहनतों की कीमतों को जोड़ कर तय की जाती है? क्या सरकार ने कभी भी इन तमाम बातों को मद्देनजर रख करके गन्ने की कीमत तय की है? अगर सरकार ने ऐसा किया होता तो मैं कह सकता हूं चाहे कोई कमेटी बैठाती जो संतुलित दाम नीति को चलाने वाली नीति को मानती, तो ४० रु० मन अगर चीनी की कीमत है तो गन्ने की कीमत ढाई रुपये मन से कम नही हो सकती है। बारबार सोशलिस्ट पार्टी ने सदन में सुझाव दिया है कि संतुलित न्याय पूर्ण नीति, अपनायी जानी चाहिये। दाम तय करते वक्त क्या कभी भी कोई किसानों के प्रतिनिधि, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि बुलाये जाते हैं? कभी नहीं। मिल मालिकों के प्रतिनिधि अच्छी तरह से सरकार को मिल जाया करते हैं और वही पुरानी, जिसको मैं कह सकता हूं एक शब्द में, वंश परम्परागत गुलामी का दृष्टिकोण लेकर बड़े अधिकारी बैठ करके एक निर्णय ले लिया करते हैं। अतः मैं कहूंगा कि सरकार अपनी गन्ने से सम्बन्धित सभी नीतियों में परिवर्तन करे। किसान के गन्ने की कीमत दो रुपये से कम नहीं होनी चाहिये और चीनी की ३२ रुपये मन से ज्यादा नहीं होनी चाहिये, जो खांडसारी की व्यवस्था को विकसित करने के लिये वांछनीय है।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया.....

श्री अध्यक्ष--बहुत मीठे शब्दों में बोलियेगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं भी उसी अंचल से आता हूं जहां से माननीय राजदेव उपाध्याय जी आते हैं और एक तरह से कहा जाय तो इस प्रदेश का वह पूर्वी अंचल द्वार है जहां गोरखपुर और देवरिया जिले में सारे प्रदेश एक बटा तीन और पूरे देश में उत्पादित चीनी का छठा हिस्सा चीनी उत्पादित होती है। उन्होंने एक बात कही कि सरकार ने गन्ने के दाम में बढ़ोत्तरी की, ६ आना मन से बढ़ा कर १ रु० १० आना कर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर वह भी हमारे मित्र होते तो मैं उनसे कहता कि अपने दिमाग पर जरा जोर डालें क्योंकि अंग्रेजी शासन और उसके समाप्त होने के बाद इस शासन में, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है कि गन्ने का दाम ६ आना मन से २ रु० या ढाई रुपया मन हुआ। प्रश्न यह है अंगेजी शासन और स्वराज्य होने के तुरन्त बाद दो साल तक गन्ने के दाम का अनुपात चीनी के दाम से क्या था? मैं यही कहना चाहता हूं, मुझे याद है कि १९४७ में जब गन्ने का दाम दो रुपया मन था तो चीनी ३५ रु० ७ आना मन थी। उस अनुपात से अगर देखा जाय तो चीनी के दाम में गन्ने का दाम अंग्रेजी राज्य में ६२ प्रतिशत से अधिक मिलता था। और जब अपना राज्य हो गया, प्रगतिशील हुकूमत बन गई तब आज हमको मिलता है चीनी के दाम में गन्ने का दाम ५० प्रतिशत। इससे अधिक शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। ये कहते हैं कि हम किसानों का भला चाहने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से इस दावे को नहीं मानता। पिछले दस साल का रेकार्ड आपके सामने है। प्रति वर्ष चीनी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

दाम में गन्ने की कीमत काट दी जाती है। आज इन्सान के रूप में दो लुटेरे गन्ने के व्यवसाय में भिड़े हुए हैं और किसानों का गला काट रहे हैं। जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने कहा, जिस समय गुड़ और खांडसारी के ऊपर कंट्रोल लगा उस समय सदन के प्रत्येक सदस्य ने निवेदन किया कि इनके ऊपर से कंट्रोल हटा दिया जाय, यह घरेलू उद्योग-धंधा है और लाखों आदमी इस पेशे से अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए। एक अर्थ शास्त्री का यह कहना है कि जब माल अधिक हो तो वह सस्ता होना चाहिये, लेकिन यहां चीनी अधिक है फिर भी बाजार में महंगी है। इसका एक ही मतलब है कि सरकार और चीनी मिल मालिक, दोनों के मुंह में खून लग चुका है और वह खून बिना उनके दांत टूटे हुए छूटेगा नहीं। आज ये दोनों मिल कर अधिया करते हैं। आज जो २० लाख परिवार उत्तर प्रदेश के गन्ने की खेती करते हैं उसकी कीमत में आधा आधा हिस्सा है सरकार और मिलमालिक का। ये किस तरह अधिया करते हैं? अभी उन्होंने कहा कि गन्ने का दाम १ रुपया १० आने मिल गेट पर और १ रुपया ८ आने परचेजिंग सेन्टर पर। अगर वह सेन्टर रोड-वे पर हैं तो उसका किराया कुछ अधिक पड़ता है। अगर हम गन्ने को किराया दे कर परचेजिंग सेन्टर पर भेजें तो ४ आने दाम काट लेते हैं। इस तरह जहां १ रुपया १० आने कीमत है वहां १ रुपया ६ आने रह गये और जहां १ रुपया ८ आने हैं वहां १ रुपया ४ आने रह गये। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी और इनका केन सेस, यह सब मिला कर १ रुपया ४ आने प्रति मन से अधिक टैक्स पड़ता है। आज इससे ५० करोड़ रुपये की आमदनी केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार को है। तो इतनी बड़ी लूट सरकार कैसे छोड़ सकती है ?

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के हिसाब से किसी भी सूरत में गन्ने की कीमत २ रुपये मन से कम नहीं होनी चाहिये और सीजन कभी नहीं बढ़ना चाहिये और खांडसारी और गुड़ को बिलकुल फ्री करना चाहिये, जिस तरह से किसान चाहे गन्ने को इस्तेमाल में लाये, जहां चाहे उसे बेचे। इतने बड़े व्यवसाय को, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है, हर प्रकार की सुरक्षा सरकार को देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ६ बज कर १९ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
३० अगस्त, १९६१।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२२ पर।)

No. 04039/IIB-48

FROM

SHRI B. P. BAGCHI, I. C. S.,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES.

To

ALL DISTRICT OFFICERS,
UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow: November 25, 1948.

Subject : **Courtesy Calls**

Sir,

I AM directed to say that it has been decided that District Officers on arrival in a new district should pay courtesy calls on the Chairman of the Municipal Board and the President of the District Board. Such calls will be returned by the Chairman and the President.

Yours faithfully,
B. P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

No. 04039(1)/IIB-48

COPY forwarded for information to all Commissioners, United Provinces.

By order,
B.P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

No. 04039(2)/IIB-48

COPY forwarded for information and necessary action to Local Self-Government Department.

By order,
B. P. BAGCHI,
Deputy Secretary.

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२२ पर)

मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में निम्नलिखित अस्थायी पदों को १ अप्रैल, १९६१ से स्थायी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था—

पद का नाम	संख्या	वेतन-क्रम
१—हेड असिस्टेंट	२	३००—२०—४०० रु०
२—सीनियर नोटर ऐंड ड्राफ्टर्स	१५	८०—६—११०—द०—रो०—६—१४०—द-रो० १०—२००—द०—रो०—२०—२४० रु० ।
३—जूनियर नोटर ऐण्ड ड्राफ्टर	११	८०—६—११०—द०—रो०—६—१४० रु० ।
४—रिकर्ड कीपर्स	६	,, ,,
५—रोटीन क्लर्क्स	१२	६०—४—८०—द०रो०—४—१०० रु० ।
६—सीनियर आर्कीटेक्ट	१	१२५०—५०—१८०० रु० जिसका प्रारम्भिक वेतन १६०० रु० है ।
—जूनियर आर्कीटेक्ट	१	५००—५०—१०००—द० रो०—५०—१२०० रु० ।
८—असिस्टेंट आर्कीटेक्ट	२	२५०—२५—४००—द० रो०—३०—७००—द० रो० ५०—८५० रु० ।
९—आर्कीटैक्चरल हेड ड्राफ्ट्समैन	१	२५०—१०—३०० रु० ।
१०—आर्कीटैक्चरल ड्राफ्ट्समैन	८	१५०—५—२००—१०—२५० रु० ।
११—ड्राफ्ट्समैन (बारडगरी)	१२	१२०—६—१६२—द० रो०—६—२१०—द० रो०—१०—२५० रु० (अर्हता प्राप्त ड्राफ्ट्समैनों के लिये) अन्यथा ८५—५—१२०—द० रो०—८—२०० रु० ।
१२—ट्रेसर	५	४५—२—६५ रु० ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

वित्तीय वर्ष १९६०-६१ तथा वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के २ अगस्त, १९६१ तक मैनपुरी जिले के स्वीकृत ईंट भट्ठों द्वारा कोयला प्राप्ति का विवरण।

क्रम-सं०	भट्ठा मालिक का नाम	वित्तीय वर्ष १९६०-६१	वित्तीय वर्ष १९६१-६२
		गाड़ी	गाड़ी
१	श्री मिजाजीलाल, मैनपुरी	८	१
२	सर्वश्री कृष्णकुमार केदार नाथ, मैनपुरी ..	८	२
३	श्री रघुवीर सहाय भटनागर, मैनपुरी	७	१
४	श्री उदय वीर सिंह, मैनपुरी	४	३
५	श्री सरनाम सिंह, कुरावली	८	१
६	श्री बसंत लाल, कुरावली	११	..
७	श्री हरनाथ सिंह चौहान, सगौनी	३	..
८	श्री अटल बिहारी लाल, कुरावली	५	३
९	सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद दीपचन्द, मैनपुरी ..	७	२
१०	सर्वश्री कुंजी लाल मुन्नूलाल, मैनपुरी	१०	२
११	सर्वश्री रामेश्वर दयाल ओमप्रकाश, कुरावली ..	८	१
१२	श्री रामप्रताप सिंह, गोधना	५	..
१३	श्री शिववक्ष सिंह, मैनपुरी	१२	३
१४	सर्वश्री दिग्विजय सिंह रमेश चन्द्र, जोगा	४	३
१५	सर्वश्री रघुनन्दन सिंह इन्द्रपाल सिंह, मंझोला ..	७	३
१६	श्री दयानन्द व्यास, छाछा	४	१
१७	श्री बालमुकुन्द सक्सेना, अलीपुरखेड़ा ..	१४	१
१८	श्री सत्य प्रकाश भटनागर, भोगांव	७	१
१९	सर्वश्री राम किशन दास राधामोहन, शिकोहाबाद ..	१०	..
२०	सर्वश्री मंगल सरण सीताराम, शिकोहाबाद ..	११	..
२१	सर्वश्री किशनलाल जगदीश लाल, शिकोहाबाद ..	१०	३
२२	सर्वश्री पातीराम राधेश्याम, सिरसागंज ..	१५	..
२३	श्री कैप्टन निहाल सिंह, उरावर	२	..
२४	श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी, परतापुर	३	१
२५	सर्वश्री छैलबिहारी लाल निरंजन लाल, शिकोहाबाद ..	४	१
२६	सर्वश्री जगदीश लाल ऐण्ड ब्रादर्स, शिकोहाबाद ..	३	१
२७	श्री राम आहूजा, शिकोहाबाद	३	१

क्रम-सं०	भट्ठा मालिक का नाम		वित्तीय वर्ष १९६०-६१	वित्तीय वर्ष १९६१-६२
२८	सर्वश्री ज्ञानी राम सीता राम, शिकोहाबाद	..	६	१
२९	श्री बृजमोहन लाल सर्राफ, सिरसागंज	..	६	..
३०	सर्वश्री बलवीर सिंह रतन लाल, साढ़पुर	..	४	..
३१	सर्वश्री कन्हैयालाल ओम प्रकाश, सिरसा गंज	..	५	२
३२	सर्वश्री रामसेवक हरी ओम, सिरसागंज	..	१	१
३३	श्री भीम सेन, सिरसागंज ..	..	३	..
३४	सर्वश्री जीवन दास अतरचन्द्र, करहल	..	१२	१
३५	सर्वश्री उमाकान्त शिवपाल सिंह, नेश्वारी	..	४	२
३६	श्री शाह ज्वाला प्रसाद, वरनाहल ..	..	३	..
३७	श्री रमेशचन्द्र दुबे, कुशियारी ..	..	५	..
३८	सर्वश्री चांदमल रमेश चन्द्र, पाढ़म ..	..	४	१
		योग ..	२४६	४३

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०-२१९ एल० ए०--१९६१--५४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा